सोमवार, 27 फरवरी, 1996
फाल्गुन, 1917 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

सोलहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

27 फरवरी, 1996 के वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय सूची (1)	9, अंतिम	सबन्ध	सम्बन्ध
विषय सूची (1)	19	प्रौद्योगिकों	प्रौद्योगिकी
विषय सूची (1)	नीचे से 5	समितियों	समिति
21, 132	7, 18	प्रो०उम्मा रेड्डी वेंकटेश्वरनु	प्रो० उम्मा रेड्डी वेंकटेश्वरलु
41	नीचे से 4	श्री एन. जेस राठवा	श्री एन.जे. राठवा
52	2	(क) से (ग) का लोप किया जाए ।	
70	नीचे से 8	श्री वी.शोभनाद्रीश्वर राव	श्री शोभनाद्रीश्वर वाड्डे
83	18	राज्स मंत्री	राज्य मंत्री
153	13	ggbl;KsukdsvDroj	इस योजना के अक्तूबर
197	26	"करने वाला" के पश्चात	"विवरण" जोड़ा जाए ।
279	4	के	की
280	17	का	के

विषय–सूची

दशम माला, खण्ड 47, सोलहवां सत्र, 1996/1917 (शक)
अंक 2, मंगलवार, 27 फरवरी, 1996/8 फाल्गुन, 1917 (शक)

विषय	कालम
निधन संबंधी उल्लेख	1-18
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
तारांकित प्रश्न संख्या : 1 से 20	18-38
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1 से 155	38-197
...द्य मन्त्रालय के अधिकारियों के सबन्ध में दिनांक 1 अगस्त, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या ..3 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण तथा उसमें हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण	197-198
...ला मामले के संबन्ध में	198-213, 249-278
...रिम बजट (रेल) – (1996-97) – प्रस्तुत	213-236
अनुपूरक अनुदानों की मांगे (रेल) – (1995-96) – प्रस्तुत	237
अनुदानों की अतिरक्त मांगे (रेल) – (1993-94) – प्रस्तुत	237-238
सभा पटल पर रखे गए पत्र	238-246
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	246-247
(एक) विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 1995 – **सभा पटल पर रखा गया**	
(दो) विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक, 1995 – **सभा पटल पर रखा गया**	
(तीन) प्रौद्योगिकों विकास बोर्ड विधेयक, 1995 – **सभा पटल पर रखा गया**	
(चार) अनुसंधान और विकास उपकर (संशोधन) विधेयक, 1995 – **सभा पटल पर रखा गया**	
(पांच) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) विधेयक, 1995 – **सभा पटल पर रखा गया**	
(छः) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1995 – **सभा पटल पर रखा गया**	
सरकारी उपक्रमों सबन्धी समिति	247
अड़तालीसवां प्रतिवेदन–**प्रस्तुत**	
सरकारी आश्वासनों सबन्धी समिति	247
अड़तीसवां प्रतिवेदन–**प्रस्तुत**	
खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण सबन्धी स्थायी समिति	247-248
तेरहवां, चौदहवां, पन्द्रहवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश–**प्रस्तुत**	
परिवहन और पर्यटन सबन्धी स्थायी समिति	248
बीसवां प्रतिवेदन–**सभा पटल पर रखा गया**	
समितियों के लिए निर्वाचन :	
(एक) भारतीय पुनर्वास परिषद्	248
(दो) मसाला बोर्ड	283-284
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण विधेयक – पुरःस्थापित	249
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अध्यादेश के सबन्ध में विवरण – सभा पटल पर रखा गया	249

विषय	कालम
नियम 377 के अधीन मामले :	278-280
(एक) रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन से केरल को अधिक बिजली दिए जाने की आवश्यकता	278-279
श्री पी०सी० चाको	
(दो) उड़ीसा के बालासौर जिले के सभी बाढ़ प्रभावित खण्डों को रोजगार आश्वासन योजना में शामिल किए जाने की आवश्यकता	279
डॉ० कार्तिकेश्वर पात्र	
(तीन) बिहार के नबादा जिले के चौमुखी विकास के लिए इसके खनिज अयस्क भण्डारों का अधिकतम उपयोग किए जाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	279
श्री प्रेम चन्द राम	
(चार) गन्ना किसानों द्वारा उठाई जा रही कठिनाईयों को दूर करने के लिए चीनी मिलों विशेषकर मेरठ, उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों की पिराई क्षमता बढ़ाए जाने की आवश्यकता	279-280
श्री अमर पाल सिंह	
औद्योगिक विवाद (संशोधन) अध्यादेश, 1996 के निरनुमोदन संबन्धी सांविधिक संकल्प	
और	
औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक - विचार करने के लिए प्रस्ताव	280-283
डॉ० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	280-282
श्री जी. वेंकटस्वामी	282

लोक सभा

मंगलवार, 27 फरवरी, 1996/8 फाल्गुन, 1917 (शक)

लोक सभा 11 बजे म०पू० पर समवेत हुई।
[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को हमारे एक भूतपूर्व साथी श्री ब्रज किशोर प्रसाद सिन्हा के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री ब्रज किशोर प्रसाद सिन्हा ने वर्ष 1950–52 के दौरान अंतरिम संसद में बिहार का प्रतिनिधित्व किया।

वर्ष 1952–70 के दौरान वे राज्य सभा के सदस्य भी रहे थे।

पेशे से वकील श्री सिन्हा ने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया था। उन्होंने 1947 में, बिहार के गया जिले के जहानाबाद उपमण्डल के दंगा पीड़ित लोगों के लिए, महात्मा गांधी द्वारा गठित बिहार शान्ति समिति के तत्वावधान में राहत कार्य करने और उनके पुनर्वास के लिए कार्य किया। वह एक योग्य संसदविद् थे और लोक लेखा समिति के सदस्य भी रहे थे।

श्री सिन्हा ने विश्व का व्यापक भ्रमण किया था और वह 1965 में सुंयक्त राष्ट्र संघ में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के भी सदस्य रहे।

श्री ब्रज किशोर सिन्हा का निधन 85 वर्ष की आयु में 26 जनवरी, 1996 को गया, बिहार में हो गया।

हम अपने इस मित्र के निधन से हुई क्षति पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने में यह सदन मेरे साथ है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ क्षण मौन खड़े होंगे।

11.03 म० पू०

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ क्षण मौन खड़े रहे।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मैंने प्रश्नकाल समाप्त करने की सूचना दी है। ..... **(व्यवधान)***

श्री जसवन्त सिंह (चितौड़गढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राम नाईक द्वारा पहले ही प्रस्तुत निवेदन का समर्थन करना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा मामला क्या है और हम प्रश्नकाल समाप्त करने के सबन्ध में क्यों उद्वेलित हो रहे हैं। सामान्यत: महोदय जैसा कि मेरे नेता ने सभा के अन्दर और बाहर बार–बार कहा है कि हम प्रश्नकाल समाप्त करने के पक्ष में नहीं है। .....**(व्यवधान)**..... लेकिन, फिर भी हम आज आपको यह निवेदन करने के लिए बाहय हुए हैं। यह सभा विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए है और इसमें उतने विचार व्यक्त किए जा सकते हैं जितने उसमें सदस्य हैं।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : हमारी बात भी सुनी जानी चाहिए।

श्री जसवन्त सिंह : जी हां, मैं आपसे सहमत हूं और मैं श्री चार्ल्स को इस बात के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता हूं कि उनकी बात सुनी जानी चाहिए। निश्चय ही उनकी बात सुनी जानी चाहिए। ..... **(व्यवधान)**

श्री पी० सी० थॉमस (मुक्तपुजा) : इस सत्र में जो समय खराब होगा उसे कौन पूरा करेगा ? **(व्यवधान)**

श्री जसवन्त सिंह : मुझे बताने दीजिए कि सभा इतनी उत्तेजित क्यों है और हमारी उत्तेजना किस बारे में है। महोदय पहले तो प्रश्नकाल समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव है जिसे प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रस्ताव नियमों के अनुसार है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हों जो कि सभा के नियमों में विनिर्दिष्ट नियमों के बाहर हो। अब इस बात के अनेक कारण हैं कि हम यह अनुरोध क्यों कर रहे हैं और मेरे विद्वान् मित्र और साथी ऐसा अनुरोध क्यों कर रहे हैं। मैं यह बताने में एक या दो मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा। सबसे पहले हमारी समस्या यह है। प्रश्नकाल सरकार से जवाब मांगने के लिए होता है। यदि कोई सरकार जैसी चीज़ होती जो कि आज हमारा आमना–सामना करती ..... **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : अनेक मन्त्रियों ने इस्तीफा दे दिया है।

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : यह क्या है ? उनके पास सोचने तथा देखने की शक्ति होनी चाहिए कि सरकार कार्य कर रही है।

श्री जसवन्त सिंह : मैं यह निवेदन तीन बातों के आधार पर कर रहा हूं। प्रथम, मन्त्रियों द्वारा इस्तीफा देने की बात सरकार के लिए आम बात हो गई है।

[हिन्दी]

यहां थोक में मिनिस्टर्स मिनिस्ट्री छोड़–छोड़ कर जा रहे हैं ..... **(व्यवधान)** .....

[अनुवाद]

इस तथ्य के बावजूद कि काफी संख्या में मन्त्री भ्रष्टाचार के आरोप में इस्तीफे देकर जा रहे हैं एक शब्द भी नहीं कहा जा रहा है। ..... **(व्यवधान)**

श्री बूटा सिंह (जालौर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राम कापसे (ठाणे) : प्रश्नकाल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है ..... **(व्यवधान)**

श्री बूटा सिंह : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न श्री जसवन्त सिंह द्वारा प्रश्नकाल की समाप्ति के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव के बारे के कारण

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उत्पन्न होता है ..... **(व्यवधान)** ..... मेरा व्यवस्था का प्रश्न भा0 ज0 पा0 सदस्य श्री जसन्त सिंह द्वारा प्रश्नकाल की समाप्ति के प्रस्ताव को सभा पटल पर रखे जाने के सबन्ध में है जो अपनी बात कह रहे थे। मेरा व्यवस्था का प्रश्न बहुत सीमित है। सभा के समक्ष प्रस्ताव रखने के बारे में तथा प्रश्नकाल की समाप्ति के लिए अनुरोध करने के बारे में जसवन्त सिंह जी को संक्षेप में वह बात करनी चाहिए जिसको कि आधार बनाकर उन्होंने वह प्रस्ताव रखा है। यह बात पूर्णतः नियमानुसार होनी चाहिए।

श्री राम कापसे : वे आपकी 'भूमिका' का उल्लेख नहीं कर रहे हैं ..... **(व्यवधान)**

श्री बूटा सिंह : यदि आप 'भूमिका' (रोल) की बात करना चाहते हैं तो मैं एक के बाद एक 'भूमिकाएं' बता सकता हूँ ..... **(व्यवधान)** महोदय, मैंने अपना निवेदन समाप्त नहीं किया है।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : अध्यक्ष महोदय, बूटा सिंह जी ने धमकी देने की कोशिश की है। यह ब्रीच ऑक प्रिवलेज है। मैं उनके खिलाफ प्रिवलेज मोशन मूव करता हूं। वह इस तरह धमका कर सांसदों की बात दबाना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री बूटा सिंह : महोदय, मेरा आशय यह है ..... **(व्यवधान)** ..... मेरा आपसे नम्र निवेदन यह है कि आपको श्री जसवन्त सिंह जी को उन मुहदों पर विस्तारूपर्वक बोलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी जो कि प्रश्नकाल समाप्त करने के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव में शामिल नहीं हैं। इसलिए जो कुछ भी उन्होंने उस प्रस्ताव के अतिरिक्त कहा है उसे इस सभा के कार्यवाही वृतान्त से निकाल देना चाहिए। अन्यथा उन्होंने जो कुछ भी असम्बद्ध टिप्पणियां की हैं वह कार्यवाही वृतान्त में चली जाएंगी।

महोदय, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि केवल इस बात को आप पर अथवा सभा पर छोड़ देना चाहिए कि प्रश्नकाल को समाप्त किया जाए अथवा नहीं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस प्रस्ताव को रद्द किया जाना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, यहां अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनकी हम इस सभा में चर्चा करना चाहते हैं। ..... **(व्यवधान)** ..... यह क्या बात है ?

कृपया अधिक वफादार मत बनिए ..... **(व्यवधान)** ..... महोदय, जैसा कि हम कहते हैं और जैसा कि हमने आपसे भी कहा है, हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। मैं नहीं जानता कि प्रश्नकाल के दौरान इन्हें एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की अनुमति क्यों दी गई है। वे इसके हकदार हैं। इसलिए इनको इसमें व्यस्त रहने दीजिए। लेकिन प्रश्नकाल को जारी रखिए। प्रधानमन्त्री को यहां आना चाहिए और इस सभा तथा इस देश के समक्ष इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि यह क्या हो रहा है।

महोदय आरोप लगाए हैं कि एक सदस्य ने स्वीकार किया है कि उसने पैसा लिया है। हवाला मामला चल रहा है। प्रधानमन्त्री जी ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है, प्रश्नकाल के तत्काल बाद प्रधानमन्त्री जी को आना चाहिए। प्रश्नकाल आरम्भ किया जाए।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पहले उनकी व्यवस्था का प्रश्न हल कर लेने दीजिए।

[अनुवाद]

श्री बूटा सिंह जी ने एक बहुत ही वैध-प्रश्न उठाया है और मैं इससे सहमत हूं। श्री जसवन्त सिंह जी अपनी बात पर अटल हैं वह मुझे यह बताएंगे कि प्रश्नकाल क्यों समाप्त किया जाना चाहिए।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, जब तक मेरे मित्र सरदार श्री बूटा सिंह जी ने हस्तक्षेप नहीं किया था तब तक मैं संक्षेप में यही करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कुछ धमकियां दी हैं मैं उन्हें गंभीरता से नहीं लूंगा। ..... **(व्यवधान)** ..... महोदय, मुझे यह सुन कर अति प्रसन्नता हुई है, वास्तव में मैं विश्वास नहीं करता हूं कि उन्होंने गंभीरता से कोई धमकी दी है।

मैं लगभग वही बात कह रहा हूं जो मेरे माननीय मित्र श्री सोमनाथ जी कह चुके हैं। इसमें जो कुछ दिया गया है जिसकी वजह से हर रोज अनेकों मन्त्री अपने पद से त्याग–पत्र दे रहे हैं। महोदय, वह मैं पढ़ कर सुनाता हूं।

"संसद सदस्यों को धनराशि भुगतान से लोकतन्त्र का कथित विध्वंस...."

....**(व्यवधान)**.... यह वक्तव्य में दिया गया है। महोदय, श्री सोमनाथ जी ने जो कुछ कहा था और हम जो कुछ कह रहे हैं उसमें केवल यही अन्तर है कि उन्होंने कहा था कि प्रधानमन्त्री जी को प्रश्नकाल के तत्काल बाद सदन में आना चाहिए और हम कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमन्त्री जी को इसी समय आना चाहिए। उन्हें आना चाहिए। प्रधानमन्त्री जी ने कोई वक्तव्य नहीं दिया है, सरकार ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। मन्त्रीगण अपने पद छोड़ चुके हैं। प्रधानमन्त्री पर आरोप लगाए गए हैं। हम इतना ही कह रहे हैं कि प्रश्नकाल स्थगित किया जाए और प्रधानमन्त्री जी इसी समय यहां आएं और सभा को बताएं कि उनकी सरकार का क्या हो रहा है और सभा को यह बताएं कि संसद के वर्तमान सदस्यों द्वारा उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों के बारे में उन्हें क्या कहना है। महोदय, हम केवल इतना ही पूछ रहे हैं। मैं नहीं जानता कि सत्ता पक्ष के लोग एक स्वीकृत सत्य के बारे में इतने उत्तेजित क्यों हैं। हम केवल इतना चाहते हैं कि आपके नेता को आपके दल के पतन के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। हम चाहते हैं कि आपके नेता यहां आकर हमें बताएं कि आपके दल का क्या होने वाला है

और हम चाहते हैं कि आपके नेता यहां आएं और संसद को बताएं कि उनके आचरण के कारण आज संसद की स्थिति क्या हो गई है।

इसीलिए हम प्रश्नकाल का निलम्बन चाहते हैं। हमारा यही अनुरोध है इसीलिए हम यह चाहते हैं कि प्रधानमन्त्री जी अभी यहां आएं और यह स्पष्ट करें कि उनकी सरकार का क्या हाने वाला है, आपके मन्त्रियों ने त्याग-पत्र क्यों दिए और संसद के एक वर्तमान सदस्य द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में उन्हें क्या कहना है।

श्री राम कापसे : मैने प्रधानमन्त्री जी और श्री सतीश कुमार शर्मा के विरुद्ध निन्दा के प्रस्ताव की सूचना दे रखी है और मैं उसे प्रस्तुत करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रविलेज मोशन मूव करने के लिए नोटिस आपके पास भिजवाया है। ..... **(व्यवधान)***

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस सदन में जो इस तरह से आवाज उठाई जा रही है और तब भी टेलीकाम स्कैंडल पर उठाई गई थी, उसका रिजल्ट क्या निकला ? और फिर अब ये चेहरे साफ हो चुके हैं। जितनी भी पार्टियां हैं, वे हवाला के अन्दर गिरफ्तार हैं। केवल एक ही पार्टी लैफ्ट फ्रंट बची हुई है। अध्यक्ष महोदय, आप जनता को आह्वान करें कि इस हवाला से छुटकारा मिले तभी देश का कल्याण होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, उस तरफ से भी बात आई कि कुछ नियम बनाकर रखने चाहिए और उनके अनुरूप चलना चाहिए। इस पर कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं हो सकता है। ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष जी, पिछले सत्र में जहां तक मेरी समझ है, चूंकि हम आधे सत्र में यहां पर आए थे और सदन कभी चला नहीं था, तो ऐसे मुद्दे को लेकर यहां पर न केवल प्रश्नकाल बन्द था बल्कि समूचा सदन बन्द था। इसलिए आज कोई भी यहां पर इस भाव से न बोले कि पहली बार कोई प्रस्ताव यहां पर रखा है। हमें यह बात नहीं जंचती है। कभी-कभी ऐसा वक्त आ जाता है जहां नियम से ऊपर उठकर कुछ फैसले लेने पड़ते हैं और मेरी मान्यता है कि आज के दिन उस नियम से उठकर कुछ फैसला लेना जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि यह सदन की गरिमा का प्रश्न है। मैं वह तर्क दे रहा हूं जो मैंने उनसे किया था। ..... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं यह बात आपसे क्यों कह रहा हूं कि प्रश्नकाल को रोक दें क्योंकि यह सदन की गरिमा का प्रश्न है। इस संदर्भ में कह रहा हूं कि अगर सदन की गरिमा को ही चुनौती हो और फिर हम यहां बैठकर प्रश्न पूछे, जवाब दें, हंसें, रोएं, तो यह बहुत नकली काम हो जाता है।

आज देश के तमाम अखबारों में इस सदन के बारे में एक जज के दिए हुए आक्षेप छपे हैं। हम केवल इस जजमेंट पर इस सदन को स्थगित करने की प्रार्थना आपसे करते हैं। मेरे पास उस जजमेंट की कॉपी है। क्या नहीं कहा गया है इस सदन के बारे में ! आप इस सदन के अधिकारों के रक्षक हैं। ..... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: फर्नान्डीज जी मैं वास्तव में सदस्य की भावना को समझ सकता हूं लेकिन इरादा स्पष्ट नहीं है। इस पर चर्चा करनी होगी लेकिन हम सब को सरकार के प्रत्येक स्कन्ध को न्याय सम्मत होना होगा और हम न्याय सम्मत बनना चाहेंगे। कृपया पहले मुझे वह आदेश देखने दीजिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं वह आदेश आपको पढ़कर सुनाता हूं। मेरे पास वह आदेश है। ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे इसे देखने दीजिए।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में न्याय सम्मत क्या होना है। ..... **(व्यवधान)** ..... यह फैसला दूदरर्शन पर ही नहीं बल्कि सभी टेलीविजन नेटवर्कों पर प्रसारित हुआ था। यह सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। ..... **(व्यवधान)** ..... अध्यक्ष महोदय, कृपया एक मिनट मेरी बात सुनिए। यदि न्यायाधीश ने कोई ऐसी टिप्पणी की है और यदि वह टिप्पणी सच है तो इस संसद को किसी पर भी कोई चर्चा करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और न्यायाधीश के फैसले के अनुसार यह जनता की संसद है जो पूरी तरह से भ्रष्ट है। ..... **(व्यवधान)** ..... अध्यक्ष महोदय यदि यह स्थिति है तो इस सभा के अभिरक्षक की हैसियत से इस सभा की बैठक बुलाने से पहले आपको भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायपालिका से स्पष्टीकरण प्राप्त होने तक इस सभा को स्थगित रखा जाना चाहिए। ..... **(व्यवधान)** ..... इसे इतने हल्के ढंग से नहीं लिया जा सकता है। ..... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आपने शायद जजमेंट नहीं देखा है। मैं उस जजमेंट को पढ़कर सुना रहा हूं :–

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

"प्राचीन भारत में राजा और सम्राट किसी विद्वान् के चरणों में बैठना अपना सौभाग्य समझते थे। आज के भारत में संसद सदस्य और मन्त्रीगण गुप्त चन्दा और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपराध जगत के सरगना और बड़े व्यापारियों के चरणों में बैठना अपना सौभाग्य समझते हैं।"

मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, कृपया सुनिए।

.....(**व्यवधान**).....

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उसके बाद वह कहते हैं :

"विगत समय में राष्ट्र के अत्यधिक प्रतिष्ठित संस्थानों लोक सभा और राज्य सभा का अधिकांश समय अव्यवस्था और शोर-शराबा करके बहिर्गमन करके राजकोष की भारी लागत पर व्यर्थ हुआ है।"

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, फर्नान्डीज जी।

.....(**व्यवधान**).....

अध्यक्ष महोदय : फर्नान्डीज जी आपकी बात का और अधिक महत्व होगा, कृपया मुझे इसे देखने दीजिए।

.....(**व्यवधान**).....

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : यह सभी समाचार पत्रों में आ चुका है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह बात और महत्वपूर्ण होगी.....

.....(**व्यवधान**).....

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्हें यह कहने का अधिकार नहीं है। वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर चले गए हैं। ..... (**व्यवधान**).....

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी हमारा कोई सम्मान नहीं रहा ..... (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह बहुत आपत्तिजनक है और हम इस आरोप की निन्दा करते हैं।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, बहुत हो चुका है। पिछले कुछ दिनों से समाचार पत्रों में यह आ रहा है। माननीय न्यायाधीश का यह फैसला मुझे उनका नाम मालूम नहीं है – इस संसद को एक हास्यास्पद संस्था नहीं बना सकता है और यदि आप इसे बर्दाश्त करते हैं ..... (**व्यवधान**) ..... कृपया पहले मेरी बात सुनिए।

अध्यक्ष महोदय, इस सभा में आने से पहले आपको इस मामले पर चर्चा कर लेनी चाहिए थी जो कि यहां पर उपस्थित नहीं हैं। यदि उन्हें अपनी चिन्ता नहीं है तो उन्हें इस संसद का तो कुछ सम्मान करना चाहिए था। .... (**व्यवधान**) ..... मुझे यह जानकर आघात पहुंचा है कि इस न्यायाधीश के व्यवहार के स्पष्टीकरण के बारे में अध्यक्ष महोदय ने सभा की बैठक शुरू होने से पहले मुख्य न्यायाधीश से सम्पर्क नहीं किया।

इन सब बातों पर चर्चा करने का क्या उद्देश्य है ? जब तक इन टिप्पणियों को वापस नहीं ले लिया जाता है तब तक इस सभा में किसी भी बात पर चर्चा करने का कोई उद्देश्य नहीं है।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, में चन्द्रशेखर जी की बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं। यह सदन किस काम का है। ..... (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : हम कार्य मन्त्रणा समिति की बैठक में पहले ही अपनी भावनाएं प्रकट कर चुके हैं और इस मुद्दे पर पूरा सदन एक मत है। महोदय, जब तक आप इस मामले को नहीं उठाते हैं तब तक इस पर कुछ नहीं किया जा सकता है। यह इस महान संस्था की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। अतः इस महान सभा के बारे में जो भी टिप्पणी की गई है हम उसकी निन्दा करते हैं।

अतः इससे पहले कि हम किसी और बात पर आएं हमें संसद के बारे में एक न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणी के बारे में इस महत्वपूर्ण मुद्दे को हल करना चाहिए। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ..... (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि कोई आरोप है तो वह सब के बारे में फैसला नहीं दे सकते हैं। ..... (**व्यवधान**)

श्री श्रीकान्त जेना : इस तरह की टिप्पणियों के बाद मैं नहीं जानता कि इस देश में क्या होने वाला है। इस सभा में या इस सभा से बाहर किसी दोषी के बारे में कोई भी टिप्पणी करने दीजिए। उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। यह टिप्पणी कि पूरा सदन दोषी है बर्दाश्त नहीं की जा सकती है और इस सभा को इसकी निन्दा करनी होगी। ..... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया नहीं। यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, हम चाहते थे कि प्रश्नकाल स्थगित कर दिया जाए और इस समय जो

परिस्थिति पैदा हुई है उस पर चर्चा हो। उस चर्चा के अन्तर्गत इस जजमेंट का जरूर उल्लेख होता, लेकिन हम उसका अलग से उल्लेख नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जब यह मामला उठ गया है तो इस पर बहस आगे चलाने की बजाय अच्छा यह है कि आप सदन स्थगित कर दें, सब नेताओं को बुलाए, प्रधान मन्त्री को भी निमंत्रित करें और यह जो परिस्थिति पैदा हुई है इस पर मिलकर विचार करने की आवश्यकता है। आप इस तरह का कदम उठाइए।

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : महोदय, हम सहमत हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आज देश में जो कुछ हो रहा है, अगर यह आरोप लगेगा कि सरकार ने अपने को बचाने के लिए पार्लियामेंट के मेम्बर को रिश्वत दी तो ..... **(व्यवधान)**

इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी ?

अध्यक्ष महोदय, मैं उस विवाद में जाना नहीं चाहता हूं लेकिन यह तो अदालत का एक रवैय्या हो गया है और इसके ऊपर सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। इस पर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। पहले भी हम इस मामले की ओर ध्यान खींच चुके हैं।

आज पार्लियामेंट अपना काम नहीं कर रही है। एक्जीक्यूटिव अपना काम नहीं कर रही है और सारा काम अदालतें कर रही हैं। जो जजमेंट अभी आया है, वह तो सारी सीमाओं को लांघता है। आखिर हम अदालत की इज्जत करते हैं, तो अदालत को भी पार्लियामेंट की इज्जत करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि यहां पर चर्चा करने की बजाय आप सदन की बैठक को स्थगित करें और सभी पार्टी के लीडर्स की एक बैठक बुलाएं उसमें प्रधान मन्त्री महोदय को भी निमंत्रित किया जाए और इस विषय पर अलग से बैठकर चर्चा करें। ..... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं भी इस सभा का सदस्य हूं। मैं वास्तव में यहां पर सदस्यों की भावनाओं को समझ सकता हूं। हम सब इस मामले की नजाकत को समझ सकते हैं और इस मामले में जो भी किया जा सकता है समुचित ढंग से संविधान के अनुसार सही ढंग से किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह सब किया जाना चाहिए और किया जाएगा। हमें इन सब बातों का पता करना होगा। मैं आपको अपनी भावनाएं व्यक्त करने की अनुमति दे रहा हूं।

.....(व्यवधान).....

श्री चन्द्र शेखर : संसद बेकार नहीं बैठ सकती ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह सही है। श्री चन्द्र शेखर जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उसी प्रकार श्री वाजपेयी जी, श्री जार्ज फर्नान्डीज जी एवं अन्य सदस्यगणों ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। ये सभी जिम्मेदार सदस्य हैं और उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाएगा और सदन उन सभी बातों को ध्यान में रखेगा। अब मैं नम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि मैं भी आपकी व्यथा में शामिल हूं और आपकी भावनाओं से सहमत हूं पर मुझे इस मुद्दे पर सोचने और उचित कार्रवाई करने का अवसर दीजिए क्योंकि यदि हमें मुश्किलों का सामना करना होगा, कार्यपालिका–न्यायपालिका, कार्यपालिका–विधायिका, विधायिका–कार्यपालिका के बीच संघर्ष का सामना करना पड़ेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हम उसको प्रापरली ले लें, तो उसका हल हो जाता है।

(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : जब पार्लियामेंट है ही नहीं स्पीकर साहब, तो पार्लियामेंट में प्रापरली क्या लेंगे ?

अध्यक्ष महोदय, मैं तो 34 वर्ष से पार्लियामेंट में हूं। मैंने आज तक वाकआउट नहीं किया है, लेकिन इस रिमार्क के बाद भी यदि पार्लियामेंट चलेगी, तो मुझे ऐसा करने के लिए विवश होना पड़ेगा। ..... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बताऊंगा। हम उनके विचारों का सम्मान करेंगे।

श्री चन्द्र शेखर : मैंने इस मामले को बहुत गम्भीरता से लिया है। मेरे मन में न्यायाधीश के प्रति बहुत आदर है परन्तु उन्हें ऐसी टिप्पणियां करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि ऐसी टिप्पणियां की जाती हैं और सत्ता पक्ष के सदस्य यह कहते हैं कि किसी ने कोई गलती की है। ..... **(व्यवधान)**

नागर विमानन तथा पर्यटन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं अभी वहीं बात कह रहा था जो कि माननीय सदस्य, श्री चन्द्रशेखर जी ने कहा है कि जहां तक सत्ता दल का सबन्ध है हम इस मुद्दे से अपने आपको नहीं जोड़ रहे हैं। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस सदन की गरिमा, प्रतिष्ठा एवं सम्मान बनाए रखने में हम सभी एकमत हैं।

मैं श्री वाजपेयी जी की इस बात से भी सहमत हूं कि हमें एक साथ मिलकर इसका समाधान ढूंढना चाहिए कि इसे कैसे हल किया जाए।

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा) : आपने न्यायाधीश वी0 रामास्वामी के मामले में क्या किया था ? ..... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : इस मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट सीमा के बाहर गया। ..... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

हम एकदम कोई वायदा नहीं कर सकते हैं। ..... **(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : यह क्या हो रहा है ? हर कोई बोल रहा है। ..... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष जी, चन्द्र शेखर जी, जार्ज फर्नान्डीज और हमारे लीडर ऑफ दी औपीजीशन ने जो सवाल उठाया है, वह सारे सदन की गरिमा, ऑनर और डिगनिटी का सवाल है। आप जानते हैं, आउस की एक परम्परा रही है। मान लीजिए जूडीशियरी से इस तरह का कोई नोटिस स्पीकर के पास आता है जिसे स्पीकर समझते हैं कि जूडीशियरी को इस तरह का नोटिस देने का अधिकार नहीं है तो वे इसे लॉ मिनिस्ट्री को भेज देते हैं। नॉन-जूडीशियरी के लोग तो ऐसी बातें कह देते थे। लकिन आज कोर्ट का जो ऑब्ज़र्वेशन दोनों हाउस के बारे में आया है, उसमें संविधान के नाते जूडीशियरी, ऐग्ज़ीक्यूटिव और लैजिसलेचर का जो सबन्ध है, जो बैलैंस है, उसको पूरा खत्म करने की झलक, अनजाने में हो या जानकर हो, उस टिप्पणी से मिलती है जिसके बारे में चन्द्र शेखर जी ने गंभीरता से बात की है। चन्द्र शेखर जी का कहना है कि हम ससंद में बैठकर देश के प्रति और संविधान के प्रति कैसे कर्त्तव्य सम्पाादन कर सकेंगे जबकि सारे देश में यह चीज़ चली गई है कि संसद के लोग इस तरह के हैं। हम संसद में इसलिए बैठे हैं कि जो करप्शन हो रहा है।

[अनुवाद]

हमें स्थिति पर काबू पाना होगा।

[हिन्दी]

उससे सारी संसद चिन्तित है। आज इस चीज़ को देखकर सदन के नेता को, मैं प्रधानमन्त्री का नाम नहीं ले रहा हूं, उनको यहां आकर इस चीज़ को उठाना चाहिए था। हमको तकलीफ़ है कि सदन के नेता मौजूद नहीं हैं। मैं सारी संसद की तरफ से बोल रहा हूं कि हम लोगों की मानसिकता संसद में बैठकर कर्तव्य निर्वाह करने की नहीं है। हमको अच्छा लगा कि पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हमारी इस बात से सहमत हैं। आप प्रधानमन्त्री और विभिन्न पार्टियों के नेताओं को अपने चैम्बर में बुलाकर इसके बारे में फैसला कीजिए और तब तक हाउस को एडजर्न कीजिए। ..... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सिंह (सतना) : महोदय, मैं कुछ कहना चाहूंगा। ..... **(व्यवधान)** ..... मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे वह सब कुछ कहने का अवसर दिया है जो कि मैं कहना चाहता हूं और अब कह रहा हूं।

हम सभी एक ऐसे प्रभुत्व सम्पन्न संसद के सदस्य हैं जो कि कर्तव्य से युक्त हैं, ऐसे कर्तव्य जो कि देश के संविधान, संसद की परम्पराओं एवं नियमों में स्पष्ट रूप से परिभाषित किए गए हैं। महोदय, मैं समझता हूं कि इस कर्त्तव्य का निर्वाह हम कैसे करते हैं, वही इस समस्या का निर्णायक पहलू सिद्ध होगा और इससे हमारी भावी सन्तति को हमें आंकने का अवसर मिलेगा क्योंकि जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा हमारे जीवन में कई घटनाएं घटतीं रहेंगी। शायद हम हर बात का मुकाबला नहीं कर पाएंगे परन्तु इतिहास हमें आंकेगा और जब हम इस संसद के विशेषाधिकार प्रतिष्ठा एवं सम्मान की बात करते हैं तो इन विषयों पर खण्डशः चर्चा नहीं की जा सकती। यह एक ऐसा सामूहिक विषय है जिसे इकट्ठे लेना होता है और जिसे पूर्णरूप में परिभाषित करना होता है। मैं इस सदन में व्यक्त भावनाओं से अपने आपको पूरी तरह से जोड़ता हूं कि संसद के खिलाफ किसी प्रकार की कोई निन्दा नहीं की जा सकती और नहीं इसके खिलाफ कोई अमर्यादित टिप्पणियां की जा सकती हैं। इसकी कतई जरूरत नहीं है। इसके साथ यह भी बहुत ही सही और महत्वपूर्ण है कि हममें से किसी का भी आचरण ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि संसद की निन्दा हो और अवमानना होती हो और यदि ऐसा होता है तो संसद केवल मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता। इन दो बातों को एक साथ लेना होगा। आप इनको अलग-अलग नहीं कर सकते हैं।

जैसा कि भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री रवि राय ने कहा है, मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि यह एक ऐसा मामला है जिस पर इस सदन के नेता को अन्य मामलों की अपेक्षा सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। नेतृत्व ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हम जब चाहे अपनी इच्छानुसार उपयोग भी कर सकते हैं और नेतृत्व के उत्तरदायित्व को निभाते भी नहीं है। मैंने अबसेन्टी लैंडलॉर्डिज्म के बारे में सुना है पर 'अबसेन्टी लीडरशिप' के बारे में कभी नहीं सुना। यदि देश के भाग्य में यही सब कुछ लिखा है तो मैं समझता हूं कि यही वक्त है जबकि हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। मैं यह मामला पूरी तरह से आपके स्वनिर्णय पर छोड़ता हूं।

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष जी, मुझे जो कहना है, वह संक्षेप में निवेदन करूंगा। सदन के मिलने से पहले आपने हमें आमंत्रित किया था। जब आमंत्रित किया था तो स्वाभाविक है कि माननीय जज साहब की बात, जो उन्होंने फरमाई थी, उस पर चर्चा हो। आपने अपने-अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अच्छा होगा कि अभी उस पर हम चर्चा न करें। इसीलिए हमने उस मामले का उल्लेख नहीं किया। मैं इस विचार से सहमत हूं।

अध्यक्ष महोदय : जेनाजी ने जो कहा वह भी कह दें तो कम्प्लीट पिक्चर आ जाएगी।

श्री रामविलास पासवान : आर्डर आने दें।

श्री जसवंत सिंह : आपने कहा कि आर्डर आने दें। मेरा निवेदन दो-तीन बातों का है। मैं मानता हूं कि आज समय की पुकार संयम की है। हमारे लोकतंत्र का एक अंग यदि संयम खो बैठता है तो यह

जरूरी नहीं कि दूसरा अंग भी संयम खो बैठे, मैं इससे सहमत हूं, जैसा माननीय चन्द्र शेखर जी ने कहा, हमारे मित्र रवि रायजी ने कहा और अटलजी ने कहा। हमने मांग की थी कि प्रश्नकाल को स्थगित करें। उसके पीछे यह मंशा थी कि सदन के नेता यहां आकर सफाई दें। आज की चुनौती सिर्फ जज साहब की नहीं है। आज जज साहब इतना कहने को क्यों बाध्य हुए हैं, वह इसलिए हुए हैं कि सदन के नेता अपना काम नहीं निभा रहे हैं।

वह बाध्य इसलिए हो गए कि सदन के नेता अपना फर्ज़ नहीं निभा रहे हैं। ..... **(व्यवधान)**

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, मैं प्रश्नकाल का समय लेना नहीं चाहता। जिन्होंने प्रश्न दिया है, बैलट हुआ है, उनकी समस्या का समाधान आखिर होना चाहिए। लेकिन जो मामला आया है और अभी जो बात उठ रही है, मैं भी इस विषय पर अपने विचार अभिव्यक्त करना चाहता हूं। वैसे अगर न्यायपालिका का कोई व्यक्ति, कोई न्यायाधीश या कोई न्यायमूर्ति सदन पर चोट करते हैं, जिसके बहुत सदस्य हैं जिन्होंने सारा जीवन फकीरी, त्याग और बलिदान का बिताया है, जो किसी क्षेत्र में सन्यास और बैराग में इससे बेहतर दावा कोई नहीं कर सकते हैं। अगर उन्होंने चोट की है तो उस पर हमें अलग से बैठकर विचार करना है जैसा कि वाजपेयी जी ने कहा है। लेकिन अगर इससे उस न्यायपालिका के खिलाफ ही चोट उठ जाए, जिस न्यायपालिका ने .....* हमारी मदद की है। 12 दिनों तक हमने सदन को नहीं चलने नहीं दिया। हवाला कांड पर चर्चा के लिए मैं नोटिस आपको देता रहा, आग्रह करता रहा। उस न्यायपालिका ने तो हमारी मदद की है। भारत के संविधान की खूबी है कि एक जगह सत्ता का केन्द्रीयकरण नहीं है। इसलिए यहां से भी आवाज उठ गई है और इसीलिए हवाला से घायल लोग अभी .....* रहे हैं और इसीलिए गुस्सा कहीं झाड़ रहे हैं। घायल इधर हैं, घायल उधर हैं। अध्यक्ष जी बात यह है कि ..... **(व्यवधान)** ..... थोड़ा सब्र कीजिए। यह मामला भ्रष्टाचार से संगीन है। देश की सुरक्षा का मामला है। हमारे* अपने पाकिस्तानी खुफियों को, तोड़ने वालों को संरक्षण देते थे। हमारे ....* अभी जेल में पड़े हुए हैं जिन्होंने दाऊद इब्राहिम के लोगों को संरक्षण दिया है। क्या यह मामूली बात है ? क्या हमें शर्म नहीं होनी चाहिए कि हमारी सभा में ऐसे लोग हैं .. ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं देखिए, इसीलिए यह सारी मुश्किल हो जाती है। आप किसी कंक्लूजन पर आ गए हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : हमें इन चीजों से ऊपर उठना चाहिए। इतना ही मेरा आग्रह है।

श्री चन्द्र शेखर : जिन सदस्यों पर आरोप हैं, वे अपराधी हैं, यह मान लेना मेरे ध्यान में ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दे रहा हूं। वे दोषी हैं अथवा नहीं है, हम कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर : अगर किसी पर आरोप लगा दिया गया तो वह अपराधी हो गया, आप त्यागी होंगे, लेकिन दूसरे लोगों ने भी त्याग किया है। ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : देखिए, इसीलिए हाउस में आर्डर रहना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष जी, एक बहुत लम्बे ऐतिहासिक स्वतन्त्रता संग्राम के बाद हमारा देश एक स्वावलम्बी सत्ता सम्पन्न गणतन्त्र राष्ट्र के रूप में दुनिया में उभरा है और उसमें जो सत्ता है, प्रभुसत्ता है, वह हमारे देश के दोनों सदनों में हमारे देशवासियों ने स्वेच्छा से अपने चुने हुए सासंदों के माध्यम से यहां पर संग्रह की है। प्रभुसत्ता संसद के पास है और उस प्रभुसत्ता को चलाने का एकाधिकार हमारे सविधान में है। इन दोनों के अस्तित्व को बहुत बुरी तरह से लांछित किया गया है। जैसा कि अभी श्री जार्ज फर्नांडीज, श्री चन्द्र शेखर जी और माननीय रवि राय जी ने जिसका उल्लेख किया है। इस परिस्थिति में आज का सबसे बड़ा ऐतिहासिक दायित्व आपके ऊपर आता है। आप सदन के कस्टोडियन हैं।

इसलिए आपको व्यक्तिगत रूप से न केवल किसी एम0पी0 की, न केवल किसी विशेष दल की, बल्कि समूचे सदन की गरिमा, अस्तित्व और जो मूल प्रभुसत्ता का प्रश्न है, उसकी रक्षा करनी है, जो शक्ति इस सदन के पास ही है किसी दूसरे के पास नहीं है, न ज्यूडिशयरी के पास है और न ही किसी दूसरे के पास है। आज उसके सामने चुनौती आई है। आज सभी नेताओं ने, चन्द्र शेखर साहब ने बड़े अच्छे सुझाव दिए हैं। इसलिए मेरा आपसे यही अनुरोध है और करबद्ध प्रार्थना है कि आप सभी दलों को एक साथ बैठा कर बात करें। इससे कोई रास्ता निकले जिससे कि हमारे सदन की गरिमा, प्रभुसत्ता और हमारे संविधान का एकाधिकार,

[अनुवाद]

संविधान जो कि कानून द्वारा स्थापित किया गया है।

[हिन्दी]

वह कैसे अपहोल्ड हो सके। उसके लिए जिस ढंग से आप चाहेंगे उसी तरह से इसमें चर्चा हो। आप जो निर्णय लेंगे और जिस-जिस को आप जो-जो याचना देना चाहेंगे उसमें यह सदन आपके साथ समूचे तौर पर सर्वसम्मति के साथ खड़ा होगा। हमारे मन्त्री महोदय ने भी कह दिया है इसलिए मैं मानता हूं कि इसको और ज्यादा लम्बा नहीं करना चाहिए। हम इसे आपके हाथ में छोड़ते हैं। अब किस तरह से इस सदन की गरिमा और प्रभुसत्ता की रक्षा करनी है, इस बारे में आप फैसला करें। सदन के सभी नेता उसमें शामिल हैं। यह गवर्नमेंट का काम नहीं है, यह आपका काम है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष जी, आज जो असाधारण स्थिति पैदा हो रही है, उसका कारण क्या है। इसका मूल कारण यही है कि सदन के नेता* ..... **(व्यवधान)**

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय, वह क्या कह रहे है ? इसे कार्यवाही वत्तान्त से निकाल देना चाहिए। ..... **(व्यवधान)**

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, यह सही नहीं है। इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल देना चाहिए ..... **(व्यवधान)**

डॉ0 कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर) : महोदय, मुझे इस पर आपत्ति है। ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नही किया जा रहा है।

.....**(व्यवधान)**.....

अध्यक्ष महोदय : कृपया, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। सभा की कार्यवाहियों में जो भी आपत्तिजनक होगा, उसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाएगा। परन्तु कृपया ऐसे शब्द मत कहिए जिनका अन्य सदस्य एक दूसरे के प्रति उदधृत कर सकते हों।

.....**(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं ..... **(व्यवधान)** ..... महोदय, आपने एक टिप्पणी [illegible] और मैं उससे पूरी तरहे से सहमत हूं। परन्तु, कृपया अ[illegible] समझाइए कि इसे जारी रखने की अनुमति देने से अ[illegible] किस उद्देश्य की पूर्ति हो रही हो। ..... **(व्यवधान)** ..... आ[illegible] था कि हमें विचारशील होना चाहिए और एक दूसरे [illegible] टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ..... **(व्यवधान)** ..... परन्तु [illegible] सभी के लिए छूट है। इस ओर के सदस्य उस ओर के [illegible] टिप्पणियां कर रहें हैं और उस ओर के सदस्य इस ओर [illegible]यों पर। ..... **(व्यवधान)** ..... महोदय, कई सदस्यों द्वारा एक प्रस्ताव अथवा सुझाव रखा गया है और मैं समझता हूं कि वह प्रस्ताव ....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब यह हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपने आप का भी आदर करें। यदि हम दोषारोप लगाएंगे, यदि हम एक दूसरे के प्रति ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे जो कि हमें रुचिकर नहीं लगती है तो हो सकता है कि दूसरे लोग इन शब्दों को लेकर एक-दूसरे के खिलाफ इसका उपयोग करें। यह ठीक नहीं है। इसलिए, कृपया सदस्यों को सोच-समझकर भाषा का प्रयोग करना चाहिए।

.....**(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसलिए मेरा आपेस नम्र निवेदन है कि सदन की कार्यवाही रोक दें। कृपया मुझे बताइए कि इससे किस उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है ?

अध्यक्ष महोदय : उद्देश्य यह है कि इसमें सभी पक्षों पर प्रकाश डाला जा रहा है।

.....**(व्यवधान)**.....

अध्यक्ष महोदय : कृपया इन्हें अपना भाषण पूरा करने दीजिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रस्ताव रखा गया है और सभी इस प्रस्ताव से सहमत हो गए हैं। ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं, परन्तु उन्हें अपना भाषण पूरा करने दीजिए।

.....**(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सदन के नेता को उपस्थित होना ही चाहिए अन्यथा इससे कोई लाभ नहीं होगा। ..... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। ..... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसी भाषा का प्रयोग करके सबके सामने अपना भेद मत खोलिए।.....

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, आज चुने हुए जन-प्रतिनिधि और आवाम के बीच में न्यायालय की टिप्पणी से एक विश्वास का संकट पैदा हो गया है। इस विश्वास के संकट को दूर करने के लिए सदन इस भ्रष्टाचार के मामले पर सम्पूर्णता से विचार करे ताकि विश्वास का संकट दूर हो सके। आज जिस तरह से विश्वास का संकट पैदा किया गया है उससे जनता में, आवाम में निश्चित रूप से भ्रम फैला है। इस भ्रम को सदन आज जनता के मन से निकाले, क्योंकि अध्यक्ष महोदय, सदन सर्वोपरि है। अध्यक्ष महोदय, हम आपसे एक्शन चाहते हैं। आज सर्वोच्च सदन बैठा हुआ है और आज जन-मानस में जिस प्रकार का भ्रम और विश्वास का संकट पैदा हुआ है इस पर कोई निर्णय लिया जाना चाहिए और सदन के नेता पर भी एक आयोग बैठाया जाए। चाहे वह न्यायपालिका हो या जनतंत्र के चार जो स्तम्भ हैं, चाहे यह सदन जहां हम लोग बैठे हुए हैं, या जो प्रैस है, जो न्यायपालिका है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो कार्यपालिका है, इन सब लोगों की चल-अचल सम्पति पर एक आयोग बैठाकर सार्वजनिक रूप से जांच करवाई जाए कि कितने प्रतिशत लोग भ्रष्ट हैं और उसे सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इन सब पर चर्चा करने के लिए आपको अवसर दिया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझने की कोशिश कीजिए। यदि आप अपनी सहायता नहीं कर सकते हैं तो कोई भी आपकी सहायता नहीं कर सकता है।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष महोदय : अभी हमारे माननीय यादवजी एक सवाल यहां पर उठा रहे थे। उन्होंने नेता के ऊपर.....* का आरोप लगाया। वह संसदीय है या असंसदीय है, यह फैसला तो आपको करना है। मगर उधर से मंत्री जी ने माननीय संसद को यह कहा कि अपनी.....* में रहे। मैं इनसे आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि ..... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया तो उसे भी निकाल दिया जाएगा।

.....(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, सदन के दोनों पक्षों के सदस्य न्यायाधीश द्वारा किए गए कतिपय टिप्पणियों के प्रति बहुत चिंतित हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने सोच-समझकर संविधान को बनाया था और विभिन्न संवैधानिक एजेन्सियों के लिए प्रावधान बनाया जो कि एक दूसरे का विरोध करके नहीं बल्कि सहयोग से कार्य कर सकते हैं। इस सदन के एक सदस्य, जिस पर दोष लगाया गया है जोकि अभी सिद्ध नहीं हुआ है, के आवेदन पर यह मामला न्यायालय के समक्ष आया था। वह इस सदन में उपस्थित होना चाहते थे। न्यायाधीश को यह आजादी थी कि वह इनके इस आवेदन को रद्द कर दे पर न्यायाधीश अपनी सीमा से भागे आकर ..... **(व्यवधान)** मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। परन्तु निश्चित रूप से उन्होंने अपनी एक सीमा से बाहर निकल कर हर एक संसद-सदस्य एवं संस्थान के रूप में संसद पर कोरी टिप्पणी की है।

12.00 मध्याह्न

अतः हम विक्षुब्ध हैं और उन्होंने जो कुछ कहा है मैं उसका खण्डन करता हूं। जैसा कहा गया है कोई दुष्ट व्यक्ति हो सकता है। हम एक सम्प्रदाय में, हर एक बिरादरी में दुष्ट व्यक्ति होता है। परन्तु कोई भी व्यक्ति यूं संस्थान के रूप में संसद का और सभी संसद सदस्यों का अपमान/खण्डन नहीं कर सकता है। महोदय, मैं मानता हूं कि हमारी प्रतिक्रिया भी अच्छी होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसलिए, हम यह कहना चाहते हैं कि यह संसद उनकी टिप्पणियों को स्वीकार नहीं करता है। उन्होंने जो कुछ कहा, हम उसका खण्डन करते हैं। उन्होंने अपनी सीमा को लांघ दिया है और यदि न्यायपालिका को वह संस्थान के रूप में संसद के प्रति आदर है, तो वह अपनी मर्यादा बनाए रख सकती है। न्यायपालिका का यह कर्त्तव्य है कि वह संस्थान के रूप में संसद का भी आदर करें। हमें एक पद्धति बनानी होगी और यह देखना चाहिए कि हमें सभ्यता पूर्वक किस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी हैं।

अतः यहां पर किए गए प्रस्ताव को मैं स्वीकार करता हूं। परन्तु यह बात देश के बाहर जाने न पाए कि इस संसद ने वह सब कुछ मान लिया जो कुछ उन्होंने कहा है। हम उससे सहमत नहीं हैं और हम संस्थान के रूप में संसद और संसद सदस्यों के खिलाफ इस प्रकार की निन्दा का खण्डन करते हैं। हमें यह पूरी तरह से स्पष्ट कर देना होगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि सदन सभी सदस्य.....

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, कृपया हमें भी कुछ कहने की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : ममता जी, कृपया मुझे सभा का कार्य करने दीजिए।

सभी पक्ष चाहते हैं कि हमें चैम्बर में जाना चाहिए और इस पर चर्चा करनी चाहिए।

अब सभा 2.30 म.प. पर समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

चीनी आयात का ठेका

***1. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994 तथा 1995 के दौरान चीनी का आयात अथवा निर्यात किए जाने का औचित्य क्या है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप देश को कितना घाटा हुआ;

(ग) क्या घाटे को देखते हुए सरकार का विचार आयात ठेके को रद्द कर देने का है;

(घ) क्या इस घाटे के लिए उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया गया है; और

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ङ) . वित्तीय वर्ष 1994-95 में जून, 1995 तक 9.77 लाख मीटरी टन चीनी का आयात किया गया था। यह आयात 1993-94 चीनी उत्पादन मौसम में कमी होने के परिणामस्वरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन हुई कम आपूर्ति को पूरा करने के लिए आवश्यक हो गया था। जब यह लगभग सुनिश्चित हो गया कि घरेलू उत्पादन बहुत अच्छा होगा तब आयात रद्द करने/आयातित चीनी की भारी मात्रा को पुनः बेचने के लिए कार्रवाई शुरू की गई थी। तथापि इसके परिणामस्वरूप एक ओर आयात लागत और वितरण तथा दूसरी ओर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से हुई मूल्य प्राप्ति के अन्तर के लिए सब्सिडी देनी पड़ी। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए हानि के लिए दायित्व निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

1994-95 मौसम में देश में चीनी के अच्छे उत्पादन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्यात अधिसूचित एजेंसी, इंडियन शुगर एण्ड जनरल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से 5.19 लाख मीटरी टन की मात्रा निर्यात के लिए अधिसूचित की है। इंडियन शुगर एण्ड जनरल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वित्तीय वर्ष 1995-96 के दौरान लगभग 2.68 लाख मीटरी टन (जनवरी, 1996 तक) चीनी निर्यात की गई है। 1995-96 मौसम में से अब निर्यात के लिए 1.5 लाख मीटरी टन मात्रा और अधिसूचित की गई है।

[अनुवाद]

मलेरिया नियंत्रण

***2. श्री जार्ज फर्नान्डीज :**
श्री बी0एल0 शर्मा 'प्रेम' :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के मलेरिया के प्रकोप में वृद्धि हुई है तथा समूचे दक्षिण बिहार में इसने महामारी का रूप ले लिया था जिसके कारण इस वर्ष 10,000 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई;

(ख) यदि हां, तो क्या गत वर्ष भी चार बीमारियों अर्थात् मलेरिया, कालाजार, पीलिया और डायरिया ने इस क्षेत्र में महामारी का रूप ले लिया था जिसमें 20,000 लोगों की जानें गईं थीं;

(ग) क्या बिहार सरकार ने इन बीमारियों से निपटने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए थे;

(घ) क्या बिहार को इस प्रयोजनार्थ मिली केन्द्रीय निधि लौटानी पड़ी थी;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या बिहार सरकार इसका उचित रूप से उपयोग करने में असफल रही थी; और

(च) यदि हां, तो सत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए0 आर0 अन्तुले) : (क) और (ख) . राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम प्राधिकारियों के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1995 में मलेरिया से 34 मौतें हुई थीं। जहां तक कालाजार का संबन्ध है, इसके रोगियों और इससे हुई मौतों की संख्या में कमी आई है। पीलिया और अतिसार के बारे में बिहार सरकार ने बतलाया है कि वहां ऐसी कोई महामारी नहीं थी।

(ग) केन्दीय सरकार ने बिहार सरकार को निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने, निर्धारित छिड़काव समय सारणी का पालन करने तथा रिक्त पदों को भरने की सलाह दी थी। बिहार सरकार ने अब सूचित किया है कि छिड़काव कार्य के दो दौर हो चुके हैं और रसायन-चिकित्सीय उपचार प्रदान किया गया है।

(घ) से (च) . जी नहीं। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम तथा कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता सामान्यतया सामग्री (कीटनाशक, लार्वाताशी और औषधियों) के रूप में प्रदान की जाती है। वर्ष 1995-96 के दौरान राज्य सरकार द्वारा डी टी टी का कुछ भाग पूरी तरह उपयोग में नहीं लाया जा सका।

[हिन्दी]

औद्योगिक प्रदूषण

***3. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के उन बड़े उद्योगों के नाम क्या हैं जो बड़ी नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को इस सबन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सबन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इन उद्योगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है तथा इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) गत दो वर्षों के दौरान क्या सरकार ने प्रदूषण से मुक्त होने के लिए प्रदूषण फैला रहे इन उद्योगों को कोई आर्थिक सहायता प्रदान की है; और

(च) यदि हां, तो तत्सबन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) . महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 22 फरवरी, 1996 को दी गई सूचना के अनुसार, नौ यूनिटें ऐसी हैं जिन्होंने

निर्धारित मानकों का अनुपालन नहीं किया और अपने बहिस्रावों को बड़ी नदियों में सर्जित किया। इन यूनिटों में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. मैसर्स सिम्पलक्स पेपर मिल्स, गोण्डिया, जिला-भंडारा।
2. मैसर्स बल्लारपुर इण्डस्ट्रीज लि0, बल्लारपुर जिला-चन्द्रपुर।
3. मैसर्स नाथपल्प एण्ड पेपर मिल्स, औरंगाबाद।
4. मैसर्स औरंगाबाद पेपर मिल्स, औरंगाबाद।
5. मैसर्स कोप्रान कैमिकल्स, रायगढ़।
6. मैसर्स श्री हरि कैमिकल्स, एक्सपोर्ट लि0 एम.आई.डी.सी. जिला-रायगढ़।
7. मैसर्स क्रेस्ट कैमिकल्स, एम.आई.डी.सी. महद, जिला-रायगढ़।
8. मैसर्स ए.टी.वी. प्रोडक्टस (आई) लि0, जिला रायगढ़।
9. मैसर्स एन्जाइम्स फार्मास्यूटिकल्स एण्ड इंण्डस्ट्रियल कैमिकल्स लि0, जिला-रायगढ़।

(घ) उद्योगों को महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करने के लिए अपने शोधन सुविधाओं का विस्तार करने का निदेश दिया गया था। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दोषी इकाइयों से बैंक गारण्टी प्राप्त की गई है। नौ यूनिटों में से छः यूनिटों ने अपेक्षित शोधन सुविधाएं स्थापित कर ली हैं।

(ङ) और (च) . केन्द्र सरकार छोटे पैमाने के उद्योगों को विश्व बैंक की सहायता प्राप्त औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना के तहत साझा बहिस्राव शोधन, संयंत्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देती है। महाराष्ट्र में साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए अब तक 138 लाख रुपये की राशि वितरित की गई है।

विश्व बैंक की सहायता प्राप्त इस परियोजना के तहत भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम ने प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र में बहुत सारे उद्योगों को ब्याज की रियायती दर पर ऋण प्रदान किया है।

[अनुवाद]

चन्दन और लाल चन्दन की लकड़ी

***4. प्रो0 उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चन्दन और लाल चन्दन जैसी बहुमूल्य वृक्ष उगाने को प्रोत्साहित करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों ने सशर्त ऐसे वृक्षोरोपण को प्रोत्साहित करने के लिए विचार किया है;

(घ) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष रहे; और

(च) सरकार द्वारा बहुमूल्य वृक्ष उगाने में रुचि बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) . जी, हां। केरल, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य चन्दन जैसे बहुमूल्य वृक्ष उगाने को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु लाल चन्दन उगाने को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं।

(ग) इस प्रकार की प्रौधरोपणों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों द्वारा कोई विशिष्ट शर्तें नहीं लगाई गई हैं।

(घ) और (ङ) . केरल ने वन क्षेत्रों में चन्दन जैसी बहुमूल्य प्रजातियां उगाने के लिए उपयुक्तता निर्धारित करने हेतु आरक्षित वन क्षेत्र में एक सर्वेक्षण किया है।

(च) मूल्यवान वृक्षों की पौधरोपण में रुचि बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम निम्नलिखित हैं :

(1) इन प्रजातियों की पौध को विस्तार कार्यक्रमों के जरिए पौधरोपण के लिए किसानों/व्यक्तियों को उपलब्ध काराया जाता है।

(2) कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में निजी क्षेत्रों में उगाए जा रहे चन्दन को सरकार द्वारा निकाला जाता है और उसकी बिक्री से प्राप्त आय का एक हिस्सा मालिकों को दिया जाता है। इसके अलावा, तमिलनाडु अपनी पट्टा भूमि में चन्दन उगाने के लिए आदिवासी लोगों को नकद प्रोत्साहन भी दे रही है।

(3) चन्दन और लाल चन्दन सहित मूल्यवान वृक्ष प्रजातियों के प्रचार-प्रसार के लिए नई और बेहतर तकनीकों के मानकीकरण हेतु अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं।

पूयामकुट्टी जल विद्युत परियोजना

***5. श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री ए0 चार्ल्स :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की पूयामकुट्टी जल विद्युत परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृति कब प्रदान की गई थी;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस परियोजना को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) . केरल में पूयामकुट्टी जल विद्युत परियोजना को भारत सरकार द्वारा जून, 1985 में पर्यावरणीय मंजूरी दी गई थी। तथापि, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि को उपयोग में लाने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को परियोजना के संभावित प्रतिकूल पारिस्थितिकीय प्रभाव के कारण जनवरी, 1991 में गुण-दोष के आधार पर रद्द कर दिया गया था।

(घ) राज्य सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत पूर्व निर्णय की पुनः जांच के लिए अभ्यावेदन किया है। अभ्यावेदन पर विचार किया जा रहा है।

भर्ती तथा आकलन योजना

*6. **श्री मंजय लाल :**
श्री सुकदेव पासवान :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986 के दौरान भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के निर्णय लेने वाले शीर्ष सरकारी निकाय ने वैज्ञानिक तथा तकनीकी दोनों ही तरह के कर्मचारियों की भर्ती तथा आकलन योजना की स्वीकृति दी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चयन तथा प्रोन्नति के लिए उक्त अवसर केवल वैज्ञानिक कर्मचारियों को ही दिए जा रहे हैं ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस भेदभाव के लिए जिम्मेवार संबंधित अधिकारियों की पहचान की है; और

(च) आई.सी.एम.आर. के शासी निकाय के निर्णय को लागू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए0आर0 अन्तुले) : (क) से (च) . भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के शासी निकाय ने, इसके द्वारा नियुक्त समीक्षक समिति की सिफारिश पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में मौजूद रूपरेखा के आधार पर परिषद् के तकनीकी और वैज्ञानिक स्टाफ के लिए 1988 में एक एकीकृत भर्ती और आकलन योजना का अनुमोदन किया। जबकि, वैज्ञानिक कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी, 1986 से एक पांच वर्षीय आकलन योजना का कार्यान्वयन किया गया था, तकनीकी स्टाफ के लिए, प्रशासकीय और वित्तीय कारणों से वैसी ही योजना स्वीकार नहीं की जा सकी। तथापि, अब यह निर्णय किया गया है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के लिए अनुमोदित योजना के प्रतिरूप में एक संशोधित योजना पर विचार किया जाए।

औषधीय पौधे

*7. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :**
डॉ0 लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोगरोधी और उपचारात्मक प्रभाव वाले रोधक्षम तत्वों का पता लगाने की दृष्टि से भारतीय पारम्परिक औषधियों में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न वानस्पतिक पदार्थों के सबन्ध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा;

(ग) क्या ऐसे विभिन्न आयुर्वेदिक वानस्पतिक पदार्थों को, जो रोगों के प्रति रोधक्षमता में वृद्धि करते हैं, आधुनिक चिकित्सा पद्धति में सम्मिलित कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए0 आर0 अंतुले) : (क) और (ख) . रोग प्रतिरक्षा विज्ञान के क्षेत्र में पारम्परिक भारतीय औषधियों में प्रयुक्त कुछ वानस्पतिक पदार्थों पर वैज्ञानिक अध्ययन किए गए हैं। कुछ वानस्पतिक पदार्थों पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि आमबात, सन्धिशोध, व्रणीय वृहदान्त्रशोध, श्वसनी, दमा आदि जैसी रोध क्षमता प्रणाली वाले विकारों के रोकथाम और उपचार की अच्छी सम्भावनाएं हैं।

(ग) और (घ) . अनुसंधान कार्य अभी चल रहा है और आधुनिक चिकित्सा पद्धति में किसी नई औषध को सम्मिलित करने के लिए मंजूरी नैदानिक परीक्षणों के माध्यम से उनकी प्रभावकारिता का पता करने पर ही दी जा सकती है।

अपमिश्रण की रोकथाम

*8. **श्री तारा सिंह :**
श्री रति लाल वर्मा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश के पश्चात् विद्यमान खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सबन्ध में वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने के लिए किसी कार्यदल का गठन किया है;

(ग) कार्यदल के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं, और

(घ) सरकार द्वारा इस अधिनियम में कब तक संशोधन कर दिए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए0 आर0 अंतुले) : (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग समेत विभिन्न संघों द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के संशोधन की आवश्यकता की बात उठाई गई थी।

(ख) और (ग) . विख्यात न्यायविदों, कानूनी और तकनीकी विशेषज्ञों के एक कार्यदल का गठन किया गया था और इसका समन्वय भारतीय खाद्य व्यापार एवं उद्योग परिसंघ द्वारा किया गया था। इस कार्यदल ने आज की आवश्यकताओं के संदर्भ में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के ढांचे की समीक्षा की। मुख्य सिफारिशें खाद्य कानूनों के कार्यान्वयन, प्रयोगशालाओं में उपकरण की पर्याप्तता विश्लेक्षण के लिए नियुक्त किए गए कार्मिकों, विक्रेताओं को लाइसेंस, अच्छी औद्योगिक पद्धतियों के विकास और खाद्य अपमिश्रण निवारण प्रभाग को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे से सम्बन्धित हैं। मौजूदा कानूनों में संशोधनों का भी सुझाव दिया गया है।

(घ) राज्य सरकारों से परामर्श लेते हुए इन संशोधनों की जांच की जानी है जिनके लिए कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है।

मलेरिया नियन्त्रण

*9. **श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू योजना के अन्तर्गत मलेरिया उन्मूलन तथा नियन्त्रण कार्यक्रम के लिए कुल परिव्यय क्या है;

(ख) वर्ष 1992-95 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल कितनी राशि खर्च हुई है;

(ग) वर्ष 1995-96 के लिए कुल बजट परिव्यय कितना है तथा इसमें से 31 दिसम्बर, 1995 तक कितना खर्च हुआ है;

(घ) चालू वर्ष के लिए इस योजना के अन्तर्गत व्यय की मुख्य मदें क्या-क्या हैं;

(ङ) क्या मलेरिया देश भर में पुनः फैल रहा है; और

(च) यदि हां, तो क्या इस खतरे का मुकाबला करने हेतु इस कार्यक्रम को संशोधित किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए0 आर0 अंतुले) : (क) और (ख) . आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए कुल 445 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। 1992-93 से 1994-95 की अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 318.34 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं;

(ग) और (घ) . 1995-1996 के बजट अनुमानों में 139.00 क़रोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 31 दिसम्बर, 1995 तक 67.98 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन प्रमुख मदों पर व्यय किया गया है उनमें कीटनाशक, लार्वानाशक औषधें, स्थापना, अनुसंधान तथा प्रचार शामिल हैं।

(ङ) और (च) . मलेरिया नियन्त्रण की संशोधित कार्ययोजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप 1984 से देश में मलेरिया की घटनाओं को नियन्त्रित कर प्रतिवर्ष 20 लाख के आस-पास रखा जा सका है। राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल किए जाने से पहले मार्गदशी आधार पर नई कार्यनीतियां भी कार्यान्वित की जा रही हैं।

रोग नियंत्रण

*10. **श्री गोपीनाथ गजपति : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एड्स जैसे नए रोगों का प्रादुर्भाव और आंत्रशोथ, मलेरिया, टी0बी0, प्लेग आदि जैसे रोगों का पुनर्प्रादुर्भाव हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन रोगों के उन्मूलन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इंडियन एसोसियेशन फार स्टडी आफ दी लीवर ने 3 फरवरी, 1995 को दिल्ली में हैपटाइटिस 'बी' विषाणु की रोकथाम पर कोई राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की थी;

(घ) यदि हां, तो संगोष्ठी में क्या सुझाव दिए गए; और

(ङ) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए0 आर0 अंतुले) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) . उल्लिखित रोगों के निवारण/नियंत्रण के लिए अपनाई गई मुख्य कार्यनीतियां इस प्रकार हैं :

(1) **एड्स** – एच आई वी/एड्स की रोकथाम और नियंत्रण की एक व्यापक योजना इस समय देशभर में चलाई जा रही है। कार्यक्रम की कार्यनीतियों में शामिल हैं – (i) एच आई वी/ एड्स के बारे में जन जागरूकता पैदा करके आचरण में परिवर्तन; (ii) रक्त निरापदता तथा रक्त का विवेकपूर्ण इस्तेमाल, (iii) यौन संचारित रोगों पर नियंत्रण; और (iv) एच आई वी/एड्स से प्रभावित व्यक्तियों की निगरानी तथा उनका क्लिनिकल उपचार।

(2) **क्षयरोग** – सरकार ने हाल ही में क्षयरोग कार्यक्रम में सुधार किया है तथा बहु-औषध रसायन उपचार पद्धति का उपयोग कर क्षयरोग नियंत्रण की एक संशोधित कार्यनीति आरम्भ की है।

(3) **मलेरिया** – अपनाई गई मुख्य कार्यनीतियां हैं :

(i) रोगियों का आरम्भावस्था में पता लगाना तथा उनका तत्काल उपचार;

(2) प्रतिवर्ष 2 तथा अधिक परजीवी घटनाओं वाले ग्रामीण क्षेत्रों में उपयुक्त कीटनाशकों से घरों में छिड़काव तथा शहरी क्षेत्रों में बार-बार लार्वारोधी उपाय बरत कर वैक्टर नियंत्रण;

(3) स्वास्थ्य शिक्षा तथा लोगों की भागीदारी

(4) **जठरान्त्रशोथ** – सरकार पानी से पैदा होने वाले रोगों की जांच करने तथा उनके लिए उपचारी उपाय बरतने के लिए राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली के माध्यम से तकनीकी सहायता उपलब्ध करती है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा निम्नलिखित उपाय भी किए जाते हैं :–

(1) पीने के साफ पानी की व्यवस्था

(2) व्यक्तिगत भोजन सम्बन्धी स्वच्छता के सुधार

(3) मानव मल-मूत्र का ठीक ढंग से निपटान।

(4) उपयुक्त स्वास्थ्य शिक्षा।

(5) निगरानी और मॉनीटरिंग।

(6) क्लोरीन की गोलियों और ओ0आर0एस0 पैकेटों का संवितरण।

(5) **प्लेग** – देश में पलेग के हाल ही के प्रकोप को देखते हुए निगरानी, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और प्रयोगशालाओं का दर्जा बढ़ाना जैसे कार्यकलाप शुरू किए गए हैं।

भारतीय जिगर अध्ययन संघ ने 3 फरवरी, 1996 को "हैपेटाइटिट बी विषाणु की रोकथाम" पर 1½ दिन की एक राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी का आयोजन किया था।

संघ से अनुरोध किया गया है कि वह इस विचार गोष्ठी की सिफारिशों, जैसे ही उन्हें अन्तिम रूप दिया जाए भेज दें। इनकी जांच की जाएगी और पूरी कार्रवाई की जाएगी।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

*11. **श्री रवि राय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1 अप्रैल से परिवार नियोजन की लक्ष्य-निर्धारण योजना को समाप्त करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस सबन्ध में किसी जिले में कोई 'पाइलट' कार्यक्रम चलाया गया था ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) और (ख) ऊपरी स्तर से गर्भ निरोधक सबन्धी लक्ष्य रखने की पद्धति के स्थान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर पर विकेन्द्रीकृत नियोजन पद्धति रखने का प्रस्ताव है।

(ग) जी, हां।

अंतर्राज्यीय जल विवाद

*12. **श्री सनत कुमार मंडल :**
श्रीमती वसुंधरा राजे :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानंमत्री ने दिल्ली में हाल ही में अंतर्राज्यीय जल विवादों को सुलझाने हेतु कुछ बैठकों का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सबन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन बैठकों में भाग लेने वाले राज्यों के नाम क्या है;

(घ) इस सबन्ध में की गई चर्चाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके क्या परिणाम रहे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) से (ङ) कावेरी जल विवाद के सन्दर्भ में भारत के उच्चतम न्यायालय के दिनांक 28 दिसम्बर, 1995 के आदेश के अनुसरण में, प्रधानमंत्री ने 30.12.1995, 31.12.1995 और 1.1.1996 को बैठकों का आयोजन किया जिनमें कर्नाटक, केरल, पांडिचेरी और तमिलनाडु के मुख्य मंत्री तथा अपनी सबन्धित विधान सभाओं के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और इन राज्यों से कुछ संसद सदस्य व विधान सभा सदस्य उपस्थित थे। इन राज्यों के दावों की जांच करने के बाद प्रधानमंत्री के कर्नाटक के मुख्य मंत्री से अनुरोध किया कि वह तमिलनाडु में खड़ी फसलों को बचाने के लिए एक हजार मिलियन घन फुट जल प्रतिदिन की दर से तुरन्त छः हजार मिलियन घन फुट कावेरी जल (जून, 1991 के कावेरी जल विवाद अधिकरण के अंतरिम आदेश में अनुबद्ध मात्रा के अतिरिक्त) अनन्तिम रूप से निर्मुक्त करें। आगे की व्यवस्था पर निर्णय करने के लिए तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में आधार स्थिति का सावधानीपूर्वक और तुरन्त आकलन करने के लिए एक तीन सदस्य विशेषज्ञ दल भी बनाया गया था।

ध्वनि प्रदूषण

*13. **श्री फूलचन्द वर्मा :**
श्री ए0 इन्द्रकरन रेड्डी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुसार शहरों में ध्वनि प्रदूषण का स्वीकार्य स्तर क्या है और भारत के प्रमुख शहरों/नगरों में ध्वनि प्रदूषण का स्तर कितना-कितना है;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न नगरों/स्थानों पर ध्वनि प्रदूषण के सबन्ध में कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) . भारत के बड़े कस्बों/शहरों में अवलोकित ध्वनि स्तर सामान्यतः वाणिज्यिक, आवासीय और शान्त क्षेत्रों में दिन के समय मानकों से अधिक होता है। इन शहरों में ध्वनि स्तर में वृद्धि यानीय यातायात सहित मानक गतिविधियों में वृद्धि होने के कारण हो रही है।

विश्व-स्वास्थ्य संगठन द्वारा संस्तुत ध्वनि प्रभावन सीमाएं 1980

पर्यावरण	संस्तुत अधिकतम स्तर
औद्योगिक/व्यावसायिक समुदाय/शहरी	75 डेसीबल
दिन के समय	55 डेसीबल
रात के समय	45 डेसीबल
इण्डोर/घरेलू	
दिन के समय	45 डेसीबल
रात के समय	35 डेसीबल

(ग) और (घ) . जी, हां। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निम्नलिखित शहरों में ध्वनि प्रदूषण सर्वेक्षण किए हैं :–

क्र.सं.	शहर
1.	अहमदाबाद
2.	औरंगाबाद
3.	बंगलौर
4.	भोपाल
5.	बम्बई
6.	कलकत्ता
7.	कोचीन
8.	कोयम्बटूर
9.	दिल्ली
10.	हैदराबाद
11.	इन्दौर
12.	जयपुर
13.	कानपुर
14.	लखनऊ
15.	मद्रास
16.	मंगलौर
17.	वहोदरा
18.	विशाखापत्तनम्

सामान्यतः, आवासी, वाणिज्यिक और शान्त क्षेत्रों में ध्वनि स्तर दिन के समय मानकों से अधिक होता है। औद्योगिक क्षेत्रों में ध्वनि स्तर यद्यपि अधिक है, किन्तु मानकों के भीतर है।

(ङ) ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :–

– ध्वनि प्रदूषण को संशोधित वायु (प्रदूषण, निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1987 में शामिल किया गया है। पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत विभिन्न श्रेणी के क्षेत्रों (आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और शान्त क्षेत्र) के लिए ध्वनि सबन्धी परिवेशी मानक अधिसूचित किए गए हैं।

पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित अधिकतम परिवेशी ध्वनि स्तर

क्र.सं.	श्रेणी	परिवेशी ध्वनि मानक डेसीबल	
		दिन के समय	रात के समय
1.	औद्योगिक क्षेत्र	75	70
2.	वाणिज्यिक क्षेत्र	65	55
3.	आवासीय क्षेत्र	55	45
4.	शान्त क्षेत्र	50	40

– मोटर गाड़ियों, घरेलू उपकरणों और निर्माण उपस्करों के लिए भी विनिर्माण स्तर पर ध्वनि सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

– केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों और मोटर गाड़ियों से इतर स्रोत पर ध्वनि नियंत्रण के लिए एक प्रक्रिया संहिता तैयार की गई है।

– भारी वाहनों के आवागमन को विनियमित करना और उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से अलग करना।

– सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के जरिए पर्यावरणीय जागरूकता अभियान शुरू किए गए हैं।

[हिन्दी]

इको मार्क

***14. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पर्यावरण हितैषी पदार्थों पर 'इको मार्क' का लेबल लगाना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु राज्य सरकारों ने क्या सहयोग दिया है; और

(घ) इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने क्या प्रोत्साहन दिए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) पर्यावरण अनुकूल उत्पादों पर लेबल लगाने की एक स्कीम सरकार द्वारा 1991 में चलाई गई थी। इस लेबल को "इको मार्क" के नाम से जाना जाता है। इस स्कीम का उद्देश्य उन सामानों के उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहित करना था जो भारतीय मानक ब्यूरो की गुणवत्ता अपेक्षाओं के साथ-साथ निर्धारित पर्यावरणीय मापदण्डों को भी पूरा करते हों।

इको मार्क स्कीम के तहत सरकार ने अब तक निम्नलिखित ग्यारह उत्पादों के लिए अन्तिम मापदण्ड विकसित और अधिसूचित कर दिए हैं :–

(1) नहाने के साबुन

(2) प्रक्षालक

(3) कागज

(4) वास्तुशिल्पीय पेंट्स

(5) कपड़े धाने के साबुन

(6) खाद्य मदें भाग-1 (खाद्य तेल, चाय, काफी)

(7) खाद्य मदें भाग-2 (पेय, शिशु आहार, प्रसंस्कृत आहार, वनस्पति उत्पाद)

(8) स्नेहक तेल

(9) पैकेजिंग भाग-1 (कागज के गत्ते और प्लास्टिक लेमिनेट्स को छोड़कर)

(10) पैकेजिंग भाग-2 (लेमिनेट्स और उसके उत्पाद)

(11) आटोमोटिव लोड एसिड बैटरीज, सरकार ने इको मार्क स्कीम का प्रचार किया है।

(ग) राज्य सरकारों से इको मार्क स्कीम को बढ़ावा देने का अनुरोध किया गया है।

(घ) कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है।

[अनुवाद]

गंगा कार्य योजना

***15. श्री जगत वीर सिंह द्रोण :**
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि करोड़ों रुपए (पहले चरण में 290 करोड़ रुपये और दूसरे चरण में प्रस्तावित 10 करोड़ रुपये) के व्यय के बावजूद उत्तर प्रदेश में गंगा जल में बायोकेमिकल्स ऑक्सिजन डिमांड, क्रोमियम, डी०डी०टी० और मिस्ट आक्सीजन के अवशेष पाए जा रहे हैं और यहां तक कि 160 मिलियन लीटर धूल/अपशिष्ट पदार्थ गंगा जल में बहाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गंगा को वास्तविक अर्थ में 'पवित्र'/प्रदूषण रहित बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) . गंगा कार्य योजना के पहले चरण के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में 184.8 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर सीवेज अवरोधन, दिशा परिवर्तन और उपचार, अल्प लागत स्वच्छता, शवदाहगृह और अन्य प्रकार की 106 स्कीमें संस्वीकृत की गई थी। इनमें से 102 स्कीमें पूरी हो चुकी हैं।

इन स्कीमों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप 401 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज को सीधे गंगा नदी में बहने से रोका जा रहा है। कानपुर के जाजमऊ क्षेत्र में 175 चर्म उद्योगों से बहने वाले बहिःस्राव से निपटने के लिए एक सामूहिक बहिस्राव उपचार संयंत्र स्थापित किया गया है। इस बहिस्राव में से क्रोमियम को भू-भरण उपचार के लिए अवमल में इकट्ठा कर लिया है। उपचारित सीवेज को भी सीवेज फार्मों में उपयोग के लिए भेजा जा रहा है।

इन उपायों के फलस्वरूप पूरे उत्तर प्रदेश क्षेत्र में घुलित आक्सीजन और जैव रसायन आक्सीजन मांग के सन्दर्भ में जल गुणवत्ता में नीचे दिए अनुसार सुधार हुआ है :–

क्र.सं.	नगरों के नाम	*डीओ (मिग्राम/ली)			*बीओडी (मिग्राम/ली)		
		1986	1991	1995	1986	1991	1995
		**ग्रीष्मकाल औसत			**ग्रीष्मकाल औसत		
1.	ऋषिकेश	8.1	7.1	9.0	1.6	1.5	1.3
2.	हरिद्वार	8.2	8.9	8.4	1.8	1.7	1.6
3.	कानपुर ऊर्ध्वप्रवाह	7.2	7.9	8.1	7.1	2.7	2.0
4.	कानपुर अधोप्रवाह	6.7	4.4	6.8	8.5	7.4	5.5
5.	इलाहाबाद ऊर्ध्वप्रवाह	6.4	8.0	8.2	11.4	2.6	4.5
6.	इलाहाबाद अधोप्रवाह	6.6	6.9	8.2	15.5	2.0	3.2
7.	वाराणसी ऊर्ध्वप्रवाह	5.6	7.8	8.5	10.1	2.6	2.6
8.	वाराणसी अधोप्रवाह	5.9	7.2	8.0	10.6	5.9	1.4

* डी0ओ0 की मात्रा 5.9 मिग्रा/ली से कम नहीं होनी चाहिए।

बी0ओ0डी0 की मात्रा 3.0 मिग्रा/ली से अधिक नहीं होनी चाहिए।

** ग्रीष्मकाल का औसत मार्च से जून के बीच रिकार्ड किए गए औसत का होता है जब बहाव कम होता है तथा तापमान अधिक होता है।

कानपुर में (130 मिलियन – लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले) और इलाहाबाद में (60 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले) एक-एक अतिरिक्त सीवेज उपचार संयंत्र निर्माणाधीन है। इन संयंत्रों के पूरा होने पर स्थिति में और सुधार अपेक्षित है।

गंगा कार्य योजना के चरण I और चरण II के अन्तर्गत शामिल उत्तर प्रदेश के नगरों के शेष कार्य 390 मिलियन लीटर अवशेष जल का अवरोधन, दिशा परिवर्तन और उपचार करेंगे। प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं और केन्द्रीय एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इनकी कड़ी निगरानी कर रहे हैं। गंगा में डी०डी०टी० स्तर नियंत्रण के सम्बन्ध में इस मंत्रालय ने हानिकारक पदार्थों/अवशेष उत्सर्जन नियम तैयार किए हैं ताकि पर्यावरण पर इनके प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सके।

[हिन्दी]

चीनी का उत्पादन तथा निर्यात

*16. **श्री मोहन सिंह (देवरिया) :**
श्री उत्तमराव देवराव पाटील :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-1996 के दौरान चीनी का अनुमानित उत्पादन कितना है;

(ख) इस उत्पादन में से लेवी चीनी की कितनी मात्रा को घरेलू उपयोग के लिए सुरक्षित भंडार के रूप में रखने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस लीवी चीनी तथा सुरक्षित भंडार में से कितनी मात्रा का निर्यात किए जाने का प्रस्ताव है तथा इसका निर्यात कब तक किया जाएगा ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) वर्तमान उत्पादन रुख के अनुसार, चीनी वर्ष 1995-96 के दौरान लगभग 140 लाख टन चीनी उत्पादन की संभावना है।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मांगों को पूरा करने के लिए लेवी चीनी का इस्तेमाल किया जाता है।

(ग) लेवी चीनी का निर्यात विचाराधीन नहीं है। वफर स्टॉक केवल खुली बिक्री चीनी के भाग में से ही रखा जा रहा है। कोई निश्चित निर्यात लक्ष्य नहीं तय किया गया है।

[अनुवाद]

आयुर्वेद को बढ़ावा

*17. **श्री राम प्रसाद सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए नए कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में आयुर्वेद और एलोपैथी चिकित्सा प्रणालियों के अन्तर्गत इस समय कितने-कितने प्रशिक्षित चिकित्सक प्रति वर्ष तैयार होते हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा प्रणाली के और अधिक महाविद्यालय खोलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ये किन-किन स्थानों पर खोले जाएंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए0आर0 अंतुले) : (क) और (ख) भारत सरकार ने देश में भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए एक अलग से विभाग की स्थापना की है।

(ग) देश में आयुर्वेदिक कालेजों तथा एलोपैथिक कालेजों में प्रति वर्ष क्रमशः 4000 तथा 13000 छात्रों को प्रवेश दिया जाता है।

(घ) और (ङ) जी, हां। भारत सरकार नए कालेज नहीं खोलती। ये कालेज राज्य सरकारों अथवा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा खोले जाते हैं और इस सम्बन्ध में निर्णय उन्हें स्वयं लेना होता है।

[हिन्दी]

नई चीनी मिलें

*18. **श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील :**
श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए अनेक राज्यों से आज तक कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) प्रत्येक आवेदन-पत्र कब से सरकार के विचाराधीन हैं और इन आवेदनों पर निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) 29.11.94 से, चीनी उद्योग के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया को रोक कर रखने का निर्णय लिया गया था, तथा इसे लाइसेंस मुक्त किया जाए अथवा नहीं, इस प्रश्न के विचार को लम्बित रखा गया था। यद्यपि दिसम्बर 1995, में यह निर्णय लिया गया था कि लाइसेंस के लिए लम्बित आवेदनों पर विचार किया जाए तथा इसका निपटान किया जाए। 15.12.1995 तथा 288 आवेदन विचार हेतु लम्बित थे, जिसमें से 251 आवेदन खाद्य मंत्रालय की जांच समिति द्वारा चुने गए हैं, तथा 37 आवेदनों की जांच प्रतीक्षित है। उद्योग मंत्रालय को 19 मामलों के लिए आशय पत्र देने के लिए अनुशंसा कर दी गई है।

वर्तमान में इस सम्बन्ध में कोई निश्चित समय सीमा बताना सम्भव नहीं है।

[अनुवाद]

खाद्यान्न का निर्यात

*19. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :**
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदे गए गेहूं और चावल की अनुमानित आर्थिक लागत क्या है और किस लागत पर इन खाद्यान्नों को निजी निर्यातकों को आवंटित किया गया;

(ख) इन खाद्यान्नों को किस कीमत पर और किन-किन देशों को निर्यात किया गया;

(ग) गेहूं का सीधे निर्यात करने पर भारतीय खाद्य निगम को कितना लाभ हुआ होता;

(घ) गेहूं और चावल के निर्यात हेतु सरकारी एजेंसियों की अनदेखी करने और निजी पार्टियों को मौका देने के पीछे क्या औचित्य है;

(ङ) क्या कथित अनियमित निर्यात पद्धति से घरेलू विक्रय हेतु भारतीय खाद्य निगम को प्राप्त राज सहायता इसलिए बेकार गई क्योंकि ये खाद्यान्न बिना निविदा आमंत्रित किए निजी पार्टियों को दे दिए गए;

(च) क्या उपरोक्त प्रक्रिया अपनाने के कारण देश की हुई क्षति का आकलन किया गया है और क्या इसकी जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) 1995-96 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूल किए गए गेहूं और चावल की अनुमानित इकनामिक लागत निम्नानुसार है :–

	(रुपये में प्रति मीटरी टन मूल्य)
गेहूं	5636/–
चावल	7467/– (एकीकृत)

भारतीय खाद्य निगम के पास पड़े सरकारी स्टाक से निर्यात करने के लिए बढ़िया और उत्तम चावल के खुली बिक्री के मूल्य निम्नानुसार थे –

(रुपये/अमरीकी डालर में प्रति मीटरी टन मूल्य)

अवधि	बढ़िया चावल	उत्तम चावल	अभ्युक्ति
19.4.95-9.8.95	6300-6700	6600-7000	] यद्यपि मूल्य के रेंज वही बने रहे, तथापि पत्तन शहरों में 10.8.94 से बिक्री मूल्य 200/रु० प्रति मीटरी टन बढ़ गए।
10.8.95-27.11.95	6300-6700	6600-7000	
28.11.95-6.2.96	6880-7110	7000-7420	
7.2.96-14.2.96			
तटवर्ती राज्य	(193.06-203.47 अमरीकी डालर)	(202.31-212.43 अमरीकी डालर)	यद्यपि मूल्य अमरीकी डालरों में उल्लिखित हैं, लेकिन क्रेताओं को केवल भारतीय रुपये में भुगतान करना पड़ा।
गैर–तटवर्ती राज्य	(193.06-205.49 अमरीकी डालर)	(202.31-214.45 अमरीकी डालर)	
15.2.1996 से अब तक			
केवल तटवर्ती राज्य	(237.73-246.36 अमरीकी डालर)	(246.94-255.57 अमरीकी डालर)	

भारतीय खाद्य निगम के पास पड़े सरकारी स्टाक से निर्यात करने के लिए गेहूं की खुली बिक्री के मूल्य निम्नानुसार थे :–

अवधि	मूल्य प्रति मीटरी टन	अभ्युक्ति
4.10.95-30.11.95	4150-4600 रुपये	उस बिक्री के लिए 200/– रुपये प्रति मीटरी टन अतिरिक्त लिए जाने थे जिसमें भारतीय खाद्य निगम द्वारा पत्तन नगरों, रेल हैडों अथवा किसी अन्य गंतव्य स्थान तक वचनबद्ध ढुलाई (डेडिकेटेड मूवमेंट) निहित थी।
2.2.96 से आज तक	141.58 अमरीकी डालर	यद्यपि मूल्य अमरीकी डालरों में उल्लिखित हैं, लेकिन क्रेताओं को केवल भारतीय रुपये में भुगतान करना पड़ा।
पत्तन के 50 किलोमीटर के अन्दर तटवर्ती नगर		
तटवर्ती राज्यों में अन्य स्थान	135.84 अमरीकी डालर	
गैर तटवर्ती राज्य	122.89-130.08 अमरीकी डालर	

(ख) भारतीय खाद्य निगम सरकारी उपक्रमों सहित निर्यातकों को खाद्यान्नों की बिक्री करता है। यह जानकारी नहीं है कि निर्यातक खाद्यान्नों को सम्मत विनिर्दिष्टियों के अनुरूप बनाने के बाद किस देश को और किस दर पर खाद्यान्न भेजता है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम से 15.02.1996 तक निर्यात के प्रयोजन के लिए गेहूं की कोई बिक्री नहीं की गई और न ही सीधे निर्यात किया। अतः प्रश्न नहीं उठता।

(घ) यह कहना सही नहीं है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्यात के लिए खाद्यान्नों की बिक्री करने में राज्य व्यापार निगम, खनिज और धातु व्यापार निगम तथा प्रोजेक्ट्स एण्ड इक्वीपमेंट कारपोरेशन जैसी सरकारी एजेंसियों को नजरअंदाज किया गया था।

(ङ) निर्यातकों को खाद्यान्नों की बिक्री करने से सब्सिडी खाते पर भार कम हुआ है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालनों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली/सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि के अधीन अपेक्षाकृत कम उठान होने के कारण हुआ होता। यह कहना सही नहीं है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनियमित कार्यविधियां अपनाई गई। केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा मंजूर की गई कार्यविधियां अपनाई गई जिसमें भारतीय खाद्य निगम, खाद्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि थे।

(च) और (छ) उपर्युक्त भाग (ग) और (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नदियों को चैनेलाइज करना

*20. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहाड़ी राज्यों में नदियों को चैनेलाइज़ करने के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या सरकार को पहाड़ी क्षेत्रों में प्रतिवर्ष नदियों से हाने वाले भूमि के कटाव को जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भूमि के कटाव पर नियंत्रण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए०आर० अंतुले) : (क) बाढ़ नियंत्रण, जिसमें नदियों को चैनेलाइज करना शामिल है, के अन्तर्गत कुल आठवीं योजना परिव्यय लगभग 1623 करोड़ रुपये है। नदियों को चैनेलाइज करने के लिए अलग से कोई आबंटन नहीं किए जाते हैं।

(ख) जी हां।

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रकार भूमि के कटाव के रिकार्ड नहीं रखे जाते।

(घ) राज्यों की योजना निधियां योजना आयोग द्वारा ब्लाक अनुदानों के रूप में दी जाती हैं। ये अनुदान बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र के लिए होते हैं जिसमें नदी द्वारा होने वाला भूमि कटाव भी शामिल है।

[अनुवाद]

सिंचाई परियोजनाएं

1. **श्री परसराम भारद्वाज :**
   श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में बड़ी तथा मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजनाओं के लिए योजना आयोग द्वारा कितनी राशि मंजूर की गई है;

(ख) इस राशि में से उपरोक्त योजना अवधि के दौरान, वर्ष वार कितनी राशि अब तक दी गई है;

(ग) लागू की जा रही बड़ी तथा मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है तथा इन परियोजनाओं को पूरा किए जाने पर कितने क्षेत्रफल में सिंचाई की जा सकेगी ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी.रंगय्या नायडू) : (क) योजना आयोग ने आठवीं योजना के दौरान वृहद और मध्यम सिंचाई के लिए 1791.29 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया है।

(ख) वर्ष 92-93, 93-94, 94-95 और 95-96 के दौरान मध्य प्रदेश में वृहद और मध्यम सिंचाई पर किया गया व्यय और अनुमोदित परिव्यय इस प्रकार हैं :–

वर्ष	व्यय/परिव्यय (करोड़ रुपये में)
1992-93	314.76 (वास्तविक व्यय)
1993-94	318.89 (वास्तविक व्यय)
1994-95	245.82 (प्रत्याशित व्यय)
1995-96	270.60 (परिव्यय)

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश में क्रियान्वयनाधीन वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा देने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

उत्तर प्रदेश में क्रियान्वयनाधीन वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा

(करोड़ रुपये में/क्षमता हेक्टेयर में)

परियोजनाओं का नाम	अद्यतन अनुमानित लागत	3/92 तक व्यय	92-95 तक व्यय	चरम सिंचाई क्षमता	पूरा करने का कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6
वृहद परियोजनाएं					
1. हसदेव बांगो	858.31	381.96	104.97	392,000	8वीं योजना के बाद
2. महानदी	1296.14	275.98	31.72	304,900	8वीं योजना के बाद
3. अपर वैनगंगा	176.53	120.79	24.34	105,300	8वीं योजना के बाद
4. थनवार	24.40	19.45	1.87	18,200	8वीं योजना
5. कोलार	185.00	126.36	25.90	60,900	8वीं योजना के बाद
6. पेयरी	33.54	19.52	3.3	72,800	8वीं योजना
7. झोंक	46.38	21.51	6.81	14,500	8वीं योजना के बाद
8. कोदार	49.82	23.31	4.84	23,500	8वीं योजना के बाद
9. सिंघ फेस-1	56.43	30.75	7.80	44,900	8वीं योजना के बाद
10. सम्राट अशोक सागर (हलाली)	24.71	18.67	1.83	37,600	8वीं योजना
11. उरमील (अंतर्राज्यीय)	16.50	9.99	3.19	7,700	8वीं योजना
12. बाणसागर यूनिट-I (हिस्सेदार उत्तर प्रदेश और बिहार) (अंतर्राज्यीय)	936.00	261.85	58.25	249,000	8वीं योजना के आगे
यूनिट-II	529.00	91.52	24.74	—	8वीं योजना से आगे
13. राजघाट यूनिट-1 (अंतर्राज्यीय)	133.50	71.68	19.20	116,600	8वीं योजना से आगे
यूनिट–II	309.21 (टीएसी)	46.76	24.52	—	8वीं योजना से आगे
14. बरियारपुर एलबीसी (अंतर्राज्यीय)	143.00	34.95	10.74	43,800	8वीं योजना से आगे
15. बावनथाडी (अंतर्राज्यीय)	161.49	13.15	4.49	29,400	8वीं योजना से आगे
16. माही	129.70	28.30	10.45	20,400	8वीं योजना से आगे
17. सिंघ फेस-II	607.67	37.31	23.74	162,000	8वीं योजना से आगे
18. पेंच व्यपवर्तन	184.04	3.40	1.70	78,500	8वीं योजना से आगे
19. महन	103.14	22.28	6.62	19,700	8वीं योजना से आगे
20. इन्द्र सागर	1574.30	21.28	80.49	123,000	8वीं योजना से आगे
21. ओमकारेश्वर	892.00	81.84	2.64	146,800	8वीं योजना से आगे
22. मान	90.00	32.27	23.57	15,000	8वीं योजना से आगे
23. जोबट	61.68	9.54	10.51	8,850	8वीं योजना से आगे
24. राणीअवंतीबाई सागर	742.84	270.10	19.00	157,000	8वीं योजना के बाद
25. बारगी व्यपवर्तन	1640.00	7.39	8.21	245,000	8वीं योजना के बाद

1		2	3	4	5	6
मध्यम परियोजनाएं						
1.	चण्डोरा	16.50	11.60	2.81	3,800	8वीं योजना
2.	बुण्डाला	15.00	10.88	1.94	4,500	8वीं योजना
3.	मतियारी	60.16	40.16	8.13	13,700	8वीं योजना
4.	देजला देवदा	50.12	35.01	7.45	12,200	8वीं योजना
5.	छिरपनी	31.85	25.57	6.95	9,100	8वीं योजना
6.	पिपेरिया नल्ला	13.73	10.09	1.61	6,900	8वीं योजना से आगे
7.	शिवनाथ व्यपवर्तन	12.13	5.78	1.73	5,900	8वीं योजना के बाद
8.	बलार	10.90	8.65	1.19	6,800	8वीं योजना
9.	कालियासोटे	36.59	30.76	2.75	10,100	8वीं योजना
10.	तिल्लर	55.63	46.79	4.00	9,900	8वीं योजना
11.	होराल	32.18	25.33	5.33	5,000	8वीं योजना
12.	माटिया मोती	20.00	15.82	1.51	6,500	8वीं योजना
13.	धोलयाड	18.18	15.29	2.24	6,500	8वीं योजना
14.	कनहारगांव	15.27	14.01	2.07	3,500	8वीं योजना
15.	बंजार	7.74	5.99	0.46	2,400	8वीं योजना के बाद
16.	घुनगुट्टा	44.22	31.17	6.03	13,100	8वीं योजना के बाद
17.	बांकी	13.33	11.90	0.76	3,400	8वीं योजना
18.	गोमुख	35.13	24.78	4.37	8,100	8वीं योजना के बाद
19.	दूधी	19.70	8.99	1.44	3,700	8वीं योजना के बाद
20.	बुघना	21.60	13.06	5.86	3,200	8वीं योजना
21.	लखुनदर	15.40	6.95	3.20	2,800	8वीं योजना के बाद
22.	बरनाई	27.40	11.82	4.27	8,300	8वीं योजना के बाद
23.	रामपुर खुर्द	11.70	5.15	5.20	3,100	8वीं योजना
24.	मकरोदा	11.65	3.84	1.26	10,500	8वीं योजना के बाद
25.	गोपाद (एलआईसी)	10.92	6.54	1.76	5,700	8वीं योजना
26.	बरछर	15.67	11.29	1.92	2,400	8वीं योजना के बाद
27.	बोन्डिया	12.20	3.32	0.66	2,500	8वीं योजना के बाद
28.	गेज	29.86	6.70	6.73	4,400	8वीं योजना के बाद
29.	मण्ड व्यपवर्तन	46.59	12.30	6.50	13,100	8वीं योजना के बाद
30.	विलासपुर व्यपवर्तन	6.30	0.41	0.40	5,600	8वीं योजना के बाद
31.	कोसरतेडा	35.03	6.97	0.89	11,600	8वीं योजना के बाद
32.	कुनवारी लिफ्ट	3.80	0.25	0.06	3,900	8वीं योजना के बाद
33.	मछुआर	43.67	4.13	0.23	13,800	8वीं योजना के बाद
34.	बह	52.40	2.86	0.43	13,600	8वीं योजना के बाद
35.	सागर	32.80	0.99	0.15	12,500	8वीं योजना के बाद

[हिन्दी]

गुजरात में वन संरक्षण

2. **श्री एन० जेस राठवा :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में वन/आरक्षित वन के रूप में कौन-कौन से क्षेत्रों की पहचान की गई हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितने भूक्षेत्र पर वनारोपण किया गया है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस कार्य के लिए किसी विदेशी संगठन को नियुक्त किया है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार और विदेशों से परियोजना-वार कितनी सहायता प्राप्त हुई है;

(ङ) प्रत्येक परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है; और

(च) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) 1993 की स्टेट आफ रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में कुल दर्ज वन क्षेत्र 19388 वर्ग कि.मी. है जिसमें आरक्षित वनों का 13763 वर्ग कि.मी. भी शामिल है।

(ख) 1992-93, 1993-94, 1994-95 के वर्षों के दौरान राज्य में क्रमशः 64847 हेक्टेयर, 73711 है तथा 69983 हैक्टेयर क्षेत्र में वनीकरण किया गया।

(ग) से (च) . वनरोपण गतिविधियां राज्य सरकार तथा स्वैच्छिक एजेंसियों के जरिए कार्यान्वित की जाती हैं। ब्यौरा संलग्न **विवरण** में दिया गया है।

विवरण

गुजरात के सम्बन्ध में 1992-93, से 1994-95 की अवधि के लिए परियोजनावार ब्यौरा

(एक) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें

स्कीम का नाम	प्रस्तुत केन्द्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)	शामिल क्षेत्र (हे०)
समेकित वनीकरण और पारि-विकास परियोजना	2.36	3670
क्षेत्रोन्मुख जलाऊ लकड़ी और चारा परियोजना	3.26	8031
बीज विकास परियोजना	0.39	
लघु वनोपज परियोजना	3.48	4361
सहायतानुदान स्कीम	0.20	1108

(दो) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना

परियोजना का नाम	किया गया व्यय (करोड़ रुपये में)	प्राप्त विदेशी सहायता (करोड़ रुपये में)
राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी परियोजना	38.57	19.94

सुपर बाजार

3. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार द्वारा आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किए जाने में कथित अनियमितताएं हुई हैं चूंकि दीर्घावधि भुगतान शर्तों वाले आपूर्तिकर्ताओं को अल्पावधि भुगतान शर्तों वाले आपूर्तिकर्ताओं से पूर्व भुगतान कर दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस व्यवहार पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) और (ख) . सुपर बाजार द्वारा यह सूचित किया गया है कि आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने में सुपर बाजार द्वारा इस प्रकार की कोई अनियमितता नहीं बरती गई है। सुपर बाजार के अनुसार निधि की कमी के कारण आपूर्तिकर्ताओं को हमेशा उनकी शर्तों के मुताबिक भुगतान करना संभव नहीं हो पाता है। तथापित, वे आवश्यक/तेजी से बिकने वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में समय से भुगतान करने का हर संभव प्रयास करते हैं ताकि स्टाक की समाप्ति की स्थिति से बचा जा सके।

छोटे परिवार सम्बन्धी मानदंड

4. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जन प्रतिनिधियों के लिए छोटे परिवार सम्बन्धी मानदंड लागू करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए०आर० अन्तुले) : (क) और (ख) . स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिसम्बर, 1992 में राज्य सभा में संविधान (79वां संशोधन), विधेयक, 1992 पेश किया है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ इस बात की व्यवस्था है कि उस किसी भी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन अथवा राज्यों को विधान सभाओं में किसी भी सभा के लिए, चुने जाने के आयोग्य घोषित कर दिया जाएगा यदि उसके दो से अधिक बच्चे हों। तथापि प्रस्तावित संशोधन केवल भावी प्रभाव से लागू होगा और ऐसे किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जिसके पास प्रस्तावित संशोधन के शुरू होने के तारीख से अथवा इसके पश्चात् एक वर्ष के भीतर दो से अधिक बच्चे न हो। इस विधेयक को जांच और रिपोर्ट के लिए विभाग से सम्बन्धित, मानव संसाधन विकास पर संसदीय स्थाई समिति को भेजा गया था। इस समिति ने किसी परिवर्तन के बिना संविधान (79वां संशोधन) विधेयक, 1992 का अनुमोदन कर दिया है और इस विधेयक को पारित करने की सिफारिश की है। तथापि, इस समिति ने इस विधेयक के लिए आसान रास्ता बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलाने का सुझाव दिया है। वह बैठक अभी तक नहीं बुलाई गई है।

[हिन्दी]

बिहार में लंबित परियोजनाएं

5. **श्री राम कृपाल यादव :**
श्री लाल बाबू राय :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार की कौन-कौन सी विकास परियोजनाएं पर्यावरणीय और वनीय दृष्टि से केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु लंबित पड़ी हैं;

(ख) ये परियोजनाएं कब से लंबित हैं, और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) . एक **विवरण** संलग्न है।

(ग) परियोजना प्रस्तावों से सभी अपेक्षित सूचना और संगत ब्यौरा प्राप्त होने की तारीख से 90 दिन की निर्धारित समय अवधि के अन्दर परियोजना प्रस्तावों की मंजूरी के बारे में अंतिम निर्णय लिया जाता है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजनाओं का नाम	कब से लंबित हैं	लम्बित रहने के कारण
1.	मैसर्स रिगा शूगर कम्पनी लिमिटेड सीतामढ़ी, बिहार में 50 कि0 ली/दिन डिस्टिलरी यूनिट	जून, 1995	अतिरक्ति सूचना की प्रतीक्षा है।
2.	बोकारो इस्पात संयंत्र, सेल की कोल ब्रिकेटिंग यूनिटें	अक्तूबर, 1995	कार्रवाई की जा रही है।
3.	अमजारे खनन परियोजना, मैसर्स पाईराइट्स फास्फेट्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड	मार्च, 1989	कार्रवाई की जा रही है।
4.	उत्तरी उरिमिरी खुलीखदान खान, मैसर्स सीसी एल	फरवरी, 1993	कार्रवाई की जा रही है।
5.	राय बाचरा भूमिगत खान, मैसर्स सी सी एल	फरवरी, 1993	कार्रवाई की जा रही है।
6.	तापिन दक्षिण खुली खदान खान, मैसर्स सीसीएल	अप्रैल, 1993	कार्रवाई की जा रही है।
7.	गोविन्दपुर खुली खदान खान, मैसर्स सीसीएल	अप्रैल, 1993	कार्रवाई की जा रही है।
8.	हेसालडाग डोलोमाइट खान, मैसर्स सेल	जनवरी, 1994	कार्रवाई की जा रही है।
9.	भावनाथपुर चूना पत्थर खान, मैसर्स सेल	मई, 1994	कार्रवाई की जा रही है।
10.	हुरीलांग भूमिगत खान, मैसर्स सीसीएल	दिसम्बर, 1994	कार्रवाई की जा रही है।
11.	चुरी भूमिगत खान, मैसर्स सीसीएल	नवम्बर, 1991	कार्रवाई की जा रही है।
12.	केडिया खुली खदान खान, मैसर्स सीसीएल	जुलाई, 1992	कार्रवाई की जा रही है।
13.	अशोक खुली खदान खान, मैसर्स सीसीएल	अगस्त, 1992	कार्रवाई की जा रही है।
14.	कोनार खुली खदान खान, मैसर्स सीसीएल	सितम्बर, 1992	कार्रवाई की जा रही है।
15.	कावेरी खुली खदान खान, मैसर्स सीसीएल	जनवरी, 1993	कार्रवाई की जा रही है।
16.	संशोधित भालगोरू खान, मैसर्स सीसीएल	जून, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
17.	पाखर बाक्साइट खान, मैसर्स इन्डाल	सितम्बर, 1995	कार्रवाई की जा रही है।
18.	बागरू हिल बाक्साइट खान, मैसर्स इन्डाल	सितम्बर, 1995	कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

वन्य-जीव संरक्षण

6. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकार वन्य जीव संरक्षण के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों और भारतीय वन्य जीव बोर्ड की सिफारिशों की उपेक्षा कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौर क्या है;

(ग) वन्य जीव संरक्षण के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश में वन्य जीव संरक्षण सम्बन्धी दिशा निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) सरकार द्वारा जारी वन्य जीव संरक्षण सम्बन्धी दिशा-निर्देशों और भारतीय वन्य जीव बोर्ड की सिफारिशों को सामान्यतया राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। तथापि, कुछ राज्यों ने सूचित किया है कि इन दिशा निर्देशों और सिफारिशों के उचित क्रियान्वयन में निधियों की कमी के कारण बाधा उत्पन्न हो रही है।

(ग) वन्यजीव संरक्षण के लिए राज्य सरकारों को जारी किए गए प्रमुख दिशा-निर्देशों में सम्मिलित हैं – राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना क्रियान्वित करना; वन्यजीव हेतु वानिकी बजट का कम से कम 15% भाग नियत करना; राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की स्थापना तथा उनके उचित प्रबंधन और विकास हेतु कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करना; अवैध शिकार और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करना; फील्ड कर्मियों को प्रोत्साहन देना और कल्याणकारी उपाय करना; वन्यजीव स्थलों में प्रशिक्षित कार्मिकों को तैनात करना; राज्य वन्यजीव सलाहकार बोर्डों आदि की नियमित बैठकें आयोजित करना।

(घ) देश में वन्यजीव के प्रभावी संरक्षण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को इनके और अन्य दिशा निर्देशों के क्रियान्वयन के लिए नियमित रूप से अनुरोध किया जा रहा है।

[हिन्दी]

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

7. **श्री राजेश कुमार :**
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कोई योजना विश्व बैंक की सहायता से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का दर्जा बढ़ाने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त योजना के अन्तर्गत कितनी सहायता राशि प्राप्त हुई है/प्राप्त होने की संभावना है ?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) जी, हां। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को विश्व बैंक की सहायता प्राप्त स्कीम के अन्तर्गत सुदृढ़ किया जा रहा है। परियोजना का संस्थागत घटक कार्मिकों के प्रशिक्षण के जरिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सुदृढ़ बनाने के एक कार्यक्रम को सहायता देने तथा प्रयोगशाला और सम्बन्धित गतिविधियों के उन्नयन के लिए तैयार किया गया है। इन गतिविधियों के लिए लगभग 147.9 करोड़ रुपये का आबंटन है।

डीप फ्रीजर की खरीद

8. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1994 में जर्मन स्थित कम्पनी से ब्लड बैंक के लिए डीप फ्रीजर की खरीद में हुई अनियमितताओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए० आर० अन्तुले) : (क) जहां तक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन का सम्बन्ध है, 1994 में रक्त बैंक के लिए जर्मन की किसी कम्पनी से कोई डीप फ्रीजर नहीं खरीदा गया है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

चीनी पर से नियंत्रण हटाना

9. **श्री राम नाईक : क्या खाद्य मंत्री** चीनी को नियंत्रण मुक्त करने के सम्बन्ध में 5 दिसम्बर, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1369 के सम्बन्ध से यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकारों के दावों का भुगतान कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब इनका भुगतान किया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे लागत मूल्य से कम मूल्य पर चीनी को बेचने के परामर्श से सम्बन्धित पत्रों की प्रतियां उपलब्ध करवाएं। वसूली दरों, विक्रय प्राप्तियों आदि के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध करवाने के लिए कर्नाटक सरकार से अनुरोध किया गया है।

मेडिकल कालेजों में प्रयोगशालाएं

10. **श्री थाइल जॉन अंजलोज : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल में अलेप्पी मेडिकल कालेज में एक प्रतिरक्षण विज्ञान संस्थान और प्रयोगशाला की स्थापना करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए०आर० अन्तुले) : (क) जी हां। योजना आयोग के स्तर पर।

(ख) योजना आयोग ने राज्य सरकार को 9वीं पंचवर्षीय योजना में एक व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह दी है।

[हिन्दी]

सरदार सरोवर परियोजना

11. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरदार सरोवर परियोजना को पूरा होने पर राज्य-वार कितने गांवो के प्रभावित होने और कितने परिवारों को विस्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ख) इनके पुनर्वास के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

राज्य का नाम	प्रभावित गांव			व्यस्क/पुत्रों/पुत्रियों सहित पुनर्वासित किए जाने वाले परिवार (दिसम्बर, 1994)
	पूर्ण	आंशिक	कुल	
मध्य प्रदेश	01	192	193	33014
महाराष्ट्र	—	33	33	3113
गुजरात	3	16	19	4600
कुल	4	241	245	40727

(ख) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा सरदार सरोवर परियोजना से विस्थापित लोगों की पुनर्स्थापना के लिए एक अति विस्तृत पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास मास्टर प्लान तैयार की गई है। पात्र परिवारों को गृह प्लाटों एवं कृषि भूमि के आबंटन के अलावा, परियोजना से प्रभावित परिवारों को निर्वाह भत्ता का भुगतान, पुनर्वास अनुदान, अनुग्रह राशि, उत्पादनकारी परिसम्पत्तियां एवं प्राथमिक विद्यालय, कुएं, हैंडपम्प, परिवहन-शेड, बीमा व्यवस्था एवं विद्युतीकरण जैसी नागरिक सुविधाएं मुहैय्या कराई जाती है। परियोजना से प्रभावित कुछ लोगों को रोजगार भी दिया जाता है।

[अनुवाद]

कपकोटे–कार्मी मोटर रोड

12. श्री जीवन शर्मा : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में कपकोटे-कार्मी मोटर रोड के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) अल्मोड़ा जिले में कपकोटे-कार्मी मोटर मार्ग के निर्माण के लिए 14.492 हे० वन भूमि के इस्तेमाल के प्रस्ताव को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 12.1.1996 को सिद्धान्तरूप में अनुमोदित कर दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रदूषण के सम्बन्ध में व्यापक कानून

13. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** 8 अगस्त, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1227 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मौजूदा प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम में संशोधन करने और प्रदूषण के सम्बन्ध में व्यापक कानून बनाने की कार्यवाही शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस समय यह मामला किस स्तर पर है; और

(ग) इस मामले पर अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) पर्यावरणीय अधिनियमों को एक साथ मिलाने के लिए फिलहाल एक अध्ययन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पर्यावरण सम्बन्धी विद्यमान कानूनों को सरल बनाना और अस्पष्टता, परस्पर व्यापन और कमियों को दूर करना है। पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित एक व्यापक विधेयक तैयार करने के लिए भारतीय विधि संस्थान द्वारा एक अध्ययन किया जा रहा है। भारतीय विधि संस्थान में कहा गया है कि वह शीघ्र अपने अध्ययन को पूरा करे।

केरल की लम्बित परियोजनाएं

14. श्री वी०एस० विजयराघवन : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार की कितनी विकास परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास पर्यावरणीय और वानिकी दृष्टि से मंजूरी हेतु लम्बित हैं;

(ख) ये परियोजनाएं कब से लम्बित हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) . एक विवरण संलग्न है।

(ग) परियोजना प्रस्तावों को मंजूर करने के लिए अन्तिम निर्णय परियोजना प्रस्तावकों से सभी अपेक्षित सूचना तथा संगत ब्यौरा प्राप्त होने की तारीख से 90 दिन की निर्धारित अवधि के भीतर लिया जाता है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	प्राप्ति की तारीख	लम्बित रहने के कारण
1.	कोचीन में मछली पालन बन्दरगाह चरण-2 का विकास	मार्च, 1993	कार्यवाही की जा रही है।
2.	कयामकुलम में मछली पालन बन्दरगाह परियोजना	अगस्त, 1995	कार्यवाही की जा रही है।

गुड़ का उत्पादन

15. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या **खाद्य मंत्री** 25 अप्रैल, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3150 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब वांछित सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) . दिनांक 25.4.1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3150 के भाग (क), (ख) और (ग) के उत्तर के लिए 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना प्राप्त हुई है। उक्त प्रश्न के भाग (घ), (ङ), (च) और (छ) के उत्तर के लिए पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध है। शेष राज्य सरकारों अर्थात् आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सरकारों को बार-बार अनुस्मारक भेजे गए हैं।

इस सम्बन्ध में प्राप्त हुई सूचना का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

दिनांक 25.4.95 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3150 के उत्तर में दिया गया आश्वासन 8.1.96 को आंशिक रूप से कार्यान्वित कर दिया गया था जिसमें उस समय उपलब्ध सूचना दी गई थी।

विवरण

(क) से (ग) . असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, केरल, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय, पंजाब, पणिपुर, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, त्रिपुरा, अण्डमान और निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, चण्डीगढ़, दादर और नगर हवेली, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, दिल्ली, मिजोरम तथा दमन और दीव की सरकारों ने सूचित किया है कि इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खजूर के दूधिया रस से गुड़ का उत्पादन करने की कोई स्कीम नहीं है। अतः इनमें खजूर के दूधिया रस से गुड़ का उत्पादन नहीं किया जाता है।

तथपि, तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि –

(क) तमिलनाडु में ताड़ के पेड़ों का उपयोग केवल नीरा एकत्र करने और गुड़ का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। तमिलनाडु में खजूर के पेड़ बहुत कम हैं। नीरा इकट्ठा करने के लिए उनका उपयोग नहीं किया जाता है। खजूर के पेड़ों का उपयोग टोकरियों और संरक्षी वस्तुओं जैसे अन्य उत्पादों के लिए किया जाता है। तमिलनाडु में खजूर से गुड़ का उत्पादन करने की कोई विशिष्ट स्कीम नहीं है।

(ख) तमिलनाडु में पनई ताड़ से गुड़ के उत्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

1992-93	10.13 लाख क्विंटल
1993-94	18.75 लाख क्विंटल
1994-95	21.73 लाख क्विंटल

(ग) तमिलनाडु में चीनी (गन्ना) उत्पादन की तुला में ताड़ से गुड़ का उत्पादन बहुत कम है।

आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सरकारों से उनके मुख्य सचिवों को अ०स० अनुस्मारकों सहित विभिन्न अनुस्मारक भेजने के बावजूद खजूर के दूधिया रस से गुड़ का उत्पादन करने के सम्बन्ध में अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) से (छ) . 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश को छोड़कर किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में शराब बनाने के लिए गुड़ का उपयोग नहीं किया जा रहा है। पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत् शराब बनाने के लिए गुड़ का इस्तेमाल करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

असम और अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने केवल यह सूचित किया है कि उन्होंने खजूर के दूधिया रस से गुड़ का उत्पादन करने की स्कीम कार्यान्वित नहीं की है।

गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि गुजरात राज्य ने मद्य-निषेध की नीति लागू की है और बम्बई मद्य-निषेध अधिनियम (बम्बई प्रोइबिशन ऐक्ट) के अधीन शराब बनाना अपराध है। जब कभी इसके उल्लंघन का पता चलता है तो अपराधियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है।

हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि इस समय शराब बनाने वाली फैक्ट्रियां अल्कोहल तैयार करने के लिए गुड़ का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं क्योंकि शीरा खुले बाजार में उपलब्ध है। अल्कोहल तैयार करने के लिए गुड़ का इस्तेमाल करने की अनुमति राज्य सरकार द्वारा 12.5.1995 से वापस ले ली गई है।

जम्मू और कश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में शराब बनाने वाली किसी फैक्ट्री द्वारा शराब बनाने के लिए गुड़ का इस्तेमाल करने से सम्बन्धित किसी भी मामले की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और राज्य के अन्य भागों में शराब तैयार करने के लिए गुड़ का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। उत्पाद शुल्क और पुलिस विभाग के अधीन उत्पाद शुल्क जांच ब्यूरो गुड़ का इस्तेमाल करके शराब का अवैध रूप से आसवन करने के मामलों का पता लगाने के लिए छापे मारता है और नियमों के अधीन दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करता है।

गोवा सरकार ने सूचित किया है कि गोवा राज्य में शराब बनाने के लिए गुड़ का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। तथापि, गुड़ का इस्तेमाल करके अवैध रूप से आसवन करने के कुछ मामलों का समय-समय पर पता चलता है। इसे रोकने के लिए राज्य के उत्पाद शुल्क विभाग ने उत्पाद शुल्क निरीक्षकों को अनुदेश दिए हैं कि वे गुड़ का इस्तेमाल करके अवैध आसवन को रोकने के लिए छापे मारें।

महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त काफी मात्रा में गुड़ का उपयोग अवैध शराब सहित एल्कोहल तैयार करने के लिए किया जाता है। अवैध शराब बनाने हेतु मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त गुड़ के वास्तविक उपयोग की मात्रा का आकलन नहीं किया जा सकता है। मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त गुड़ की बिक्री, खरीदारी और इसका स्टाक रखने के व्यवसाय को महाराष्ट्र गुड़ और खण्डसारी डीलर्स लाइसेंसिंग आदेश, 1963 के अधीन जारी किए गए लाइसेंस द्वारा विनियमित किया जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने गुड़ की बिक्री और खरीदारी के लिए कुछ विनियम निर्धारित किए हैं। तदनुसार, मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त गुड़ को पशु चारे के रूप में किसानों को बेचा जाता है। यह भी निर्णय किया गया है कि व्यवसायी के पास गुड़ का स्टाक 500 क्विंटल तक सीमित किया जाए। राज्य के उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा गुड़ के व्यापारियों पर कार्यवाही करने की गुंजाइश सीमित है क्योंकि अवैध आसवन के लिए गुड़ की खरीदारियां अलग-अलग समय पर कम मात्रा में की जाती हैं और ऐसी खरीदारियों में कोई सबूत नहीं छोड़ा जाता है। गुड़ की अवैध बिक्री और खरीदारी की जांच-पड़ताल करने के लिए कलक्टरों और राशन नियंत्रक के पास उनके सम्बन्धित क्षेत्रों में विशेष तंत्र उपलब्ध है। राज्य का उत्पाद शुल्क विभाग भी अवैध रूप से शराब बनाने वाले कारखानों को गुड़ की आपूर्ति करने वाले स्रोतों का पता लगाने के लिए हमेशा प्रयास करता रहता है।

तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि उनके राज्य में "इण्डियन मेड फारिन स्प्रिट" बनाने में गुड़ का उपयोग नहीं किया जा रहा है। भारत में बनी अंग्रेजी शराब तैयार करने के लिए केवल "न्यूट्रल स्प्रिट" का उपयोग किया जाता है। तथापि, कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध ताड़ी के आसवन के लिए गुड़ का दुरुपयोग करने के मामले नोटिस में आए हैं। तमिलनाडु में उत्पादित गुड़ (ताड़ का गुड़) गन्ने के गुड़ से अधिक पौष्टिक और महंगा है। अतः एल्कोहल का उत्पादन करने के लिए ताड़ के गुड़ का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा, तमिलनाडु में उत्पादित ताड़ के गुड़ की स्थानीय क्षेत्रों में खपत की जाती है। तमिलनाडु मद्य-निषेध अधिनियम, 1937 (तमिलनाडु प्रोइबिशन ऐक्ट, 1937) के उपबंधों के अधीन अवैध रूप से ताड़ी का आसवन करने के लिए गुड़ का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। गुड़, वाहन, आदि जब्त कर लिए जाते हैं और राज्य की पुलिस द्वारा उक्त अधिनियम के संगत उपबंधों के अधीन उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है।

पश्चिम बंगाल सरकार से उनके मुख्य सचिव को अ०स० अनुस्मारक सहित कई अनुस्मारक भेजने के बावजूद एल्कोहल बनाने के लिए गुड़ का उपयोग करने के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

चीनी और खाद्यान्नों का कोटा

16. **श्री पी. सी. थामस :**
श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :
श्री प्रवीण कुमार पटेल :
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :
श्री रतिलाल वर्मा :
श्रीमती केशर बाई सोनाजी क्षीरसागर :
श्री नरेश कुमार वालियान :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार 1991 की जनगणना के आधार पर जनवरी, 1996 से चीनी तथा राशन की अन्य वस्तुओं के कोटे में वृद्धि कर दी गई है,

(ख) यदि हां, तो जनवरी तथा फरवरी 1996 के लिए राज्य-वार उपलब्ध कराई गई प्रत्येक वस्तु की मांग क्या है;

(ग) क्या उनके द्वारा की गई घोषणा के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में गन्ना उत्पादकों को लेवी चीनी का आबंटन किया गया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) वर्तमान में चावल, गेहूं, खाद्य तेल तथा मिट्टी का तेल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जाते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं तथा चीनी का आबंटन महीने दर महीने के आधार पर सचिवों की एक समिति द्वारा निर्धारित की जाती है जो विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त मांगों, उनके सापेक्षिक आवश्यकताओं, उठान केन्द्रीय मूल में स्टॉक आदि के आधार पर निर्धारित करती है, न कि जनसंख्या के आधार पर।

2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्य तेल का आबंटन, मांग तथा पूर्ति के अन्तर को ध्यान में रखकर किया जाता है, जनसंख्या के आकंड़ों के आधार पर नहीं।

3. सम्पूर्ण देश के लिए वर्ष 1995-96 के दौरान अच्छा मिट्टी का तेल (एस० के० ओ०) के आबंटन में पिछले वर्ष के आबंटन पर 3% की वृद्धि की गई है, बाद में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

4. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चीनी का लेवी कोटा, 1991 की जनगणना के आधार पर जनवरी, 1996 से संशोधित कर दिया गया है। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को जनवरी तथा फरवरी, 1996 महीनों के लिए उपलब्ध कराई गई चीनी की मात्रा का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) आन्ध्र प्रदेश के चीनी मिलों द्वारा, गन्ना आपूर्ति कर्ताओं को तदर्थ दोनस कोटा के आबंटन हेतु, दिए गए आंकड़े/सूचनाओं की आबंटन आदेश जारी होने के पूर्व जांच की जा रही है।

विवरण

जनवरी, 1996 तथा फरवरी, 1996 महीनों के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में चीनी आवंटन को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मासिक कोटा जनवरी, 1996	मासिक कोटा फरवरी, 1996
1.	असम	10248.0*	9524.0
2.	बिहार	36707.0	36707.0
3.	सिक्किम	174.0	174.0
4.	मेघालय	752.0	752.0
5.	मिजोरम	293.0	293.0
6.	उड़ीसा	13456.0	13456.0
7.	पश्चिम बंगाल	28934.0	28934.0
8.	जम्मू-कश्मीर	3567.0	4001.0**
9.	अरुणाचल प्रदेश	366.0	366.0
10.	अण्डमान और निकोबार	1692.0 @	—
11.	लक्षद्वीप	486.0 @	—
12.	मणिपुर	782.0	782.0
13.	नागालैण्ड	542.0	542.0
14.	त्रिपुरा	1173.0	1173.0
15.	दिल्ली	11973.0	11973.0
16.	आन्ध्र प्रदेश	28267.0	28267.0
17.	गुजरात	17557.0	17557.0
18.	हरियाणा	6996.0	6996.0
19.	केरल	12368.0	12368.0
20.	तमिलनाडु	23741.0	23741.0
21.	महाराष्ट्र	33550.0	33550.0
22.	कर्नाटक	19117.0	19117.0
23.	पंजाब	8619.0	8619.0
24.	उत्तर प्रदेश	59122.0	59122.0
25.	राजस्थान	18704.0	18704.0
26.	गोआ	508.0	5080.0
27.	(क) दमन और	26.0	26.0
	(ख) दिव	17.0	17.0
28.	दादरा, नगर और हवेली	60.0	60.0
29.	चण्डीगढ़	391.0	391.0
30.	हिमाचल प्रदेश	2197.0	2197.0
31.	(क) पांडिचेरी	360.0	360.0
	(ख) कारीकल	86.0	86.0
	(ग) माहे	18.0	18.0
	(घ) यनम	8.0	8.0
32.	मध्य प्रदेश	28127.0	28127.0
33.	भूटान	315.0	315.0

* 724.0 मीटरी टन त्योहार कोटा सहित

** 434.0 मीटरी टन त्योहार कोटा सहित

@ 6 महीने यानी जून 1996 तक के लिए आवंटित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य परियोजनाएं

17. **श्री राज नारायण** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की, विशेषतः पूर्वी क्षेत्र के पिछड़े और ग्रामीण इलाकों से सम्बन्धित कुछ परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार के समक्ष स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) अलग-अलग प्रत्येक परियोजना में कितनी प्रगति हुई है और इनमें विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दी जाएगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए. आर. अन्तुले) : (क) से (च) . सूचना एकत्र की जा रही है।

गुजरात में प्रदूषण

18. **श्री महेश कनोडिया :**
श्री छीतूभाई गामीत :
श्री हरिलाल ननजी पटेल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में, विशेषकर, जामनगर, सूरत, हजीरा और वापी में पर्यावरण मानकों के उल्लंघन के सम्बन्ध में विभिन्न उद्योगों के विरुद्ध सरकार द्वारा प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में प्रदूषण की मात्रा का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) गुजरात में कुछ प्रमुख उद्योगों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें जामनगर, सूरत, हजीरा और वापी में स्थित उद्योग भी शामिल हैं। ये शिकायतें मुख्यतया बहिस्रावों और उत्सर्जनों के विसर्जन से इन क्षेत्रों में फैलने वाले प्रदूषण से सम्बन्धित हैं।

(ख) और (ग) . जी, हां। कुछ प्रदूषित क्षेत्रों में किए गए अध्ययनों से पता चला है कि अनेक उद्योग निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के जरिए गुजरात क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की गहन निगरानी शुरू की है। इन उद्योगों में मुख्यतया औषध और फार्मास्यूटिकल्स संयंत्र, डाई और डाई–इंटरमीडिएट संयंत्र आते हैं। इन उद्योगों से बहिस्रावों और उत्सर्जनों के विसर्जन के कारण कुछ क्षेत्रों में वायु और जल प्रदूषण समस्याओं के कारण भूमिगत जल प्रदूषण देखा गया है।

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा किए गए उपायों में ये शामिल हैं

(1) उद्योगों को निदेश दिया गया है कि वे निर्धारित समय अवधि के अन्दर जरूरी प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना करें। गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल और वायु अधिनियमों के अन्तर्गत निर्धारित मानकों का पालन न करने के लिए अनेक उद्योगों को निर्देश जारी किए हैं और कई दोषी इकाइयों को बन्द करने के आदेश भी जारी किए हैं।

(2) वापी और अंकलेश्वर की अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों के रूप में पहचान की गई है और इन क्षेत्रों में औद्योगिक प्रदूषण के नियंत्रण के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है।

(3) लघु औद्योगिक इकाइयों के समूहों में साझे बहिस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना के लिए एक स्कीम शुरू की गई है। नंदेसरी, भोले, सारीगम, ओघव और जेतपुर में साझे बहिस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है। भटवा और वापी में साझे बहिस्राव शोधन संयंत्रों का निर्माण चल रहा है।

(4) उद्योगों के स्थान निर्धारण और प्रचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। इसके अलावा, 27.1.1994 को पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना जारी की गई है ताकि विकासात्मक परियोजनाओं की निर्धारित श्रेणियों के लिए सरकार से पर्यावरणीय मंजूरी लेना अनिवार्य किया जा सके।

(5) प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना करने और उद्योगों को भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से शिफ्ट करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

गोदाम

19. **श्री काशी राम राणा :**
श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर :
श्री लाल बाबू राय :
श्री हरिभाई पटेल :
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
डॉ0 खुशीराम डूंगरोमल जेस्वाणी :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार निर्मित अथवा निर्माणाधीन गोदामों की वर्तमान संख्या कितनी है; और

(ख) केन्द्रीय भाण्डागार निगम द्वारा प्रत्येक राज्य में कितने गोदामों का निर्माण किया गया है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) दिनांक 1.2.1996 को स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्मित किए गए गोदामों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा बताने वाला विवरण । संलग्न है।

भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा निर्माणाधीन गोदामों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख) दिनांक 1.1.1996 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा निर्मित किए गए गोदामों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा बताने वाला विवरण-III संलग्न है।

विवरण–I

दिनांक 1-2-1996 को स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्माण किए गए गोदामों की राज्य–वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	भारतीय खाद्य निगम के अपने गोदामों की सं.
1.	असम	19
2.	अरुणाचल प्रदेश	03
3.	त्रिपुरा	02
4.	मणिपुर (इम्फाल)	02
5.	नागालैण्ड	04
6.	मिजोरम	03
7.	मेघालय	02
8.	बिहार	19
9.	उड़ीसा	21
10.	पश्चिम बंगाल	26
11.	सिक्किम	01
12.	दिल्ली	07
13.	हिमाचल प्रदेश	03
14.	जम्मू और कश्मीर	10
15.	हरियाणा	37
16.	पंजाब	104
17.	चण्डीगढ़	04
18.	राजस्थान	35
19.	उत्तर प्रदेश	51
20.	आन्ध्र प्रदेश	35
21.	केरल	20
22.	कर्नाटक	11
23.	तमिलनाडु	16
24.	पांडिचेरी	03
25.	गुजरात	14
26.	महाराष्ट्र और गोआ	17
27.	मध्य प्रदेश	41
		510

विवरण-II

निर्माणाधीन गोदामों की राज्य–वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	गोदामों की संख्या
भारतीय खाद्य निगम		
1.	मिजोरम	02
2.	हिमाचल प्रदेश	01
3.	जम्मू और कश्मीर	01
4.	मध्य प्रदेश	01
		05
केन्द्रीय भण्डारण निगम		
1.	आन्ध्र प्रदेश	03
2.	दिल्ली	01
3.	गुजरात	02
4.	कर्नाटक	01
5.	मध्य प्रदेश	03
6.	महाराष्ट्र	02
7.	उड़ीसा	01
8.	राजस्थान	01
9.	पश्चिम बंगाल	02
		16

विवरण-III

दिनांक 1-1-1996 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा निर्माण किए गए गोदामों की राज्य–वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	गोदामों की संख्या
1.	अरुणाचल प्रदेश	—
2.	आन्ध्र प्रदेश	37
3.	असम	05
4.	बिहार	13

क्रं.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	गोदामों की संख्या
5.	गोआ	02
6.	गुजरात	16
7.	हरियाणा	09
8.	हिमाचल प्रदेश	02
9.	जम्मू और कश्मीर	--
10.	कर्नाटक	10
11.	केरल	05
12.	मध्य प्रदेश	30
13.	महाराष्ट्र (जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास सहित)	22
14.	मणिपुर	--
15.	मेघालय	--
16.	मिजोरम	01
17.	नागालैण्ड	01
18.	उड़ीसा	08
19.	पंजाब	19
20.	राजस्थान	06
21.	सिक्किम्	--
22.	तमिलनाडु	20
23.	त्रिपुरा	02
24.	उत्तर प्रदेश	41
25.	पश्चिम बंगाल	20
26.	चण्डीगढ़	01
27.	दिल्ली	08
28.	पांडिचेरी	01
		279

[अनुवाद]

खुला सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत चीनी आयात

20. श्री हरिन पाठक : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खुला सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी थी और आयातकों को अनुबंधित मूल्य, किस देश से चीनी आयात की और आयातित चीनी की बिक्री का कोई ब्यौरा सरकार को देने के लिए बाध्य नहीं है;

(ख) यदि हां, तो खुला सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत चीनी के शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं, जबकि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है;

(ग) आयातकों को चीनी उचित लाभ पर बेचने का निर्देश देने अथवा खुला सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत प्रदान की गई सुविधा को समाप्त करने हेतु क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) . घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता को बढ़ाने तथा खुले बाजार में चीनी के मूल्यों को नियंत्रित रखने के उद्देश्य से सरकार ने शून्य शुल्क पर चीनी के आयात की अनुमति देने का निर्णय लिया, ताकि आयातक घरेलू बाजार में प्रतियोगी मूल्यों पर चीनी बेचने में समर्थ हो सके। यह आयातकों पर था कि वे अपने द्वारा आयात की गई चीनी को बाजार के हालात तथा उनके अपने वाणिज्यिक निर्णयों के अनुसार खुले बाजार में बेच सकें।

[हिन्दी]

पारिस्थितिकीय रूप से प्रभावित राज्य

21. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से राज्य देश में पारिस्थितिकीय रूप से सर्वाधिक प्रभावित हैं; और

(ख) गत एक वर्ष के दौरान इस पारिस्थितिकीय क्षय पर रोक लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) देश में पारिस्थितिकीय दृष्टि से सबसे अधिक प्रभावित राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र तथा पश्चिम बंगाल हैं।

(ख) वनों के अवक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों में से हैं :

(1) राज्य सरकारों और स्वैच्छिक एजेंसियों को वनीकरण, वनों के संरक्षण तथा पारिस्थितिकीय संतुलन की बहाली के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

(2) पंचायत स्तर पर वन मुखिया नामक संस्था का गठन किया गया है ताकि वनरोपण, प्रबन्ध, संरक्षण तथा लाभ में हिस्सेदारी पहलुओं के सम्बन्ध में वन अधिकारियों और ग्रामीण समुदायों के बीच प्रभावी ढंग से सम्पर्क बनाए रखा जा सकें।

(3) राज्यों से कहा गया है कि वे 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले तथा पारिस्थितिकीय दृष्टि में सम्वेदनशील क्षेत्रों में

हरे-भरे वृक्षों को काटे जाने पर प्रतिबंध रखने पर विचार करें।

(4) संरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क बनाया गया है ताकि संकटापन्न वनस्पति और प्राणियों की रक्षा की जा सके।

(5) पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में अध्ययन प्रायोजित किए गए हैं ताकि पर्यावरण को संरक्षित, सुरक्षित तथा परिक्षित बनाए रखने के लिए कार्य योजना तैयार की जा सके।

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें

22. **श्री पंकज चौधरी :**
श्री संतोष कुमार गंगवार :
श्री रामपाल सिंह :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने राज्य में चीनी मिलें का विस्तार करने तथा कुछ नई चीनी मिलों को स्थापित करने हेतु लाइसेंस जारी करने के सम्बन्ध में अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो नई चीनी मिलों को स्थापित करने हेतु लाईसेंस को जारी करने के सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश के नवाबगंज, मीरगंज तथा बरेली स्थित नई चीनी मिलों ने कार्य करना शुरू कर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) . जी. हां, नई चीनी मिलें स्थापित करने तथा वर्तमान इकाइयों में समुचित विस्तार करने हेतु आशय पत्र प्रदान करने की अनुमति देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसंसित प्रस्तावों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) से (च) . केन्द्र सरकार ने बरेली जिले में नवाबगंज तथा मीरगंज में नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए आशय पत्र जारी कर दिया है, जबकि बरेली में वर्तमान चीनी मिल के पास 1016 से 2500 टन गन्ना प्रतिदिन पेराई के लिए समुचित विस्तान करने हेतु आशय पत्र है। दोनों नई चीनी मिलों में उत्पादन का कार्य अभी आरम्भ नहीं हुआ है।

सामान्यतः एक नई चीनी मिल की स्थापना में 3-4 वर्ष लग जाते हैं।

विवरण

नई मिलों के साथ–साथ वर्तमान इकाइयों के विस्तार (15-2-1996) हेतु आशय पत्र देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुशंसित प्रस्तावों का ब्यौरा

नए प्रस्ताव

क्र.सं.	जिले का नाम प्रस्तावों की सं.	राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित
1.	मेरठ	1
2.	सहारनपुर	1
3.	बुलन्दशहर	1
4.	अलीगढ़	3
5.	बिजनौर	2
6.	वदायुं	3
7.	बरेली	1
8.	लखिमपुर (खरी)	3
9.	पढ़रौना	1
		16

विस्तार प्रस्ताव

1.	मेरठ	1
2.	हरिद्वार	2
3.	सहारनपुर	2
4.	गाजियाबाद	1
5.	मुजफ्फरनगर	1
6.	सीतापुर	2
7.	पीलीभीत	1
8.	फैजाबाद	1
9.	नैनीताल	1
10.	गोंडा	2
11.	पुडरौना	2
12.	खीरी	3
13.	गोरखपुर	1
14.	बरेली	1
15.	बुलन्दशहर	1
16.	बाराबंकी	1
17.	बिजनौर	1
18.	मुरादाबाद	1
19.	फर्रूखाबाद	1
		26

राशन कार्डों का जारी किया जाना

23. **डॉ0 रमेश चन्द तोमर :**
श्री मोहन रावले :
श्री पवन कुमार बंसल :

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राशन कार्ड जारी करने हेतु कोई नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) और (ख) . भारत सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी है कि हालांकि राशन कार्डों को जारी करने/उनके नवीकरण से पहले शीघ्र सत्यापन करने के एक तरीके के रूप में वे फोटो पहचान पत्रों का उपयोग कर सकते हैं, तथापि इस प्रक्रिया में उपभोक्ताओं को कोई कठिनाई न हो इस दृष्टि से वे सत्यापन के अन्य तरीकों का उपभोग करना भी जारी रखें।

[अनुवाद]

पोलियो रोगी

24. **डॉ० के० वी० आर० चौधरी :**
श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पोलियो रोगियों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) क्या सरकार ने पोलियो के उन्मूलन हेतु कोई समयबद्ध कार्ययोजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए० आर० अन्तुले) : (क) और (ख) . देश में पोलियो की घटनाओं का पता लगाने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा 1981-82 में एक सर्वेक्षण किया गया था। इसके निष्कर्षों से पता चला कि रोग की घटना दर 0-4 आयु के प्रति 1000 बच्चों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 1.7 और शहरी क्षेत्रों में 1.6 थी।

(ग) और (घ) . देश भर में तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन की दो खुराकें प्रदान करने के लिए 1995-96 के दौरान 9 दिसम्बर, 1995 और 20 जनवरी, 1996 को पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया था। 9 दिसम्बर, 1995 को 8.7 करोड़ बच्चों को और 20 जनवरी, 1996 को 9.3 करोड़ बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन प्रदान की गई।

राष्ट्रीय प्राणी उद्यान

25. **श्री चेतन पी. एस. चौहान : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली के प्रबन्धन हेतु एक स्वायत्त समिति का गठन किया है,

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के चिड़ियाघरों के स्तर में सुधार लाने हेतु केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) . केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने 5.1.96 को हुई अपनी बैठक में राष्ट्रीय प्राणी उद्यानों के प्रबन्ध को एक स्वायत्त सोसायटी/न्यास को सौंपने की सिफारिश की थी। ब्यौरे तैयार करने के लिए इस मामले पर मंत्रालय में कार्रवाई की जा रही है।

(ग) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने देश में चिड़ियाघरों के सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :--

1. जीव-जन्तु (सुरक्षा) अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृति पत्रों में विभिन्न चिड़ियाघरों में आश्रय तथा अरुरक्षण में सुधार के लिए अनिवार्य शर्तों को शामिल किया गया है।
2. विभिन्न प्रजातियों के बाड़ों की डिजाइनिंग और अस्पताल, खाद्य भण्डार आदि जैसी सुविधाओं के लिए चिड़ियाघरों को तकनीकी सहायता दी जाती है।
3. चिड़ियाघरों को आश्रय, पशुओं के अनुरक्षण, सफाई में सुधार तथा अन्य स्वास्थ्य-कर परिस्थितियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
4. प्रबन्धकों, पर्यवेक्षी कर्मचारियों तथा चिडियाघर पालकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
5. ख्याति प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं को चिड़ियाघरों के विभिन्न प्रबंधन पहलुओं से सम्बन्धित अनुसंधान परियोजनाएं दी जाती हैं।
6. चिड़ियाघर के प्रबन्धकों और पशु चिकित्सकों को चिड़ियाघर प्रबन्धन पर प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए कार्यशालाएं और बैठकें आयोजित की जाती हैं।

मृत्यु दर

26. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका और अन्य विकसित देशों में तम्बाकू जनित रोगों के कारण मृत्यु की दर में कमी आ रही है और यह भारत में भयंकर रूप से बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो देश में 1981 और 1991 (अंत में) में तम्बाकू जनित रोगों के कारण मृत्यु दर कितनी थी;

(ग) क्या सिग्रेट पैकेटों पर वैधानिक चेतावनी के बावजूद सिग्रेट, बीड़ी और तम्बाकू उत्पादों सम्बन्धी विज्ञापनों और प्रचार में बेरोक टोक वृद्धि हो रही है; और

(घ) धूम्रपान पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए० आर० अन्तुले) : (क) उपलब्ध अध्ययनों से संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों में तम्बाकू से सम्बन्धित रोगों से हाने वाली मृत्यु-दर में कमी होने की प्रवृत्ति का पता चलता है। तथापि, भारत के सम्बन्ध में कोई विश्वसनीय प्रवृत्ति उपलब्ध नहीं है।

(ख) वर्ष-वार कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, अनुमान है कि देश में प्रतिवर्ष तम्बाकू सम्बन्धी रोगों के कारण आठ लाख लोग मरते हैं।

(ग) और (घ) . मौजूदा सांविधिक चेतावनी कोई अपेक्षित प्रभाव नहीं ला पाई है। तद्नुसार एक व्यापक विधान बनाने का प्रस्ताव है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ और प्रभाव डालने वाली घोषणा के रूप में तम्बाकू और तम्बाकू के उत्पादों के सभी पैकेटों पर एक सांविधिक चेतावनी की व्यवस्था है। घोषणा के वर्णों का आकार और ये घोषणाएं इन पैकेटों पर किस भाषा में छापी जाएं, इसे सरकार समय-समय पर अधिसूचित करेगी।

चिल्का झील

27. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री 8 अगस्त, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1394 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने चिल्का झील में झींगा पालन के सन्दर्भ में एक विस्तृत पर्यावरणीय अध्ययन और प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्धी परियोजना शुरू की है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकार से ऐसी अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस झील को पारिस्थितिकीय विनाश से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) . चिल्का झील में झींगा संवर्धन परियोजना, जो उड़ीसा सरकार और चिल्का एक्वेटिक फार्म्स लि० की एक संयुक्त परियोजना है और जिसको अब कलिंग एक्वेटिक्स लि० के नाम से जाना जाता है, छोड़ दी गई है। इस दृष्टि से किसी बहुविषयी दल द्वारा इसके विस्तृत पर्यावरणीय प्रभाव मूल्याकंन अध्ययन की जरूरत नहीं है।

[हिन्दी]

नए अस्पताल

28. श्री बी० एल० शर्मा प्रेम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में मौजूदा अस्पतालों में रोगियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए नए अस्पताल खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ये अस्पताल किन-किन स्थानों पर खोले जाएंगे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए० आर० अन्तुले) : (क) और (ख) . चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है इसलिए प्राथमिकताओं तथा संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए लोगों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपने राज्यों में अस्पताल खोलने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली की परिधि में 500 पलंगों वाले एक तथा सौ पलंगों वाले आठ अस्पताल खोलने का प्रस्ताव करती है।

इस समय केन्द्र सरकार के पास दिल्ली में नए अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतें

29. श्री नरेश कुमार बालियान :
श्री अमर पाल सिंह :
श्री जनार्दन मिश्र :
श्री प्रभुदयाल कठेरिया :
श्री चिन्मयानंद स्वामी :
श्रीमती गिरिजा देवी :
श्री के० एम० मैथ्यू :

क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक वस्तुओं जैसे गेहूं, चीनी, डबलरोटी, दूध, रसोई गैस, खाद्य तेल और मसालों की कीमतों में 1993 से तेजी का रुख रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और 1994 और 1995 की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत कितना है;

(ग) अप्रैल, 1993 और 1994 और दिसम्बर, 1995 को दौरान इन वस्तुओं की कीमतें क्या रहीं; और

(घ) सरकार द्वारा इन वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने की संभावना है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) के राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) और (ख) कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि देश में उनकी मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर, ढुलाई सम्बन्धी समस्या, स्थानीय वितरण की समस्याओं और उनकी आदान लागतों में वृद्धि आदि के कारण हुई कही जा सकती है। चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों के रुख संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) अप्रैल, 1993, अप्रैल, 1994 और अप्रैल, 1995 के दौरान चुनिंदा वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) सरकार द्वारा मूल्यों को नियंत्रण में रखने के लिए किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ किसानों और विनिर्माताओं को उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहन देना, खाद्य तेलों का आयात, जमाखोरों और चोर बाजारियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के तहत कठोर कार्यवाही करना शामिल है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली और संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए की जाने वाली आपूर्ति के अतिरिक्त आवश्यक वस्तुएं सहकारी भण्डारों और राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों के जरिए भी उचित मूल्यों पर सप्लाई की जा रही हैं। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर कड़ी नजर रखें।

विवरण-I

चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों का रुख

वस्तुएं	प्रतिशत उतार–चढ़ाव	
	1994 (दिसम्बर) 1993 (दिसम्बर)	1995 (दिसम्बर) 1993 (दिसम्बर)
गेहू	+ 8.8	+ 9.9
चीनी	+ 5.8	+ 8.0
डबल रोटी	+ 3.0	+ 13.8
दूध	+ 10.5	+ 11.2
रसोई गैस	+ 12.4	+ 12.4
वनस्पति	+ 6.2	+ 5.7
मूंगफली का तेल	+ 8.0	+ 28.7
सरसों का तेल	+ 14.5	+ 21.3
काली मिर्च	+ 60.6	+ 81.4
हल्दी	– 34.4	– 25.4

विवरण-II

अप्रैल, 1993, अप्रैल, 1994 और अप्रैल, 1995 के दौरान चुनिंदा वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक

(आधार 1981-82 = 100)

वस्तुएं	सूचकांक		
	अप्रैल, 93	अप्रैल, 94	अप्रैल, 95
गेहूं	235.4	271.5	272.4
चीनी	194.6	231.9	222.2
डबल रोटी	247.2	264.7	268.5
दूध	274.3	291.6	309.3
रसोई गैस	206.1	233.8	233.8
वनस्पति	226.0	234.1	267.9
मूंगफली का तेल	189.3	244.9	308.2
सरसों का तेल	186.3	215.1	253.1
काली मिर्च	202.8	339.8	555.3
हल्दी	582.2	487.4	443.4

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम

30. **श्री वी0 शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम धान/चावल की खरीद करते समय पंजाब सरकार द्वारा लगाए गए अन्य करों सहित वर्तमान समर्थन मूल्य का भुगतान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कर के रूप में भारतीय खाद्य निगम ने कितनी धनराशि का भुगतान किया है;

(घ) क्या चावल और कतिपय कृषि उत्पादों की खरीद पर आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भी हाल ही में इसी प्रकार के कर लगाए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या भारतीय खाद्य निगम ने चालू वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश से खरीदे गए चावल पर राज्य सरकार को उक्त धनराशि अदा कर दी है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) खरीफ विपणन मौसम 1995-96 के दौरान पंजाब में धान पर दिए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य और करों का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

(रु० प्रति क्विंटल)

	साधारण	बढ़िया	उत्तम
न्यूनतम समर्थन मूल्य	360	375	395
मंडी शुल्क	– 2%		
आढ़तिगा कमीशन	– 2%		
ग्रामीण विकास उपकर	– 2%		
क्रय कर	– 2%		

लेवी चावल के वसूली मूल्य का निर्धारण करने के लिए भी धान के उपर्युक्त उल्लिखित न्यूनतम समर्थन मूल्य और करों को ध्यान में रखा जाता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा पंजाब मे करों के प्रति चुकाई गई कुल राशि निम्नानुसार है :–

	(रुपये/करोड़)
1992-93	192.39
1993-94	267.93
1994-95	244.57

(घ) और (ङ) . आन्ध्र प्रदेश सरकार ने दिनांक 29.12.1995 को जारी एक अध्यादेश के जरिए धान पर 5 प्रतिशत की दर से ग्रामीण विकास उपकर लगाया है जो दिनांक 30.12.1995 से प्रभावी है। इससे पहले धान पर लेवी कर के रूप में 4 प्रतिशत क्रय कर और एक प्रतिशत बाजार शुल्क था।

(च) आन्ध्र प्रदेश में लेवी चावल के वसूली मूल्यों को हाल में लागू ग्रामीण विकास उपकर को ध्यान में रखते हुए अभी संशोधित नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

दलहन

31. **डॉ0 महादीपक सिंह शाक्य :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पिछले कुछ वर्षों से दलहन की मांग और उपलब्धता में अन्तर बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन वर्षों में दलहन की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए दलहन का आयात किया गया था और यदि हां, तो दलहन का कितनी मात्रा में आयात किया गया और इसका मूल्य कितना था ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) और (ख) . गत कुछ वर्षों से दाल का उत्पादन करीब 140 लाख मी० टन के स्तर पर लगभग स्थिर बना हुआ है। देश में दालों की आवश्यकता लगभग 190 लाख मी० टन आंकी गई है। इस प्रकार देश में दालों की मांग और आपूर्ति के बीच लगभग 50 लाख मी० टन का अन्तर है।

(ग) और (घ) . वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान दालों के थोक मूल्य सूचकांकों का रुख निम्नवत है :–

	1993-94	1994-95	1995-96*
दालें	+ 28.8	+ 8.4	+ 8.6
चना	+ 43.1	+ 10.3	+ 42.2
अरहर	+ 14.0	+15.7	+ 41.2
मूंग	+ 25.4	+ 8.2	+ 18.1
मसूर	+ 18.3	+ 29.9	+ 49.5
उड़द	+ 29.2	+64.0	– 3.5

*जनवरी, 96 तक।

(ङ) दालों की आपूर्ति बढ़ाने की दृष्टि से उनका आयात खुले सामान्य लाइसेंस के तहत रखा गया है और आयातित दालों पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वर्ष 1993-94 से 1995-96 के दौरान आयात की गई दालों की मात्रा और उसके मूल्य नीचे दिए गए हैं :–

वर्ष	मात्रा (लाख मी० टन में)	मूल्य (करोड़ रु० में)
1993–94	6.28	567
1994–95	5.55	274
1995–96	2.86	388
(अक्तूबर, 95 तक)		

[अनुवाद]

केरल में वन संरक्षण

32. प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में किन-किन क्षेत्रों की वन/आरक्षित वन के रूप में पहचान की गई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान केरल में वन संरक्षण हेतु शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्येक योजना की अब तक उपलब्धि क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक योजना के लिए प्रतिवर्ष कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है ?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) 1993 की स्टेट ऑफ फारेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, केरल में दर्ज वन क्षेत्र 11,222 वर्ग कि०मी० है और वास्तविक वन आवरण 10,336 वर्ग कि०मी० है।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के उद्योग

33. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में विशेषकर तल्चर-अंगल क्षेत्र में इस समय कार्यरत सरकारी क्षेत्र के कितने उद्योगों को अभी पर्यावरण सम्बन्धी स्वीकृति दी जानी है;

(ख) कितने उद्योगों ने आरम्भ होने से पूर्व पर्यावरण के प्रभाव सम्बन्धी अपनी अध्ययन रिपार्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) कितने उद्योगों ने सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों का अनुपालन किया है; और

(घ) दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए सरकार द्वारा इन उद्यमों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) शून्य।

(ख) दैतारी, उड़ीसा में इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड ने एक पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्ट दाखर की है।

(ग) और (घ) उद्योगों द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना के प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु परियोजना मंजूर करने हेतु सरकार द्वारा लगाई गई पर्यावरणीय शर्तों के अनुपालन की नियमित निगरानी की जाती है। इनका चरणबद्ध तरीके से परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यान्वित किए जाने की अपेक्षा की जाती है।

मिट्टी तेल की कालाबाजारी

34. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :
श्री श्रीकान्त जेना :

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल के अधिकारी उपभोक्ता वस्तुओं तथा नागरिक आपूर्ति निदेशालय के अधिकारियों के साथ मिलकर कलकत्ता और दुर्गापुर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बिक्री हेतु नियत मिट्टी के तेल को बड़ी मात्रा में काले बाजार में बेच रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकारियों की मिली भगत से मिट्टी के तेल की बांगलादेश को तस्करी की जाती है; और

(घ) सरकार द्वारा इस प्रचलन को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है तथा दोषी अफसरों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिट्टी के तेल का केवल थोक में आवंटन करती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भीतर उपभोक्ताओं को वितरण सुनिश्चित करने की संचालनात्मक जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कालाबाजारियों, जमाखोरों आदि के विरुद्ध केन्द्रीय अधिनियमों जैसे आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा उसके तहत जारी नियंत्रण आदेशों और राज्य अधिनियमों तथा भारतीय दंड संहिता आदि के अन्तर्गत कार्रवाई करते हैं। केन्द्रीय सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह देती रही है कि वे कारगर कदम उठाएं, ताकि ऐसे कदाचार न होने पाएं। मिट्टी के तेल को नीला रंग देने तथा थोक विक्रेताओं को मिट्टी के तेल की सुपुर्दगी आपूर्ति की स्कीमें भी इस दृष्टि से शुरू की गई हैं कि मिट्टी के तेल को प्रणाली से बाहर ले जाए जाने तथा वितरण में कदाचारों को रोका जा सके।

रक्त बैंक

35. श्री मोहन रावले : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में चल रहे रक्त बैंकों में व्याप्त भ्रष्टाचार, कुव्यवस्था और अनियमितताओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां; तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने सरकार को राज्य स्तर पर राष्ट्रीय रक्तदान परिषद् गठित करने का निर्देश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है;

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए० आर० अन्तुले) : (क)जी हां।

(ख) रिश्तेदार के रूप में रक्तदाता बनकर प्रदत्त दाताओं, ऐसे दाताओं से रक्त निकालने, जो कि इसके योग्य नहीं हैं और बिना परीक्षण किए गए और संक्रामक रक्त के रक्ताधान के लिए दिए गए रक्त जैसे मामले समय-समय पर सूचित किए गए हैं।

(ग) . जी हां।

(घ) सरकार ने रक्ताधान के लिए राष्ट्रीय और राज्य परिषदें स्थापित करने के बारे में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों पर कार्रवाई करने के लिए कदम उठाए हैं।

[हिन्दी]

मियाद समाप्त हो चुकी औषधियां

36. श्री रामटहल चौधरी :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत मियाद समाप्त हो चुकी औषधियां वितरित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान इस सम्बन्ध में ऐसी कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(ग) सरकार ने कितने दोषी व्यक्तिगों के विरुद्ध कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए० आर० अन्तुले) : (क)जी नहीं।

(ख) और (ग) . ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

मेडिकल एवं दन्त चिकित्सा कॉलेज

37. डॉ० सुधीर राय :
श्री मुही राम सैकिया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** 20 दिसम्बर, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3584 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रश्न में मांगी गई सूचना अब तक प्राप्त हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो चालू शिक्षा सत्र में मेडिकल तथा प्राइवेट दन्त-चिकित्सा कालोजों के छात्रों को दी गई राज सहायता तथा ऋणों का कालिज-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और

(घ) क्या चालू शिक्षा सत्र के समाप्त होने से पूर्व उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन किए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए० आर० अन्तुले) : (क) से (ग) . पात्र चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत दावों के आधार पर, अब तक निम्नलिखित महाविद्यालयों के सम्बन्ध में अनुदान मंजूर करते हुए आदेश जारी किए गए हैं :–

महाविद्यालयों का नाम (राज्यानुसार)	मंजूर की गई अनुदान राशि (कोष्ठक के आंकड़े उन विद्यार्थियों की संख्या दर्शाते हैं, जिन्हें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लाभ दिया गया)
महाराष्ट्र	
1. भारतीय विद्यापीठ चिकित्सा महाविद्यालय, पुणे	5.10 लाख रुपये (102)
2. डॉ.डी.वाई. पाटिल शिक्षा सोसाइटी चिक्रित्सा महाविद्यालय, कोल्हापुर	4.25 लाख रुपये (85)
3. ग्रामीण चिकित्सा महाविद्यालग, लोनी	4.25 लाख रुपये (85)
4. पी.ए.बी.डी. चिकित्सा महाविद्यालय, अमरावती	4.25 लाख रुपये (85)
5. महाराष्ट्र चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान चिकित्सा महाविद्यालय, पुणे	4.25 लाख रुपये (85)
6. कृष्ण चिकित्सा विज्ञान संस्थान, कारद	4.25 लाख रुपये (85)
7 जे.एल.एन. चिकित्सा महाविद्यालग, स्वांगीवर्धा	4.25 लाख रुपये (85)
कर्नाटक	
8. आदिचुनचुनागिरि चिकित्सा विज्ञान संस्थान, बेल्लूर	4.25 लाख रुपये (85)
9. अल-अमीन चिकित्सा महाविद्यालय, बीजापुर	4.25 लाख रुपये (85)

10.	केम्पीगौडा चिकित्सा विज्ञान संस्थान, बंगलौर	5.10 लाख रुपये (102)
11.	एम.आर. चिकित्सा महाविद्यालय, गुलबर्गा	4.25 लाख रुपये (85)
तमिलनाडु		
12.	राजा मुथि याड चिकित्सा महाविद्यालय, अन्नामलाइनगर	5.30 लाख रुपये (106)
13.	पी.एस.जी. चिकित्सा विज्ञान और अनुसंधान संस्थान, कोइम्बटूर	4.25 लाख रुपये (85)
पंजाब		
14.	दयानन्द चिकित्सा महाविद्यालय, लुधियाना	2.95 लाख रुपये (59)
केरल		
15.	चिकित्सा विज्ञान अकादमी, परियारम कन्नूर, केरल	3.60 लाख रुप्रये (72)

भारतीय रिजर्व बैं ने सूचित किया है कि 18.12.1995 तक 27 में से 18 सार्वजनिक के बैंकों ने रिपोर्ट दी है कि कोई ऋण मंजूर नहीं किया गया था, क्योंकि, उनके द्वारा ऐसे ऋणों के अनुदान हेतु कोई आवेदन स्वीकार नहीं किए गए थे।

(घ) उच्चतम न्यायालय के निदेशों का अनुपालन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

सिंचाई सुविधाएं

38. श्री लाल बाबू राय : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश में पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं जुटाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) . सिंचाई क्षमता पूर्व-योजना अवधि के दौरान 22.6 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 1994-95 के अंत में लगभग 87.06 मिलियन हेक्टेयर हो गई है तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में बढ़कर 96.89 मिलियन हेक्टेयर हो जाने की संभावना है। ऐसी सुविधाओं की मांग में संभावित वृद्धि की दृष्टि से भावी योजनाओं में आगे वृद्धि की गुंजाइश व जरूरत है।

(घ) सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों में अन्यों के साथ-साथ शामिल हैं, आठवीं योजना के दौरान (क) चालू वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने (ख) वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं में प्रयोक्ताओं की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी (ग)कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने (घ) चालू सतही जल लघु सिंचाई योजनाओं के बड़ी संख्या में शीघ्र पूरा करने की प्राथमिकता (ङ) सतही एवं भूजल का संयुक्त प्रयोग एवं (च) उचित अभिकरणों के माध्यम से जल प्रबंधन के क्षेत्र में विज्ञान तथा प्रौद्योगिक घटकों के अनुसंधान तथा विकास पर ज़ोर देना, जैसे मुद्दों पर विशेष बल देते हुए इस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता देना।

[अनुवाद]

मध्यम स्तरीय हस्पंताल

39. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में मध्यम और जिला स्तरीय हस्पतालों का दर्जा बढ़ाने सम्बन्धी 500 करोड़ रुपये की परियोजना शुरू करने के लिए विश्व बैंक को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रस्ताव विश्व बैंक के समक्ष रखा गया है; और

(ग) कर्नाटक में इस प्रस्तावित कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने मध्यम और जिला स्तरीय हस्पतालों को शामिल किया जाएगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए० आर० अन्तुले) : (क) से (ग) . जी हां। कर्नाटक के 21 जिलों, 107 उप समभागीय और 74 सामुदायिक अस्पतालों के लिए लगभग 550 करोड़ रुपये की लागत वाली एक राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना पर विश्व बैंक के साथ जनवरी-फरवरी, 1996 में बातचीत की गई है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश की लम्बित परियोजनाएं

40. श्री विश्वेश्वर भगत :
श्री खेलन राम जागड़े :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश की कौन-कौन सी विकास सम्बन्धी परियोजनाएं और योजनाएं सरकार के पास पर्यावरण और वन सम्बन्धी स्वीकृति हेतु लम्बित हैं;

(ख) उक्त परियोजनाएं कब से लम्बित हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को जल्द मंजूर किए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) . 31.1.1996 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार के पास वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत तथा पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लम्बित मध्य प्रदेश की परियोजनाओं के नाम के साथ-साथ लम्बित रहने की अवधि और कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) जब कभी किसी प्रस्ताव के पूर्ण विवरण प्राप्त होते हैं तो उस पर अन्तिम निर्णय हेतु शीघ्रता से कार्यवाही की जाती है।

विवरण

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	कब से लंबित है	लंबित के कारण
(क) 31.1.96 की स्थिति के अनुसार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत लंबित प्रस्ताव।			
1.	मैसर्स उड़ीसा सीमेंट लि. द्वारा डोलोमाइट खनन लीज का नवीकरण	जनवरी, 96	कार्यवाही की जा रही है।
2.	मैसर्स बंसल खनिज उद्योग द्वारा बोक्साइड खनन हेतु खनन लीज का नवीकरण	जनवरी, 96	कार्यवाही की जा रही है।
3.	मैसर्स जामिन रजा के पक्ष में डोलोमाइट खनन लीज के नवीकरण के लिए वन भूमि का अंतरण	जनवरी, 96	कार्यवाही की जा रही है।
4.	मैसर्स खजुराहो मिनरल्स द्वारा डाइसपोर और पाइरोफाइलाइट खनन हेतु वन भूमि का अंतरण	जनवरी, 96	कार्यवाही की जा रही है।
5.	रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन विभाग, भारत सरकार को वन भूमि का अंतरण	जनवरी, 96	कार्यवाही की जा रही है।
6.	म.प्र. राज्य खनन निगम द्वारा डाइसपोर और पाइरोफाइलाइट का उत्खनन	जनवरी, 96	कार्यवाही की जा रही है।
7.	11 कि.वा. उमरदोना कुर्ता टीटी ट्रांसमिशन लाइन	जनवरी, 96	कार्यवाही की जा रही है।
8.	11 कि.वा. कुर्टलीटोला– खारा ट्रांसमिशन लाइन	जनवरी, 96	कार्यवाही की जा रही है।
9.	11 कि.वा. खारा – तलाबोडो ट्रांसमिशन लाइन	जनवरी, 96	कार्यवाही की जा रही है।
10.	11 कि.वा. खारा कोकमा ट्रांसमिशन लाइन	जनवरी, 96	कार्यवाही की जा रही है।
11.	11 कि.वा. कोकमा – कोल्वत्तूर ट्रांसमिशन लाइन	जनवरी, 96	कार्यवाही की जा रही है।
12.	11 कि.वा. पोन्डो कोटा ट्रांसमिशन लाइन	जनवरी, 96	कार्यवाही की जा रही है।
13.	मैसर्स मेहर सीमेंट कं० को खनन लीज के नवीकरण के लिए वन भूमि का अंतरण	मार्च, 96	कार्यवाही की जा रही है।
14.	11 कि.वा. नटा – बरिया ट्रांसमिशन लाइन	जनवरी, 96	कार्यवाही की जा रही है।
15.	11 कि.वा. लुटिया – दरियागोंडी और गोपंगी ट्रांसमिशन लाइन	जनवरी, 96	कार्यवाही की जा रही है।
16.	11 कि.वा. सुरघुहारा – जनतोला ट्रांसमिशन लाइन	जनवरी, 96	कार्यवाही की जा रही है।
(ख) पर्यावरणीय मंजूरी हेतु लंबित प्रस्ताव			
1.	मैसर्स देवू पावर लि. का कोरबा जिला बिलासपुर में 2x500 मे.वा. टीपीपी	जून, 1995	कार्यवाही की जा रही है।
2.	ग्लोबल बोर्डस लि. का बासंगपुर में 125 मे.वा. डाजापीपी	अगस्त, 95	कार्यवाही की जा रही है।
3.	एल एण्ड टी और सेल द्वारा भिलाई में 2X250 मे.वा. कोयला आधारित टोपीपी	अगस्त, 95	कार्यवाही की जा रही है।
4.	मैसर्स वीणा सप्लाई कं. लि. द्वारा वीणा टी पी एस (1000 मे० वा०)	अगस्त, 95	कार्यवाही की जा रही है।
5.	मैसर्स शपूर जी पल्लानजी पावर क० द्वारा इंदौर के निकट पसिम्पुर खेड़ा में 120 मे0वा0 डीजल पावर प्रोजेक्ट	नवम्बर, 95	कार्यवाही की जा रही है।
6.	मैसर्स सेल की बड़ा द्वार डालोमाइट खान	सितम्बर, 94	कार्यवाही की जा रही है।
7.	मैसर्स एन सी एल की निघई खुली खदान (एक्स)	अक्तूबर, 94	कार्यवाही की जा रही है।
8.	मैसर्स एस ई सी एल की जनदद और केवई प्रोजेक्ट	मार्च, 95	जांच के अन्तिम चरण में।
9.	मैसर्स एस ई सी एल की राजनगर खुली खदान	मई, 95	कार्यवाही की जा रही है।
10.	नागपुर जलीय कास्टिंग लि. हेतु कोक ओवन संयंत्र, मैसर्स नागपुर अलाय कासिंग्स लि. का जिला रायपुर औद्योगिक विकास केन्द्र में सिलतरा पर इस्पात परियोजना	जनवरी, 96	कार्यवाही की जा रही है।

भारतीय खाद्य निगम में ठेका प्रणाली

41. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम में ठेका प्रणाली के अन्तर्गत कार्य का आवंटन करने हेतु कोई स्थाई व्यवस्था की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा विभिन्न ठेकों पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) . हैंडलिंग और ट्रांसपोर्ट कांट्रेक्टर्स खुली निविदा पूछताछ (ओपन टेण्डर इंक्वायरी) के जरिए नियुक्त किए जाते हैं जिसके लिए प्रमुख राष्ट्रीय/स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी/प्रकाशित किए जाते हैं। ठेके देने के समय अन्य बातों के साथ निविदाकार के पूर्व अनुभव, व्यावसायिक सक्षमता और वित्तीय स्थिति को भी ध्यान में रखा जाता है।

(ग) आवश्यक ब्यौरे संलग्न हैं।

विवरण

ठेके पर किए गए कार्य में हुए खर्च का राज्य/क्षेत्र–वार और वर्ष–वार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	1992-93	1993-94	1994-95
1.	बिहार	329.44	358.13	516.86
2.	उड़ीसा	395.07	425.83	682.77
3.	पश्चिम बंगाल	535.96	735.86	991.74
4.	पो० आ० कलकत्ता	369.32	567.05	873.01
5.	असम	282.69	716.73	462.38
6.	उत्तर-पूर्वी सीमान्त	1182.24	1312.47	767.56
7.	दिल्ली	60.89	112.98	102.49
8.	हरियाणा	1799.50	2739.78	3759.49
9.	हिमाचल प्रदेश	17.88	17.09	29.97
10.	पंजाब	7136.71	8014.89	7757.85
11.	राजस्थान	664.55	784.62	786.96
12.	उत्तर प्रदेश	910.98	1360.13	1092.93
13.	आन्ध्र प्रदेश	1164.71	1939.95	2319.16
14.	केरल	1071.16	1119.06	972.24
15.	कर्नाटक	1192.75	963.17	1432.12
16.	तमिलनाडु	434.65	734.11	1214.43
17.	पो०आ० मद्रास	92.37	80.32	54.32
18.	गुजरात	452.24	640.21	384.93
19.	महाराष्ट्र	709.01	945.57	790.71
20.	मध्य प्रदेश	1510.19	1388.06	1426.42
21.	पो०आ० कांदला	62.41	45.38	45.56
22.	जम्मू और कश्मीर	664.00	774.56	795.59
23.	पो०आ० विजाग	21.70	7.43	1.60
	जोड़	21060.42	25783.38	27261.09

[अनुवाद]

सुवर्णरेखा परियोजना का कार्यान्वयन

42. श्री चित्त बसु : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुवर्णरेखा परियोजना के कार्यान्वयन में अत्यधिक विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का इस परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) सुवर्णरेखा परियोजना के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए अपर्याप्त परिव्यय के कारण 1991-92 के बाद से इस परियोजना पर कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हो सकी है।

(ग) विश्व बैंक ने अगस्त, 1982 से अप्रैल, 1989 तक सुवर्णरेखा बहुप्रयोजनी परियोजना को 116.3 मिलियन एस डी आर (127 मिलियन अमेरिकी डालर) की राशि की सहायता (क्रेडिट सं0 1289–आई एन) प्रदान की थी। केन्द्रीय जल आयोग को इस परियोजना की मानीटरी का कार्य सौंपा गया है ताकि इसके कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं का पता लगाया जा सके तथा उपयुक्त उपचारी उपायों के लिए इसे राज्य सरकार के साथ उठाया जाए। हाल में विश्व बैंक मिशन ने 1 से 9 फरवरी, 1996 तक इस परियोजना का दौरा किया।

[हिन्दी]

बहुमूल्य पत्थरों का खनन

43. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात के आरक्षित वनों में पाए जाने वाले बहुमूल्य पत्थरों के गैर-कानूनी खनन के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे पत्थरों के गैर-कानूनी खनन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ङ) . सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

यमुना के किनारे वन लगाना

44. श्री केशरी लाल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यमुना नदी के किनारे, विशेषरूप से कानपुर देहात में वन लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आवंटित की गई तथा वन लगाने हेतु कितने एकड़ भूमि का चयन किया गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्स मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) यमुना कार्य योजना के अन्तर्गत नदी के किनारे स्थित यमुना कार्य योजना में शामिल नगरों में वनरोपण की भी व्यवस्था की गई है।

(ख) और (ग) . यमुना कार्य योजना में शामिल 15 नगरों में से 11 नगरों में वनरोपण के लिए 151.50 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है। राज्य सरकारें विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार कर रही हैं।

[अनुवाद]

उद्योगों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र

45. श्री प्रभु दयाल कठेरिया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उद्योगों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने सम्बन्धी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) इस मंत्रालय द्वारा 27.1.94 को एक अधिसूचना जारी की गई थी और 4.5.94 को उसमें संशोधन करके उद्योगों सहित कतिपय विकास परियोजनाओं से सम्बन्धित पर्यावरणीय मूल्यांकन कार्यविधि को सरल बनाया गया है। उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :–

- पर्यावरणीय सूचना को स्पष्ट करने हेतु आवेदन प्रपत्र एवं प्रश्नावली को मानकीकृत किया गया है।
- परियोजना पर विचार के लिए तीन सीजन के आंकड़ों के बदले एक सीजन के आंकड़ों के आधार पर पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पर्याप्त है।

उद्योगों द्वारा जिलों को अपनाया जाना

46. श्री बलराज पासी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण और पारिस्थितिकी की रक्षा करने हेतु उद्योगों से देश में जिलों को अपनाने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उद्योगों द्वारा इस सम्बन्ध में किए गए व्यय के लिए सरकार द्वारा उन्हें वित्तीय लाभ दिया गया है/दिए जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) . 8 जनवरी, 1996 को उद्योग संघ के साथ हुई एक बैठक में सुझाव दिया गया था कि उद्योग उन जिलों में वृक्षारोपण का कार्य करें जहां वे लगाए गए हैं। यह उद्योगों के संचालन से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उनके द्वारा अपनाए जाने वाले उपायों के अतिरिक्त है।

(ग) से (ङ) . इस सम्बन्ध में वित्तीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

यकृत - शोथ

47. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यकृत – शोथ देश की तीसरी सबसे बड़ी जानलेवा बीमारी है;

(ख) क्या यह बीमारी टीकाकरण से समाप्त हो सकती है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का हाल ही के पल्स पोलियो अभियान की तरह यकृत–शोथ को समाप्त करने के लिए एक टीकाकरण अभियान को आयोजित करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए० आर० अन्तुले) : (क)जी नहीं। तथापि देश में वाइरल यकृत – शोथ जन स्वास्थ्य की एक महत्वपूर्ण समस्या है।

(ख) और (ग) . यकृत – शोथ ए वाइरस तथा बी वायरस के लिए वैक्सीन उपलब्ध हैं। अन्य वायरसों (एच सी बी, और एच ई वी) जिनसे यकृत–शोथ होता है, के लिए वैक्सीनों का विकास किया जाना है।

. (घ) से (च) . केन्द्रीय सरकार के पास इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

होम्योपैथी परिषद्

48. श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय चिकित्सा परिषद् और होम्योपैथी परिषद् के कार्यकरण में समानता है; और

(ग) क्या होम्यापैथी परिषद् में अधिकारियों की नियुक्ति होम्योपैथी चिकित्सा योग्यताओं के आधार पर की जाती है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय चिकित्सा प्रणाली तथा होम्योपैथी विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) . जी हां।

(ग) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद में सभी तकनीकी पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्तियां होम्योपैथिक चिकित्सा सम्बन्धी अर्हता के आधार पर की जाती है।

[अनुवाद]

तपेदिक रोग का बढ़ता प्रकोप

49. श्री एस० एम० लालजान वाशा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में तपेदिक रोग के बढ़ते प्रकोप का मुकाबला करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से सम्पर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन से किस प्रकार की सहायता मांगी गई है; और

(ग) तपेदिक रोग के उपचार एवं नियंत्रण हेतु क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए० आर० अन्तुले) : (क) और (ख) . जी नहीं। देश में क्षय रोग का प्रकोप नहीं बढ़ा है।

(ग) देश में क्षय रोग एक प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्या है। इस रोग के नियंत्रण के लिए देश में 1962 से राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कार्यक्रम को सुदृढ़ करने और उपचारित रोगियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए एक संशोधित कार्यनीति विश्व बैंक की सहायता से 15 परियोजना स्थलों पर परीक्षण के आधार पर चलाई जा रही है।

सड़ रहा धान

50. श्री एस.एस.आर. राजेन्द्र कुमार : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपनाई गई नीति के कारण 450 करोड़ रुपये से अधिक के धान दला न जाने के कारण सड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) सरकार के पास 'मिलिंग' के बगैर धान के खराब होने की कोई सूचना नहीं है।

(ख) से (घ) . प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

राजस्थान की पर्यावरण परियोजनाएं

51. श्री कुंजी लाल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान राजस्थान में केन्द्रीय तथा विदेशी सहायता से वनों तथा अन्य जीवों के विकास तथा पर्यावरण में सुधार लाने हेतु शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य के लिए कितनी वित्तीय सहायता परियोजनावार उपलब्ध कराई गई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस सम्बन्ध में परियोनावार कितनी उपलब्धि हुई ?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) . राजस्थान में वर्ष 1993-94, 1994-95, 1995-96 (आज तक) केन्द्रीय और विदेशी सहायता से पर्यावरण में सुधार लाने और वनों के विकास के लिए शुरू की गई परियोजनाओं के साथ-साथ वित्तीय और भौतिक दोनों प्रकार की उपलब्धियों के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(लाख रुपये)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	संक्षिप्त उद्देश्य	निधीयन की सीमा स्थिति		गत तीन वर्षों के दौरान उपलब्धि			
					वित्तीय			भौतिक
					1993-94	1994-95	1995-96	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास करना	100 प्रतिशत	चालू	79.46	64.30	78.25	15 राष्ट्रीय उद्यान कवर।
2.	संरक्षित क्षेत्रों के आस-पास पारिविकास	राष्ट्रीय उद्यानों के किनारे रहने वाले समुदायों को वैकल्पिक प्रश्रय प्रदान करना	100% अनावर्ती 50% आवर्ती	चालू	19.33	—	8.43	2 राष्ट्रीय उद्यान कवर
3.	बाघ परियोजना	बाघों की व्यवहार्य आबादी सुनिश्चित करना	100% अनावर्ती 50% आवर्ती	चालू	100.79	96.52	105.67	2 बाघ रिजर्व कवर
4.	बाघ रिजर्वों के आस-पास पारि-विकास	बाघ रिजर्व के किनारे रहने वाले समुदायों को वैकल्पिक प्रश्रय प्रदान करना।	100% अनावर्ती 50% आवर्ती	चालू	39.73	23.88	9.38	2 बाघ रिजर्व कवर
5.	पर्यावरण वाहिनी स्कीम	जनता की सक्रिय भागीदारी के जरिए पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करना।	100%	चालू	1.70	1.50		6 पर्यावरण वाहिनियां गठित
6.	औषधीय पौधों सहित और टिंबर उत्पाद	औषधीय पौधों सहित गैर-टिंबर उत्पाद उगाना	100	चालू	43.00	10.00	118.00	1450 हेक्टेयर क्षेत्र कवर
7.	समन्वित वनीकरण और चारा पारिविकास परियोजना स्कीम	वनीकरण और पारिविकास संवर्द्धन	100	चालू	726.30	734.80	304.00	21094 हेक्टेयर क्षेत्र कवर
8.	क्षेत्रोन्मुख जलाऊ लकड़ी और चारा परियोजना स्कीम	अभिनिर्धारित जलाऊ लकड़ी की कमी वाले जिलों में जलाऊ लकड़ी और चारे की आपूर्ति बढ़ाना	50	चालू	186.16	250.00	220.33	5450 हेक्टेयर क्षेत्र कवर
9.	भोगाधिकार हिस्सेदारी के आधार पर पुनरूद्धार में अनुसूचित जाति और ग्रामीण निर्धनों का एसोसिएशन	अवक्रमित वन के वनीकरण में अनुसूचित जातियों और ग्रामीण निर्धनों को जोड़ना	100	चालू		20.23	4.60	वित्तीय बंटनों के अनुसार लक्ष्य नियत।
10.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	चंबल नदी का प्रदूषण उपशमन	50	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में 13.94 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर चम्बल नदी को शामिल किया जा रहा है। इसमें कोटा और केशरहपत्तन कस्बे शामिल होंगे।				

1.	2	3	4	5	6	7.	8.	9.
विदेशी सहायता प्राप्त								
1.	समन्वित परती भूमि विकास परियोजना डुंगरपुर एस आई डी.ए. से सहायता प्राप्त परियोजना		समन्वित भूमि प्रयोग को बढ़ाना			गैर-सरकारी संगठनों के निकट सहयोग से यह परियोजना क्रियान्वयनाधीन है। सहायता की राशि 28.14 करोड़ की है। दिसम्बर, 1995 तक 6.96 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और 6793 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है।		
2.	इन्दिरा गांधी नहर के साथ-साथ वनीकरण और चरागाह विकास -- ओईसीएफ, जापान से सहायता प्राप्त परियोजना		मरुस्थली बालू से नहर, कृषि जोतों आदि की सुरक्षा करना, जलाऊ लकड़ी तथा चारे की जरूरत की पूर्ति करना तथा रोजगार के अवसर पैदा करना।			इस परियोजना को 107 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत पर 1991 में शुरू किया गया था। सितम्बर, 1995 तक 48.25 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और 28379 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है।		
3.	अरावली पहाड़ियों की वनीकरण परियोजना ओईसीएफ जापान से सहायता प्राप्त परियोजना		मरुस्थलीकरण को रोकना और पुनः वनीकरण द्वारा पारिस्थितिकीय अवस्थिति की बहाली			इस परियोजना का क्रियान्वयन अप्रैल, 1992 में शुरू किया गया। कुल सहायता राशि 176.69 करोड़ रुपये की है। जून, 1995 तक 104.47 करोड़ रुपये खर्च किए गए और 70, 000 हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया।		
4.	राजस्थान वानिकी विकास परियोजना ओईसीएफ, जापान से सहायता प्राप्त परियोजना		वनीकरण से सम्बन्धित परियोजना गतिविधियों के उचित क्रियान्वयन हेतु गांव और परियोजना स्तर पर मानव एवं संस्थागत संसाधनों का विकास करना।			इस परियोजना को 140 करोड़ रुपये की कुल लागत पर वर्ष 1995-96 में शुरू किया जाता है।		
5.	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना (चरण-2) -- विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना।		राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का संस्थागत विकास			राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड चार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में से एक है जिसे उक्त परियोजना के तहत लिया गया है। परियोजना की कुल लागत 330 मिलियन अमरीकी डालर है जिसमें से 168 मिलियन अमरीकी डालर विश्व बैंक में से है।		

महाराष्ट्र की लम्बित परियोजनाएं

52. श्री दत्ता मेघे : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के पास पर्यावरणीय और वानिकी दृष्टि कोण से मंजूरी हेतु महाराष्ट्र की कितनी विकास योजनाएं लम्बित हैं;

(ख) उक्त परियोजनाएं कब से लम्बित हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है ?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) . एक विवरण संलग्न है।

(ग) परियोजना प्रस्तावकों से पूरी सूचना और संगत ब्यौरा प्राप्त होने की तारीख से 90 दिन की निर्धारित अवधि के अन्दर परियोजना प्रस्तावों की मंजूरी के बारे में अन्तिम निर्णय लिया जाता है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कब से लम्बित है	लंबित रहने के कारण
1	2	3	4
पर्यावरणीय मंजूरी			
1.	मैसर्स निप्पोन डेनरो इस्पात लि० का महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के तालऊ पेन में 3.0 मिल टी.पी.ए. समेकित इस्पात संयंत्र	जनवरी, 1996	कार्रवाई की जा रही है।
2.	चन्द्रपुर में मानिकगढ़ सीमेंट परियोजना	अक्तूर, 1994	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
3.	हिन्दुस्तान ओमन पेट्रोलियम कम्पनी लि0 द्वारा देवगढ़, महाराष्ट्र में 6 एम.एम.टी.पी.ए. ग्रासरूट रिफाइनरी की एस०पी०एस०/क्रास कंट्री पाइपलाइन बहिस्राव निपटान सुविधाएं	जनवरी, 1995	जांच के अंतिम चरण में।
4.	मैसर्स अमर एल्कोहल लि०, बांदरा, नागपुर का नावगांव, पोस्ट साहरपुर का 22, कि०लि०/प्रतिदिन का मैनुफैक्चरिंग पोटेबल एल्कोहल	मार्च, 1995	जांच के अन्तिम चरण में।
5.	मैसर्स गैरोडिया कैमिकल्स लि० की पातालगंगा में आर्गेनिक कैमिकल मैनुफैक्चरिंग यूनिट	मई, 1995	कार्रवाई की जा रही है।
6.	मैसर्स बोस्कर कैमिकल्स लि० की औरंगाबाद जिले में प्लाट-4 एम.आई. डी.सी. इंडस्ट्रियल एरिया वालिंग में बल्क ड्रक।	जुलाई, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है
7.	मसर्स टी.ए.एस.पी. इंडस्ट्रीज़ इंडिया लि० का डॉन्ड, तालुका पुणे में बल्क ड्रग्स यूनिट।	जुलाई, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है
8.	गारधा कैमिकल्स (प्रा०) लि० का बम्बई में आक्सादलों जेनाइड इनोपोरटरान साइपरपौथ्रिक एसिड आदि का विनिर्माण	जुलाई, 1995	कार्रवाई की जा रही है।
9.	मैसर्स रैलीज इंडिया लि० का ककोला पेरिटसाइडस बनाने की इकाई	जुलाई, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
10.	मैसर्स क्रासलैंड्स रिसर्च लेबोरेटरीज़ लि० का कोल्विहायर, पुणे में ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल का विनिर्माण	अगस्त, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
11.	मैसर्स सन फ्लैग आइरन एण्ड स्टील कम्पनी लि0 का एलैक्ट्रिक ए.आर.सी. फरनेस रूट (लघु इस्पात संयंत्र) के जरिए इस्पात विनिर्माण	सितम्बर, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
12.	मैसर्स ठेल्को का मावल तालुका में मावल फाउंडरी का आधुनिकीकरण एवं विस्तार।	सितम्बर, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
13.	मैसर्स जिन्दल पालीएस्टर लि० का मुंधागांव, जिला नासिक में पालिएस्टर संयंत्र	अक्तूबर, 1995	कार्रवाई की जा रही है।
14.	मैसर्स उषा इस्पात संयंत्र का रेडीगांव में विद्यमान पिग आयरन संयंत्र में सिन्टर प्लाट परियोजना।	नवम्बर, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
15.	मेट्रोपोलिटन एग्जिमकै प्रा० लि० का एम.एल.टी.सी., थाणे में डाई इन्टरमीटिऐड।	जनवरी, 1996	कार्रवाई की जा रही है।
16.	मैसर्स हिकल कैमिकल इंडस्ट्रीज़ लि० का फुगिसाइड्स स्पेक्ट्रम	जनवरी, 1996	कार्रवाई की जा रही है।
17.	बारंज एण्ड बांदर ब्लाक, निप्पेन डेनरो इस्पात लि०	मई, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
18.	कुम्भरखानी भूमिगत खान, डब्ल्यू सी.एल.।	जुलाई, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
19.	मोगलगड बाक्साइड खान मैसर्स इंडियन एल्यूमिनियम कम्पनी लि0	अक्तूबर, 1995	कार्रवाई की जा रही है।
20.	सूरजगढ़ लौह और अयस्क खनन, मैसर्स लाइड्स मैटल्स	दिसम्बर, 1995	कार्रवाई की जा रही है।

1	2	3	4
21.	लोहारा ईस्ट कोल माइनिंग, मैसर्स ए.डी.सी. लि०	जनवरी, 1996	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
22.	चिखलदारा पम्पड स्टोरेज स्कीम	दिसम्बर, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
23.	मेरीन कैमिकल टर्मिनल, जे.एन.पी.टी.	जून, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
24.	सी.आर. जैड के अन्तर्गत बम्बई में गिरगांव प्रभाग मे सी.एस. संख्या 1552 में सम्पत्ति का पुनर्विकास	अप्रैल, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
25.	मैसर्स सूरज एस्टेट्स डेवलेपर्स प्रा० लि० द्वारा दायर, बम्बई में टाउन प्लानिंग स्कीम/माहिम प्रभाग के सम्पत्ति संख्या प्लाट नं० 766 का विकास।	मई, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
26.	राजापुरी क्रीक महाराष्ट्र में दिघी का निर्माण मैसर्स पायलट कुकिंग गैस लि० का प्रस्ताव	मई, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
27.	मालावार हिल प्रभाग, बम्बई में वाकेश्वर रोड में अफगान वाणिज्य-दूतावास भवन का निर्माण	मई, 1995	जांच के अंतिम चरण में।
28.	मैसर्स मिराज रिसार्ट प्रा० लि० बम्बई का नाभा में रिसार्ट एवं मनोरंजन पार्क की स्थापना का प्रस्ताव	जून, 1995	कार्रवाई की जा रही है।
29.	मैसर्स श्री नरेश कुआडेकार द्वारा पश्चितम बम्बई में गोरेगांव में गोल्फ लिंग और एंसिलिएलरी का प्रस्ताव	जुलाई, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
30.	सीमा शुल्क विभाग द्वारा मनोरी तथा अलीबाग एवं बेसिन प्रभाग के विभिन्न स्थानों में सी.आर. जेड अधिसूचना में छूट देते हुए आवासीय क्वार्टरों का निर्माण	जुलाई, 1995	कार्रवाई की जा रही है।
31.	एक होली डे रिसार्ट का निर्माण महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के श्री पी.वी. महात्रे का अनुरोध दक्षिणी बम्बई और न्यू बम्बई के बीच भागी जल परिवहन	जुलाई, 1995	कार्रवाई की जा रही है।
32.	महाराष्ट्र नगर और औद्योगिक विकास निगम लि० का प्रस्ताव	अगस्त, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
33.	कैडबरी हाउस, फुलबनी देसाई रोड, बम्बई में विद्यमान कार्यक्रम भवन का पुनर्निर्माण	अगस्त, 1995	कार्रवाई की जा रही है।
34.	सी.आर. जैड अधिसूचना के अन्तर्गत बम्बई के श्री नारायण भोजवानी द्वारा निम्नलिखित के लिए अनुमतिः	अगस्त, 1995	कार्रवाई की जा रही है।
	1. ए.पी.एस.ए.आर.ए. कम्पनी सहकारी सोसाश्टी लि० के सदस्यों के लिए 7 फैक्टों का निर्माण		
	2 बान्द्रा पश्चिम में प्लाट संख्या सी 117 में विद्यमान भवन में 2/3 और मंजिलों का निर्माण		
35.	फ्लाईओवर पुल से बस स्टैंड तक मेरीन ड्राव के साथ-साथ जी आर.पी. मुख्य जल लाइन बिछाने के लिए ग्रेटर बम्बई के नगर निगम का प्रस्ताव	अगस्त, 1995	जांच के अंतिम चरण में।
36.	मैसर्स ताहिर प्रोपर्रीज प्रा० लि० द्वारा प्रस्तावित आवासीय भवन प्लाट संख्या-1, वली स्कीम संख्या 52	अगस्त, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
37.	ग्रेटर बम्बई नगर निगम के जी/उत्तरी वार्ड में माहिम प्रयाग की भूमि संख्या सी एस0 नं0 1024.1/1024, 1021, 1026, 1029, 1030 पर पुनर्विकास	अगस्त, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4
38.	सी.आर. जैड के अन्तर्गत मैसर्स आई. बी. पी. कम्पनी लि० द्वारा वडाला/गोवरी बम्बई में पेट्रोलियम स्थापना	सितम्बर, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
39.	सी.आर. जैड विनियमों के अन्तर्गत बान्द्रा, महाराष्ट्र में मुम्बई शैक्षिक ट्रस्ट का शैक्षिक काम्पलैक्स	सितम्बर, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
40.	घरमतार, महाराष्ट्र में एक शिपयार्ड की स्थापना हेतु मैसर्स बी. एच. पी. इंजिनियरिंग का प्रस्ताव	अक्तूबर, 1995	कार्रवाई की जा रही है।
41.	बम्बई और मांडवा के बीच एक एल टनेल का निर्माण–मैसर्स पाररामपुरिया प्लान्टेशन लि० का प्रस्ताव	दिसम्बर, 1995	कार्रवाई की जा रही है।
42.	नरीमन प्वाइन्ट से चौपाटी बम्बई तक समुद्री दीवार को मजबूत बनाने की अनुमति।	दिसम्बर, 1995	जांच के अंतिम चरण में।
बांनिकी मंजूरी			
1.	नागपुर जिले में 184.12 हेक्टेयर पैंधारीनाला मझौली सिंचाई परियोजना का निर्माण	जुलाई, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
2.	यवतमाल जिले में 386.645 है० गौकी नदी मझौली सिंचाई परियोजना	अगस्त, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
3.	यवतमाल जिले में 22.58 हेक्टेयर कुम्भारकिमी सिंचाई तालाब का निर्माण	जून, 1995	कार्रवाई की जा रही है।
4.	सिरसागांव मझौली सिंचाई परियोजना का निर्माण, यवतमाल जिला, 14.25 हेक्टेयर	दिसम्बर, 1995	कार्रवाई की जा रही है।
5.	यवतमाल जिले में जाम्ब नाला मझौली सिंचाई परियोजना का निर्माण, 24.31 हेक्टेयर	सितम्बर, 1995	कार्रवाई की जा रही है।
6.	खोडाला में फील्ड फाइरिंगरेंज, 10.629 हेक्टेयर	दिसम्बर, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
7.	गाडाचिरोली जिले में जांबुलखेडा नया लघु सिंचाई टैंक, 44.20 हेक्टेयर	जनवरी, 1995	कार्रवाई की जा रही है।
8.	नागपुर में खेल परिसर का निर्माण, 38.01 हेक्टेयर	दिसम्बर, 1995	कार्रवाई की जा रही है।
9.	लघु सिंचाई टैंक पिम्पलगांव, यवतमाल, 17-16 हेक्टेयर	जनवरी, 1996	कार्रवाई की जा रही है।
10.	अमदपुर लघु सिंचाई टैंक, यवतमाल, 14.56 हेक्टेयर	जनवरी, 1996	कार्रवाई की जा रही है।
11.	सिरसाला-1 लघु सिंचाई टैंक, भंडारा. 38.40 हेक्टेयर	जनवरी, 1996	कार्रवाई की जा रही है।
12.	भीलमल, नासिक में परकोलेशन टैंक, 5.19 हेक्टेयर	जनवरी, 1996	कार्रवाई की जा रही है।
13.	बम्बई-4 जल आपूर्ति परियोजना, 205 हे0 के लिए कन्वेंस शोधन भंडारण के बारे में व्यवहारिकता रिपोर्ट के लिए स्थलकृतीय सर्वेक्षण तथा भू-तकनीकी जांच करना।	जनवरी, 1996	कार्रवाई की जा रही है।
14.	धोरापगांव में परकोलेशन तालाब, 8 हेक्टेयर	जनवरी, 1996	कार्रवाई की जा रही है।
15.	हटवाने बांध से न्यू बम्बई तक डब्ल्यू एस० एस०, 9.8155 हेक्टेयर	जनवरी, 1996	कार्रवाई की जा रही है।
16.	तलखेडी पी.टी. का निर्माण धुले जिला, 7.26 हेक्टेयर	जनवरी, 1996	कार्रवाई की जा रही है।
17.	धुले जिले में चिनालकावा-2 परकोलेशन टैंक का निर्माण, 5.70 हे०	जनवरी, 1996	कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

वनों पर अनधिकृत कब्जा

53. श्री विजय एन० पाटील : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों द्वारा अनधिकृत कब्जे के कारण प्रतिवर्ष बड़े पैमाने पर वन क्षेत्र समाप्त हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान अनधिकृत कब्जों के कारण कौन-कौन से राज्य बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) . वन भूमि पर खण्डों में अवैध कब्जों की घटनाएं विशेष रूप से झूम खेती सहित जीविकोपार्जन हेतु खेती के विस्तार हेतु समूचे देश में हुई हैं। इस प्रकार के अवैध कब्जे सामान्यत: वनों के भीतर या वन सीमाओं के आस-पास स्थित कृषित क्षेत्रों तक सीमित हैं। तथापि, 1993 की स्टेट ऑफ फारेस्ट रिपोर्ट के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में वन आवरण में 635 वर्ग कि०मी० तक कमी आने की रिपोर्ट दी गई है जिसका मुख्य कारण 1989-91 की अवधि के दौरान झूम खेती बताई गई है।

(ग) और (घ) . राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में वन भूमि पर अवैध कब्जों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। राज्य सरकार इस पर निरन्तर निगरानी रखती है और अवैध कांबिजों को हटाने के लिए कानून की उचित प्रक्रिया के माध्यम से कदम भी उठाती है। केन्द्र सरकार द्वारा जून, 1990 में जारी किए गए दिशा-निर्देशों के तहत संयुक्त वन प्रबन्ध के जरिए वन भूमि की सुरक्षा और पुनर्जनन में जनता की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए गम्भीर प्रयास किए जा रहे हैं।

वामसाधरा स्टेज-II परियोजना

54. श्री रामकृष्ण कोन्ताला : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वामसाधरा स्टेज-II परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इस परियोजना को कब तक चालू कर दिए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) वामसाधारा चरण-II परियोजना 275.74 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर दिसम्बर, 1991 में सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार्य पाई गई बशर्ते कि आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा कल्याण मंत्रालय से पर्यावरणीय, वन और पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना योजना स्वीकृतियां प्राप्त कर ली जाएं। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अब तक इस प्रस्ताव को संशोधित किया है तथा अब इस परियोजना को वामसाधारा परियोजना चरण-II का फिर से नाम दिया है। 527.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की संशोधित रिपोर्ट तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन हेतु जनवरी, 1996 में केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई है।

(ख) परियोजना की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी विभिन्न तकनीकी-आर्थिक मुद्दों पर केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करती है और पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा कल्याण मंत्रालय से पर्यावरणीय, वन तथा पुनर्वास और पुनर्स्थापना स्वीकृतियां प्राप्त करती है।

एक्स-फैक्ट्री लेवी चीनी का मूल्य

55. श्री अन्ना जोशी : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेवी चीनी के कारखाना-निर्गत (एक्स-फैक्ट्री) मूल्य के निर्धारण हेतु निर्धारित फार्मूला है;

(ख) यदि हां, तो 1995-96 के लिए निर्धारित मूल्य सहित तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र में इनके मूल्यों के संशोधन के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) . आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 (3ग) के प्रावधानों के अनुसार, लेवी चीनी मूल्यों के निर्धारण में निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखना होता है :

(क) न्यूनतम सांविधिक गन्ना मूल्य;

(ख) चीनी का उत्पादन लागत;

(ग) कर अथवा सीमी शुल्क यदि कोई हो, भुगतान किया हुआ अथवा इस पर देय तथा;

(घ) चीनी के उत्पादन में लगाई गई पूंजी पर उचित मुनाफा।

2.1 जहां तक (क) का सम्बन्ध है, न्यूनतम सांविधिक गन्ना मूल्य केन्द्र सरकार द्वारा गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 की खण्ड 3 के अधीन तय किया जाता है।

2.2 (ख) तथा (घ) के सम्बन्ध में, चीनी उद्योग में लागत जांच आवधिक रूप से औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरों को

सौंपी जाती हैं, जो लेवी मूल्य निर्धारण में अनुमत लाभकारी तत्वों तथा विभिन्न मूल्य क्षेत्रों के लिए मूल परिवर्तन (उत्पादन) लागत कार्यक्रम बनाता है।

2.3 (ग) के सम्बन्ध में, गन्ने पर राज्य सरकार द्वारा लगाए गए खरीद कर, उपकर आदि की लेवी मूल्यों की गणना हेतु रखा जाता है।

2.4 1995-96 मौसम के लिए लेवी चीनी का फैक्ट्री बाह्य मूल्य अभी तक तय नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) . प्रश्न नहीं उठता। इस तथ्य को देखते हुए कि 1995-96 मौसम के लिए लेवी चीनी के फैक्ट्री बाह्य मूल्य अभी तय किए जाने हैं।

चिकित्सा परिषदें

56. श्री परसराम भारद्वाज : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय चिकित्सा पद्धति की अनुसंधान और विकास परिषदों का पुनर्गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इन का पुनर्गठन कब किया गया था ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय चिकित्सा प्रणाली तथा होम्योपैथी विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) . भारतीय चिकित्सा पद्धति से सम्बन्ध अनुसंधान और विकास में कार्यरत तीनों परिषदों के शासी निकायों का निम्नलिखित तारीखों को पुनर्गठन किया गया था :

परिषद् का नाम	पुनर्गठन की तारीख
केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद्	21.4.1994
केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद्	15.2.1995
कन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद्	13.3.1994

आंखों के लिए 'लेजर' चिकित्सा

57. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 दिसम्बर, 1995 के नवभारत टाइम्स में 'अब एक्सजिमर लेजर से आंखों का इलाज' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) दिल्ली में किन-किन अस्पतालों में यह चिकित्सा उपलब्ध है; और

(घ) अब तक कितने रोगियों का उपचार किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए०आर० अन्तुले) : (क) जी हां।

(ख) एक्सजियर लेजर प्रौद्योगिकी हमारे देश में नई है। इसका इस्तेमाल कार्निया के विशिष्ट स्तर को हटाकर मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और ऐस्टिमैटिज्म जैसे अपवर्नात्मक दोषों को दूर करने के लिए किया जाता है।

(ग) यह इलाज दिल्ली में निम्नलिखित प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध है :–

1. मुनेत्र आई सेंटर, एस-52, पंचशील पार्क, नई दिल्ली
2. संजीवन अस्पताल, दरियागंज, दिल्ली।
3. खन्ना क्लिनिक, ए-2/2, मॉडल टाउन, दिल्ली-110009
4. बनारसीदास चांदीवाला आई इस्टिट्यूट, चांदीवाला इस्टेट, मां आनन्दमई मार्ग, (कालका जी मन्दिर और कालका जी के बीच), कालका जी, नई दिल्ली-110019

(घ) अब तक इलाज किए गए रोगियों की संख्या उपलब्ध नहीं है क्योंकि ये प्राइवेट अस्पताल इनकी सूचना सरकार को नहीं देते हैं।

सुन्दरवन में बाघों की गणना

58. श्री सनत कुमार मंडल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री 12 दिसम्बर, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2366 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र में बाघों की गणना के क्या परिणाम निकले हैं;

(ख) गणना प्रक्रिया में किस विधि का उपयोग किया गया है; और

(ग) पिछली गणना की तुलना में यह संख्या कितनी है ?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) . सुन्दरवन बाघ रिजर्व में बाघों की गणना का कार्य 31 जनवरी, 1996 को पूरा हुआ था। गणना के निष्कर्ष अप्रैल, 1996 तक मालूम होने की संभावना है। 1993 में की गई पिछली गणना के अनुसार बाघों की संख्या 251 थी।

(ग) गणना प्रक्रिया में जो पद्धति अपनाई गई उसके अनुसार पूरे क्षेत्र को 33 खण्डों में विभाजित किया गया। प्रत्येक खण्ड का दायित्व पांच व्यक्तियों के एक दल को सौंपा गया। तथापि, जनवरी, 1996 में 14 खण्डों को कवर किए जाने के लिए प्रत्येक खण्ड का

दायित्व नौ सदस्यों वाले दल को सौंपा गया था। इस पद्धति में भाटे के दौरान पंक सपाटों से बाघों के बाएं पगमार्क में प्लास्टर निक्षेपण करना शामिल था।

प्लास्टर निक्षेपणों से प्रत्येक पगमार्क कागज पर बनाया गया था प्रत्येक पगमार्क के 18 पैरामीटर (पैड से प्रत्येक पादांगुलि तक लम्बाई, चौड़ाई, दूरी) रिकार्ड किए जाते हैं। प्रत्येक गणना खण्ड में बाघों की संख्या जानने के लिए सामूहिक विश्लेषणार्थ आंकड़ों को कम्प्यूटर में भरा जाता है।

उपभोक्ता अदालतें

59. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में आरंभिक अधिकारिता वाली उपभोक्ता अदालतों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 में दिसम्बर, 1995 तक दायर किए गए मामलों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ग) 31 दिसम्बर, 1995 तक निपटाए गए मामलों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(घ) क्या कोई अपीलीय प्राधिकरण गठित किया गया है; और

(ङ) क्या प्रत्येक राज्य के लिए कम से कम एक उपभोक्ता अदालत तथा एक अपीलीय प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) इस समय देश में एक राष्ट्रीय आयोग, 31 राज्य आयोग और 457 जिला मंच कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, जम्मू और कश्मीर राज्य में जम्मू और कश्मीर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1987 के तहत स्थापित एक राज्य आयोग और दो प्रभागीय मंच कार्य कर रहे हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर दर्ज किए गए और निर्णीत मामलों की संख्या के सम्बन्ध में राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) और (ङ) जिला मंचों/प्रभागीय मंचों को आरंभिक आधिकारिता दी गई है। राज्य आयोगों और राष्ट्रीय आयोग को आरंभिक और साथ ही अपीलीय अधिकारिता प्रदान की गई है।

विवरण I

राज्य आयोगों और जिला मंचों की राज्य–वार स्थिति

उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य आयोग सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं।

जिला मंचों की राज्य-वार स्थिति निम्नवत है :–

1.	आन्ध्र प्रदेश	23
2.	अरुणाचल प्रदेश	12
3.	असम	23
4.	गुजरात	20
5.	बिहार	39
6.	गोवा	2
7.	हरियाणा	16
8.	हिमाचल प्रदेश	12
9.	कर्नाटक	20
10.	केरल	14
11.	मध्य प्रदेश	45
12.	महाराष्ट्र	31
13.	मणिपुर	8
14.	मेघालय	7
15.	मिजोरम	3
16.	नागालैण्ड	7
17.	उड़ीसा	13
18.	पंजाब	13
19.	राजस्थान	30
20.	सिक्किम	4
21.	तमिलनाडु	22
22.	त्रिपुरा	3
23.	उत्तर प्रदेश	63
24.	पश्चिम बंगाल	17
25.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2
26.	चण्डीगढ़	1
27.	दादरा व नगर हवेली	1
28.	दिल्ली	2
29.	दमण व दीव	2
30.	लक्षद्वीप	1
31.	पाण्डिचेरी	1
	योग :	457

इसके अतिरिक्त, जम्मू व कश्मीर राज्य में जम्मू और कश्मीर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1987 के तहत गठित एक राज्य आयोग व 2 प्रभागीय मंच कार्य कर रहे हैं।

विवरण II

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शिकायतों की संख्या			अपीलों की संख्या			जिला मंच			
	आरंभकाल से दायर किए गए	आरंभकाल से निपटाए गए	अनिर्णीत मामले	आरंभकाल से दायर किए गए	आरंभकाल से निपटाए गए	अनिर्णीत मामले	आरंभकाल से दायर किए गए	आरंभकाल से निपटाए गए	अनिर्णीत मामले	को समाप्त अवधि
आन्ध्र प्रदेश	1214	490	724	5047	4313	734	74163	61206	12367	31.12.95
अरुणाचल प्रदेश	5	0	5	6	0	6	67	55	11	31.3.95
असम	375	138	237	222	80	142	3852	2245	1607	30.9.95
बिहार	738	465	273	1734	722	1012	21466	11701	9605	30.6.95
गोवा	138	117	21	255	217	38	1406	791	615	30.9.95
गुजरात	1646	1117	529	1636	1345	291	35042	18886	16156	31.3.95
हरियाणा	301	237	64	2974	1803	1171	34257	24344	9413	31.12.95
हिमाचल प्रदेश	256	93	163	2712	1659	1053	92475	23455	9020	30.9.95
जम्मू व कश्मीर	41	3	32	10	0	10	5019	4782	237	31.12.94
कर्नाटक	1105	651	454	2238	1235	1003	30999	19991	11808	31.3.95
केरल	1291	976	315	4440	2897	1543	60569	53199	7370	30.9.95
मध्य प्रदेश	453	361	92	2440	1754	686	33087	21783	11254	30.9.95
महाराष्ट्र	2276	1398	878	5049	2364	2685	53316	39181	14135	30.9.95
मणिपुर	4	4	0	29	14	15	011	531	10	30.9.95
मेघालय	17	8	9	10	3	7	109	37	72	30.9.95
मिजोरम	1	1	0	0	0	0	132	126	6	30.9.95
नागालैण्ड	4	0	4	0	0	0	13	6	7	30.9.94
उड़ीसा	1434	865	569	1848	730	1118	15431	10183	5248	30.9.95
पंजाब	382	282	120	410	403	7	10855	6996	3859	30.9.94
राजस्थान	3701	964	2737	4767	1994	2773	61554	49570	11984	30.9.95
सिक्किम	1	1	0	9	3	6	49	41	8	30.9.95
तमिलनाडु	1824	1535	209	4080	3192	888	32302	23319	8483	30.9.95
त्रिपुरा	43	39	4	79	58	21	658	485	168	31.3.94
उत्तर प्रदेश	1554	704	850	8627	2401	6225	91593	53159	38434	31.12.94
पश्चिम बंगाल	2830	720	2110	760	488	272	18351	4372	13979	30.9.94
अंडमान व निकोबार	11	5	6	9	4	5	100	89	11	30.9.95
चण्डीगढ़	555	392	163	350	293	57	6410	3493	2912	30.6.95
दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	19	10	9	31.12.94
दमण व दीव	0	0	0	0	0	0	32	16	16	30.9.94
दिल्ली	2587	1622	965	2790	1637	1153	31714	22786	8943	31.12.95
लक्षद्वीप	1	0	1	4	1	3	21	18	3	30.6.95
पांडिचेरी	48	41	7	185	182	3	736	557	179	30.9.95
योग	24836	13215	11621	52720	29792	22928	656353	458639	197714	

घग्घर नदी पर बांध का निर्माण

60. श्री पवन कुमार बंसल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चंडीगढ़ के आस-पास के क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा पंजाब के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ के नियंत्रण हेतु हरियाणा में घग्घर नदी पर एक बांध के निर्माण का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) . चंडीगढ़ प्रशासन ने चंडीगढ़ एवं पंचकुला को कच्चे जल की आपूर्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए घग्घर नदी की आर-पार एक बांध के निर्माण के लिए हरियाणा राज्य से अनुरोध किया था। हरियाणा सरकार ने संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़, हरियाणा एवं पंजाब क्षेत्रों को पेयजल और सिंचाई प्रयोजनों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए घग्घर बांध की परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कार्य की देख-रेख करने के लिए 26 अप्रैल, 1993 को एक तकनीकी समिति का गठन किया। हरियाणा सरकार ने अब भारत सरकार द्वारा गठित घग्घर स्थाई समिति के विचारार्थ घग्घर बांध की परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें

61. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में बरेली में सईदपुर (बिगारी चैनपुर) के लिए प्रस्तावित चीनी मिल की स्थिति क्या है;

(ख) उक्त चीनी मिल का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए भूमि क्रय की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आगे क्या प्रगति हुई है और इस पर कार्य स्थगित करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) खाद्य मंत्रालय के पास, सेदपुर (बीयारी चैनपुर), बरेली, उत्तर प्रदेश में चीनी मिल स्थापित करने के विषय में कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(ख) से (घ) . प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

मूत्र सम्बन्धी बीमारियों का उपचार

62. श्री माणिक राव होडल्या गावीत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डॉ० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मूत्र सम्बन्धी बीमारियों का कोई उपचार नहीं है और रोगियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि दिल्ली के मध्य में यही एक सरकारी अस्पताल है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए० आर० अन्तुले) : (क) और (ख) . डॉ० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में मूत्र सम्बन्धी बीमारियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। जब भी आवश्यक होता है, रोगियों को विशेष इलाज के लिए अन्य संस्थानों तथा सफदरजंग अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भेजा जाता है।

[हिन्दी]

नदी घाटी परियोजनाओं को स्वीकृति

63. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नदी-घाटी और जल-विद्युत योजनाओं की समीक्षा हेतु गठित की गई उनके मंत्रालय की वर्तमान विशेषज्ञ समिति ने पुरानी निर्यात समिति के इस निर्णय को बदल दिया है कि उन राज्य के नए प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दी जाएगी जिन्होंने पुरानी परियोजनाओं के मानदण्ड का अनुपालन नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नई समिति ने अपनी पहली ही बैठक में सभी परियोजनाओं को मंजूरी दे दी थी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खाद्य तेलों की पैकिंग

64. **श्री राम नाईक :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत खाद्य तेलों की पैकिंग के लिए इस्तेमाल में लाए हुए टिनों का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके सुनिश्चित कारण क्या हैं;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस प्रतिबंध के दौरान तेल की कीमतों में वृद्धि न हो और बाजार में खाद्य तेल का कृत्रिम अभाव न हो जाए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार ने प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए टिन की अतिरिक्त चद्दरों का आयात करने का प्रबन्ध किया है;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस प्रतिबंध से बेरोजगारी उत्पन्न होगी क्योंकि वे लोग बेरोजगार हो जाएंगे जो इस्तेमाल किए हुए टिनों के संग्रह और विक्रय का धंधा करते हैं; और

(च) यदि हां, तो उन्हें वैकल्पिक रोजगार देने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए० आर० अन्तुले) : (क) जी हां।

(ख) उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खाद्य तेलों की पैकिंग करने के लिए इस्तेमाल में लाए गए टिनों का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

(ग) खाद्य तेलों, जब उन्हें पैक और नए टिनों में बेचा जाता होगा, की कीमतें नए टिनों की लागत के अनुपात में बढ़ने की संभावना है।

(घ) से (च) टिन प्लेटों का आयात खुला सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के अन्तर्गत है। अतः उपयोगकर्त्ताओं को इसे सीधे अपने आप ही आयात करना पड़ता है यदि स्वदेशी उपलब्धता और घरेलू आवश्यकताओं के बीच कमी आती है। इस उपाय से नौकरियों की हानि होने की कोई संभावना नहीं है।

[हिन्दी]

एड्स नियंत्रण

65. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**
डॉ० मुमताज अंसारी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्थ ईस्टर्न एन्थ्रोपोलोजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, शिलांग के निष्कर्षों के अनुसार देश में कुल एड्स के रोगियों में से एक चौथाई रोगी पूर्वोत्तर क्षेत्र में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) इस क्षेत्र में इस भयानक बीमारी को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए० आर० अन्तुले) : (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के पास उत्तर-पूर्वी मानव विज्ञान अनुसंधान संस्थान, शिलांग अथवा इसके निष्कर्षों के बारे में कोई सूचना नही है। 31 जनवरी, 1996 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार देश में 2312 एड्स रोगियों में से 118 एड्स रोगियों की सात उत्तर-पूर्वी राज्यों से सूचना दी गई है।

(घ) एच आई वी/एड्स की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए एक व्यापक योजना सम्पूर्ण देश में चल रही है जिसमें उत्तर-पूर्वी क्षेत्र शामिल हैं। इस कार्यक्रम की कार्य-नीतियों में एच आई वी/एड्स के बारे में उच्च जोखिम वाले समूहों तथा आम जनता में जन जागरूकता पैदा करने के माध्यम से आचरण परिवर्तन, रक्त निरापदता तथा रक्त का युक्ति-युक्त उपयोग, यौन संचारित रोगों का नियंत्रण, बेहतर निगरानी तथा एच आई वी/एड्स रोगियों का नैदानिक प्रबंधन तथा निरोध को बढ़ावा देना शामिल हैं।

चिकित्सीय उपकरण

66. **श्री मंजय लाल :**
श्री श्रवण कुमार पटेल :
श्री मोहन रावले :
श्री दत्ता मेघे :
श्री जीवन शर्मा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 जनवरी, 1996 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'मेडिकल इक्विपमेंट वर्थ करोड़ लाइंग डिस्फंक्शनल' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले, और

(ङ) इन उपकरणों को उपयोग में लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए० आर० अन्तुले) : (क) से (ग) . जी, हां। 1989 से 1993 के दौरान इलेक्ट्रानिक विभाग द्वारा 11 राज्यों में सर्वेक्षण करवाए गए थे।

(घ) और (ङ) . इस सर्वेक्षण से, उपकरणों के उपयुक्त रूप में उपयोग न किए जाने के कई सम्भव कारण उद्घाटित हुए हैं, जैसेकि उपयुक्त रख-रखाव, संरचनात्मक सुविधाओं, अतिरिक्त पुर्जों की समय पर उपलब्धता आदि का अभाव। राज्य इलेक्ट्रानिक निगम, इलेक्ट्रो-चिकित्सा उपकरणों की बेहतर उपलब्धता में सुधार की दृष्टि से राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों के सहयोग से इलेक्ट्रो चिकित्सा रख-रखाव केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु कदम उठा रहे हैं।

[अनुवाद]

खाद्य तेलों में मिलावट

67. श्री तारा सिंह : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में खाद्य तेलों में भारी मात्रा में मिलावट सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मिलावट करने वालों को पकड़ने के लिए आज तक क्या प्रयास किए गए हैं ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) . प्रश्न नहीं उठते।

वनों का काटा जाना

68. श्री देवी बक्स सिंह :
श्री संतोष कुमार गंगवार :
श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश से अवैध रूप से वनों के काटे जाने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वनों की कटाई रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) . भारी पैमाने पर वननाशन का आरोप लगाते हुए खास तौर पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से कोई शिकायत इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) वननाशन को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं –

- केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना वनोत्तर प्रयोजनों के लिए वन भूमि के उपयोग को रोकने के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 बनाया गया है।
- वनों और वन्यजीवों से सम्बन्धित अपराधों को रोकने के लिए भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 लागू किए गए हैं।
- दुर्लभ और पथाकुल प्रजातियों और जीव वैज्ञानिक महत्व के वासस्थलों के संरक्षण के लिए बाघ परियोजना, हाथी परियोजना आदि जैसे विशेष कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।
- अवक्रमित वनों और राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, बाघ रिज़र्वों आदि के बफर क्षेत्रों में वनीकरण पुनर्वनीकरण तथा पारि-विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।
- लकड़ी के विकल्पों का प्रयोग करने, खपत कम करने और बरबादी को कम करने के लिए काष्ठ विकल्प और ईंधन बचाने वाले उपायों को बढ़ावा दिया जाता है।
- वनों और वन्यजीव वासस्थलों पर दबाव कम करने के लिए गैर-वन क्षेत्रों में वनीकरण और परती भूमि विकास कार्यक्रम भी कार्यान्वित किए जा रहे हैं।
- भोगाधिकार में हिस्सेदारी के जरिए वनों की सुरक्षा और पुनर्जनन में ग्राम समुदायों और स्वैच्छिक एजेंसियों को शामिल करने के लिए संयुक्त वन प्रबन्ध तकनीकों और संस्थाओं का विकास किया जा रहा हे।

वृक्षारोपण हेतु पंचायत स्तरीय परामर्शदात्री समिति

69. श्री रवि राय : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वनों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा हेतु और वृक्षारोपण के लिए पंचायत स्तरीय सलाहकार समिति के गठन की योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) . वन कर्मचारियों और समुदायों के बीच पारस्परिक क्रिया को बढ़ाने हेतु खण्ड और पंचायत स्तरों पर परामर्शदात्री समिति गठित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए है। इस प्रकार के परामर्श से समुदायों गैर-सरकारी संगठनों और वन कर्मचारियों के बीच पारस्परिक क्रिया हेतु खुला मंच प्राप्त होगा। खण्ड और पंचायत स्तरों पर परामर्शदात्री समिति की तिमाही बैठक होगी। इससे वनों

की बहाली, अनुरक्षण और सुरक्षा से जुड़े मामलों के सम्बन्ध में एक दूसरे के कार्य निष्पादनों के पारस्परिक मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने 7 दिसम्बर, 1995 को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

राज्यों द्वारा चीनी के केन्द्रीय भंडार (पूल) में योगदान

70. **श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 के दौरान केन्द्रीय भंडार (पूल) में चीनी का उत्पादन करने वाले राज्यों के योगदान का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत वर्ष की तुलना में चीनी के उत्पादन में राज्य-वार कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा चीनी का कोई केन्द्रीय पूल नहीं रखा जा रहा है।

(ख) अपेक्षित जानकारी दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

1994-95 चीनी मौसम की तुलना में 1995-96 चीनी मौसम के दौरान 31 जनवरी तक उत्पादन में राज्य–वार वृद्धि अथवा कमी का प्रतिशत

क्र.सं.	राज्य	1994-95 चीनी मौसम पर 1995-96 चीनी मौसम में हुई वृद्धि अथवा कमी का प्रतिशत।
1.	पंजाब	22.30
2.	हरियाणा	–15.06
3.	राजस्थान	13.55
4.	उत्तर प्रदेश	–1.18
5.	मध्य प्रदेश	68.79
6.	गुजरात	17.75
7.	महाराष्ट्र	–9.52
8.	बिहार	–3.72
9.	असम	–46.70
10.	आन्ध्र प्रदेश	4.10
11.	कर्नाटक	–6.75
12.	तमिलनाडु	–28.36
13.	केरल	30.03
14.	उड़ीसा	75.59
15.	पं० बंगाल	36.30
16.	नागालैण्ड	0.00
17.	पांडिचेरी	–32.54
18.	गोवा	6.95
	समस्त भारत	–4.43

[हिन्दी]

पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत रियायती दर पर खाद्यान्न

71. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :**
श्री चित्त बसु :

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत समाज के सर्वाधिक उपेक्षित गरीब वर्ग के लोगों को बड़ी मात्रा में रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की योजना के क्या मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार को इस योजना के अन्तर्गत शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्कीम विभिन्न क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रमों अर्थात् सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, निर्धारित पहाड़ी क्षेत्रों तथा समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं, जहां ग्रामीण गरीब आबादी का एक बड़ा भाग रहता है, जिन्हें संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अभिज्ञात किया था, के तहत आने वाले लगभग 1752 ब्लाकों में 1.1.92 से, बाड़मेर, राजस्थान में औपचारिक रूप से शुरू की गई थी। सरकार 1.6.92 से सभी संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली ब्लाकों में विशेष रूप से राज सहायता प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्न देती है। इससे पूर्व विशेष रूप से राज सहायता प्राप्त मूल्य केवल समेकित आदिवासी विकास परियोजना ब्लाकों के लिए ही लागू होते थे। संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न का केन्द्रीय निर्गम मूल्य, सामान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के केन्द्रीय निर्गम मूल्य से प्रति विवंटल 50 रु० कम हैं और राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे यह देखें कि खाद्यान्न के अन्तिम खुदरा मूल्य केन्द्रीय निर्गम मूल्य से प्रति कि०ग्रा० 25 पैसे से अधिक नहीं हों। केवल संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों में वितरण के लिए खाद्यान्नों की प्रति वर्ष लगभग 32 लाख मी० टन अतिरिक्त मात्रा नियत की गई है, जो कि राज्य सरकारों द्वारा कथित रूप से इन क्षेत्रों को किए जा रहे आवंटनों के अलावा हैं। बाद में सिद्धान्त रूप से स्कीम को सुनिश्चित रोजगार स्कीम के तहत आने वाले सभी 2446 ब्लाकों में लागू करने का निर्णय किया गया है।

(ख) और (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की संचालनात्मक जिम्मेदारी, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भीतर वितरण, हकदारी का मानदण्ड, उचित दर की दुकानें खोलना, राशन कार्ड जारी करना आदि जैसे सभी संगत मामलों

पर उनके द्वारा कार्यवाही की जाती है। राज्य स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बन्धित शिकायतों/सुझावों पर, शिकायतों के कारगर तथा शीघ्र निपटान के लिए, आमतौर पर जिला/स्थानीय प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जाती है। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रगति की समीक्षा विभिन्न मंचों जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली सम्बन्धी क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों में करती है। केन्द्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कदाचारों, वस्तुओं को प्रणाली से बाहर भेजने आदि के मामलों से निपटने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा उसके तहत जारी नियंत्रण आदेशों के अन्तर्गत शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं।

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तुओं की कमी

72. **श्री जगतबीर सिंह द्रोण :**
श्री बी०एल० शर्मा प्रेम :
प्रो० सावित्री लक्ष्मणन :
श्री जनार्दन मिश्र :
श्री दत्ता मेघे :
श्री अन्ना जोशी :

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुम्बई तथा पश्चिम बंगाल से दक्षिणी राज्यों के उचित दर की दुकानों को गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी तेल आदि नियंत्रित राशन वस्तुओं की आपूर्ति असमय तथा अपर्याप्त मात्रा में की जाती है और ये वस्तुएं घटिया किस्म की होती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में उचित दर की दुकानों पर नियंत्रित वस्तुओं की समय पर आपूर्ति को सरल और कारगर बनाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) से (ग) . सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी है। केन्द्रीय सरकार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण हेतु मुख्य आवश्यक वस्तुओं अर्थात् चावल, गेहूं, चीनी, आयातित खाद्य तेल, सोफ्ट/सी०आई०एल० कोक और मिट्टी के तेल की थोक में आपूर्ति करती है। उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के वितरण से सम्बन्धित सभी प्रचलनात्मक पहलू राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के तहत आते हैं। तथापि, केन्द्रीय सरकार चावल और गेहूं का स्टॉक निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप जारी करती है। भारतीय खाद्य निगम को कीड़ों से मुक्त और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के मानकों के अनुरूप स्टॉक जारी करने के अनुदेश दिए गए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकार करने से पूर्व सभी स्टॉकों का निरीक्षण करने की अनुमति दी जाती है और स्टॉक के निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप न होने पर उन्हें उसे अस्वीकार करने का अधिकार है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न किस्म के कदाचारों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम आदि के तहत शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। केन्द्रीय सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। केन्द्रीय सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वितरण सम्बन्धी आधार-ढांचे में सुधार लाने के उनके प्रयासों की अनुपूर्ति के लिए गोदामों के निर्माण और वैनों की खरीद हेतु भी वित्तीय सहायता देती है।

[हिन्दी]

रोजगार हेतु अधिनियम

73. **श्री मोहन सिंह (देवरिया)** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी विभागों में 'एक परिवार–एक बच्चा' के सिद्धान्त के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोई कानून बनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए० आर० अन्तुले) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस विषय हेतु व्यापक परामर्श और विचार-विमर्श की अपेक्षा है।

[अनुवाद]

चीनी उत्पादन के लिए प्रोत्साहन

74. **श्री राम प्रसाद सिंह** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में चीनी के उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में चीनी के उत्पादन की बृहद संभावना है;

(घ) इस उद्योग का भविष्य क्या है; और

(ङ) चीनी के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु किन-किन कदमों को उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) . देश में चीनी उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं।

1. 1995-96 मौसम के लिए गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य बढ़ाकर 42.50 रु० प्रति कुंटल कर दिया गया है, जो 8.5 प्रतिशत की मूल वसूली से जुड़ा है।
2. 1996-97 मौसम के लिए 45.90 रु० प्रति कुंटल की दर से सांविधिक न्यूनतम मूल्य की अग्रिम घोषणा भी कर दी गई है, जो 8.5% की मूल वसूली से जुड़ा है।
3. चीनी मिलों को अपने कार्य क्षेत्रों में गन्ना विकास योजनाओं को चलाने के लिए रियायती ब्याज दरों पर चीनी विकास निधि से ऋण भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

(ग) से (ङ) . अनुकूल कृषि – जलवायु होने के कारण देश के अधिकांश राज्यों में गन्ना उगाया जाता है। यद्यपि, 1994-95 के दौरान उत्पादित गन्ने का केवल 54.4% भाग चीनी उद्योग द्वारा चीनी उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया गया। इस प्रकार, अभी भी गन्ने की एक बड़ी मात्रा है, जिसका उपयोग चीनी उत्पादन के लिए नहीं किया जाता।

[हिन्दी]

प्रदूषण के कुप्रभाव

75. श्री काशीराम राणा :
श्री खेलन राम जांगड़े :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किसी प्रमुख नगर में धूम्रपान तथा वाहनों से निकले धुएं के कारण प्रदूषण के तुलनात्मक कुप्रभाव क्या पड़ते हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) तम्बाकू के धूम्रपान के व्यापक प्रतिकूल प्रभाव हैं – कैंसर, फेफड़ों की बीमारियां, कोरोनरी हृदय की बीमारी, वाहय संवाहिनी बीमारी, महिलाओं में स्ट्रोड तथा समय से पूर्व गर्भपात तथा नवजात शिशुओं का जन्म के समय वजन में कमी आने के जोखिम बढ़ जाते हैं। नाइट्रोजन के आक्साइडों और निलंबित धूलकण पदार्थों जैसे प्रमुख याानीय प्रदूषक तत्वों का स्वास्थ्य पर व्यापक प्रभाव पड़ना है – श्वसन सम्बन्धी बीमारियों और संक्रामण के प्रति अतिसंवेदनशीलता, कार्बन मोनाआक्साइड से तंत्रिका व्यवहार सम्बन्धी कार्य प्रभावित हो सकते हैं और भ्रूण को जोखिम हो सकता है। सीसे के कणों से बच्चों का सामान्य बौद्धिक विकास और सीखने की क्षमता में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। आटोमोटिव ईंधन से बजीन जैसे कतिपय अस्थिर कार्बनिक घटक केंसरजनिक होते हैं। तथापि, धूम्रपान और वाहनों से उत्पन्न प्रदूषक तत्वों के कारण स्वास्थ्य प्रभावों में तुलना करना कठिन है।

(ख) देश में यानीय उत्सर्जनों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :–

1. परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक तैयार किए गए हैं।
2. परिवेशी वायुगुणवत्ता निगरानी केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।
3. वाहनों से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण के लिए केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत पेट्रोल और डीजल दोनों से चलने वाले वाहनों के लिए उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं और इनको 1990 से कार्यान्वित किया जा रहा है।
4. भूतल परिवहन मंत्रालय ने विभिन्न राज्य परिवहन निदेशालयों को इन मानकों को लागू करने की सलाह दी है।
5. वाहनों से होने वाले प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए विभिन्न उपायों के सम्बन्ध में जन जागरूकता अभियान चलाए गए हैं।
6. केन्द्रीय मोटर वाहन नियम के तहत सितम्बर, 1993 में यानीय उत्सर्जनों के लिए अधिक सख्त मानदण्ड अधिसूचित किए गए है जो 1 अप्रैल, 1996 से लागू होंगे।
7. मोटर गाड़ी विनिर्माताओं, से अपनी प्रौद्योगिकी को विकसित और उन्नत बनाने को कहा गया है ताकि वे वाहनों से हाने वाले उत्सर्जनों के लिए बनाए गए अधिक सख्त मानकों को पूरा कर सकें।
8. नगर नियोजकों को सलाह दी गई है कि वे अपनी योजनाओं में नगर परिवहन की दीर्घकालिक जरूरतों को भी शामिल करें।
9. बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास के चार महानगरों में पंजीकृत किए जाने वाले नए वाहनों के लिए एक अपेक्षा के रूप में कैटेलिकटिक कन्वर्टस और सीसा रहित पेट्रोल की शुरूआत की गई है।

कैंसर का पता लगाया जाना

76. श्री पंकज चौधरी :
श्री रामपाल सिंह :
श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैंसर का पता लगाने के लिए एक नया उपकरण हाल ही में विकसित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उपकरण के कब तक प्रयोग में लाए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए० आर० अन्तुले) : (क)जी, नहीं।

(ख) और (ग) . ये प्रश्न नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम की शाखाएं

77. **डॉ0 रमेश चन्द तोमर :**
श्री रामपाल सिंह :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम की इस समय कितनी शाखाएं हैं;

(ख) प्रत्येक शाखा में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ग) क्या सरकार को राज्य में और शाखाएं खोलने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम का एक क्षेत्रीय कार्यालय, दो उप-क्षेत्रीय कार्यालय और 23 जिला कार्यालय हैं।

(ख)

शाखा कार्यालय	प्रत्येक शाखा के अधीन कार्यरत कर्मचारियों की संख्या
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ	435
उप-क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद	20
उप-क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद	5
जिला कार्यालय, हापुड़	611
जिला कार्यालय, बुलन्दशहर	334
जिला कार्यालय, मुरादाबाद	392
जिला कार्यालय, बरेली	437
जिला कार्यालय, लखनऊ	488
जिला कार्यालय, फैजाबाद	378
जिला कार्यालय, सीतापुर	293
जिला कार्यालय, शाहजहांपुर	163
जिला कार्यालय, गोंडा	117
जिला कार्यालय, बांदा	175
जिला कार्यालय, आजमगढ़	190
जिला कार्यालय, गाजीपुर	76
जिला कार्यालय, इलाहाबाद	444
जिला कार्यालय, कानपुर	753
जिला कार्यालय, वाराणसी	358
जिला कार्यालय, झांसी	360
जिला कार्यालय, आगरा	513
जिला कार्यालय, हलदानी	559
जिला कार्यालय, गोरखपुर	368
जिला कार्यालय, देहरादून	127
जिला कार्यालय, श्रीनगर	101
जिला कार्यालय, अलीगढ़	504
जिला कार्यालय, सहारनपुर	280

(ग) और (घ) . जी, हां। देवरिया में भारतीय खाद्य निगम का जिला कार्यालय खोलने से सम्बन्धित जो प्रस्ताव प्राप्त हुआ है उस पर निगम द्वारा विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

चिकित्सा सुविधाएं

78. **श्री राजेश कुमार :**
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के प्रति व्यक्ति चिकित्सा सुविधा खर्च अन्य एशियाई देशों में किए जाने वाले चिकित्सा खर्च की तुलना में काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो आम जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंन्त्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए० आर० अन्तुले) : (क) कुछ एशियाई देशों में वर्ष 1990 में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) स्वास्थ्य मुख्यतया राज्य का विषय है, लेकिन केन्द्र ऐसे सभी विवेचित क्षेत्रों में तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिनसे स्वास्थ्य सेवाएं और रोग नियंत्रण प्रभावित होता है। व्यापक

सम्बर्धनात्मक, निवारक और उपचारात्मक तथा पुन: स्थापनात्मक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं जो कि देश भर में जिला और राज्य स्तरीय अस्पतालों के साथ-साथ स्थापित किए गए हैं। देश भर में कई संचारी और गैर-संचारी रोग नियंत्रण/उन्मूलन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान प्रणाली के लिए आवश्यक चिकित्सा और परिचिकित्सा कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न संस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं में प्रयास किए गए हैं। शिशु जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम पर, जिसमें टीकाकरण भी शामिल है, बल दिया जा रहा है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए जैव-चिकित्सीय अनुसंधान सुविधाओं में वृद्धि की गई है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को अन्य विभागों के साथ अन्तर क्षेत्रीय समन्वय तथा स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों तथा निजी क्षेत्रों को शामिल करने के प्रयास किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए बहु-पक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से भी निधियां जुटाई जा रही हैं।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (केन्द्रीय, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सहित) के लिए आवंटित निधियां इस प्रकार हैं :–

(करोड़ रुपये)

(1)	स्वास्थ्य	7582.19
(2)	परिवार कल्याण	6500.00

विवरण

वर्ष 1990 में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय अमरीकी डालर में

देश		
1.	मलेशिया	71
2.	थाइलैंड	72
3.	चीन	11
4.	श्रीलंका	18
5.	इंडोनेशिया	12
6.	पाकिस्तान	12
7.	भारत	21
8.	बंगलादेश	7
9.	नेपाल	7

स्रोत : दि वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट 1995-ब्रिजिंग दि गेप

"एक बच्चे का परिवार" सम्बन्धी मानक

79. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कानून के अन्तर्गत महिला और पुरुषों के लिए विवाह योग्य आयु को बढ़ाने तथा "दो बच्चों का परिवार" के स्थान पर "एक बच्चे का परिवार" मानक को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए० आर० अन्तुले) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सामाजिक जागरूकता बढ़ाकर विवाह की आयु बढ़ाने के उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है।

[हिन्दी]

आयुर्वेद में अनुसंधान

80. श्री बी० एल० शर्मा 'प्रेम' : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मधुमेह के उपचारार्थ दवाइयों की खोज करने के लिए आयुर्वेद में अनुसंधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) आयुर्वेद में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय चिकित्सा प्रणाली तथा होम्योपैथी विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) जी हां। मधुमेह का मुकाबला करने के लिए निम्नलिखित औषधियों के तीन विभिन्न समूहों पर परीक्षण किए जा रहे हैं।

(एक) आयुष 82 चूर्ण

(दो) चन्द्रप्रभा वटी

(तीन) मेथिका चूर्ण

(ग) भारत सरकार ने आयुर्वेद और सिद्ध में वैज्ञानिक आधार पर प्रतिपादन, समन्वयन, विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद् की स्थापना की है, जो एक स्वायत्त निकाय है।

[अनुवाद]

आयुर्वेदिक अस्पताल

81. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विजयवाड़ा में डॉ० एन.आर.एल. सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल में बहिरंग विभाग बनाने के लिए धनराशि स्वीकृत करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय चिकित्सा प्रणाली तथा होम्योपैथी विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार ने वर्ष 1994-95 के दौरान 20 लाख रुपये का अनुदान मंजूर किया है और इस अनुदान की पहली किस्त 1994-95 में ही विमुक्त की जा चुकी है। कालेज को पहले दिए गए अनुदान के समुपयोजन प्रमाण-पत्र मिल जाने के पश्चात् ही अनुदान की अगली किस्त विमुक्त की जाएगी।

[हिन्दी]

रक्त बैंक

82. **श्रीमती शीला गौतम :**
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्त के नमूनों को एकत्र करने, इसके 'लेवलिंग' को सुरक्षित रखने तथा इसके परिवहन के लिए कोई समान मानक कार्य प्रणाली तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी क्षेत्रीय रक्त परीक्षण केन्द्रों विशेषत: वाणिज्यिक रक्त बैंकों में एच.आई.वी. की जांच हेतु पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(घ) वाणिज्यिक रक्त बैंकों द्वारा पेशेवर रक्तदाताओं के लिए रक्तों की आपूर्ति से पूर्व यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है कि इनमें एच.आई.वी. के जीवाणु नहीं हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए0 आर0 अन्तुले) : (क) जी हां।

(ख) औषध एवं प्रसाधन नियम, 1945 का भाग XII-ख, रक्त बैंकों के लिए विभिन्न मानक और अपेक्षएं निर्धारित करता है। महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं ने भी रक्त बैंकों और रक्ताधान सेवाओं के लिए मानक प्रकाशित किए हैं।

(ग) और (घ) . विनियामक तन्त्र कड़े कर दिए गए हैं और अब रक्ताधान के लिए रक्त परीक्षण करके एच.आई.वी. और अन्य संचारी रोगों से मुक्त होने पर ही जारी किया जा सकता है। सरकार ने 154 क्षेत्रीय रक्त परीक्षण केन्द्र स्थापित किए हैं तथा सरकार, प्राइवेट और स्वैच्छिक सैक्टर में अवस्थित रक्त बैंकों को संयोजन उपलब्ध कराए गए हैं। जिला स्तर के रक्त बैंकों में द्रुत एच.आई.वी. परीक्षण कीटें भी उपलब्ध कराई गई हैं। रक्त बैंकों से अपेक्षित है कि वे रक्त पात्र के लेबल पर एच.आई.वी. परीक्षण का परिणाम दर्शाएं।

[अनुवाद]

राजस्थान की लम्बित परियोजनाएं

83. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :**
श्री कुन्जी लाल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान की कौन-कौन सी विद्युत, सिंचाई, औद्योगिक और अन्य विकास परियोजनाएं पर्यावरणीय और वानिकी दृष्टि से स्वीकृति हेतु लम्बित हैं;

(ख) ये परियोजनाएं कब से लम्बित हैं, और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) . एक विवरण संलग्न है।

(ग) परियोजना प्रस्तावकों से सभी अपेक्षित सूचना और संगत ब्यौरों की प्राप्ति तारीख से 90 दिन की निर्धारित समय अवधि के भीतर परियोजना की स्वीकृतियों सम्बन्धी अंतिम निर्णय लिया जाता है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कब से लंबित है	लंबित के कारण
1.	2	3	4
(क) पर्यावरणीय स्वीकृति			
1.	मैसर्स डी फर्मा लि० का ए-1128 औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में बल्क ड्रग संयंत्र	जून, 1995	कार्रवाई चल रही है।
2.	मैसर्स ग्रेफाइट इंडिया लि० का नीमबहेड़ा, राजस्थान में 1.0 एम टी पी ए सीमेंट संयंत्र	जून, 1995	कार्रवाई चल रही है।
3.	मैसर्स केडिया डेल्लन इंडस्ट्रीज लि० का अलवर जिले में ग्रेन बेस्ड ग्लटन स्टार्च और स्प्रिट परिसर	जून, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।

1.	2.	3.	4.
4.	बिड़ला जूट इंडस्ट्रीज लि० का चित्तौड़गढ़ में 1.2 एम टी पी ए सीमेंट यूनिट	अगस्त, 1995	प्रस्तावित स्थल दिशानिदेशों के अनुरूप नहीं है।
5.	मैसर्स बिनानी जिंक लि० का बिनानी ग्राम सिरोही में सीमेंट संयंत्र	सितम्बर, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
6.	मैसर्स पाम ड्रग्स पंड फार्मास्यूटिकल लि० का मिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में बल्क ड्रग संयंत्र	अक्तूबर, 1995	कार्रवाई चल रही है।
7.	मैसर्स हिन्दुस्तान कापर लि० द्वारा खेतड़ी कापर कम्प्लेक्स में 31000 से 10,000 तक तांबा प्रगालक का विस्तार	जनवरी, 1996	कार्रवाई चल रही है।
8.	कोटा में 1 × 210 मेगावाट ताप विद्युत केन्द्र चरण-4 यूनिट 6	जनवरी, 1996	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
9.	मैसर्स राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि० का झमरकोटरा इंटिग्रेटेड प्रोजेक्ट	फरवरी, 1994	कार्रवाई चल रही है।
10.	मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि० वाल्डा टंगस्टन फ्लोराइट	फरवरी, 1994	कार्रवाई चल रही है।
11.	मैसर्स बिनानी सीमेंट लि० (सिरोही जिला) अमली एण्ड ठंडीबेरी लाइम स्टोन माइन	जनवरी, 1995	कार्रवाई चल रही है।
12.	मैसर्स श्री सीमेंट्स लि० का लाइम स्टोन माइन	जुलाई, 1995	कार्रवाई चल रही है।
13.	बागधर शिप्सम माइनिंग प्रोजेक्ट आर एस एम एम	नवम्बर, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
14.	मैसर्स आर एस एम एम चंदेरी जिप्सम माइनिंग	नवम्बर, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
15.	मैसर्स आर एस एम एम महिला की धानी जिप्सम माइनिंग प्रोजेक्ट	नवम्बर, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
16.	मैसर्स आर एस एम एम ललनिया जिप्सम माइनिंग प्रोजेक्ट	नवम्बर, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
17.	मैसर्स आर एस एम एम लखेड़ा-2 जिप्सम माइनिंग	नवम्बर, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतिक्षा है।
18.	मैसर्स आर एस एम एम खरसंडी जिप्सम माइनिंग प्रोजेक्ट	नवम्बर, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
19.	मैसर्स आर एस एम एम दिल्ली जिप्सम माइनिंग प्रोजेक्ट	नवम्बर, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
20.	मैसर्स आर एस एम एम आनंदगढ़ जिप्सम माइनिंग प्रोजेक्ट	नवम्बर, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
21.	मैसर्स आर एस एम एम बल्लार-2 जिप्सम माइनिंग प्रोजेक्ट	नवम्बर, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
22.	मैसर्स आर एस एम एम अशुवालीतालई जिप्सम माइनिंग प्रोजेक्ट	नवम्बर, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
23.	मैसर्स आर एस एम एम अक्सर जिप्सम माइनिंग प्रोजेक्ट	नवम्बर, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
24.	मैसर्स आर एस एम एम नचना जिप्सम माइनिंग प्रोजेक्ट	नवम्बर, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
25.	मैसर्स आर एस एम एम मीरगढ़ जिप्सम माइनिंग प्रोजेक्ट	नवम्बर, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
26.	मैसर्स राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लि०, जिप्सम माइनिंग प्रोजेक्ट (जिला बीकानेर)	जनवरी, 1996	कार्रवाई चल रही है।
27.	मैसर्स आर एस एम डी सी एल जिप्सम माइनिंग प्रोजेक्ट (जिला बाडकेर)	जनवरी, 1996	कार्रवाई चल रही है।
28.	मैसर्स आर एस एम डी सी एल जिप्सम माइनिंग प्रोजेक्ट (जिला हनुमानगढ़)	जनवरी, 1996	कार्रवाई चल रही है।
29.	मैसर्स आर एस एम डी सी एल जिप्सम माइनिंग प्रोजेक्ट (जिला जैसलमेर)	जनवरी, 1996	कार्रवाई चल रही है।
30.	मैसर्स आर एस एम डी सी एल जिप्सम माइनिंग प्रोजेक्ट (जिला नागौर)	जनवरी, 1996	कार्रवाई चल रही है।
31.	मैसर्स आर एस एम डी सी एल जिप्सम माइनिंग प्रोजेक्ट (जिला चुरू)	जनवरी, 1996	कार्रवाई चल रही है।
32.	मैसर्स आर एस एम डी सी एल जिप्सम माइनिंग प्रोजेक्ट (जिला श्री गंगानगर)	जनवरी, 1996	कार्रवाई चल रही है।
33.	मैसर्स आर एस एम डी सी एल जिप्सम माइनिंग प्रोजेक्ट (जिला जालौर)	जनवरी, 1996	कार्रवाई चल रही है।
34.	बिसालपुर सिंचाई परियोजना सिंचाई विभाग	जनवरी, 1994	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
	(ख) वानिकी स्वीकृति		
35.	केला देवी से करनलूर (सवाई माधोपुर जिला) तक सड़क का निर्माण क्षेत्रफल 36 हेक्टेयर	दिसम्बर, 1995	कार्रवाई चल रही है।
36.	उदयपुर जिले में रावत बोर एम आई प्रोजेक्ट का निर्माण, 4.59 हेक्टेयर	जनवरी, 1996	कार्रवाई चल रही है।

केरल में सामाजिक वानिकी

84. प्रो0 सावित्री लक्ष्मणन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93, 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान केरल में अब तक विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्रयोजनार्थ प्राप्त वित्तीय अनुदान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लक्ष्य की प्राप्ति में गिरावट का रुख देखा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौर क्या है और इसके कारण क्या हैं ?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) . केरल में विश्व बैंक की सहायता प्राप्त एक सामाजिक वानिकी परियोजना 31 मार्च, 1993 से कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना के तहत कुल 1,12,373 हे० क्षेत्र में पौधरोपण किया गया। यह परियोजना 89.69 करोड़ रुपये की लागत पर कार्यान्वित की गई।

(ग) और (घ) . पौधरोपण किया गया कुल क्षेत्र लक्ष्य से लगभग 12% कम था जिसका मुख्य कारण फार्म वानिकी के तहत कम कवरेज और बड़े ब्लाक में पौधे रोपण किया जाना है।

कमियों का मुख्य कारण यह है कि इस अभियान के तहत प्रदान की गई वृक्ष प्रजातियां वाणिज्यिक प्रजातियों के लिए किसानों की तरजीह से भिन्न थीं।

मेडिकल सेक्टर में सुधार

85. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 जनवरी, 1996 के पायोनियर में "रेडिकल चेन्जेज इन गर्वनमेन्ट मेडिकल सेक्टर फेवर्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार समाज के निर्धन और वंचित वर्गों को चिकित्सा सुविधाओं का लाभ दिलाने के लिए चिकित्सा सुधारों में बदलाव लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए० आर० अन्तुले) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) . स्वास्थ्य राज्य का विषय है। तथापि, केन्द्रीय सरकार द्वारा संचारों और गैर-सरकारी बीमारियों के उन्मूलन और नियंत्रण के लक्ष्यों वाले कार्यक्रमों के द्वारा गरीबों तक जन स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रयत्न किए गए हैं।

असंगत/खतरनाक औषधियों पर रोक लगाने के लिए एक अन्तर्निर्मित तंत्र है और 56 फार्मूलेशनों पर पहले ही प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। राष्ट्रीय कार्यक्रमों की औषधियों अनिवार्य औषधियों में शामिल हैं और जरूरत मंद जनता तक उनकी उपलब्धता और पहुंच को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

मिट्टी के तेल के विक्रेता

86. श्री मोहन रावले : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मिट्टी के तेल के विक्रेता रसोई गैस उपभोक्ताओं को मिट्टी के तेल की सप्लाई करने से यह कह कर इंकार कर रहे हैं कि उन्हें मिट्टी के तेल का पूरा कोटा नही मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) ऐसे किरोसीन तेल विक्रेताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है जो रसोई गैस उपभोक्ता राशन कार्डधारकों को सरकारी आदेशों के विपरीत किरोसीन तेल की सप्लाई करने से इंकार करते हैं ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) से (घ) . केन्द्रीय सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिट्टी के तेल का थोक में आवंटन करती है। खुदरा वितरण, हकदारी के मानदंड आदि जैसी प्रचलनात्मक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। केन्द्रीय सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह देती रही है कि वे घरेलू रसोई गैस के उपभोक्ताओं, विशेषकर दो सिलिण्डर धारियों को मिट्टी के तेल की आपूर्ति रोकने पर विचार करें ताकि पात्र लोगों की आवश्यकताओं की पर्याप्त रूप में पूर्ति की जा सके।

[अनुवाद]

सी०जी०एच०एस० की समीक्षा

87. श्री लाल बाबू राय :
श्री राम कृपाल यादव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी०जी०एच०एस०) के कार्यकरण की समीक्षा नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त समीक्षा कब तक कराए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए० आर० अन्तुले) : (क) मानव संसाधन विकास पर संसदीय स्थाई समिति ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कार्यकरण की पुनरीक्षा की है और सरकार ने उनकी सिफारिशों पर जहां व्यवहार्य था, कार्यवाही भी शुरू कर दी है। राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने भी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कार्यकरण की पुनरीक्षा की है जो उन्हें सरकार के निर्देश पर सौंपा गया था।

(ख) और (ग) . ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

वन भूमि का आवंटन

88. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने मैसूर के निकट चामुंडा हिल्स पर उच्च शक्ति प्रसारण की क्षमता वाले दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना हेतु वन भूमि के एक छोटे भाग को आवंटित करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो कितनी भूमि की मांग की गई है;

(ग) सरकार को यह प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त भूमि के आवंटन की स्वीकृति दे दी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह स्वीकृति कब तक दिए जाने की संभावना है ?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) . मैसूर जिले में उच्च शक्ति ट्रांसमीटर परियोजना तक सम्पर्क मार्ग के लिए 0.12 हे० वन क्षेत्र के इस्तेमाल का एक प्रस्ताव 16.1.1996 को कर्नाटक सरकार से इस मंत्रालय के बंगलौर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में प्राप्त हुआ था।

(घ) और (ङ) . इस प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन 17.1.1996 को प्रदान किया गया।

परिवार कल्याण योजनाओं पर मूल्यांकन रिपोर्ट

89. श्री चित्त बसु : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब तक परिवार कल्याण योजनाएं तैयार कर ली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस पर कोई मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए० आर० अन्तुले) : (क) और (ख) . परिवार कल्याण कार्यक्रम को 1951 से कार्यान्वित किया जा रहा है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के फलस्वरूप, जन्म दर 1951-61 में 41.7 से घटकर 1994 में 28.6 रह गई है। कुल प्रजनन दर 1951-61 में 5.97 से घटकर 1993 में 3.5 रह गई है। शिशु मृत्यु दर 1951-61 में 146 से कम होकर 1994 में 73 हो गई है। अनुमान है कि परिवार कल्याण के परिणामस्वरूप मार्च, 1995 तक 182.76 मिलियन जन्मों को रोका गया है।

(ग) परिवार कल्याण विभाग ने लगभग 90 हजार परिवारों के नमूना आकार के आधार पर एक राष्ट्र व्यापार राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण शुरू किया था। इस सर्वेक्षण ने यह निष्कर्ष निकाला है कि देश में परिवार नियोजन की जानकारी 95% से अधिक है लेकिन विवाहित दम्पतियों द्वारा गर्भ निरोधक का उपयोग केवल लगभग 40% है। इस सर्वेक्षण से यह भी पता चला है कि ऐसी काफी अधिक जनसंख्या है जो गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल करना चाहती है लेकिन ऐसा नहीं कर रही है।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में चावल की बोरियां

90. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में भातीय खाद्य निगम के गोदामों में चावल की कुछ बोरियां पिछले दो वर्षों से पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में स्थिति क्या है;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम कतिपय राज्य सरकारों से घटिया स्तर के इस चावल को उठाने के लिए कह रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या यह चावल खाने योग्य है;

(च) इस चावल का पहले उपयोग न करने और इसे खाने योग्य न छोड़ने के क्या कारण हैं; और

(छ) उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) गुजरात क्षेत्र में दिनांक 31.1.96 की स्थिति के अनुसार दो वर्ष से अधिक पुराने चावल की मात्रा निम्नानुसार थीं :–

2 से 3 वर्ष	52898 मीटरी टन
3 से 4 वर्ष	45517 मीटरी टन
जोड़	98415 मीटरी टन

(ग) और (घ) . जी, नहीं। राज्य सरकारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण के लिए विनिर्दिष्टियों के अनुरूप ही स्टाक जारी किया जाता है।

(ङ) गुजरात क्षेत्र में दो वर्ष से अधिक पुराने चावल की कुल 98415 मीटरी टन की मात्रा में से केवल 2028 मीटरी टन की मात्रा 'ग' श्रेणी की है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केवल 'क' और 'ख' श्रेणी का चावल ही जारी किया जाता है। 'ग' श्रेणी का चावल निविदा के जरिए बेचा जाता है।

(च) राज्य सरकारों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन कम उठान किए जाने के कारण गुजरात क्षेत्र में दो वर्ष से अधिक पुराने चावल का स्टाक जमा हो गया है। अप्रैल, 1995 से दिसम्बर, 1995 तक आवंटित मात्रा और राज्य सरकारों द्वारा उठाई गई मात्रा को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

गुजरात क्षेत्र में चावल के उठान को दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े मीटरी टन में)

माह	आवंटित मात्रा	उठान की गई मात्रा
अप्रैल, 1995	34,500	11,200
मई, 1995	34,500	18,700
जून, 1995	34,500	18,600
जुलाई, 1995	34,500	15,500
अगस्त, 1995	34,500	14,400
सितम्बर, 1995	34,500	19,100
अक्तूबर, 1995	34,500	12,000
नवम्बर, 1995	34,500	18,100
दिसम्बर, 1995	34,500	17,200
जोड़	3,10,500	1,44,800

राज्यों द्वारा चीनी का निर्यात

91. **श्री एन०जे० राठवा** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ राज्य सरकारों से चीनी को अन्य देशों को निर्यात करने की अनुमति देने के सम्बन्ध में अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) चीनी निर्यातक राज्यों के नाम क्या हैं तथा ये किन-किन देशों को चीनी का निर्यात करने का प्रस्ताव कर रहे हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, निर्यात, भारतीय चीनी तथा सामान्य उद्योग निर्यात आयात निगम लिमिटेड (आई.एस.जी.आई.ई.आई.सी.), जो चीनी निर्यात संवर्द्धन अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अधीन एक अधिसूचित निर्यात एजेन्सी है, के द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार किसी अन्य एजेन्सी को चीनी निर्यात की अनुमति नहीं दी जा सकती। यद्यपि, निर्यात एजेन्सी के आग्रह पर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पांडिचेरी, कर्नाटक तथा केरल राज्यों में स्थित कुछ चीनी मिलों द्वारा निर्यात के लिए चीनी रिलीज की गई है। चीनी, मालदीव, सोमालिया, लन्दन, फ्रांस, इरीट्रिया, रूस, श्रीलंका तथा इंडोनेशिया आदि देशों को निर्यात की जा रही है।

[अनुवाद]

गुजरात की समेकित वानिकी परियोजना

92. **श्री रतिलाल वर्मा** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या गुजरात सरकार ने समेकित वानिकी परियोजना चरण-तीन को विश्व बैंक से स्वीकृति प्रदान कराने के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त परियोजना को विश्व बैंक से स्वीकृति मिल गई है;

(ग) यदि हां, तो कब और उक्त परियोजना के अन्तर्गत अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस समय प्रस्ताव किस चरण में लंबित है ?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) . गुजरात सरकार से प्राप्त समन्वित वानिकी, परियोजना चरण-3 को विश्व बैंक की वित्तीय सहायता के लिए भेजा गया था किन्तु उसने इसको स्वीकार नहीं किया। बाद में यह परियोजना ओवरसीज इकोनामिक को-आपरेशन फण्ड, जापान को भेजी गई जिसने परियोजना को सहायता देने के लिए सहमति दे दी है। ओवरसीज इकोनामिक को-आपरेशन फण्ड और भारत सरकार के बीच इस सम्बन्ध में ऋण करार 12 जनवरी, 1996 में हस्ताक्षर किए गए।

वन्य प्राणी/पक्षी अभयारण्य

93. श्री बलराज पासी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की उत्तर प्रदेश में एक वन्य प्राणी/पक्षी अभयारण्य विकसित करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) क्या सरकार को अन्य राज्यों से भी ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय उद्यानों और पक्षी अभयारण्यों सहित अभयारण्यों के विकास के लिए राज्यों के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं और "राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों का विकास" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत निधियां प्रदान की जाती हैं। प्रधानतः पक्षी वासस्थलों वाले अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के विकास के लिए 1995-96 के दौरान अभी तक प्रदत्त निधियां के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1995-96 के दौरान अभी तक उत्तर प्रदेश के पक्षी अभयारण्यों को प्रदत्त निधियां

	अभयारण्य का नाम	लाख रु०
1.	नवाबगंज अभयारण्य	1.71
2.	समसपुर अभयारण्य	1.85
3.	विजय सागर अभयारण्य	3.53
4.	राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य	2.30
5.	सुरसरोवर अभयारण्य	5.50
6.	लख बहौसी अभयारण्य	5.50
7.	समन अभयारण्य	3.55
8.	सुरहताल अभयारण्य	2.50
9.	ओखला अभयारण्य	11.45
	कुल	37.89

1995-96 के दौरान अभी तक अन्य राज्यों के पक्षी अभयारण्यों/राष्ट्रीय उद्यानों को प्रदत्त निधियां

	राज्य का नाम	लाख रु०
1.	आन्ध्र प्रदेश	14.32
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.37
3.	गुजरात	2.25
4.	हरियाणा	2.79
5.	हिमाचल प्रदेश	2.75
6.	कर्नाटक	12.25
7.	मध्य प्रदेश	4.35
8.	महाराष्ट्र	1.75
9.	उड़ीसा	14.45
10.	पंजाब	0.28
11.	राजस्थान	35.415
12.	तमिलनाडु	4.02
	कुल	96.995

एड्स नियंत्रण

94. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से बच्चे एड्स रोग से ग्रस्त पाए गए हैं;

(ख) क्या 'नाको' द्वारा शिशु अस्पतालों में एड्स रोग के मामलों पर निगरानी रखी जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो 'नाको' के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) जी, हां।

(ख) नाको ने बाल चिकित्सा यूनिटों सहित अस्पतालों के लिए एड्स रोगियों का विवरण भेजने के लिए एक प्रोफार्मा विकसित किया है।

(ग) 31 जनवरी, 1996 तक देश में सूचित किए गए 2312 एड्स रोगियों में से 35 रोगी शिशु आयु समूह में से हैं। ये हैं दिल्ली में 27, मद्रास में 7 और बम्बई में एक।

एड्स नियंत्रण

95. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन का पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एन.ए.सी.ओ. देश में एड्स को फैलने से रोकने में विफल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो एड्स-रोधी कार्यक्रम के लिए नई नीतियों एवं निदेशों के निर्धारण हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए०आर० अन्तुले) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) . चूंकि एच.आई.वी./एड्स के उपचार हेतु कोई दवा या वैक्सीन नहीं है, इसलिए एच.आई.वी./एड्स के प्रसार की रोकथाम करने का एक ही उपाय है और वह इनके बारे में जनजागरूकता पैदा करना है। प्रेस, रेडियो, दूरदर्शन, पोस्टरों जैसे सभी संचार माध्यमों के जरिए और गैर सरकारी संगठनों, छात्रों, उद्योगों आदि को सम्मिलित करते हुए यह काम पहले से ही किया जा रहा है। परिणामतः एच.आई.वी./एड्स सम्बन्धी मुद्दे चिकित्सा क्षेत्रों से निकलकर व्यापक रूप में समाज के दूसरे प्रमुख वर्गों अर्थात् सामाजिक विज्ञानियों, विधिवेता, विधानमंडलों और जनता के बीच आ गए हैं। लोग सार्वजनिक रूप से एड्स विषय चर्चा करने से नहीं हिचकते। एड्स मामलों का नैदानिक प्रबन्ध करने के लिए चिकित्सीय, पराचिकित्सीय प्रशिक्षित कार्मिक शक्ति-नर्सों सलाहकारों का एक दल तैयार किया गया है।

सीधी भुगतान प्रणाली

96. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीधी भुगतान प्रणाली के अन्तर्गत कर्मचारियों के विभागीकरण के सम्बन्ध में भारतीय खाद्य निगम और भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी संघ के बीच कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) . दिनांक 1.11.1994 को भारतीय खाद्य निगम द्वारा भारतीय खाद्य निगम वर्कर्स यूनियन के साथ हस्ताक्षर किए गए एक समझौते के अनुसार सीधे भुगतान की प्रणाली के अधीन कार्य कर रहे 50 डिपुओं के विभागीकरण के लिए सहमति हो गई थी। इन सभी डिपुओं में विभागीकरण पहले ही हो चुका है।

मोटापा

97. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 6-7 नवम्बर, के दौरान आहार सम्बन्धित पुराने विकार-सूचना का विकास शिक्षा और संचार योजनाओं से सम्बन्धित एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी जिसमें मोटापा इत्यादि सम्बन्धी मामलों पर चर्चा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में लोगों को मोटापे के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित करने और इससे बचने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या ऐसे संस्थान खोले जाने का कोई प्रस्ताव है जहां मोटापे से पीड़ित लोगों का औषधियों के जरिए या अन्य तरीके से उपचार किया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) . इस कार्यालय में आहार से सम्बन्द्ध स्वास्थ्य विकृतियों के निवारण और नियंत्रण में आहार सम्बन्धी आदतों की भूमिका पर विचार-विमर्श किया गया था। उपयुक्त आहार की आदतों पर उपयुक्त सूचना, शिक्षा एवं संचार सामग्री की आवश्यकता पर बल दिया गया। स्वास्थ्य के रख-रखाव और मोटापे आदि से बचने के लिए योग और अन्य शारीरिक व्यायामों की भूमिका पर भी बल दिया गया।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

इन्टरनेशनल स्टेन्डर्ड आर्गेनाइजेशन लेबल

98. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक भारतीय कम्पनियों ने इन्टरनेशनल स्टेन्डर्ड आर्गेनाइजेशन (आई.एस.ओ.) 9000 लेबल को नए सिरे से बनाने और निर्धारित करने की मांग की है;

(ख) क्या 1994 के पश्चात् बदलती बाजार जरूरतों को पूरा करने के लिए मानकों को अद्यतन बनाने में कोई सफलता नहीं मिली है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या ये मानक प्रबंधन कार्यों जैसे वित्त, प्रशासन, सहायता सेवाओं, विपणन/बिक्री, औद्योगिक सम्बन्धों और उत्पादकता सम्बन्धी आवश्यकताओं पर खरे नही उतरते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आई.एस.ओ. लेवल को पुनः बनाने/निर्धारित करने का है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (नागरिक आपूर्ति विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) सरकार को इस बारे मे कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) आई.एस.ओ. 9000 श्रंखला के मानकों को 1994 से अद्यतन/संशोधित नही किया गया है।

(ग) यह अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आई.एस.ओ.) की अधिकारिता में आता है।

(घ) मानकों की आई०एस०ओ० 9000 श्रृंखला, जिस रूप में गुणवत्ता प्रणाली प्रमाणन पर लागू है, के तहत अन्यों के साथ-साथ डिजाइन, विकास, उत्पादन, संस्थापन और सर्विसिंग में गुणवत्ता आश्वासन के घटक तथा साथ ही गुणवत्ता प्रबन्ध कार्य, जिनमें प्रबन्धन जिम्मेदारी, करार समीक्षा, खरीदारी, प्रक्रिया नियंत्रण, उपचारात्मक तथा निवारक कार्रवाईयां शामिल हैं, आते हैं। इसके अलावा आई०एस०ओ० 9004-1 में गुणवत्ता प्रणाली के लिए वित्तीय विचार के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

(ङ) आई.एस.ओ. लेबल को पुनः तैयार करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

99. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का वर्ष 1995-96 का वार्षिक बजट कितना है;

(ख) 1995 में इसमें कितने मेडिकल ग्रज्युऐट अध्ययनरत थे;

(ग) 1995 में कितने मेडिकल पोस्ट ग्रेज्युऐट इस संस्थान में अध्ययनरत थे;

(घ) इस वर्ष के दौरान कितने बहिरंग रोगियों का उपचार किया गया;

(ङ) उक्त वर्ष के दौरान कितने अन्तरंग रोगियों को यहां भर्ती करके उपचार किया गया;

(च) इस अस्पताल में कितने विस्तरों का व्यवस्था है;

(छ) इस अस्पताल में औसतन कितने बिस्तर भरे रहते हैं; और

(ज) 1995 के दौरान राज्यवार अथवा क्षेत्रवार क्रमशः कितने-कितने बहिरंग और अन्तरंग रोगियों का उपचार किया गया ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का वार्षिक बजट नॉन प्लान के अन्तर्गत 66.29 करोड़ रुपये और प्लान के अन्तर्गत 49.75 करोड़ रुपये है।

(ख) दिसम्बर, 1995 तक दर्ज चिकित्सा स्नातक पूर्व छात्रों की संख्या 303 है।

(ग) 341 दिसम्बर, 1995 तक।

(घ) 14, 22, 123

(ङ) 70, 626

(च) 1560

(छ) 81.4%

(ज) 1995 के दौरान उपचार किए गए अन्तरंग रोगियों की संख्या इस प्रकार है :–

दिल्ली	39, 871
पंजाब	1, 123
राजस्थान	1, 152
उत्तर प्रदेश	11, 505
हरियाणा	7, 676
बिहार	916
अन्य राज्य	8007
अन्य देश	370

बहिरंग रोगियों का राज्यवार ब्यौरा नहीं रखा जाता।

[हिन्दी]

शिशु जीवन रक्षा योजना

100. श्री मंजय लाल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार राज्य में शिशु जीवन रक्षा योजना में हो रही अनियमितताओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार सरकार के कुछ कर्मचारी यूनीसेफ द्वारा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध कराए जा रहे 'किट' स्वीकार नहीं कर रहे हैं जबकि ये किट ब्लेक मार्केट में उपलब्ध है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) बिहार में कितने "फर्स्ट रेफरल यूनिट हास्पीटल" चल रहे हैं और इन अस्पतालों को स्थापित करने का क्या मानदण्ड हैं; और

(च) उन चिकित्सकों के विरुद्ध क्या कार्रवाही की गई है जो इन अस्पतालों में कार्य करने को तैयार नहीं हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) और (ख) सरकार को बिहार में शिशु जीवनरक्षा कार्यक्रम में अनियमितताओं के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार को न तो बिहार सरकार के कुछेक अधिकारियों द्वारा किटें स्वीकार न किए जाने के बारे में यूनीसेफ से कोई शिकायत मिली है और न ही काले बाजार में इन किटों की बिक्री के बारे में राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट मिली है।

(ङ) बिहार में शिशु जीवनरक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अन्तर्गत सृदृढ़ किए जाने वाले प्रथम रेफरल यूनिटों की संख्या 115 है। राज्य सरकार द्वारा अब तक सृदृढ़ की गई प्राथमिक रेफरल यूनिटें उप जिला प्रसवोत्तर केन्द्रों और उपयुक्त रूप से स्थित उन उप जिला स्वास्थ्य केन्द्रों में हैं जहां (क) चिकित्सा कार्मिक शक्ति उपलब्ध हैं, (ख) सेवाओं का वर्तमान समुपयोजन अधिक है (ग) आधारभूत ढांचा (भवन, बिजली व जल की आपूर्ति) उपलब्ध है।

(च) राज्य के प्राथमिक रेफरल यूनिट अस्पतालों में तैनात डाक्टर राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और काम पर न आने के लिए केवल राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई की जा सकती है।

[अनुवाद]

एड्स संक्रमण

101. श्री तारा सिंह :
श्री सत्य देव सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एड्स से पीड़ित रोगियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में 1 फरवरी, 1996 की स्थिति के अनुसार एड्स के कितने रोगियों का पता चला है और गत तीन वर्षों के दौरान एड्स से पीड़ित कितने रोगियों की मृत्यु हुई है;

(ग) क्या सरकार ने इस रोग का मुकाबला करने के लिए कोई प्रभावी कानून नहीं बनाया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस रोग का मुकाबला करने के लिए क्या तुरन्त कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां

(घ) देश में एड्स के निवारण और नियंत्रण के लिए व्यापक कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में इस समय कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की कार्यनीति में ये शामिल है:– अत्यधिक जोखिम का आचरण करने वाले समूहों और आम जनता के बीच एच.आई.वी./एड्स के बारे में जागरूकता पैदा करके आचरण में परिवर्तन करना, यौन संचारित रोगों का नियंत्रण, रक्त निदापदता और रक्त का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना, बेहतर निगरानी और एच.आई.वी./एड्स रोगियों का निदान और क्लिनिकल उपचार करना।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	1.2.96 तक सूचित एड्स/एच.आई.वी. के कारण		
	किए गए एच.आई.वी. पाजटिवों रोगियों की संख्या	मृत्यु		
		1993	1994	1995
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	215	1	--	4
2.	असम	134	1		6
3.	अरुणाचल प्रदेश	0			
4	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	87	--	--	
5.	बिहार	3			
6.	चण्डीगढ़ (संघ राज्य)				
7.	पंजाब	188	30		30
8.	दिल्ली	996	23	12	14
9.	दमन व दीव (संघ राज्य)	8			
10.	दादरा व नगर हवेली (संघ राज्य)	1			
11.	गोवा	752	8	1	
12.	गुजरात	517	3		4
13.	हरियाणा	142	3		1
14	हिमाचल प्रदेश	71		1	4
15.	जम्मू व कश्मीर	10	1		
16.	कर्नाटक	2029	9	2	
17.	केरल	180	40		10
18.	लक्षद्वीप (संघ राज्य)	5			

1	2	3	4	5	6
19.	मध्य प्रदेश	221	14	—	—
20.	महाराष्ट्र	6328	37	35	132
21.	मणिपुर	3989	6	13	7
22.	मिजोरम	65	—	—	—
23.	मेघालय	53	—	—	—
24.	नागालैंड	261	—	1	2
25.	उड़ीसा	150	—	1	16
26.	पांडिचेरी (संघ राज्य)	1638	6	—	40
27.	राजस्थान	53		—	—
28.	सिक्कम	1			—
29.	तमिलनाडु	2805	10	23	60
30.	त्रिपुरा	13	—	—	—
31.	उत्तर प्रदेश	597	6	—	4
32.	पश्चिम बंगाल	252	12	2	13
	कुल	21764	210	91	347

सार्वजनिक वितरण केन्द्र

102. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1995 की स्थिति के अनुसार देश में राज्यवार सार्वजनिक वितरण केन्द्रों की संख्या क्या है;

(ख) प्रत्येक केन्द्र द्वारा राज्यवार औसतन कितनी जनसंख्या को लाभ उपलब्ध कराया जाता है;

(ग) प्रत्येक केन्द्र द्वारा खाद्यान्न, चीनी तथा मिट्टी के तेल की औसतन कितनी वार्षिक मात्रा खुदरा में बेची जाती है;

(घ) क्या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को ही इन केन्द्रों का लाभ उपलब्ध कराने तथा उन परिवारों को जिनकी आय एक निर्धारित सीमा से ऊपर है, इस योजना से बाहर करने के लिए कोई उपाय किए गए हैं; और

(ङ) क्या निर्धारित जनसंख्या की खाद्यान्न, चीनी तथा मिट्टी के तेल तथा अन्य आम उपभोक्ता वस्तुओं की कुल आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोई उपाय किए गए हैं ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) एक विवरण संलग्न है, जिसमें देश में 31.12.95 को राज्यवार उचित दर दुकानों की संख्या दी गई है।

(ख) और (ग) . संयुक्त जिम्मेदारी के तहत केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चावल, गेहूं, चीनी, आयातित खाद्य तेल, साफ्ट/सी आई एल कोक तथा मिट्टी के तेल का थोक में आवंटन करती है। उचित दर दुकानों के तहत हाने वाली आबादी, नई उचित दर की दुकानें खोलना हकदारी के मानदंड आदि का निर्णय करने की संचालनात्मक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। केन्द्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रति 2,000 व्यक्तियों के लिए एक उचित दर दुकान का मानदण्ड अपनाने की सलाह दी है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आबादी के घनत्व, भू-भाग तथा अन्य स्थानीय कारकों को ध्यान में रखते हुए अपने मानदण्ड अलग सें बना सकते हैं। केन्द्रीय सरकार प्रत्येक उचित दर दुकान द्वारा बेची गई सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की मात्रा का ब्यौरा नहीं रखती है।

(घ) और (ङ) . केन्द्रीय सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली सभी के लिए है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का आवंटन अनुपूरक स्वरूप का होता है और ये किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की समूची आवश्यकता को पूरा करने के लिए नहीं होते हैं। संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली उन क्षेत्रों के लिए है जहां आबादी का सुविधाहीन वर्ग रहता है। केन्द्रीय सरकार संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले 1775 ब्लाकों में वितरण के लिए अभिप्रेत खाद्यन्न विशेष रूप से राज सहायता प्राप्त केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर देती है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सामान्य केन्द्रीय निर्गम मूल्यों से 50 रुपये प्रति क्विंटल कम हैं। इन क्षेत्रों में आवंटन के लिए प्रतिवर्ष खाद्यन्न की 32 लाख मी० टन अतिरिक्त मात्रा नियत की गई है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	31.12.95 को उचित दर दुकानों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	36521
2.	अरुणाचल प्रदेश	892
3.	असम	27522
4.	बिहार	51828
5.	गोवा	572
6.	गुजरात	13296
7.	हरियाणा	7210
8.	हिमाचल प्रदेश	3541
9.	जम्मू और कश्मीर	2709
10.	कर्नाटक	19313
11.	केरल	14135
12.	मध्य प्रदेश	22814
13.	महाराष्ट्र	41616
14.	मणिपुर	1958

क्रं.सं.	राज्य	31.12.95 को उचित दर दुकानों की संख्या
15.	मेघालय	3629
16.	मिजोरम	935
17.	नागालैण्ड	262
18.	उड़ीसा	24156
19.	पंजाब	11372
20.	राजस्थान	17062
21.	सिक्किम	1381
22.	तमिलनाडु	21985
23.	त्रिपुरा	1308
24.	उत्तर प्रदेश	80140
25.	पश्चिम बंगाल	20340
26.	अंडमान व निकोबार	390
27.	चंडीगढ़	326
28.	दादरा व नगर हवेली	70
29.	दमण व दीव	38
30.	दिल्ली	3521
31.	लक्षद्वीप	34
32.	पांडिचेरी	359
	देश योग	433235

बाढ़ नियंत्रण

103. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने बाढ़ पर नियंत्रण पाने हेतु केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि जारी की गई ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) . सामान्यतः केन्द्र सरकार राज्यों को बाढ़ नियंत्रण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती है। चूंकि यह राज्य का विषय है, अतः राज्यों द्वारा योजनाओं का कार्यान्वयन योजना आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई योजना निधियों से उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। योजना आयोग द्वारा उड़ीसा को वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान आवंटित निधियां क्रमशः 5.00 करोड़ रुपये, 7.00 करोड़ रुपये तथा 6.80 करोड़ रुपये थीं।

[हिन्दी]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन

104. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन के बारे में 28 नवम्बर, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 380 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों ने कार्यदल की सिफारिशों पर अपने आवश्यक विचार प्रस्तुत कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कुछ अन्य सेवाओं को भी इस अधिनियम के अन्तर्गत लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) और (ख) . विद्युत मंत्रालय को छोड़कर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से, जिन्हें संदर्भ भेजा गया था, टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं।

(ग) और (घ) . उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अनुसार किसी भी प्रकार की सेवाएं, जो किसी प्रतिफल के लिए दी/ली जाती हैं, इस अधिनियम के तहत आती हैं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना औषधालय

105. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में जार्ज टाउन स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय में बहुत अधिक अनियमितताओं का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की है;

(ग) इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) दोषियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) . ये प्रश्न नहीं उठते।

पेस मेकर

106. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) लाभार्थी को लगाए जाने वाले पेस-मेकर की कीमत की प्रतिपूर्ति हेतु कोई उच्च सीमा नियत कर दी है जो इसकी वास्तविक कीमत से काफी कम है और चाहे सम्बन्धित चिकित्सा प्राधिकारी ने पेस-मेकर की विशेष श्रेणी को आवश्यक बताते हुए सिफारिश की है और जिसे प्रतिस्पर्धात्मक कीमत पर खरीदा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ऐसी अवास्तविक कीमत नियत करने के क्या कारण हैं और यह सीमा कब निर्धारित की गई थी;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इसके कोई अपवाद रहे हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस उपकरण की कीमत की वास्तविक दृष्टि से प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु इस स्थिति की समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो यह समीक्षा कब की गई थी और इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) से (ङ) . इस समय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए पेसमेकरों की लागत की प्रतिपूर्ति की उच्च सीमा 26000/– रुपये है जो अक्तूबर, 1992 में निर्धारित की गई थी। तथापि, पेसमेकर के लिए दरों में संशोधन करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

दिल्ली में प्रदूषण

107. श्री बी.एल. शर्मा 'प्रेम' :
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :
श्री श्रीकान्त जेना :
श्री राम विलास पासवान :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वाहनों और औद्योगिक तथा विद्युत संयंत्रों से होने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण में 1994 की तुलना में 1995 के अंत में अनुमानतः कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई;

(ख) राजधानी में पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं और इन कदमों के बावजूद प्रदूषण स्तर में हुई वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) इस शहर में पर्यावरणीय प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने के लिए सरकार ने क्या नीति बनाई है ?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तरों की निगरानी करता है। उनके पास उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि उद्योगों और विद्युत संयंत्रों से होने वाले वायु प्रदूषण के स्तर में कोई उल्लेखनीय अन्तर नहीं है जबकि मोटर-गाड़ियों से होने वाले वायु प्रदूषण में 1994 की तुलना में 1995 में लगभग 15% की वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) . राजधानी में वायुमंडलीय प्रदूषण को कम करने के लिए अनेक उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :–

1. नगरों के औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय क्षेत्रों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए परिवेशी, वायु गुणवत्ता मानक अधिसूचित किए गए हैं।

2. दिल्ली में कार्बन मोनोआक्साइड, नाइट्रोजन के आक्साइड, सल्फरडाई आक्साइड आदि जैसे प्रमुख वायु प्रदूषकों की निगरानी के लिए कुल 10 वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों की स्थापना की गई है। आंकड़ों का प्रयोग वायु प्रदूषण के स्तरों के रुख का अध्ययन करने और उन पर उपशमन उपाय करने के लिए किया जाता है।

3. प्रमुख विशिष्टीकृत औद्योगिक एवं अन्य गतिविधियों के लिए स्थल चयन से पूर्व प्रभाव मूल्यांकन के आधार पर पर्यावरणीय मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

4. पर्यावरण के प्रतिकूल क्षेत्रों में स्थित उद्योगों से अनुकूल क्षेत्रों में अन्तरित होने को कहा गया है। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को भीड़भाड़ वाले इलाकों से अन्यत्र ले जाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

5. ताप विद्युत संयंत्रों से हाने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इलैक्ट्रिक प्रेसिपीटेटर स्थापित किए गए हैं और उनके कार्य निष्पादन की निगरानी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की जाती है।

6. राजधानी में वायु प्रदूषण में सबसे अधिक योगदान मोटर गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण का है। सरकार की यह कार्यनीति है कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के विभिन्न उपायों पर ध्यान केन्द्रित किया जाए। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :–

-- केन्द्रीय मोटर गाड़ी नियम, 1989 के तहत सभी श्रेणियों के वाहनों के लिए विनिर्माण स्तर पर और सड़क पर चल रहे वाहनों के लिए उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।

– मोटर गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण के लिए विनिर्माण स्तर पर अधिक बड़े मानक अधिसूचित किए गए हैं जो 1.4.1996 से लागू होंगे।

– पेट्रोल से सीसा अलग करने का एक कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रथम चरण में, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में 1.1.1996 से चार पहिए वाले सीसा रहित पेट्रोल और कैटेलिटिक कन्वर्टर्स युक्त पेट्रोल चालित वाहन शुरू किए गए हैं।

– इन चार महानगरों में इन वाहनों के प्रयोग के लिए 1 अप्रैल, 1995 से सीसा रहित पेट्रोल की आपूर्ति करने के लिए पेट्रोल पम्पों की संख्या निरन्तर बढ़ाई जा रही है।

– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार का परिवहन विभाग दिल्ली में सड़क पर चल रहे वाहनों से हो रहे उत्सर्जन को रोकने सम्बन्धी उपबन्धों को लागू कर रहा है। इस उपाय के तहत, 100 निजी पेट्रोल पम्पों और कार्यशालाओं को प्रदूषण की जांच करने की सुविधा प्रदान करने, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की ट्यूनिंग करने तथा पेट्रोल से चलने वाले वाहनों को 'नियंत्रित प्रदूषण' का प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। इसके अलावा, पेट्रोल चालित और डीजल चालित दोनों प्रकार के वाहनों से होने वाले प्रदूषण की जांच करने के लिए सुविधाए परिवहन विभाग के सभी अंचल कार्यालयों और वाहन निरीक्षण यूनिटों में उपलब्ध कराई गई हैं।

– परिवहन विभाग द्वारा मार्च, 1990 और अक्तूबर, 1995 के बीच प्रदूषण स्तरों के लिए लगभग 42 लाख वाहनों (पेट्रोल और डीजल चालित दोनों) की जांच की गई है। इसके अलावा, परिवहन विभाग द्वारा अपने गश्ती प्रवर्तन दल के जरिए स्पष्टतः प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की भी निरन्तर जांच की जा रही है। अप्रैल, 1990 और अक्तूबर, 1995 के बीच मोटर गाड़ी अधिनियम, 1989 की धारा 190 के तहत अब तक कुल 49,921 वाहनों के खिलाफ मुकद्दमा चलाया गया है। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान 1,24,480 वाहनों के फिटनेस/पीयूसी प्रमाण-पत्र रद्द किए गए ।

– पर्यावरण और वन मंत्रालय ने दिल्ली में सड़कों पर चल रहे वाहनों से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण के लिए दिसम्बर, 1995 में एक मिशन चलाया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य जनता की भागीदारी और प्रवर्तन के जरिए दिल्ली में वाहनों के प्रदूषण को कम करना है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभावों तथा उनके निवारण एवं नियंत्रण के लिए एक बड़ा जागरूकता अभियान चलाया गया है।

लम्बित परियोजनाएं

108. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री राम सागर चरण दो, भीम लिफ्ट सिंचाई, पुलिचिंताता जुराला और अन्य बड़ी और मझोली सिंचाई परियोजनाओं और आन्ध्र प्रदेश में कृष्णा डेल्टा और गोदावरी डेल्टा प्रणाली के आधुनिकीकरण से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार के समक्ष विचाराधीन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) इनके लम्बित रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) . आन्ध्र प्रदेश को नई बड़ी और मझोली सिंचाई परियोजनाओं के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन की स्थिति दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) परियोजना की स्वीकृति इस बात पर निर्भतर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करती है और वन/पर्यावरणीय/पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन योजनाओं के लिए स्वीकृति, जो भी लागू हो, प्राप्त करती है।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश की नई बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाओं के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन की स्थिति

परियोजनाओं का नाम	नवीनतम अनुमानित लागत (करोड़ रु०)	लाभ (हेक्टेयर/एम डब्ल्यू)	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्ति की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
बड़ी				
1. श्रीरामसागर चरण-II	716.47	257000	सितम्बर, 1996	यह परियोजना पर्याप्त जल की अनुपलब्धता और आठवीं योजना में शामिल न किए जाने

1	2	3	4	5
				के कारण मई, 1989 में आन्ध्र प्रदेश सरकार को वापस भेजी गई थी। जल वैज्ञानिक अध्ययनों को अंतिम रूप दे दिया गया है और राज्य सरकार को अन्य तकनीकी - आर्थिक मामलों को हल करना है और तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। यह परियोजना पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय पहलुओं की दृष्टि से अक्तूबर, 1980 में स्वीकृत कर दी गई है।
2. भीमा लिफ्ट सिंचाई	747.52	83780	जनवरी, 1996	राज्य सरकार को सिंचाई आयोजना पहलुओं पर टिप्पणियां 23.1.96 को भेजी गई हैं। राज्य सरकार को परियोजना के विभिन्न तकनीकी-आर्थिक मामलों को हल करना है।
3. पुलिचिंताला	509.00	कृष्णा डेल्टा परियोजना के तहत कमान क्षेत्र में सिंचाई का स्थिरीकरण	जनवरी, 1996	तटबंध बांध अभिकल्प द्वारों का अभिकल्प मृदा यांत्रिकी इंजीनियरी और जल विज्ञान पहलुओं की स्वीकृति दे दी गई है। राज्य सरकार को अन्य तकनीकी-आर्थिक मामलों को अंतिम रूप देना है और पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृतियां प्राप्त करनी हैं।
4. जुराला	275.00	47840	सितम्बर, 1980	सलाहकार समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त पर अप्रैल, 1988 में स्वीकृति। पर्यावरणीय स्वीकृति अप्रैल, 1994 में प्राप्त हुई। राज्य सरकार को अद्यतन लागत अनुमान प्रस्तुत करने हैं।
5. गोदावरी डेल्टा का आधुनिकीकरण	226.00	मौजूदा कमान में सिंचाई का स्थिरीकरण	फरवरी, 1991	योजना राज्य सरकार को कतिपय सुधार करने और आधुनिकीकरण की आवश्यकता के औचित्य को सिद्ध करने के लिए जून, 1991 में वापस भेजी गई। राज्य सरकार को संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।
6. कृष्णा डेल्टा का आधुनिकीकरण	655.20	मौजूदा कमान में सिंचाई का स्थिरीकरण	जनवरी, 1996	राज्य सरकार को परियोजना के विभिन्न तकनीकी-आर्थिक मामलों को हल करना है।
7. वम्सधारा चरण-II	527.00	35349	जनवरी, 1996	यह परियोजना सलाहकार समिति द्वारा पहले दिसम्बर, 1991 में पर्यावरण, वन और पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना स्वीकृतिगों की शर्त पर स्वीकृत की गई। राज्य सरकार ने अब (जनवरी, 1996) वम्सधारा चरण-II का चरण-I के रूप में संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें उड़ीसा में जलमग्नता अंतर्ग्रस्त नहीं है।

1	2	3	4	5
8. येलेरू	335.34	27360	जनवरी, 1993	सलाहकार समिति द्वारा मार्च, 1993 में पर्यावरणीय, वन और पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन योजना स्वीकृतियों, औद्योगिक जल आपूर्ति के लिए व्यवहार्य दरों की वसूल करने की शर्त पर स्वीकार की गई। राज्य सरकार को इन टिप्पणियों की अनुपालना करनी है।
9. तेलुगुगंगा	1465.00	199000	दिसम्बर, 1983	अंतर्राज्यीय मुद्दों का समाधान न होने के कारण सलाहकार-समिति द्वारा अप्रैल, 1988 में विचार-विमर्श अस्थगित कर दिगा गया। कृष्णा बेसिन राज्यों ने अंतर्राज्यीय मामलों को स्वयं हल करने की जिम्मेदारी ली है।
10. बाढ़ प्रवाह नहर	1334.00	89030	दिसम्बर, 1993	राज्य सरकार को विभिन्न तकनीकी-आर्थिक मामलों पर केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना करनी है।
11. श्रीसेलम बायां तट नहर	1060.00	121000	फरवरी, 1985	यह परियोजना दीर्घकालिक आधार पर जल उपलब्धता स्थापित करने के लिए अगस्त, 1986 में वापिस राज्य सरकार को भेजी गई थी। यह परियोजना अप्रैल, 1994 में पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकृत कर दी गई है।
12. गलेरू नागरी सुजाला सम्बन्धी	1296.23	131530	जनवरी, 1991	यह परियोजना दीर्घकालिक आधार पर जल उपलब्धता स्थापित करने के लिए फरवरी, 1991 में वापिस भेजी गई थी।
13. पोलावरम	3030.00	436800	जुलाई, 1990	यह परियोजना केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना के बाद संशोधित रिपोर्ट भेजने के लिए जुलाई, 1990 में वापस भेजी गई थी। जल वैज्ञानिक अध्ययन कर लिए गए हैं। राज्य सरकार को अन्य तकनीकी-आर्थिक मामले हल करने हैं और केन्द्रीय जल आयोग को संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।
14. कुर्नूल-कडप्पा नहर का आधुनिकीकरण	317.00	146200	सितम्बर, 1994	परियोजना प्रस्ताव कोपुनः तैयार करने के लिए विभिन्न तकनीकी-आर्थिक मामलों पर टिप्पणियां राज्य सरकार को भेजी गई हैं।
मध्यौली				
1. पेड्डारू	26.23	6460	सितम्बर, 1991	सलाहकार समिति द्वारा 11/93 को इस शर्त पर स्वीकार की गई कि कल्याण मंत्रालय द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजनाओं की स्वीकृति और पर्याप्त निधियों के प्रावधान की व्यवस्था की जाएगी।

1	2	3	4	5
2. पलेनवागु	29.13	6230	जनवरी, 1986	सलाहकार समिति द्वारा 10.11.93 को इस शर्त पर स्वीकार की गई कि वन स्वीकृति और पर्याप्त निधियों के प्रावधान की व्यवस्था कर ली जाएगी। राज्य सरकार को उपरोक्त टिप्पणियों की अनुपालना करनी है।
3. झंझावती	48.50	16700	नवम्बर, 1976	सलाहकार समिति द्वारा मार्च, 1981 में परियोजना पर विचार किया गया और अंतर्राज्यीय मामलों का समाधान न होने के कारण विचार विमर्श अस्थगित कर दिया गया। यह परियोजना संशोधित रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए अप्रैल, 89 में राज्य को वापस भेजी गई।
4. कवाड्डा कल्वा	16.02	4,180	मार्च, 1989	परियोजना की आयोजना में आधारभूत कमियों के कारण नवम्बर, 89 में वापस भेजी गई।
5. दावागु	45.74	10,430	दिसम्बर, 1982	केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना न होने के कारण नवम्बर, 90 में वापस भेजी गई।
6. येर्रावागु	7.73	4,450	जनवरी, 1989	केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना न होने के कारण मई, 1989 में वापस भेजी गई।
7. बहुदा बराज	47.90	4,530	सितम्बर, 1991	अप्रैल, 92 में वापस भेज दी गई क्योंकि इसे उड़ीसा के साथ अंतर्राज्यीय समझौते के अनुसार योजनाबद्ध नहीं किया गया था।
8. भूपति पालेम	16.60	4,900	अगस्त, 1989	आधारभूत कमियों के कारण दिसम्बर, 89 में वापस भेजी गई। बाद में प्राप्त उत्तरों की जांच की गई और राज्य सरकार से फरवरी, 93 में अनुरोध किया गया कि वे संशोधित प्रस्ताय प्रस्तुत करें।
9. पेड्डागड्डा	14.54	2,430	सितम्बर, 1991	योजना में शामिल न किए जाने और केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना न किए जाने के कारण फरवरी, 1993 में वापिस भेजी गई।
10. मोदीकुन्टावागु	42.30	6,800	दिसम्बर, 1985	योजना में शामिल न किए जाने और केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना न किए जाने के कारण फरवरी, 1993 में वापिस भेजी गई।

[हिन्दी]

ब्रेड उत्पादकों को गेहूं उपलब्ध कराना

109. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप देश में सभी ब्रेड उत्पादकों को रियायती दरों पर गेहूं उपलब्ध करा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो कितने ब्रेड उत्पादक एककों को गेहूं की सप्लाई की गई है और एकक-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड और उनकी फ्रेन्चाइज्ड यूनिटों को ब्रेड बनाने के लिए गेहूं मुहैया किया जा रहा g§ bl ;k§ukds vDrwj 1994 में आरम्भ होने से 31.12.95 तक माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड/इनकी फेन्चाइज्ड यूनिटों द्वारा लगभग 1, 94, 000 मीटरी टन गेहूं का उठान किया गया है।

[अनुवाद]

यमुना समझौते का कार्यान्वयन

110. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना समझौते को कार्यान्वित करने में अत्यधिक विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन समझौते का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) ओखला तक यमुना के सतही प्रवाह के आवंटन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बीच 12 मई, 1994 के समझौता ज्ञापन का कार्यान्वयन भारत सरकार के संकल्प द्वारा गठित ऊपरी यमुना नदी बोर्ड द्वारा किया जा रहा है।

(ख) और (ग) . प्रश्न नहीं उठते।

कृष्णा नदी घाटी प्राधिकरण का गठन

111. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कृष्णा नदी शाला वाले राज्यों से कृष्णा नदी घाटी प्राधिकरण का गठन करने के लिए लिखा है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) इस सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) . केन्द्र सरकार ने 2.5.1989 को कृष्णा घाटी प्राधिकरण की स्थापना के सम्बन्ध में कृष्णा बेसिन राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखे थे। महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कृष्णा घाटी प्राधिकरण की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकार न करने के लिए अपनी असमर्थता के लिए खेद व्यक्त किया जबकि कर्नाटक सरकार ने सूचित किया कि वे इस प्रस्ताव की गहराई से जांच कर रहे हैं और इस मामले में अंतिम निर्णय होते ही उनके विचार सूचित कर दिए जाएंगे।

बाद में राज्य मंत्री (जल संसाधन) ने 20.11.95 को कृष्णा बेसिन राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखे। कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने अपने उत्तर में उल्लेख किया कि एक बार सम्भव विकल्पों पर मतैक्य हो जाने पर कृष्णा घाटी प्राधिकरण का गठन किया जा सकता है। आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के मुख्य मंत्रियों ने अभी तक उत्तर नहीं दिया है।

जनसंख्या आयोग

112. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश की बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण पाने तथा अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक नीतियों के क्रियान्वयन हेतु एक पूर्ण स्वायत्त जनसंख्या आयोग के गठन का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) से (ग) . इस समय एक परिपूर्ण स्वायत शासी जनसंख्या आयोग बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। तथापि डॉ० एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में जनसंख्या नीति पर विशेषज्ञ दल ने एक जनसंख्या और सामाजिक विकास आयोग सृजित करने की सिफारिश की है जो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेगा।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय

113. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कुल कितने औषधालयों में एलोपैथी, होम्योपैथी तथा स्वदेशी चिकित्सा

प्रणालियों अर्थात् आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, प्राकृतिक चिकित्सा और योग सहित विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों के अन्तर्गत उपचार की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में आयुर्वेदिक, सिद्ध और प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली द्वारा विशिष्ट उपचार किया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत स्वदेशी चिकित्सा प्रणालियों के ऐसे अस्पताल/औषधालय खोलने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) आयुर्वेदिक पद्धति में धारा जैसे उपचार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना आयुर्वेदिक अस्पताल, लोधी रोड़, नई दिल्ली में प्रदान किए जा रहे हैं।

(ग) इस समय ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

विवरण

देश में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों की राज्यवार कुल संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	एलोपैथी	आयुर्वेदिक	होम्योपैथिक	यूनानी	सिद्ध	प्राकृतिक चिकित्सा और योग	कुल
1.	असम*	3	—	—	—	—	—	3*
2.	आन्ध्र प्रदेश	14	2	2	2	—	—	20
3.	बिहार	6	1	1	—	—	—	8
4.	दिल्ली	83	13	13	4	1	3	117
5.	गुजरात	5	1	1	—	—		7
6.	हरियाणा	2	—	—	—	—		2
7.	कर्नाटक	10	2	1	—	—	—	13
8.	केरल*	3	—	—	—	—	—	3*
9.	महाराष्ट्र	45	5	7	—	—	—	57
10.	मध्य प्रदेश	3	—	—	—	—		3
11.	उड़ीसा	1	—			—	—	1†
12.	राजस्थान	5	1	1	-	—	—	7
13.	तमिलनाडु	14	1	1	—	1	—	17
14.	उत्तर प्रदेश	30	4	5	1		—	40
15.	पश्चिम बंगाल	17	1	2	1			21
		241	31	34	8	2	3	319

* खोले जाने वाले।

†केवल महालेखा परीक्षक के कर्मचारियों के लिए।

खाद्य तेल का आयात

114. श्री रतिलाल वर्मा : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पी०एल०-4 कार्यक्रम के अन्तर्गत 44000 मीट्रिक टन खाद्य तेल (सोयाबीन) के आयात हेतु अमरीका के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो आयात किए गए सोयाबीन तेल का रुपये और विदेशी मुद्रा में कुल मूल्य कितना-कितना है;

(ग) क्या सोयाबीन खाद्य तेल का उत्पादन गत वर्ष की तुलना में कम हुआ है;

(घ) यदि हां, तो देश में सोयाबीन के उत्पादन में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करने के लिए सोयाबीन की वर्षवार कितनी मात्रा आवंटित की गई ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) और (ख) नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य व्यापार निगम को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आर०बी०डी० पामोलीन का आयात करने हेतु प्राधिकृत किया है। इस मंत्रालय ने खाद्य तेल के आयात के लिए विदेशी सरकारों के साथ कोई द्विपक्षीय करार नहीं किया है।

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान सोयाबीन तेल का 5.30 लाख मी० टन उत्पादन हुआ है। चालू वर्ष 1995-96 के दौरान उत्पादन 6.40 लाख मी० टन के आस-पास होने का अनुमान है।

(घ) सरकार ने देश में खाद्य तिलहनों के उत्पादन में सुधार करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तिलहन व दलहन सम्बन्धी प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित किया है।

(ङ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केवल आर.बी.डी. पामोलीन आवंटित किया जा रहा है।

दहानू तालुका सम्बन्धी समिति

115. श्री राम नाईक :
श्री राम कापसे :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री 28 नवम्बर, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 347 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर के भाग (ग) और (घ) के संबंध में समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो समिति की सिफारिशों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) सिफारिशों के क्रियान्वयन हेतु क्या समय-बद्ध कार्यक्रम है; और

(घ) समिति के सभापति और सदस्यों के नाम क्या हैं ?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) दहानू तालुक के बारे में दिनांक 20 जून 1991 की अधिसूचना से सम्बन्धित मामलों की समीक्षा के लिए मंत्रालय द्वारा सितम्बर, 1994 में गठित समिति ने कतिपय विकासात्मक गतिविधियों की अनुमति देते हुए पर्यावरण सुरक्षा हेतु अपेक्षित निवारक और उपचारात्मक दोनों उपायों की सिफारिश की है।

(ग) इन सिफारिशों के कार्यान्वयन पर सिफारिशों की जांच करने और इस बारे में निर्णय लेने के पश्चात् विचार किया जाएगा।

(घ) इस समिति में डॉ० जी०के० पाण्डेय (संयोजक) डॉ० बी० सेन गुप्ता, प्रतिनिधि, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कलैक्टर, ठाणा-जिला, डॉ० सी०जे० सलदाना, सर्वश्री देवी गोयनका, आर०वी० तेन्दुलकर, बी०एम० नारवेकर तथा अशोक भाटिया हैं।

अस्पताल वित्त निगम

116. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा गुणवत्ता वाले अस्पताल के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अस्पताल वित्त निगम की स्थापना करने पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अस्पतालों को आधुनिक बनाने हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) और (ख) निगमित क्षेत्र में अस्पतालों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु एक प्रारम्भिक प्रस्ताव पर विचार किया गया था, इस परिकल्पना की आर्थिक व्यवहार्यता का अभी पता लगाया जाना है।

(ग) 608.00 करोड़ रुपये की लागत से आन्ध्र प्रदेश जिला स्वास्थ्य पद्धति परियोजना को पहले ही विश्व बैंक द्वारा स्वीकृति दे दी गई है और इसे कार्यान्वित किया जा रहा है। कर्नाटक, पंजाब और पश्चिम बंगाल के लिए ऐसी ही परियोजना में स्वीकृति की अग्रिम अवस्था में है।

तम्बाकू सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति

117. श्री एस.एम. लालजान वाशा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में गठित तम्बाकू सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति को समाप्त करने की कोई मांग है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार श्रमिक संघों और ऐसे उत्पादकों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित कर विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) से (घ) तम्बाकू सेवन के आर्थिक पक्ष विषयक विशेषज्ञ समिति भंग करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तम्बाकू विषयक समिति में ट्रेड यूनियन, किसान और तम्बाकू उत्पादक संघों, बीड़ी कामगारों और कर्मचारी परिसंघों के प्रतिनिधियों को शामिल करने की मांग की थी ताकि समिति में उनके विचारों को व्यक्त किया जा सके। प्रतिनिधियों से 30 नवम्बर, 1995 को अनुरोध किया गया है कि वे प्रस्तावित विधान पर अलग-अलग या संयुक्त रूपेण अपने विचारों को तैयार करके स्वास्थ्य सेवा उप महानिदेशक के समक्ष प्रस्तुत करें जो उन्हें क्रमबद्ध करके सरकार के ध्यान में लाएंगे।

सुपर बाजार

118. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992, 1993, 1994 और 1995 के दौरान सुपर बाजार और केन्द्रीय भण्डार द्वारा शीर्षवार कितना उपरिव्यय किया और दोनों के व्ययों को स्वरूप और औसत में कितना अन्तर है; और

(ख) सुपर बाजार और केन्द्रीय भंडार द्वारा अपने उपरिव्ययों में कमी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) सुपर बाजार तथा केन्द्रीय भण्डार से उनके द्वारा वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान किए गए शीर्षवार ऊपरी खर्च के सम्बन्ध में प्राप्त ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

कुल बिक्री के सन्दर्भ में विभिन्न ऊपरी खर्चों के अनुपात की गणना की गई है, जिससे यह देखा जा सकता है कि केन्द्रीय भंडार की तुलना में सुपर बाजार में कर्मचारियों पर व्यय तथा किराया लागत काफी अधिक है।

(ख) केन्द्रीय भण्डार ने सूचित किया है कि उनके ऊपरी खर्च को उचित सीमा के भीतर रखा जाता है। सुपर बाजार ने कर्मचारियों पर व्यय को कम करने के लिए कर्मचारियों की और भर्ती पर रोक लगा दी है।

विवरण

1992-93 से 1994-95 तक सुपर बाजार तथा केन्द्रीय भंडार का ऊपरी खर्चों को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	1992-93	बिक्री का प्रतिशत	1993-94	बिक्री का प्रतिशत	1994-95	बिक्री का प्रतिशत
सुपर बाजार							
1.	ब्याज तथा बैंक प्रभार	21.33	0.21	31.51	0.27	28.27	0.22
2.	कर्मचारियों का पारिश्रमिक/ लाभ तथा भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान	741.06	7.19	825.15	7.16	974.40	7.49
3.	कर्मचारियों को यात्रा व्यय	28.95	0.28	33.91	0.29	38.63	0.30
4.	किराया	33.38	0.32	29.57	0.26	36.10	0.28
5.	छपाई तथा लेखन सामग्री	19.79	0.19	20.44	0.18	27.78	0.21
6.	डाक/टेलीफोन तथा तार व्यय	5.70	0.06	6.86	0.06	8.91	0.07
7.	लेखा परीक्षा शुल्क	0.50	0.01	0.50	0.01	0.50	0.01
8.	अन्य प्रशासकीय व्यय	90.99	0.88	124.04	1.08	135.94	1.04
9.	मूल्यह्रास	12.29	0.12	16.38	0.14	33.92	0.26
10.	अन्य (प्रावधान, आस्थगित राजस्व व्यय आदि)	5.04	0.05	4.72	0.04	5.17	0.04
केन्द्रीय भण्डार							
1.	कर्मचारियों को वेतन, भविष्य निधि तथा अन्य लाभ	181.39	2.41	237.85	2.57	259.74	2.42
2.	प्रशासकीय व्यय	23.09	0.30	26.10	0.28	35.43	0.33
3.	विक्रय तथा विवरण व्यय	25.77	0.34	38.89	0.42	49.75	0.46
4.	बैंक का ब्याज तथा वित्तीय प्रभार	14.83	0.20	7.65	0.08	10.20	0.09
5.	अन्य प्रभार	9.95	0.13	17.44	0.19	19.18	0.18
6.	मूल्यह्रास	6.66	0.08	7.71	0.08	8.54	0.08

रेडक्रास सोसाइटी

119. श्री सनत कुमार मंडल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 फरवरी, 1996 के इंडियन एक्सप्रेस में "होम मिनिस्ट्री नोटिस टू इंडियन चैप्टर रेडक्रास सोसायटी एक्यूज्ड आफ एफ.सी.आर.ए." (विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इन नियमों के उल्लंघन एवं कोष के दुरुपयोग के सम्बन्ध में सी.बी.आई. द्वारा जांच नहीं कराए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) इस सम्बन्ध में जांच कराए जाने एवं धोखाधड़ी का उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) भविष्य के लिए क्या निवारक उपाय किए गए हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) . सूचना एकत्र की जा रही है और समापटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

मोबाइल वैन और गोदाम

120. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :
प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश सरकार को मोबाइल वैन खरीदने और भण्डारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए अब तक कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(ख) क्या राज्य में इस धनराशि का दुरुपयोग हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) 1985-86 में स्कीम की शुरूआत से आंध्र प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश सरकारों को आदिवासी, दूर-दूर फैले तथा रेगिस्तानी इलाकों में चलती-फिरती उचित दर की दुकानों के रूप में चलाने के लिए वाहन खरीदने हेतु निम्नांकित वित्तीय सहायता मंजूर की गई है :–

1. आन्ध्र प्रदेश : 48 वाहनों के लिए 141 लाख रु०
2. उत्तर प्रदेश : 97 वाहनों के लिए 280 लाख रु०

तथापि, आन्ध्र प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों को भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए गोदामों का निर्माण करने हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है।

(ख) और (ग) . राज्य सरकारों से इस बारे में कोई विशिष्ट रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है।

[अनुवाद]

नर्सिंग होम्स

121. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में स्थित नर्सिंग होम्स अंतरंग मरीजों से नैदानिक परीक्षण, शल्य चिकित्सा एवं ग्रेड शुल्क आदि के रूप में अत्यधिक राशि वसूल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्तर प्रदेश में इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने तथा इसे अन्य राज्यों में समान बनाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश के निजी अस्पतालों/नर्सिंग होमों का विनियमन करने का दायित्व उत्तर प्रदेश सरकार का है, क्योंकि 'स्वास्थ्य' राज्य का विषय है। .

(ख) और (ग) . प्रश्न नहीं उठते।

लाल चन्दन की लकड़ी

122. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री 19 दिसम्बर, 1995 के अतारंकित प्रश्न संख्या 3523 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने लाल चन्दन की लकड़ी के निर्यात पर लगे प्रतिबन्ध में छूट देने के लिए अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में छूट देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) . आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने लाल चन्दन की लकड़ी के निर्यात पर प्रतिबंध में एक कालिक शिथिलता हेतु वाणिज्य

मंत्रालय को सिफारिश करने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनुरोध किया है। आन्ध्र प्रदेश राज्य वन विभाग ने जब्त 1675 मी० टन लाल चन्दन की लकड़ी का स्टाक एकत्रित कराया है। आयात-निर्यात नीति, 1992-97 के अनुसार प्रसंस्कृत अथवा कच्चा किसी भी रूप में लाल चन्दन की लकड़ी के निर्यात पर प्रतिबंध है और इस वस्तु को निर्यात के प्रतिबंधक सूची में रखा गया है। लाल चन्दन की लकड़ी को सी आई टी ई एस के परिशिष्ट-2 में भी शामिल किया गया है। तथापि, राज्य सरकार को आन्ध्र प्रदेश वन विकास निगम के माध्यम से लाल चन्दन की लकड़ी के मूल्य वर्धित वस्तुओं के निर्यात पर विचार करने के लिए कहा गया है।

भारतीय खाद्य निगम में ठेका मजदूर

123. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरेली, उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के एकको में ठेका आधार पर कितने मजदूर कार्य कर रहे हैं; और

(ख) उन्हें कब तक स्थाई किए जाने की संभावना है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) बरेली, उत्तर प्रदेश स्थित भारतीय खाद्य निगम के स्वयं के दोनों गोदामों में 'मेट प्रणाली' प्रचलित है और ठेकेदार के जरिए कोई भी श्रमिक कार्य पर नहीं लगा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नई जल नीति

124. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नई जल नीति घोषित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इसकी घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) . प्रश्न नहीं उठते।

कृष्णा नदी जल का बंटवारा

125. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कृष्णा नदी थाला वाले राज्यों को आपस में बातचीत करके कृष्णा नदी के अतिरिक्त जल के बंटवारे के बारे में कोई समझौता करते हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सम्बन्धित राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) . प्रश्न नहीं उठते।

खाद्यान्नों का निर्यात

126. **श्री सनत कुमार मंडल**
श्री एस.एम. लालजान बाशा :

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 1996-97 के दौरान भारतीय खाद्य निगम के भंडार से गेहूं और चावल के निर्यात की अधिकतम सीमा 4.5 मिलियन टन रखने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो यह उपरोक्त अवधि के दौरान प्राधिकृत निर्यात की तुलना में कितना है;

(ग) 31 जनवरी, 1996 की स्थितिनुसार भारतीय खाद्य निगम के भंडार में इन वस्तुओं का अलग-अलग कितना भंडार था;

(घ) गेहूं और बासमती एवं गैर-बासमती चावल के निर्यात मूल्य क्या-क्या हैं तथा निजी पार्टियों और भारतीय खाद्य निगम का निर्यात माध्यम क्या है; और

(ङ) इस समय भारतीय खाद्य निगम और पंजाब एवं हरियाणा राज्यों द्वारा आटा चक्कियों को मुक्त बिक्री किस प्रकार से की जा रही है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) . सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के पास रखे स्टाक से 1996-97 के दौरान गेहूं और चावल निर्यात करने के लिए अभी तक कोई सीमा निर्धारित नहीं की है।

(ग) 31.1.1996 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों के पास क्रमशः लगभग 114 लाख मीटरी टन और 161 लाख मीटरी टन स्टाक रखा हुआ है।

(घ) वर्तमान निर्यात और आयात नीति के अनुसार आसमती और गैर-बासमती, दोनों प्रकार के चावल के मुक्त रूप से निर्यात की अनुमति है। इसके लिए किसी प्रकार का मात्रा अथवा न्यूनतम निर्यात मूल्य सम्बन्धी कोई प्रतिबन्ध नहीं है। गेहूं का निर्यात बिना किसी प्रकार के न्यूनतम निर्यात मूल्य सम्बन्धी प्रतिबन्ध के अनुमत है और यह समय-समय पर रिलीज की गई मात्रा सम्बन्धी सीमा के अध्यधीन है। 1995-96 के दौरान गेहूं के लिए 25 लाख मीटरी टन की निर्यात सीमा रिलीज की गई है। भारतीय खाद्य निगम को 1995-96 के दौरान केन्द्रीय पूल से समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित

दरों पर 2.5 मिलियन मीटरी टन गेहूं (निर्यात सीमा के अन्दर) और 3 मिलियन मीटरी टन बढ़िया तथा उत्तम चावल निर्यात करने/निर्यात के प्रयोजन के लिए बिक्री करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। फिलहाल भारतीय खाद्य निगम गेहूं और चावल का सीधे निर्यात नहीं कर रहा है।

(ङ) रोलर फ्लोर मिल्स उद्योग पर से 1986 में लाइसेंस हटाने के पश्चात् सरकार का गेहूं उत्पादों के मूल्यों और वितरण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। अतः रोलर फ्लोर मिल्स किसी भी स्रोत से अपनी आवश्यकता का गेहूं लेने के लिए स्वतन्त्र है। तथापि, सरकार समय-समय पर भारतीय खाद्य निगम को बाजार हस्तक्षेप के एक उपाय के रूप में खुले बाजार में गेहूं की अधिशेष मात्रा बेचेने की अनुमति देती है। यह बिक्री केवल रोलर फ्लोर मिलों के लिए ही नहीं खुली होती है बल्कि पंजाब और हरियाणा राज्यों सहित पूरे देश में आटा चक्कियों, ब्रेड बनाने वाली यूनिटों, सरकारी नियंत्रण वाले सुपर बाजार, केन्द्रीय भण्डार जैसे संगठनों, व्यापारियों आदि अन्य खरीदारों के लिए भी खुली हुई हैं।

भारत की सोन चिड़िया

127. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की सोन चिड़िया समाप्ति की स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रजाति को संरक्षण देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) . जी, नहीं। तथापि, सोन चिड़िया एक संकटापन्न प्रजाति है और यह राजस्थान, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में पाई जाती है। वासस्थलों की बिगड़ती हालत, कृष्णसार जैसी अन्य पशु आबादी में वृद्धि, भेड़ों द्वारा चराई और फसलों की परिवर्तनशील पद्धतियों आदि के कारण सोन चिड़िया को मुख्य खतरा है।

(ग) इस प्रजाति तथा इसके वासस्थलों की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :–

1. राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और गुजरात में एक राष्ट्रीय उद्यान और 6 अभयारण्यों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है जिसे पक्षियों का वासस्थल कहा जाता है।
2. इन सुरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में सुधार हेतु राज्यों के अनुरोध पर उन्हें केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है।
3. सोन-चिड़िया को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में शामिल किया गया है जिससे उसके शिकार और वाणिज्यिक दोहन के विरुद्ध उसे अधिक कानूनी सुरक्षा प्राप्त है।
4. भारत में वन्य प्राणिजात और वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी कन्वेशन पर हस्ताक्षर किए हैं जो संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करता है। इस प्रजाति को साइटस् के परिशिष्ट-I में रखा गया है।

उच्च रक्त चाप

128. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में उच्च रक्त चाप, हृदय रोग, मधुमेह आदि के रोगियों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इन रोगों की रोकथाम करने और इनके रोगियों को उनके घर पर ही चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या अस्पतालों में भीड़ कम करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के दिल्ली स्थित औषधालयों को एक्स-रे ई सी जी, सभी प्रकार के रक्त और मूत्र जांच, दंत चिकित्सालय आदि सुविधाएं उपलब्ध करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) और (ख) . दिल्ली में उच्च रक्त चाप, हृदय रोग, मधुमेह आदि के रोगियों में वृद्धि हो रही है, इसके कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) कार्डियोवास्कुलर रोग नियंत्रण और मधुमेह नियंत्रण कार्यक्रम की एक परियोजना चालू वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू की गई है। उच्च रक्त चाप के रोगियों के लिए प्राथमिक उपचार सुविधाएं दिल्ली के लगभग सभी अस्पतालों में उपलब्ध हैं।

(घ) और (ङ) . दिल्ली में विभिन्न केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों/पालिक्लिनिकों और संसद सौध में 32 प्रयोगशालाएं. 4 एक्स रे मशीनें और 45 ई०सी०जी० मशीनें कार्य कर रही हैं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

चीनी का बफर स्टॉक

129. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **खाद्य मंत्री** 5.12.1995 के तारांकित प्रश्न संख्या 128 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी का बफर स्टॉक बनाने के लिए कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हा, तो बफर स्टॉक का प्रस्तावित आकार क्या है;

(ग) देश में गत चीनी वर्ष के अन्त तक चीनी का कितना अनुमानित भंडार था; और

(घ) गत चीनी वर्ष के अन्त से चीनी की उत्पादित, आयातित और निर्यातित मात्रा कितनी-कितनी है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने 10.1.96 से एक वर्ष की अवधि के लिए 1995-96 पेराई मौसम के उत्पादन में से खुली बिक्री चीनी का 5.0 लाख टन का एक बफर स्टॉक बनाने का निर्णय लिया है।

(ग) देश में पिछले चीनी वर्ष के अंत तक चीनी का अनुमानित स्टॉक 55.57 लाख टन था।

(घ) 1.10.95 से 31.1.96 तक	मात्रा (लाख टन में)
उत्पादित चीनी	64.13
आयातित चीनी	0.42 (अनंतिम)
निर्यातित चीनी	2.43 (अनंतिम)

जेनरेटरों का उपयोग

130. डॉ० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सरकारी उपक्रम दिल्ली में अपने दैनिक कार्यों के लिए जेनरेटर का उपयोग कर रहे हैं तथा निकटवर्ती अन्य भवनों में प्रदूषण फैला रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन उपक्रमों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली में कुछ सरकारी उपक्रमों ने जरूरी सेवाओं को बनाए रखने के लिए पावर ब्रेकडाउन के दौरान उपयोग हेतु स्टैंड–बाई के रूप में डीजल जेनरेटर सैट लगाए हैं।

(ग) डीजल जेनरेटर सेटों से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत डीजल जेनरेटर सेटों की विभिन्न क्षमताओं के लिए चिमनी की ऊंचाई और शमेर प्रदूषण हेतु मानक अधिसूचित किए गए हैं। दिल्ली में डीजल जेनरेटर सैटों के सम्बन्ध में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा इन मानकों को कार्यान्वित किया जाता है।

सबके लिए स्वास्थ्य

131. डॉ० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार के समक्ष राज्य में विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त "सबके लिए स्वास्थ्य" योजना लागू करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव रखा है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) गुजरात राज्य से व्यापक प्रस्ताव 1995 के मध्य में प्रिपेयरेटरी बैठक आयोजित किए जाने के बाद प्राप्त हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वन भूमि पर स्वामित्व का अधिकार

132. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के विशेषतः वायनाड जिले में वन विभाग की भूमि पर रहने वाले आदिवासियों अथवा गैर-आदिवासियों को भूमि का स्वामित्व अधिकार प्रदान करने अथवा उनसे भूमि खाली कराकर उनके अन्यत्र पुनर्वास के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) केरल के पांच जिलों अर्थात् इदुकी, पथानमथिट्टा, त्रिस्सुर, एर्नाकुलम और कोल्लाम में वन भूमि पर 1.1.1977 से पहले किए गए अवैध कब्जों के नियमितीकरण के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 28,588,159 हेक्टेयर वनभूमि को उपयोग में लाने के लिए औपचारिक स्वीकृति मंत्रालय द्वारा 31.1.95 को पहले ही दे दी गई है। वीनाड जिले के मामले में राज्य सरकार से हाल ही में वीनाड वन्यजीव अभयारण्य के भीतरी भाग से 8 बस्तियों में बसे लोगों को इस क्षेत्र से बाहर अन्यंत्र वन भूमि पर बसाने की एक स्कीम प्राप्त हुई है। चूंकि वन क्षेत्रों में पुनर्वास का प्रस्ताव किया जा रहा है, राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि इस स्कीम पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपलब्ध लागू होंगे।

घटिया किस्म का चावल

133. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल स्थित भारतीय खाद्य निगम के किन्हीं गोदामों से घटिया किस्म का चावल सप्लाई किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केरल राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन/शिकायत भेजी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम की यह नीति है कि यदि राज्य सरकारें चाहे तो वे उन्हें जारी किए जाने वाले खाद्यान्नों की गुणवत्ता का पूर्व-निरीक्षण कर सकती हैं। यह नीति केरल के लिए भी अपनाई जा रही है। केरल को ऐसे चावल की आपूर्ति करने का कोई प्रश्न नहीं है जिसकी क्वालिटी घटिया हो और जो केरल सरकार को स्वीकार्य न हो।

(ग) जी, हां। श्री के०के० रामचन्द्रन मास्टर, खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री, केरल ने पिछले वर्ष शिकायत की थी कि राज्य सरकार के इंकार करने के बावजूद भारतीय खाद्य निगम अंगदीपुरम, कुट्टीपुरम, पालाकाड आदि विभिन्न डिपुओं में उपलब्ध घटिया क्वालिटी के स्टाक को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से रिलीज़ करने के लिए जोर दे रहा है। उन्हें यह आशंका थी कि यदि यह स्टाक रोका नहीं गया और रिलीज़ कर दिया गया तो इसका उपभोक्ताओं द्वारा कठोर प्रतिरोध तो होगा ही और साथ ही साथ चारों तरफ से शिकायतें प्राप्त होंगी तथा उठान पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने भारतीय खाद्य निगम को परामर्श दिया था कि वे ऐसे स्टाक को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जारी करने के लिए तब तक क्लीयर न करें जब तक राज्य सरकार के कर्मचारी इस स्टाक को क्लीयर न कर दें।

(घ) उपर्युक्त मामले की जांच करवाई गई थी और यह पाया गया था कि पालाकाड़ में उपलब्ध कुछ स्टाक छंटाई आधार पर सम्बन्धित राज्य सरकार नागरिक पूर्ति विभाग से घनिष्ठ समन्वय करते हुए जारी किया जा रहा था। इस डिपो से कुछ स्टाक राज्य सरकार की आकस्मिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अंगदीपुरम और कुट्टीपुरम को भेजा गया था। भारतीय खाद्य निगम के स्थानीय कर्मचारियों के अनुसार ये स्टाक विनिर्दिष्टियों के अनुरूप थे और यह अनाज जारी करने योग्य था।

मेडिकल कालेज

134. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि परियाराम मेडिकल कालेज, कन्नानोर, केरल में छात्रों के प्रवेश और कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया में रिपोर्ट की गई असमानताओं और कथित अनियमितताओं की जांच कराई गई है;

(ख) यदि हां, तो इस जांच का ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या सरकार का विचार इस कालेज में छात्रों के प्रवेश और कर्मचारियों की नियुक्ति पर कोई नियंत्रण रखने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या परियाराम मेडिकल कालेज ने भारतीय चिकित्सा परिषद् और सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का पूरा-पूरा अनुपालन किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) और (ख) केरल सरकार ने सूचित किया है कि कालेजों द्वारा कैपिटेशन शुल्क लेने के आरोप के सम्बन्ध में उनके द्वारा छानबीन की गई थी। यह आरोप सिद्ध नहीं हुआ।

(ग) और (घ) यह एक निजी कालेज है। तथापि इसमें दाखिले भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार होते हैं। हालांकि कालेज में कर्मचारियों की नियुक्ति प्रबन्धकों द्वारा होती है। अर्हता आदि के सम्बन्ध में भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा निर्धारित मानदंडों का अनुसरण आवश्यक होता है।

(ङ) इस मंत्रालय द्वारा कालेज को कुछेक शर्तों के पूरा किए जाने के आधार पर जुलाई, 1995 में कालेज प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। इसे वार्षिक आधार पर उस समय तक नवीकृत करना आवश्यक है जब तक भारतीय चिकित्सा परिषद् के मानदंडों के अनुरूप वार्षिक लक्ष्य पूरे नहीं होते/ सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती। भारतीय चिकित्सा परिषद् नवीकरण की अनुमति से पूर्व यह पता लगाने के लिए निरीक्षण करेगी कि निर्धारित शर्तों को पूरा किया जा रहा है अथवा नहीं।

[हिन्दी]

गन्ना उत्पादकों को देय बकाया धनराशि

135. डॉ० महादीपक सिंह शाक्य :
श्री मोहन रावले :
श्री उत्तमराव देवराव पाटील :
श्री नवल किशोर राम :
श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, विशेषरूप से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में जनवरी, 1996 की स्थिति के अनुसार गन्ना उत्पादकों को देय बकाया धनराशि बढ़ कर 450 करोड़ रुपये हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या गन्ना पिराई वर्ष के अन्त तक यह राशि बढ़ कर 1000 करोड़ रुपये हो जाने की संभावना है;

(ग) इतनी भारी राशि बकाया रह जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस बकाया धनराशि का भुगतान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) देश में चीनी मिलों द्वारा दी गई उपलब्ध सूचना के आधार पर, 1995-96 मौसम से सम्बन्धित, 31 मई, 1996 तक गन्ने की बकाया राशि 678.32 करोड़ रु० थी, जो कुल देय राशि का 25 प्रतिशत है। इसमें से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल के संदर्भ में बकाया क्रमशः 241.73 करोड़ रु०, 99.11 करोड़ रु०, तथा 1.45 करोड़ रु० था।

(ख) गन्ने की खरीद, गन्ने की पेराई, चीनी का उत्पादन तथा बिक्री, कच्चे माल की लागत की पूर्ति करना, कार्यपूंजी आवश्यकताएं आदि, एक चालू मौसम के दौरान परस्पर सम्बद्ध तथा सतत कार्यकलाप हैं। पेराई अवधि की प्रगति के दौरान, जब गन्ने की खरीद की मात्रा तुलनात्मक रूप से अधिक हो, गन्ना मूल्य की बकाया राशि में वृद्धि की प्रवृति होती है, जो धीरे-धीरे मौसम के अन्त तक समुचित रूप से घट जाती है। 31 जनवरी, 1995 तक, 1994-95 मौसम से सम्बन्धित बकाया राशि 576.87 करोड़ रु० थी, जो कुल देयराशि का 17.7% है, घटकर 129.32 करोड़ हो गई, जो 15.11.1995 तक कुल देय राशि का 1.5% है। 1992-93 तथा 1993-94 मौसमों के अंत में कुल देय राशि पर बकाया क्रमशः 1.5% तथा 1.0% था।

(ग) गन्ना-मूल्य की बकाया का जमा होना कई कारणों से हो सकता है जैसे – चीनी मिलों की दयनीय वित्तीय स्थिति, उत्पादन की ऊंची लागत, राज्य द्वारा सुझाए गए उच्च गन्ना मूल्य, अपर्याप्त बिक्री प्राप्ति आदि।

(घ) चीनी मिलों द्वारा गन्ना-मूल्य बकाया का समय पर भुगतान सुनिश्चित कराना राज्य सरकारों पर है, जिसके पास ऐसे भुगतान कराने के लिए आवश्यक शक्तियां तथा क्षेत्र में कार्यरत संगठन हैं। केन्द्र सरकार अपनी ओर से गन्ना मूल्य को बकाया राशि के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकारों को समय-समय पर सुझाव देती रही हैं।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान लेटेक्स कम्पनी

136. प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लेटेक्स कम्पनी में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत कन्डोम और कापर-टी का उत्पादन बहुत कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस कम्पनी के कार्य की पुनरीक्षा करने के लिए विभिन्न संघों की ओर से कोई सुझाव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) और (ख) . वर्ष 1994-95 और 1995-96 के उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े नीचे दिए गए हैं :–

वर्ष	कापर-टी (मिलियन नग)	कंडोम (मिलियन नग)
1994-95	0.5939	597.22
1995-96	2.5332	529.77

(ग) और (घ) . और अधिक कापर-टी और कंडोमों के लिए मैसर्स हिन्दुस्तान लैटेक्स लिमिटेड को आर्डर देने सम्बन्धी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मैसर्स हिन्दुस्तान लैटेक्स लिमिटेड को और अधिक आर्डर देने का प्रश्न विचाराधीन है।

चीनी का भंडार

137. श्री उत्तमराव देवराव पाटील : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1995 से जनवरी, 1996 के दौरान चीनी का माहवार कुल कितना-कितना भंडार था;

(ख) क्या कुल भंडार स्थानीय खपत की आवश्यकता से अधिक है;

(ग) निर्यात और बफर स्टॉक, यदि कोई है, के पश्चात् इस वर्ष के लिए अनुमानतः कुल कितना अतिरिक्त चीनी भंडार है; और

(घ) सरकार ने जनवरी, 1995 से माहवार और भंडारवार इस अतिरिक्त चीनी भंडार को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) . 1995-96 मौसम की शुरूआत में देशी चीनी के पूर्वावशिष्ट स्टॉक, 1995 के दौरान किए गए अनुबंध से आगातित चीनी के शेष स्टॉक तथा चालू मौसम के दौरान चीनी के अनुमानित उत्पादन के साथ 1995-96 के दौरान चीनी की घरेलू आवश्यकता को पूरा करने में देश सक्षम होगा तथा साथ ही निर्यात तथा बफर स्टॉक की वचनबद्धता को भी पूरा किया जा सकेगा।

(घ) चीनी के अधिशेष स्टॉक को देखते हुए, सरकार ने जनवरी, 1996 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए मासिक लेवी कोटे में बढ़ोतरी कर दी है तथा मासिक खुली बिक्री रिलीज़ को भी बढ़ा दिया है। सरकार ने 6.5 लाख टन चीनी को वाणिज्यिक निर्यात के लिए अधिसूचित भी किया है।

विवरण

चीनी मिलों के पास महीने के अन्त में देशी चीनी का स्टॉक

महीना	महीने के अन्त में स्टॉक (अनंतिम) (लाख टन में)
जनवरी, 95	55.24
फरवरी, 95	70.22

महीना	महीने के अन्त में स्टॉक (अनंतिम) (लाख टन में)
मार्च, 95	84.19
अप्रैल, 95	90.54
मई, 95	87.98
जून, 95	80.67
जुलाई, 95	71.77
अगस्त, 95	62.88
सितम्बर, 95	53.77
अक्तूबर, 95	43.92
नवम्बर, 95	45.23
दिसम्बर, 95	58.55
जनवरी, 96	73.93

चीनी प्रोत्साहन योजना

138. श्री उत्तमराव देवराव पाटील : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी की खुली बिक्री के लिए सरकार द्वारा कुछ वर्ष पूर्व घोषित की गई नई प्रोत्साहन योजना हेतु कितनी नई चीनी मिलें पात्र होंगी;

(ख) राज्यवार कितनी चीनी मिलों ने इस प्रोत्साहन को प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है और वे कब से लम्बित हैं;

(ग) कितने मामले विचाराधीन हैं और कितने मामलों को मंजूरी दी जा चुकी है;

(घ) क्या प्रोत्साहन दावों की मंजूरी न मिलने के कारण चीनी मिलें अपने स्टॉक को 40 प्रतिशत चीनी की बिक्री के लिए निर्गम आदेश प्राप्त नहीं कर पा रही हैं; और

(ङ) क्या चीनी स्टॉक के निर्गम आदेश न दिए जाने के कारण होने वाले घाटे का वहन सरकार करेगी ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) 10 मार्च, 1993 को घोषित, प्रोत्साहन योजना उन चीनी मिलों पर लागू होगी :–

(1) जिन मिलों को आशयपत्र या औद्योगिक लाइसेंस जारी हुआ हो, जहां पृष्ठांकन के प्रथम बार में प्रेस नोट सं० 15 दिनांक 27.5.96 के अधीन 7.9.1990 से 31.3.94 तक की अवधि के दौरान लाइसेंस जारी हुआ हो बशर्ते वे प्रोत्साहन योजना की शर्तों को पूरा करती हैं।

(2) जिन मिलों को आशयपत्र या औद्योगिक लाइसेंस जारी हुआ हो, जहां प्रथम बार में लाइसेंस जारी हुआ हो अथवा प्रेस नोट 15 दिनांक 27.5.86 के अधीन 1.10.85 से 6.9 1990 तक की अवधि के दौरान लाइसेंस में पुनः पृष्ठांकन दिया हो तथा ऐसी मिलें जो 7.9 90 अथवा उसके बाद उत्पादन कर रही हों बशर्ते वे इस योजना की शर्तों को पूरा करती हों उन मिलों के पास विकल्प होगा कि वे पिछली सातवीं योजना का लाभ उठाए या इस योजना में प्रस्तावित प्रोत्साहन का लाभ उठाए।

(ख) और (ग) . 37 चीनी मिलों ने प्रोत्साहन योजना के लिए 10 मार्च 1993 के पश्चात् प्रार्थना पत्र भेजे जिनका विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) पात्र चीनी मिलें अपने दावे निर्धारित प्रोफार्मा में आवश्यक सूचनाओं तथा जांच के लिए लिखित प्रमाण-पत्र सहित भेजे, उसके बाद ही प्रोत्साहन का खुली बिक्री कोटा रिलीज किया जाता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

चीनी मिलें जिन्होंने प्रोत्साहन दावे के लिए आवेदन किया, की संख्या स्वीकृत तथा लंबित दावे

क्र.सं.	राज्य	प्राप्त दावों की सं०	अधूरे दावों की सं० तथा मांगी गई सूचना	स्वीकृत दावे	जांच के अधीन
1.	महाराष्ट्र	10	3	7	
2.	उत्तर प्रदेश	6	2	3	1
3.	आन्ध्र प्रदेश	4	--	4	--
4.	कर्नाटक	2	--	2	--
5.	तमिलनाडु	2	1	1	--
6.	उड़ीसा	3	1	1	1
7.	गुजरात	1	1	--	--
8.	हरियाणा	2	--	2	
9.	पंजाब	6	3	2	1
10.	मध्य प्रदेश	1	-	--	1
	जोड़	37	11	22	4

मलेरिया नियन्त्रण

139. श्री ए० चार्ल्स :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि केरल के कुछ क्षेत्रों में हाल ही में मलेरिया फैल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य में मलेरिया उन्मूलन के प्रयासों के समर्थन के लिए केरल से चिकित्सा सम्बन्धी अथवा आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) और (ख) केरल के त्रिवेन्द्रम शहर में जनवरी, 1996 के दौरान मलेरिया के रोगियों में वृद्धि होने की सूचना मिली है। यह सूचित किया गया है कि जनवरी, 1996 में शहर में मलेरिया के लगभग 200 रोगी थे।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय सहायता तकनीकी मानदण्डों के अनुसार कीटनाशकों तथा औषधों के रूप में दी जाती है। 1995-96 के दौरान मलेरिया तथा फाइलेरिया नियन्त्रण के लिए 73.21 लाख रुपये मूल्य की सामग्री उपलब्ध की गई थी। 1995-96 के दौरान पर्याप्त मात्रा में मलेरिया-रोधी औषधी पहले ही उपलब्ध कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन निदेशालय के अधिकारियों ने राज्य का दौरा किया तथा स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन तथा सहायता उपलब्ध की। मलेरिया से प्रभावित क्षेत्रों में छिड़काव कार्य चलाने के लिए केरल सरकार के पास डीडीटी का पर्याप्त भण्डार है।

मलेरिया-रोधी तथा जापानी एनसेफलाइटिस कार्यक्रम में उपयोग किए जाने हेतु फरवरी, 1996 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशाल द्वारा केरल सरकार को चार पोर्टेबल फागिंग मशीनें भी भेजी गई हैं।

हृदय रोग

140. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गम्भीर हृदय रोग उपचार-साध्य है;

(ख) यदि हां, तो उन अस्पतालों के क्या नाम हैं जहां ऐसे रोगों का उपचार सफलतापूर्वक किया जाता है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में हृदय रोगों के उपचार हेतु निकट भविष्य में नए अस्पताल खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो इन्हें किन-किन स्थानों पर खोला जाएगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) जी, हां।

(ख) देशभर में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में ऐसे अस्पताल हैं जहां ऐसी बीमारियों का सफलतापूर्वक उपचार किया जाता है। दिल्ली में इन बीमारियों का उपचार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, सफदरजंग अस्पताल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल और गोविन्द वल्लभ पंत अस्पताल में किया जाता है।

(ग) और (घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अपशिष्ट प्रबन्धन

141. श्री श्रीकान्त जेना :
श्रीमती गिरिजा देवी :
श्री राजेश कुमार :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा बनाए गए जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबन्धन सम्बन्धी नियमों का दिल्ली के अस्पतालों द्वारा किए जा रहे उल्लंघन की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा दिल्ली के अस्पतालों द्वारा नियमों का पालन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के तहत जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबन्धन और निपटान) नियम, 1995 का प्रारूप 25.4.1995 को अधिसूचित किया है ताकि प्रभावित होने वाली जनता और सम्बन्धित अभिकरणों की राय/आपत्तियां प्राप्त हो सकें।

(ख) चूंकि ये नियम प्रारूप नियमों के ही रूप में अधिसूचित किए गए हैं, इसलिए उनके अनुपालन का प्रश्न फिलहाल नहीं उठता।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के खुलने और बन्द होने का समय

142. डॉ० लाल बहादुर रावल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों को पहले की तरह सुबह और शाम दोनों समय खोलने के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों ने दिन में दोनों समय उपरोक्त सुविधा प्रदान करने के लिए कोई ज्ञापन दिया है जो उनके लिए अत्यन्त लाभदायक और सुविधाजनक है;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) उक्त औषधालयों को सुबह-शाम, दोनों समय खोलने की वांछित सुविधा कब से शुरू किए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) हाल ही में कोई ऐसा ज्ञापन केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों से प्राप्त नहीं हुआ है। कुछेक केन्द्रीय सरकार

स्वास्थ्य योजना औषधालयों में दोहरी पारियां आरम्भ करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव है, पर यह प्रस्ताव अभी आरंभिक अवस्था में है।

[अनुवाद]

सफाई और पर्यावरणीय स्वास्थ्य सम्बन्धी राष्ट्रीय कार्यक्रम

143. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने शहरी कार्य और रोजगार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा अन्य विशेषज्ञ एजेंसियों के साथ परामर्श और समन्वय कर सफाई और पर्यावरणीय स्वास्थ्य सम्बन्धी राष्ट्रीय कार्यक्रम आरम्भ करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) इस कार्यक्रम हेतु कितनी धनराशि की आवश्यकता है और इसके लिए किस प्रकार धनराशि जुटाई जाएगी;

(घ) क्या कोई समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या केन्द्र सरकार का विचार कार्यक्रम के क्रियान्वयन और इसमें होने वाले व्यय में सहभागिता के लिए राज्य सरकारों के साथ परामर्श कर उनसे सहयोग और समन्वय का आग्रह करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) सरकार ने प्रौद्योगिकी मिशन के आधार पर सफाई और पर्यावरणीय स्वच्छता सम्बन्धी एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार करने के लिए 31 जनवरी, 1996 को एक दल का गठन किया है।

(ख) सफाई और पर्यावरणीय स्वच्छता सम्बन्धी राष्ट्रीय कार्यक्रम के उद्देश्य ग्रामीण और शहरी जनता के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य और सफाई सुविधाओं को बढ़ावा देना है।

कार्यक्रम की मुख्य विशेषताओं में शहरी अल्प लागत सफाई व्यवस्था, शहरी अपशिष्ट जल प्रबन्ध, शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध, ग्रामीण पर्यावरणीय सफाई व्यवस्था, स्वास्थ्य निगरानी और सहायता सेवाओं का सुदृढ़ीकरण तथा औद्योगिक अपशिष्ट प्रबन्ध एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण शामिल है।

(ग) से (ङ) दल ने अपनी सिफारिशें 31 जुलाई, 1995 को प्रस्तुत की और वर्ष 2025 तक के लिए 215, 800 करोड़ रुपये की प्रक्षेपित निधि की आवश्यकता बताई। पहले पांच वर्षों (प्रथम चरण) के लिए प्रक्षेपित निधि आवश्यकता 46, 117 करोड़ रुपये की है जिसमें 13029 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता, 12495 करोड़ रुपये का राज्य का हिस्सा, 6018 करोड़ रुपये का लाभ भोगी अंशदान और 14575 करोड़ रुपये का संस्थागत वित्त शामिल है।

(च) और (छ) कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर सरकार के अन्तिम निर्णय के आधार पर उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय

144. श्री परसराम भारद्वाज :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद बिहार, पारिजात अपार्टमेंट और उन अन्य कालोनियों, जिनमें सेवानिवृत्त/सेवारत सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं, के निकट कोई सरकारी अस्पताल अथवा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का कोई औषधालय नहीं है;

(ख) क्या सरकार उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों, जो अपनी वृद्धावस्था में अपनी पेंशन राशि से प्राइवेट इलाज कराने की स्थिति में नहीं हैं की समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में कुछ सी.जी.एच.एस. औषधालय खोलने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) और (ख) संसद विहार, पारिजात अपार्टमेंट और अन्य नजदीक की कालोनियों में रह रहे सेवा निवृत्त/सेवारत सरकारी कर्मचारी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय, शकूरबस्ती के अन्तर्गत कवर हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल भी उक्त कालोनियों से ज्यादा दूर नहीं है।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

नर्मदा बांध परियोजना

145. श्री शंकर सिंह वघेला : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा बांध परियोजना के क्रियान्वयन में अब तक की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) उस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या नर्मदा बांध परियोजना के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान सरकारों ने गुजरात सरकार को अपने हिस्से की धनराशि अदा कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) गुजरात सरकार को बकाया धनराशि अदा किए जाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) नवम्बर, 1995 तक परियोजना पर 4326.23 करोड़ रुपये व्यय हुआ है।

(ग) और (घ) . जी नहीं। सरदार सरोवर परियोजना के सम्बन्ध में दिसम्बर, 1995 तक पक्षकार राज्यों से गुजरात सरकार को देय हिस्से का विवरण, निम्नरूप से है :

मध्य प्रदेश		394.28 करोड़ रु०
महाराष्ट्र		62.42 करोड़ रु०
राजस्थान		131 81 करोड़ रु०
	योग	588.51 करोड़ रु०

(ङ) अन्य पक्षकार राज्यों द्वारा गुजरात सरकार को सरदार सरोवर परियोजना पर हिस्से की धनराशि के भुगतान सम्बन्धी मुद्दे पर नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण एवं सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति की बैठकों में विचार-विमर्श किया गया है तथा राज्यों को गुजरात सरकार को देय बकाया राशियों को तत्काल निपटाने की जरूरत से अवगत कराया गया है। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की पुनरीक्षा समिति द्वारा भी इस मुद्दे पर विचार किया गया है जहां बकायादार राज्यों ने गुजरात के साथ द्विपक्षीय बैठकों के माध्यम से इस मुद्दे पर निर्णय करने के लिए सहमति व्यक्त की।

विवरण

सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण में प्रगति :
30.9.1995 तक वास्तविक प्रगति :

क्र.सं.	घटक	खुदाई %	कंक्रीटिंग %	ड्रिलिंग %
1.	मुख्य बांध	92.93	76.85	75.89
2.	नदीतल	94.05	(खुला)	
	विद्युत घर	92.49	(भूमिगत)	
3.	नहर शीर्ष विद्युत घर	पूरी होने वाली है।	98.45	
4.	वदगाम सैडल बांध	कार्य पूरा हो गया है।		
5.	नर्मदा मुख्य नहर (0 से 144 कि०मी०	मिट्टी का कार्य %	लाइनिंग %	कंक्रीट %
		96.59	90.49	65.08
6.	शाखा नहरें फेज-1 (0 से 144 कि०मी०)	80.09	60.99	68.90
7.	वितरण प्रणाली (0 से 144 कि०मी०)	60.38	48.36	42.05

निर्धारित मूल्य पर मिट्टी के तेल की बिक्री

146. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी समस्तीपुर, सुपौल ससहरसा तथा अन्य जिलों में मिट्टी का तेल, उर्वरक, सीमेंट इत्यादि सरकारी मूल्य पर बेचे जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसे सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) और (ख) . केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूतकालिक आधार पर मिट्टी के तेल का नियत मूल्यों पर थोक में आवंटन करती है। इसकी संचालनात्मक जिम्मेदारी, जिसमें अंतिम खुदरा मूल्य नियत करना आदि शामिल है, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है और ऐसा ब्यौरा केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं रखा जाता है। इसके अलावा, मिट्टी के तेल के समानान्तर विपणन के तहत मूल्य बाजार प्रभावों के अधीन होते हैं और समानान्तर विपणन के तहत बेचे जाने वाले मिट्टी के तेल पर कोई मूल्य नियंत्रण नहीं है।

[हिन्दी]

औषधियों की गुणवत्ता

147. श्री काशीराम राणा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को वितरित की जाने वाली अधिकतर औषधियां घटिया किस्म की होती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या औषधियों की गुणवत्ता सम्बन्धी जांच में लगा गुणवत्ता नियन्त्रण तन्त्र निष्क्रिय हो गया है; और

(घ) सरकार द्वारा सी.जी.एच.एस. के लाभार्थियों की औषधियों की उचित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पर्यावरण पर लघु चलचित्र

148. श्री चेतन पी.एस. चौहान : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय ऐसे लघु चलचित्र बनाने का विचार कर रहा है जिनमें सिने जगत के लोकप्रिय कलाकारों द्वारा आम जनता को प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय पहलुओं के सम्बन्ध में जानकारी दी जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है ?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) पर्यावरणीय प्रदूषण के विभिन्न पहलुओं पर आम जनता को शिक्षित करने के उद्देश्य से इस मंत्रालय ने सार्वजनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोकप्रिय कलाकारों वाले लघु चलचित्रों को बनाने के लिए सहायता देने पर विचार किया है।

(ख) और (ग) . हाल ही में कोई विशिष्ट परियोजना मंजूर नहीं की गई है।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं का बिक्री मूल्य

149. डॉ० महादीपक सिंह शाक्य :
श्री नीतीश कुमार :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने विभिन्न राज्यों में खुले बाजार में बेचे जाने वाले गेहूं के मूल्य में वृद्धि कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विभिन्न राज्यों में गेहूं की बिक्री के लिए क्या मूल्य निर्धारित किया गया है;

(घ) उपरोक्त निर्धारण से पूर्व मूल्य सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का उपरोक्त वृद्धि के परिणामस्वरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचे जा रहे गेहूं के मूल्य में वृद्धि का कोई प्रस्ताव है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (घ) . जी, हां। खुले बाजार में गेहूं के बिक्री मूल्यों को नवम्बर, 1995 से युक्तियुक्त बनाया गया था। पूरे देश में खरीदारों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए दूरी और रेल भाड़े पर समुचित ध्यान दिया गया था। ये मूल्य प्रमुख केन्द्रवार निर्धारित किए जा रहे हैं। अप्रैल, 1995 से जनवरी, 1996 तक के गेहूं के निर्धारित किए गए मूल्यों को बताने वाला विवरण संलग्न है।

(ङ) जी, नहीं।

विवरण

अप्रैल, 1995 से जनवरी, 1996 तक के महीनों के लिए गेहूं की खुली बिक्री हेतु निर्धारित किए गए मूल्य

(दर रुपये प्रति मीटरी टन)

क्र.सं.	राज्य का नाम	अप्रैल से जुलाई, 95	28 अगस्त से सितम्बर, 95	अक्तूबर, 1995	केन्द्र	नवम्बर, 1995	दिसम्बर, 95 और जनवरी, 96
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पंजाब	4100	4150	4150	चण्डीगढ़	4150	4150
2.	हरियाणा	4100	4150	4150	चण्डीगढ़	4150	4150
3.	दिल्ली	4150	4200	4150	दिल्ली	4150	4150
4.	उत्तर प्रदेश	4100	4150	4150	लखनऊ	4300	4300
					कानपुर	4300	4300
					वाराणसी	4350	4360
5.	राजस्थान	4150	4200	4250	जयपुर	4300	4300
6.	हिमाचल प्रदेश	4150	4200	4250	शिमला	4250	4250
7.	जम्मू और कश्मीर	4150	4200	4200	जम्मू	4200	4200
					श्रीनगर	4200	4200

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	बिहार	4300	4350	4400	पटना	4420	4420
					रांची	4450	4450
9.	असम	—	—	4450	गुवाहाटी	4450	4600
10.	उड़ीसा	4350	4400	4475	कटक	4500	4500
					भुवनेश्वर	4500	4500
11.	पश्चिम बंगाल	4350	4400	4475	कलकत्ता	4510	4510
					सिल्लीगुड़ी	4520	4520
12.	मध्य प्रदेश	4100	4150	4250	इन्दौर	4350	4350
					ग्वालियर	4280	4480
					रायपुर	4430	4430
13.	गुजरात	4350	4400	4500	अहमदाबाद	4570	4570
					सूरत	4570	4570
14.	महाराष्ट्र	4350	4450	4550	बम्बई	4600	4600
					नागपुर	4560	4560
15.	आन्ध्र प्रदेश	4550	4600	4600	हैदराबाद	4650	4650
					विशाखापट्टनम	4670	4670
16.	कर्नाटक	4550	4600	4650	बंगलौर	4670	4670
					मैसूर	4690	4690
					बेलगांम	4690	4690
17.	तमिलनाडु	4550	4650	4650	मद्रास	4680	4680
					कोयम्बटूर	4700	4700
					मदुरै	4710	4710
18.	केरल	4550	4650	4700	कोचीन	4740	4740
					त्रिवेन्द्रम	4740	4740

1995, अन्य केन्द्रों के डिपुओं पर खुली बिक्री के मामले में नवम्बर, 1995 से उसके सबसे नजदीकी प्रमुख केन्द्र के लिए निर्धारित दरें लागू होंगी।

16.1.1996 से बंदरगाह वाले कस्बों और उसके पास 50 कि०मी० के क्षेत्र में गेहूं का मूल्य 4773/–रुपये है।

1.2.1996 से बरेली को अतिरिक्त केन्द्र के रूप मे जोड़ा गया है और इसके लिए 4150/– रुपये प्रति मीटरी टन का मूल्य निर्धारित किया गया है।

जनवरी, 1996 के मूल्य अगले आदेश तक लागू रहेंगे।

[अनुवाद]

चीनी मिलों की पिराई क्षमता

150. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में 1995-96 के दौरान गन्ने का कितना उत्पादन होने का अनुमान है;

(ख) वर्तमान चीनी मिलों के पास कितने गन्ने की पिराई क्षमता है;

(ग) क्या वर्तमान चीनी मिलें कर्नाटक में उत्पादित सम्पूर्ण गन्ने की पिराई करने में सक्षम है; और

(घ) यदि नहीं, तो कुल उत्पादित गन्ने की पिराई सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) 1995-96 के दौरान कर्नाटक में अनुमानित गन्ना उत्पादन 228.34 लाख टन है।

(ख) 31.12.95 तक कर्नाटक राज्य में वर्तमान चीनी मिलों की कुल पिराई क्षमता 63405 टन गन्ना प्रतिदिन थी।

(ग) और (घ) चीनी मौसम 1994-95 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान कर्नाटक राज्य की चीनी मिलें 118.93 लाख टन पिराई करने में सक्षम थीं। राज्य में चीनी उद्योग की पिराई क्षमता बढ़ाने हेतु सरकार ने 8वीं पंचवर्षीय योजना (1992-93 से 1996-97) (31.12.95 तक) के दौरान नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए 5 आशयपत्र जारी किए थे।

[हिन्दी]

चीनी विकास निधि

151. श्री एन. जे. राठवा : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी मिलों के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए चीनी विकास निधि से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु प्रत्येक राज्य से अभी तक कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त निधि से राज्यवार किन-किन चीनी मिलों ने सहायता प्राप्त की है;

(ग) क्या इन चीनी मिलों ने इस उक्त निधि का पूर्ण उपयोग कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) . 31.12.95 तक आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन के लिए चीनी विकास निधि से सहायता हेतु 186 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से 141 मिलों को वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) . विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए दी गई सहायता का उपयोग एक समयावधि में किया जाता है और इसकी मामला-दर-मामला आधार पर वित्तीय संस्थानों द्वारा मानटरिंग की जाती है। सामान्यतः यह सहायता दो किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त का उपयोग सुनिश्चित करने के पश्चात् ही दूसरी किस्त रिलीज की जाती है।

विवरण

(31.12.1995 को स्थिति के अनुसार)

राज्य का नाम : आन्ध्र प्रदेश

प्राप्त हुए आवेदनों की संख्या	वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली चीनी मिलों के नाम
1	2
12	1. सर्वराय शुगर्स लिमिटेड, पी.ओ. चेल्लेरू, जिला ईस्ट गोदावरी
	2. मैसर्स जयपुर शुगर कम्पनी लि०, चागल्लु, जिला गुंटूर
	3. मैसर्स के.सी.पी. लि0, यूनिट : लक्ष्मीपुरम, जिला कृष्णा (पूर्व चल्लापल्ली)
	4. मैसर्स श्री सर्वराय शुगर लि०, चेल्लेरू, पूर्वी गोदावरी
	5. मैसर्स चोदावरम को आप. लि०, पी.ओ. गोवाडा, जिला विशाखाप्तनम
	6. मैसर्स निजाम शुगर कम्पनी लि०, यूनिट : मेटपल्ली, जि० करीमनगर
	7. मैसर्स निजाम शुगर कम्पनी लि०, मधुनगर
	8. मैसर्स निजाम शुगर कम्पनी लि०, बोब्बिली, सीतानगरम
	9. मैसर्स निजाम शुगर फैक्टरी लि०, बोब्बिली, सीतानगरम
	राज्य का नाम : बिहार
11	1. मैसर्स चम्पारन शुगर कम्पनी लि०, यूनिट : चनपतिया, जिला पश्चिमी चम्पारन
	2. मैसर्स बगहा चीनी मिल्स लि०, पी.ओ. नरियापुर, जिला पश्चिमी चम्पारन
	3. मैसर्स रीगा शुगर कम्पनी लि०, पी.ओ. रीगा, सीतामढ़ी
	4. मैसर्स मोतीलाल पदमपत उद्योग लि०, पी.ओ. मझौलिया, जिला पश्चिमी चम्पारन
	5. मैसर्स रीगा शुगर कम्पनी लि०, पी.ओ. रीगा, जिला सीतामढ़ी, बिहार
	6. मैसर्स विष्णु शुगर मिल्स लि०, पी.ओ. विष्णु सुगर मिल्स, गोपालगंज
	7. मैसर्स न्यू स्वदेशी शुगर मिल्स लि० नटकटियागंज (अवध शुगर मिल्स), जिला पश्चिमी चम्पारन
	8. मैसर्स हरिनगर शुगर मिल्स लि०, पी.ओ. पश्चिमी चम्पारन
	9. मैसर्स रीगा शुगर कम्पनी लि०, रीगा, जिला सीतामढ़ी
	10. मैसर्स विष्णु शुगर मिल्स लि०, गोपालगंज, बिहार
	राज्य का नाम : गुजरात
8	1. मैसर्स सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, जिला बुलसाड़, गुजरात
	2. मैसर्स श्री माधी विभाग खांड उद्योग सहकारी, पी.ओ. माधी, जिला सूरत
	3. मैसर्स उकई प्रदेश सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, खुशालपाड़ा, व्योरा, गुजरात
	4. मैसर्स सयान विभाग खांड उद्योग मंडली लि०, सयान, सूरत, गुजरात
	5. मैसर्स खेदुत सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, बारडोली, सूरत, गुजरात
	राज्य का नाम : कर्नाटक
8	1. मैसर्स दि उग्र शुगर वर्क्स लि०, पी.ओ. उग्र खुर्द, जिला बेलगाम, कर्नाटक
	2. मैसर्स श्री चामुडेश्वरी शुगर्स लिमिटेड, जिला माण्डया
	3. मैसर्स बीदार सहकारी शक्कर कारखाना लि० बीदर
	4. मैसर्स रायबाग एस.एस.के. नियमित रायबाग, बेलगाम

1	2
	5. मैसर्स श्री दूधगंगा एस.एस.के. नियमित लिमिटेड, चिकोडी, जिला बेलगाम
	राज्य का नाम : मध्य प्रदेश
3	1. मैसर्स भोपाल शुगर इंडस्ट्रीज लि0, सिहोरे, जिला सिहोरे
	2. मैसर्स ग्वालियर शुगर कम्पनी लिमिटेड, पी.ओ. डबरा, जिला ग्वालियर
	3. मैसर्स भोपाल शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सिहोरे, जिला सिहोरे
	राज्य का नाम : पंजाब
5	1. मैसर्स भगवानपुरा शुगर मिल्स लि०, धुरी, जिला संगरूर
	2. मैसर्स भगवानपुरा शुगर मिल्स लि०, पी.ओ. धुरी, जिला संगरूर
	3. मैसर्स दि दोआबा को-आपरेटिव शुगर मिल्स लि०, नवांशहर, जिला जालन्धर
	4. मैसर्स दि मोरिन्डा को-आपरेटिव शुगर मिल्स लि०, पी.ओ. मोरिन्डा
	5. मैसर्स दि पंजाब खांड उद्योग लि०, गूनिट जीरा, जिला फिरोजपुर
	राज्य का नाम : तमिलनाडु
10	1. मैसर्स कावेरी शुगर्स एंड केमिकल्स लि०, पी.ओ. पट्टियावईतलाई, जिला त्रिचिरापल्ली
	2. मैसर्स पेरम्बल्लूर शुगर मिल्स लि०, पी.ओ. ईर्राइउर, जिला त्रिचिरापल्ली
	3. मैसर्स अरूणा शुगर्स एण्ड इन्टरप्राइजेज लि०, पन्नाडम, जिला साउथ अरकाट
	4. मैसर्स कावेरी शुगर्स एण्ड केमिकल्स लि० पी.ओ. पट्टियावईतलाई
	5. मैसर्स कल्लाकुरिची को-आपरेटिव शुगर मिल्स लि०, जिला साउथ अरकाट, तमिलनाडु
	6. मैसर्स सेलम को-आपरेटिव शुगर म्लिस लि०, मोहानुर, जिला सेलम, तमिलनाडु
	7. मैसर्स मदुरांटकम को-आपरेटिव शुगर मिल्स लि०, पडालम, जिला चेंगलपट्टू
	8. मैसर्स टिरूट्टनी को–आपरेटिव शुगर मिल्स लि०, तिरूवलनगड़, जिला चेंगलपट्टू
	9. मैसर्स एन.पी.के.आर.आर. को-आपरेटिव शुगर मिल्स लि०, मईलाडुतुरई (तमिलनाडु)

1	2
	राज्य का नाम : उड़ीसा
2	1. मैसर्स अस्का को-आपरेटिव शुगर मिल्स लि०, नौगाम, गंजम
	राज्य का नाम : महाराष्ट्र
49	1. मैसर्स सस्वाद माली शुगर फैक्ट्री लि0, मालीनगर, शोलापुर
	2. मैसर्स रावलगांव शुगर फोर्म्स लि0, रावलगांव, जिला नासिक
	3. मैसर्स प्रवारा एस.एस.के. लि0, प्रवारानगर, जिला अहमदनगर
	4. मैसर्स गंगापुर एस.एस.के. लि0, रघुनाथनगर, औरंगाबाद
	5. मैसर्स श्री सोमेश्वर एस.एस.के. लि0, पो.आ. सोमेश्वरनगर, पुणे
	6. मैसर्स बेलागनाग एस.एस.के. लि0, भारेस, पो.आ. चालीसगांव जिला उलगांव
	7. मैसर्स श्रीदत्ता एस.एस.के. लि0, फालटन, जिला सरारा
	8. मैसर्स दी गिरिना एस.एस.के. लि0, पो.आ. डोभेदी, जिला नासिक
	9. मैसर्स श्रीराम एस.एस.के. लि0, पो.आ. फाल्टन जिला सरारा
	10. मैसर्स भीम एस.एस.के. लि0, पाटस, पो.आ. मधुकरनगर, पुणे
	11. मैसर्स राजाराम बाबू पाटील एस.एस.के. लि0, राजाराम बाबू नगर, पो.आ. सखराल, सांगली
	12. मैसर्स मधुकर एस.एस.के. लि0, मधुकरनगर, नाहिर मार्ग, फैजपुर, जलगांव
	13. मैसर्स शिरपुर शेतपुरी एस.एस.के. लि0, शिराजीनगर (दोहिवड़)
	14. मैसर्स अम्हाजोगई एस.एस.के. लि0, पो.आ. अम्बसकर जिला बीड़
	15. मैसर्स श्री दत्ता एस.एस.के. लि0, दत्तनगर, पो.आ. शिरोल, जिला कोल्हापुर
	16. मैसर्स आजिन्कयतार एस.एस.के. लि0, शाहुनगर, पो.आ. शेन्द्र सतारा
	17. मैसर्स सहकार मलमहर्षि शंकरराव मोहता पाटिल एस.एस.के. लि0, शंकरनगर, पो.आ. अकलुग, जिला शोलापुर
	18. मैसर्स गंगापुर एस.एस.के. लि0, पो.आ. रघुनाथ नगर, जिला औरंगाबाद
	19. मैसर्स सतारा एस.एस.के. लि0, पो.आ. भुंज, किसानवीर, सतारा

1	2
	20. मैसर्स श्री दयानेश्वर एस.एस.के. लि0, दयानेश्वरनगर, पो.आ. भिण्ड, जिला अहमदनगर
	21. मैसर्स पूर्ण एस.एस.के. लि0, पो.आ. वसमथनगर, जिला परभनी
	22. मैसर्स श्री शंकर एस.एस.के. लि0, पो.आ. सदाशिवनगर, जिला शोलापुर
	23. मैसर्स जग भवानी एस.एस.के. लि0, गाधी, तह० गेवरई, बीड
	24. मैसर्स शेतकारी एस.एस.के. लि0, पो.आ. सांगली, जिला सांगली
	25. मैसर्स श्री विठल एस.एस.के. लि0, वेणुनगर, गुरसाल, तालुक, पाधरपुर, जिला शोलापुर
	26. मैसर्स श्री वारना एस.एस.के. लि0, वारना नगर, महाराष्ट्र
	27 मैसर्स शहादरी एस एस.के. लि0, यशवंतनगर, तह० कराड जिला सतारा
	28. मैसर्स वसन्तराव दादा पाटिल एस.एस.के. लि0, विथेवाड़ी (लोहानुर), तह० काल्वन, जिला नासिक
	29. मैसर्स समरथ एस.एस.के. लि0, तालना, जिला जालना
	30. मैसर्स वसन्त एस.एस.के. लि0, पुसाद, जिला यावतमल
	31. मैसर्स गोदावरी मनार एस.एस.के. लि0, बिल्लोली, नादिड
	32. मैसर्स साहदरी एस एस.के. लि0. सतारा महाराष्ट्र
	33. मैसर्स जवाहर एस.एस.के. लि0, हुपाड़ी, कोल्हापुर
	34. मैसर्स भोगावती एस.एस.के. लि0, शाहुनगर कोल्हापुर
	35. मैसर्स छत्रपती शाहु एस.एस.के. लि० कागल कोल्हापुर (महाराष्ट्र)
	36. मैसर्स व्रिदेश्वर एस.एस.के. लि0, आदिनाथ नगर, अहमदनगर
	37. मैसर्स डॉल्ट एस.एस.के. लि0, चांगोड, कोल्हापुर एस०एस०
	राज्य का नाम : उत्तर प्रदेश
75	1. मैसर्स काव्पोर शुगर वर्क्स लि0, सुथेरलैण्ड हाउस, पो.आ. बाक्स : 257, सिविल लाइन, कानपुर
	2. मैसर्स दि शिभ्भोली शुगर मिल्स लि0, पो.आ. शिभ्भोली, जिला गाजियाबाद
	3. मैसर्स बलरामपुर चीनी मिल्स लि0, पो.आ. बलरामपुर, जिला गोंडा
	4. मैसर्स सर सहादीलाल एन्टरप्राइजेज लि0, इकाई : डॉब-शुगर मिल्स लि0, पो.आ. फामली, मिला : मुजफ्फरनगर
	5. मैसर्स दि धामपुर शुगर मिल्स लि0 धामपुर, विजनौर

1	2
	6. मैसर्स दि यूनाइटेड प्रोविन्सेस शुगर कं0 लि0, सुराही, डोरिया
	7. मैसर्स दि बलरामपुर चीनी मिल्स लि0, पो.आ. बलरामपुर, जिला गोंडा
	8. मैसर्स स्वदेशी माइनिंग एण्ड मेन्यूफैक्चरिंग कं0 लि0, गनेश शुगर मिल्स, पो.आ. : आनन्दनगर, जिला गोरखपुर
	9. मैसर्स सरया शुगर मिल्स लि0, पो.आ. सरदारनगर, पो.आ गोरखपुर
	10. मैसर्स त्रिवेणी इंजी0 वर्क्स लि0, पो.आ. काथुली, जिला मुजफ्फरनगर
	11. मैसर्स केशर एन्टरप्राइजेज लि0, पो.आ. बहेरी, जिला बरेली
	12. मैसर्स शेरवानी शुगर सिंडीकेट लि0, पो.आ. नवेली, जिला ईटा
	13. मैसर्स के0एम0 शुगर मिल्स लि0, पो.आ. मोतीनगर, जिला फैजाबाद
	14. मैसर्स दि सेकसरिया बिस्वान शुगर फैक्ट्री लि0, पो.आ. बिस्वान जिला सीतापुर
	15. मैसर्स दि एल०एच० शुगर फैक्ट्रीज लि0, यूनिट पीलीभीत
	16. मैसर्स सर शादीलाल एन्टरप्राइजेज लि0, यूनिट : अपर डॉब-शुगर मिल्स, पो.आ. शामली, जिला मुजफ्फरनगर
	17 मैसर्स बलरामपुर चीनी मिल्स लि0, बलरामपुर, गोंडा (उ0प्र0)
	18. मैसर्स बलरामपुर चीनी मिल्स लि0, बलरामपुर, गोंडा (उ0प्र0)
	19. मैसर्स तुलसीपुर शुगर कं0 लि0, पो.आ. तुलसीपुर, जिला गोंडा (उ0प्र0)
	20. मैसर्स दि शंकर शुगर मिल्स लि0, पो.आ. कप्तानगंज, जिला देवरिया
	21. मैसर्स दि सेकसरिया शुगर मिल्स लि0, बामनां, गोंडा
	22. मैसर्स अपर गंगा शुगर्स एण्ड इंडस्ट्रीज लि0, शिवहारा
	23. मैसस बलरामपुर चीनी मिल्स लि0, बलरामपुर, गोंडा
	24. मैसर्स सेकसरिया बिस्वान शुगर फैक्ट्री लि0, बिस्वान सीतापुर
	25. मैसर्स दि खालीबाद शुगर फैक्ट्री प्रा0 लि0, खालीबाद, बस्ती
	26. मैसर्स आजुधिया शुगर मिल्स, राजा का सहासपुर, मुरादाबाद

1	2
27.	मैसर्स किनोरिया शुगर एण्ड जनरल मैनुफेक्चरिंग कं0 लि0, कप्तानगंज, जिला देवरिया
28.	मैसर्स रामला सहकारी चीनी मिल्स लि0, पो.आ. रामला जिला मेरठ
29.	मैसर्स किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, पो.आ. नानोटा जिला सहारनपुर
30.	मेसर्स किसान कोपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि0, पो.आ. सरसवा जिला सहारनपुर
31.	मैसर्स सरजू सहकारी चीनी मिल्स लि0, पो.आ. बेलरियां जिला लखिमपुर-खेरी
32.	मैसर्स बिसालपुर किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, पो.आ. बिसालपुर, जिला पीलीभीत
33.	मैसर्स किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, सेमिखेरा, जिला बरेली
34.	मैसर्स किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, संपुर नगर, जिला लखिमपुर, खेरी
35.	मैसर्स किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, सितारगंज, जिला नैनीताल
36.	मैसर्स दि बाजपुर कोप0 शुगर फैक्ट्री लि0, बाजपुर, जिला नैनीताल
37.	मैसर्स दि बागपत कोपरेटिव शुगर मिल्स लि0, बागपत, मेरठ
38.	मैसर्स किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, पो.आ. : गदरपुर, जिला नैनीताल
39.	मैसर्स दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, यूनिट: गजरौला मुरादाबाद
40.	मैसर्स किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, यूनिट: अनूपशहर जिला बुलन्दरशहर
41.	मैसर्स किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, यूनिट: तिलहर, जिला शाहजहांपुर
42.	मैसर्स गंगा किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, यूनिट: मोरना
43.	मैसर्स किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, यूनिट: पुरानापुर
44.	मैसर्स किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, यूनिट: पोवायना
45.	मैसर्स किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, महमूदाबाद, सीतापुर
46.	मैसर्स सरस्वती किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, यूनिट: नानपाडा, जिला बहरीच
47.	मैसर्स किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, घोसी, जिला मऊ
48.	मैसर्स किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, घोसी, जिला मऊ
49.	मैसर्स यू०पी० स्टेट शुगर कोरपोरेटिव लि0, यूनिट: सिस्सा-बाजार गोरखपुर
50.	मैसर्स यू०पी० स्टेट शुगर कोरपोरेटिव लि0, यूनिट: हरदोई, जिला हरदोई
51.	मैसर्स यू०पी० स्टेट शुगर कोरपोरेटिव लि0, यूनिट: जरवाल रोड़, बहरीच
52.	मैसर्स यू०पी० स्टेट कोरपोरेटिव लि0, यूनिट: दोईवाला, जिला देहरादून
53.	मैसर्स छाता शुगर को0 लि0, (यू०पी० स्टेट शुगर कोरपोरेटिव लि0 की सहायक) छाता, मथुरा
54.	मैसर्स दि यू०पी० स्टेट शुगर कोरपोरेटिव लि0, यूनिट: सहारनपुर
55.	मैसर्स यू०पी० स्टेट शुगर कोरपोरेटिव लि0, यूनिट: मोहिद्दिनपुर, मेरठ
56.	मैसर्स यू०पी० स्टेट शुगर कोरपोरेटिव लि0, यूनिट: बुलन्दरशहर
57.	मैसर्स गंगेश्वर लि0, देवबंद, सहारनपुर (उ0प्र0)

राज्य का नाम : नागालैण्ड

प्राप्त हुए आवेदनों की संख्या	वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली चीनी मिलों के नाम
1	–

राज्य का नाम : हरियाणा

प्राप्त हुए आवेदनों की संख्या	वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली चीनी मिलों के नाम
2	–

उत्तर प्रदेश की लम्बित परियोजनाएं

152. श्री जीवन शर्मा : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की कुछ विकास परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास पर्यावरणीय और वन सम्बन्धी अनुमति हेतु लम्बित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार ऐसी कौन-कौन सी परियोजनाएं हैं और वे किन-किन क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं;

(ग) ये परियोजनाएं कब से लम्बित हैं और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन परियोजनाओं को कब तक अनुमति दिए जाने की सम्भावना है ?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) जो, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) परियोजना प्रस्तावक से सभी अपेक्षित सूचना और संगत ब्यौरे प्राप्त होने की तारीख से 90 दिन की निर्धारित समयावधि के भीतर परियोजना प्रस्तावों की मंजूरी के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लिया जाता है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	प्राप्त होने की तारीख	लम्बित होने के कारण
(क)	**पर्यावरणीय मंजूरी**		
1.	संशोधित मध्य गंगा नहर चरण-I सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, मेरठ।	जुलाई, 95	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
2	मैसर्स फैसफिक इलैक्ट्रिक पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा एटा जिले में जवाहरपुर ताप विद्युत संयंत्र (2x400 मे० वा)	सितम्बर, 95	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
3.	मैसर्स इण्डो गल्फ फर्टिलाइजर एंड कैमिकल लि० का बिजनौर जिले में समन्वित चीनी व कागज परियोजना	मई, 95	कार्यवाही की जा रही है।
4.	मैसर्स धामपुर शूगर मिल्स लि0 30 के एलपीडी से 100 केएलपीडी से एकेटाल्डेहाइड का इथिला एल्कोहल 30 एमटीपीडी टाटा तथा एसेटिक एसिड का 30 एमटीपीडी से 60 एमटीपीडी और एण्टोग्ड्राइड एसेरिफ	जुलाई, 95	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
5.	मैसर्स के एस0 शुगर मिल्स का फैजाबाद की डिस्टीलरी यूनिट	अगस्त, 1995	कार्यवाही की जा रही है।
6.	मैसर्स माल्विका स्टील लि0 का जगदीशपुर में 0.45 एमटीपीए कोक ओवन संयंत्र	सितम्बर, 95	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
7.	टाटा बाब्राला फर्टिलाइजर प्लाण्ट द्वारा डूअल फायरिंग सिस्टम को अपनाना	सितम्बर, 95	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
8.	झिरौली मैग्नासाइट खान मैसर्स अल्मोडा मैग्नासाइट लि०	जून, 1993	जांच के अन्तिम चरण में है।
9.	बीना खान नं० 2 मैसर्स एनसीएल	जनवरी, 93	कार्यवाही की जा रही है।
10.	पथौरागढ़ जिले में सुखी धांग लैथिगावांग पुल मार्ग का निर्माण	जुलाई, 95	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
11.	जिला अल्मोड़ा बागेश्वर में कपकोट कर्मी मोटर मार्ग (8 कि०मी० से 19 कि०मी०) का निर्माण	अगस्त, 95	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
12.	पिथौरागढ़ जिले में चौबट्टिया–कनालोखेत–बामसन मोटर रोड़ (8 कि०मी० से 16 कि०मी०) का निर्माण	सितम्बर, 95	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
13.	रानारी गांव से जोशिवारा की ओर एल0वी0 रोड़ का निर्माण	दिसम्बर, 95	जांच की जा रही है।
(ख)	**वानिकी मंजूरी**		
14.	टिहरी में विस्थापित लोगों का पुनर्वास 228 हे0	नवम्बर, 95	कार्यवाही की जा रही है।
15.	अल्मोड़ा मैग्नासाइट लि० को पट्टे का नवीनीकरण 118.79 हे०	सितम्बर, 95	कार्यवाही की जा रही है।
16.	तेखाला महिन्दान्दा मोटर मार्ग 5.39 हे०	दिसम्बर, 95	कार्यवाही की जा रही है।
17.	33 के0वी0 असोधारापुर 11.7 हे०	दिसम्बर, 95	कार्यवाही की जा रही है।
18.	तवाघाट जिप्सी मोटर मार्ग 54.22 हे०	दिसम्बर, 95	कार्यवाही की जा रही है।
19.	सोनला कथारी नारायण बगड़ मोटर मार्ग चमोली 25.6 हे०	जनवरी, 96	कार्यवाही की जा रही है।
20.	नैनीताल में कौरबा मोर्ना सारघाट मोटर मार्ग 23.49 हे०	जनवरी, 96	कार्यवाही की जा रही है।
21.	अल्मोड़ा में डंगोली सयाली छाल्या हरिनगर कुलोन मोटर मार्ग 2.341 हे०	जनवरी, 96	कार्यवाही की जा रही है।
22.	पौड़ी में कोटद्वार कालागढ़ रामनगर मोटर मार्ग 63.894 हे०	जनवरी, 96	कार्यवाही की जा रही है।
23.	पिथौरागढ़ में जोली कन्याल टोंक समूह की पाइप लाइन बिछाना	जनवरी, 96	कार्यवाही की जा रही है।
24.	पौड़ो में उमेट्टाखाल ग्राम समूह डॉ० डब्ल्यु एस०एस० 0.3630	जनवरी, 96	कार्यवाही की जा रही है।
25.	टिहरी में पीरगढ़ रेंज में वन भूमि का नवनीकरण 0.574 हे०	जनवरी, 96	कार्यवाही की जा रही है।

निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाएं

153. **श्री सत्यदेव सिंह :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निर्माणाधीन बड़े तथा मध्यम बांधों की संख्या क्या है;

(ख) इन बांधों के निर्माण से कितनी एकड़ कृषि योग्य भूमि के जलमग्न हो जाने की संभावना है; और

(ग) इससे क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू : (क) आठवीं योजना में 158 बड़ी, 226 मध्यम एवं 95 विस्तार/नवीनीकरण/आधुनिकीकरण सिंचाई योजनाओं को लिया गया है।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा हो जाने पर 24.812 मिलियन हेक्टेयर अनुमानित अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित होने की संभावना है।

[अनुवाद]

भारतीय गुणवत्ता परिषद् की स्थापना

154. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारतीय गुणवत्ता परिषद् की स्थापना करने का निर्ण किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्तावित परिषद् के क्या-क्या कार्य और उद्देश्य होंगे;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है और क्या इस प्रस्तावित परिषद् के शाखा कार्यालय विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे;

(घ) क्या भारतीय मानक ब्यूरो इस प्रस्तावित परिषद् का अंग होगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो क्या परिषद् के कार्य ब्यूरो के कार्यों की पुनरावृत्ति मात्र नहीं होंगे ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (नागरिक आपूर्ति विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) सरकार ने सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में पंजीकृत भारतीय गुणवत्ता परिषद् स्थापित करने का निर्णय किया है। उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) भारतीय गुणवत्ता परिषद् से सम्बन्धित सभी मामलों के लिए केन्द्रक मंत्रालय के रूप में कार्य करेगा।

(ख) भारतीय गुणवत्ता परिषद् के लिए विचारित मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :–

(एक) निर्यात बाजारों पर विशेष बल देते हुए अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता की धारणा को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय गुणवत्ता अभियान शुरू करना।

(दो) दो राष्ट्रीय प्रत्यापन बोर्डों के जरिए उत्पादों तथा गुणवत्ता प्रणाली प्रमाणन, परीक्षण तथा अंशांकन प्रयोगशालाओं और गुणवत्ता प्रबन्ध कार्मिकों एवं प्रशिक्षण संगठनों के लिए एक राष्ट्रीय प्रत्यायन स्कीम तैयार करना।

(तीन) सूचना के व्यापक प्रसार तथा गुणवत्ता सम्बन्धी मामलों पर सलाह के लिए एक सूचना तथा पूछताछ सेवा गठित करना।

भारतीय गुणवत्ता परिषद् के लिए परिकल्पित मुख्य उद्देश्य भारत में गुणवत्ता सम्बन्धी सभी कार्यों पर निगरानी रखने के लिए एक राष्ट्रीय केन्द्र प्रदान करना है, ताकि देश के भीतर तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार दोनों में ही भारतीय वस्तुओं तथा सेवाओं की पण्यता में सुधार किया जा सके।

(ग) परिषद् गछिठत करने का निर्णय, सभी सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करने के बाद किया गया है। इस समय परिषद् के शाखा कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) भारतीय मानक ब्यूरो की भारतीय गुणवत्ता परिषद् में एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। भारतीय गुणवत्ता परिषद् में इसका उसके एक सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व होगा तथा यह (क) अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाने/सुमेलित करने और (ख) राष्ट्रीय गुणवत्ता अभियान के आयोजना तथा प्रबन्धन के बारे में सलाह देगा। भारतीय मानक ब्यूरो राष्ट्रीय सूचना तथा पूछताछ सेवा के लिए भी जिम्मेदार होगा और अपने परीक्षण तथा प्रमाणन कार्यों को जारी रखेगा।

(च) भारतीय गुणवत्ता परिषद् द्वारा किए जाने वाले कार्य न तो भारतीय मानक ब्यूरो की मौजूदा जिम्मेदारियों, शक्तियों तथा कार्यों की पुरावृत्ति होगी और न ही वे उन्हें प्रभावित करेंगे।

वनस्पति उद्योग

155. **श्री दिलीपभाई संघाणी :**
डॉ० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी :

क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले ओर सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रण की तीन-विस्तरीय व्यवस्था का वनस्पति उद्योग द्वारा विरोध किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) देश में वनस्पति उद्योग द्वारा व्यक्त किए गए रोष को समाप्त करने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(घ) सरलीकृत प्रक्रिया को कब तक लागू किए जाने की संभावना है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) और (ख) . सरकार की खाद्य तेल नीति की मुख्य बात गुणवत्ता वाले खाद्य तेल तथा वनस्पति की आपूर्ति करना है। तदनुसार, विभिन्न अभिकरणों द्वारा नियमित आधार पर गुणवत्ता मानकों, आवधिक नमूना जांचों आदि के लिए गुणवत्ता सम्बन्धी जांच की जाती हैं। वनस्पति उद्योग इन अभिकरणों द्वारा की जाने वाली जांच के बारे में सरकार को लिखता रहा है। इस समय वनस्पति उद्योग केवल अवस्थिति सम्बन्धी प्रयोजनों को छोड़कर लाइसेंस मुक्त है।

(ग) और (घ) . खाद्य क्षेत्र के बारे में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक क्षेत्रीय समन्वय समिति गठित की गई है, जिसका उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, खाद्य के क्षेत्र में विभिन्न संगठनों के कार्य क्षेत्रों की स्पष्ट सीमा तय करना तथा विभिन्न संगठनों के मानक निर्धारण, प्रमाणन तथा गुणवत्ता आश्वासन को युक्तियुक्त बनाना है। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सरकार ने समिति की सिफारिशों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

खाद्य मंत्रालय के अधिकारियों के सम्बन्ध में अतारांकित प्रश्न संख्या 243 के 1.8.95 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला तथा इसमें हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : मैं खाद्य मंत्रालय के अधिकारियों के सम्बन्ध में पहली अगस्त, 1995 को उत्तरित लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 243 के उत्तर के अंग्रेजी और हिन्दी पाठों की ओर ध्यान आकृष्ट करता हूं। उपर्युक्त प्रश्न के भाग (घ) का निम्नलिखित उत्तर दिया गया था :–

> "वर्ष 1993-94 के दौरान किसी संसद सदस्य ने खाद्य मंत्रालय तथा इसके सम्बद्ध कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा किए गए अवैध आर्थिक पक्षपात के बारे में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सूचित नहीं किया है"।

2 उपर्युक्त प्रश्न के भाग (घ) का सही उत्तर निम्नानुसार पढ़ने की कृपा करें :–

"इस मंत्रालय के पास ऐसी कोई रिपोर्ट/सूचना नहीं है"।

3 प्रश्न के भाग (क), (ख) और (ग) के दिए गए उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं है।

विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

उत्तर को सही करने में हुए विलम्ब का कारण यह है कि माननीय संसद सदस्य से प्राप्त पत्र-विशेष के संदर्भ में वास्तविक स्थिति/सूचना की जांच की जानी थी और वह सम्बन्धित प्रभाग/सम्बद्ध कार्यालय से एकत्र की जानी थी।

12.02 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा 2.30 बजे म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

2.32 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.32 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

हवाला मामले के सम्बन्ध में

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, हमने एडजर्नमेंट मोशन दिया है। उसमें हमने आग्रह किया है कि इस हवाला कांड को लेकर पूरा देश चिन्तित है, यह बहुत बड़े करप्शन का मामला है। इस मामले को लेकर बहुत सारे मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, बहुत सारे मैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट इस्तीफा दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हवाला कांड के सम्बन्ध में सी०बी०आई० को यह निर्देश दिया है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ जो फाईल है, उसको बंद मत करें और उसको जांच में रखे। इसलिए आपसे आग्रह है कि जब प्रधानमंत्री के खिलाफ सी०बी०आई० जांच कर रही है तो उस प्रधानमंत्री को अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री को हटाइये और दूसरा प्रधानमंत्री इलैक्ट करें। तब आप हाऊस की कार्यवाही चलाएं, उसमें हम सब लोग को-आपरेट करने को तैयार हैं। ..... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हमने स्थगन प्रसताव भी दिए हैं। कई मंत्रियों ने त्याग-पत्र दिए हैं और प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल हैं। यह उल्लेख किया गया है कि उन्होंने भी पैसा लिया है। ..... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : अध्यक्ष महोदय, हमने एडजर्नमेंट मोशन दिया है। यह जूनियर मैम्बर के साथ ज्यादती है। कई मिनिस्टरों ने इस्तीफा दिया है, तब इनको प्रधानमंत्री बने रहने का क्या अधिकार है ? मैंने एडजर्नमेंट मोशन दिया है। पहले मेरी बात सुनी जाए ..... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : इस कांड में सारा मंत्रिमंडल शामिल है। स्वयं प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल हैं। ..... **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : प्रधानमंत्री भी हवाला मामले में शामिल हैं। ..... **(व्यवधान)**

श्री रूपचन्द पाल : प्रधानमंत्री को पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। समस्त मंत्रिमंडल तथा समस्त सरकार भ्रष्टाचार में शामिल है। ..... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : अध्यक्ष महोदय, हमने ऐडजर्नमेंट मोशन दिया था। सुबह से हमें बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। ..... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : प्रधानमंत्री को आकर इसे स्पष्ट करना चाहिए। ..... **(व्यवधान)**

श्री अमल दत्त (डायमंड हारबर) : उन्हें इस सम्बन्ध में एक व्यक्तव्य देना चाहिए कि वे इसमें शामिल नही है। ..... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनके मंत्रिमंडल के इतने लोगों के ऊपर आरोप हैं, फिर वह प्रधानमंत्री कैसे बने हुए हैं ? ..... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।*

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप एक विशेषाधिकार का मुद्दा उठाना चाहते हैं।

..... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : ये कैसे बोल रहे हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : स्पीकर साहब ने उनको अलाऊ किया है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सदन का संचालन करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है मंत्री जी। सदन का संचालन स्पीकर साहब करेंगे। ..... **(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : ऐसे नहीं चलेगा। सुबह से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे बोलने का मौका दिया जाए। ..... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, हमारे स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बताऊंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे एक दूसरे के साथ तथा पीठासीन अधिकारी के साथ सहयोग करने का अनुरोध करता हूं। जब सुबह मैं एक बैठक में भाग ले रहा था तो मुझे स्थगन प्रस्ताव तथा विशेषाधिकार हनन की सूचनाएं प्राप्त हुई थीं। बैठक के तुरन्त पश्चात् मैं सभा में आया हूं। मुझे आपके स्थगन प्रस्तावों पर विचार करना चाहिए ताकि उन को 'स्वीकार' या अस्वीकृत किया जा सके।

अब यदि वे सूचनाएं हैं तो मैंने उनको अस्वीकृत नहीं किया है, बल्कि वे मेरे पास हैं। लेकिन आपने अंतिम क्षण में सूचनाएं दी हैं। यदि वे मरे पास अंतिम क्षण आएगी, तो मुझे इसमें कठिनाई होती है

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : उसमें हमारी कोई गलती नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इन सूचनाओं पर अपना दिमाग लगाना मुझे कठिन लगता है। मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। यदि आप सभा में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, तो आप इस बात के प्रति आश्वस्त रहें कि आपको अवसर मिलेगा। लेकिन आप मेरे साथ इस बात पर सहमत होंगे कि जिस तरह से हम सभा में व्यवहार करते हैं, उससे हम देश को यह दिखा सकेंगे कि हम यथासंभव सर्वोत्तम ढंग से अपने कार्य कर रहे हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो लोग हमारी आलोचना करेंगे और हमारे पास उन आलोचनाओं का भी कोई उत्तर नहीं होगा। सूचनाएं मेरे पास हैं। मैं उन पर विचार करूंगा। तब मैं उनको स्वीकार या अस्वीकार करूंगा। यदि मुद्दे उठाने हैं, तो मैं उन्हें उठाने की अनुमति प्रदान करूंगा। यदि उनको उठाया नहीं जा सकता तो मैं उसे स्पष्ट करूंगा। अध्यक्ष से कारणों को स्पष्ट करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। लेकिन फिर भी मै उन कारणों को स्पष्ट करूंगा जिनकी वजह से आपकी सूचनाओं को स्वीकार नहीं किया गया है। मैं विनिर्णयों को भी उद्धृत करूंगा। लेकिन यदि आप उनका पालन नहीं करते और यदि आप यह सोचते है कि आप यह अपने ढंग से कर सकते हैं तो यह उचित नही है। इसके अतिरिक्त, आपके पास उन सभी मामलों पर चर्चा करने का अवसर होगा जिन पर आप चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन इस पर उसी ढंग से चर्चा होनी चाहिए जैसे होनी चाहिए अन्यथा, यदि प्रत्येक सदस्य इस पर अपने ढंग से चर्चा करना चाहता है तो सभा में अव्यवस्था होगी और आप सामान्य चर्चा नहीं होने देंगे। सामान्य चर्चा केवल तभी हो सकती है जब आप पीठासीन अधिकारी द्वारा दिये गए विनिर्णयों के अनुसार चलेगें, अन्यथा, यह चर्चा संभव नहीं होगी।

श्री रूपचन्द पाल : हमने स्थगन प्रस्ताव के लिए सूचना इस सभा के नियम तथा प्रक्रियाओं के अनुसार दी है। स्थगन प्रस्ताव का एक विशेष अर्थ होता है कि सभा को स्थगित किया जाए क्योंकि एक घटना हुई है। हवाला कांड एक ऐसी घटना है जिस पर स्थगन प्रस्ताव होना चाहिए। महोदय, हमने अपना प्रस्ताव 10 बजे पर दिया है और हमें इसकी बहुत आशा है कि इस पर अनुमति प्रदान की जाए ..... **(व्यवधान)**

श्री अमल दत्त : आप कृपया अपने विवेक का प्रयोग कीजिए। ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। अब इस तरह के तर्क-वितर्क जारी नहीं रख सकते। यदि हवाला मामला है, तो यह एक तत्काल उठाने का मामला नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : क्या इससे अधिक महत्वपूर्ण कोई और मामला है ? ..... **(व्यवधान)**

श्री अनिल बसु (आराम बाग) : यह बहुत तात्कालीक है ..... **(व्यवधान)**

श्री अमल दत्त : इससे अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं है **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मुझे अपनी बात पूरी करने दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप पहले मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। लेकिन चर्चा किस रूप में होनी है, इसका निर्णय किया जाना है। आप कृपया इसे समझिए। यह क्या हो रहा है ?

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : हमने नियमों का पालन किया है। हमने नियमों के अनुसार स्थगन प्रस्ताव दिया है ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ वह कहेगी उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाएगा।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने की अनुमति प्रदान करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद ..... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली फातमी : और लोगों को तो मौका मिलता है लेकिन हमको मौका ही नहीं मिलता है। ..... **(व्यवधान)** ..... हवाला में कई मिनिस्टर गए। ..... **(व्यवधान)** ..... प्रधानमंत्री को अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। ..... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, यह एक तथ्य है कि दिन-प्रतिदिन मूल्य-आधारित राजनीति का ह्रास हो रहा है और इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, मेरे विचार से देश के हित में यह होगा कि लोक पाल विधेयक को आगामी आम निर्वाचनों से पूर्व पारित किया जाए ताकि भ्रष्ट लोग बाहर चले जाएं।

महोदय, मैं भी एक कांड के बारे में मामला उठाना चाहती हूं जो हमारे देश की प्रतिष्ठा से सम्बन्धित है; और वह विल्स वर्ल्ड कप क्रिकेट 1996 का 'पिलकाम' है। उन्होंने विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम का उल्लघंन किया है। एक संयोजक श्री डालमिया विदेश से हजारों डालर ले रहा है। इस धनराशि को राजनैतिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जा रहा है। यह धनराशि सी.पी.आई. (एम) पार्टी के पास भी गई है। श्री डालमिया ने देश की साख गिराई है।

महोदय, हमारे गृह मंत्री और वित्त मंत्री यहां उपस्थित हैं, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करती हूं कि इस मामले में यह पता लगाने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जानी चाहिए कि इस धनराशि को कैसे खर्च किया गया है, यह धनराशि कहां से आई है, इसको किसने प्रायोजित किया है, ताकि देश की साख को फिर से कायम किया जा सके ..... **(व्यवधान)** ..... यह बहुत बड़ा घोटाला है। वे हवाला के बारे में कह रहे हैं। यह हवाला से अधिक है पिलकाम घोटाला में हजारों डालर का है, अन्तर्ग्रस्त ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी इन स्थगन प्रस्तावों में रुचि है। मैंने यह सोचा था कि आप चर्चा कटवाना चाहती हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : नहीं, महोदय, हम स्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत चर्चा चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि श्री बसुदेव आचार्य स्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत चर्चा करना चाहते हैं तो मैं नियम पढ़ कर सुनाऊंगा, मैं उसकी सूचना को पढ़ूंगा और उसे यह उचित ठहराना पड़ेगा कि यह स्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत कैसे आ सकता है। नियम 56 में यह बताया गया है :–

> "इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन, तात्कालिक लोक महत्व के एक निश्चित मामले पर चर्चा करने के लिए कार्य स्थगन के लिए प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से किया जा सकता है।"

अब आप कृपया अपने स्थगन प्रस्ताव को लीजिए और कृपया यह बताइएं कि इसमें निश्चित क्या है, मुझे बताइएं कि इस में तात्कालीक क्या है और मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मामला ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया पहले अपनी सूचना पढ़ कर सुनाइएं और मुझे यह दिखाइएं कि इसमें निश्चित क्या है, इसमें तात्कालीक क्या है, जिसके कारण देश को नुकसान होगा जिसके कारण अन्य लोगों को नुकसान होगा।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : यह मामला निश्चित है ..... **(व्यवधान)** कई मंत्रियों ने त्याग-पत्र दे दिया है, यह अभूतपूर्व है ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : तात्कालीक क्या है ?

श्री बसुदेव आचार्य : प्रधानमंत्री का नाम भी लिया गया है। वे भी कथित रूप से भ्रष्टाचार में शामिल हैं ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप कह रहे हैं, कई मंत्री इसमें तात्कालीक और निश्चित क्या है ?

श्री बसुदेव आचार्य : इसी कारण से हम केवल स्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत चर्चा चाहते हैं।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने श्री बसुदेव आचार्य से उनकी सूचना के बारे में पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे भी यह प्रस्तुत करने के लिए कहूंगा।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, क्या मैं प्रस्तुत कर सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं बाद में। मैं उन सभी को जिन्होंने सूचनाएं दी हैं, यह बताने का अवसर प्रदान करूंगा कि यह निश्चित तथा तात्कालीक कैसे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं। मेरे विचार से यहां तक कि सत्ता पक्ष के लोग भी इस से सहमत होंगे कि यह मामला सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ..... **(व्यवधान)** ..... जहां तक समूचे देश का सम्बन्ध इससे है। मुझे विश्वास है कि इस पर विवाद नहीं है ..... **(व्यवधान)** ..... मैं जानता हूं कि आप अत्यधिक व्यथा में है। आप और अधिक व्यथा में होंगे मुझे इसकी जानकारी है और आपकी पीड़ा में आपके साथ एक सहभागी हैं। मैं जानता हूं कि ..... **(व्यवधान)** ..... लेकिन प्रश्न यहां यह है कि ऐसे चौंकाने वाले तथ्यों के सामने आने के बाद एक प्रभुसत्ता सम्पन्न संसद की बैठक कैसे हो रही है ? उच्चतम न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है, केन्द्रीय जांच ब्यूरो जो सबसे महत्वपूर्ण जांच एजेंसी है, को उच्चतम न्यायालय ने निदेश दिया है। मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ा। उन्होंने अपनी इच्छा से त्यागपत्र नहीं दिया है, उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। उच्चतम न्यायालय ने कहा है, 'जांच बन्द न करें', अब, यदि भारत की संसद इस पर चर्चा नहीं करती है तो इस पर चर्चा कौन करेगा ?

महोदय, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है – हम यह अपील कल से कह रहे हैं कि हमें इस पर सभा में चर्चा करने दी जाए, यह एक तरीका हमें मालूम है और वह है, स्थगन प्रस्ताव का। स्थगन प्रस्ताव के लिए सूचनाएं दी गई हैं। मैं अति नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि इसके महत्व और इसकी अविलम्बता पर कोई भी व्यक्ति विवाद नहीं करेगा। उच्चतम न्यायालय दिन-प्रतिदिन आदेश पारित कर रहा है और संसद इस पर चर्चा नहीं कर रही है। इस तरह की स्थिति को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। इसलिए सदस्यगण बहुत अधिक क्षुब्ध हैं और हमने नियमों के अनुसार 10 बजे से पूर्व सूचनाएं दी हैं और आपको उन पर अपने विनिर्णय देने हैं। हमें इस पर चर्चा करनी दी जाए । यदि आप महसूस करते हैं कि स्थगन प्रस्ताव उचित तरीका नहीं है तो हमें नियम 193 या नियम 184 के अधीन, जो भी है इस पर चर्चा आरम्भ करने दी जाए। हमें इस पर चर्चा आरम्भ करनी चाहिए। हम स्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत सरकार की निन्दा भी करना चाहते हैं। लेकिन यदि आप महसूस करते हैं कि इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती तो चर्चा का प्रतिषेध नहीं किया जा सकता, अतः मेरा आपसे निवेदन है कि सभा इस पर चर्चा करना चाहती है।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत अच्छी बात है। मैं इस समस्या के प्रति आपके दृष्टिकोण की सराहना करता हूं और उसका सम्मान करता हूं।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, मैंने सूचना दी है। मुद्दा साधारण है – वह है हवाला का मुद्दा।

अध्यक्ष महोदय : आपकी सूचना क्या है ? कृपया आप इसे पढ़िए।

श्री श्रीकान्त जेना : यह हवाला मुद्दा ही है, मैंने केवल हवाला मुद्दा उठाया है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह इस तरह नहीं हो सकता, मुझे मालूम नहीं है कि हवाला मुद्दा है क्या। आप अपनी सूचना को पढ़िए।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, यह आपके पास ही है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी सूचना पढ़िए, मुझे यह मालूम नहीं है कि यह हवाला मुद्दा क्या है आप अपने विचार मुझ पर थोप रहे हैं। 'हवाला मुद्दा' से आपका क्या तात्पर्य है ?

श्री श्रीकान्त जेना : यदि आप सड़क पर किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो वे आपको बताएंगे कि हवाला मुद्दा क्या है। यह एक निश्चित मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह निश्चित नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रत्येक सदस्य को बोलने की अनुमति दे रहा हूं। कृपया हर समय खड़े न हों।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे यह समझाएं कि हवाला मुद्दा क्या है। इसके बारे में क्या निश्चित है और इसके बारे में क्या अविलम्बनीयता है।

श्री श्रीकान्त जेना : यह एक सुनिश्चित मुद्दा है। इसीलिए हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को माननीय प्रधानमंत्री के आचारण की जांच करने का आदेश दिया है। यह प्रत्येक व्यक्ति की चिन्ता का विषय है ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी सूचना को नहीं पढ़ रहे हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : मैंने इसे आपको दे दिया है। इस समय यह मेरे पास नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आपके पास इसकी एक प्रति होनी चाहिए थी।

श्री श्रीकान्त जेना : मैंने पहले ही एक अविलम्बनीय मुद्दे पर अपनी सूचना प्रस्तुत कर दी है। यह आपके पास है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे आपसे चाहता हूं। आप इसे पढ़ें।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, मैंने एक महत्वपूर्ण मामले पर सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह महत्वपूर्ण मुद्दा है तो आपको इसे उचित ढंग से प्रस्तुत भी करना चाहिए।

श्री श्रीकान्त जेना : मैंने केवल 'हवाला मुद्दा' लिखा है। यह एक निश्चित मुद्दा है, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला है और यह पूरे देश की चिन्ता का मुद्दा है। हवाला मुद्दे पर तत्काल चर्चा की जानी चाहिए।

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : महोदय, बिना किसी हिचक के मैं शुरू में यह कहना चाहता हूं कि हम इस विषय पर तर्कसंगत वाद-विवाद चाहते हैं। हम इस विषय पर आज किसी भी समय वाद-विवाद चाहते हैं लेकिन प्रश्न यह है कि स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की मांग की गई है, मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य जो इस प्रस्ताव को रख रहे हैं, इसे नियमों के अनुसार प्रस्तुत करेंगे और नियमों के अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा। इस सन्दर्भ में, मैं नियम 58 का उल्लेख करना चाहता हूं। इसमें कहा गया है कि "स्थगन प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय जिसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की हो, तक सीमित रहेगा।"

श्री श्रीकान्त जेना : क्या यह हाल ही में घटी घटना का मामला नहीं है ?

श्री पवन कुमार बंसल : इसमें आगे कहा गया है कि "प्रस्ताव किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में नहीं होगा जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय निर्णयन के अन्तर्गत हो, और प्रस्ताव में कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठाया जाएगा जो संविधान या इन नियमों के अन्तर्गत महासचिव को लिखित सूचना देकर अलग प्रस्ताव द्वारा ही उठाया जा सकता हो।"

यह नियम स्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत इस प्रश्न को उठाने का प्रतिषेक करता है। कई अन्य तरीके हैं, मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य उनका उपयोग करेंगे, यह प्रस्ताव नियम 184 या 193 के अधीन दिया जाना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात समझ गया हूं। सोमनाथ जी ने वही बात कही थी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : मैंने पहले ही आपको स्थगन प्रस्ताव की सूचना दे दी है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बताएं कि आपने कौन सी सूचना दी है क्योंकि मेरे पास कई सूचनाएं पड़ी हैं और आप जानते हैं मैं आपके साथ समिति में बैठा हुआ था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : तो फिर मैं क्या करूं ?

अध्यक्ष महोदय : आपको एक दिन इंतजार करना होगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं इसे पढ़ सकता हूं। यह मेरे नाम से लोकनाथ चौधरी और गीता मुखर्जी के नाम संयुक्त रूप से है।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन आप उनकी पैरवी कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मैं एतद् द्वारा अपने आशय की सूचना देता हूं जिसमें अविलम्ब लोक महत्व के एक स्पष्ट मामले पर चर्चा करने के उद्देश्य से सभा के कार्य के स्थगन के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति मांगता हूं अर्थात् प्रधानमंत्री का इसके तथ्य के बावजूद अपने पद से त्यागपत्र देने के लिए मना करना कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोपों की जांच चल रही है जिससे उक्त जांच की निष्पक्षता प्रभावित हो रही है, यह मेरा प्रस्ताव है और मैं इसे बहुत महत्वपूर्ण मामला समझता हूं, इसका निर्णय आपको करना है कि क्या कोई व्यक्ति खासतौर पर प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध आरोप हैं और जिनकी जांच हो रही है उन्हें अपने पद पर बने रहना चाहिए जबकि जांच कार्य चल रहा है। औचित्य की मांग यही है कि उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए और जांच को निष्पक्षता से चलने देना चाहिए। जब जांच पूरी हो जाएगी तत्पश्चात् परिणाम बताएगा कि क्या किया जाना है। ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री नाईक और सुश्री ममता कृपया बैठ जाइए।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाडा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : वह क्या है ? कृपया उसे पढ़िए।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, मैं इसे पढ़ रहा हूं। मुझे यह याद है। यह हवाला कांड में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा प्रकट तथ्यों और उसके द्वारा दायर आरोप-पत्रों के बारे में है। मैंने सूचना इसलिए दी है कि एक बहुत गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि जो व्यक्ति राष्ट्र विरोधी तत्वों को शस्त्रों की आपूर्ति कर रहे हैं और सीमावर्ती

राज्यों में आतंकवाद फैला रहे हैं, वे ही व्यक्ति हमारे नेताओं और नौकरशाहों को धन दे रहे हैं। यह बहुत गम्भीर स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय : आपको मुझे यह बताना है कि आपकी सूचना में क्या निश्चित है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, मैं बता रहा हूं, कृपया सुनिए। यह एक बहुत ही गम्भीर स्थिति है कि जो व्यक्ति शस्त्रों की आपूर्ति कर रहे हैं, जिन्होंने आतंकवादियों और राष्ट्र-विरोधी तत्वों की सहायता की है, उन ही लोगों ने बड़े-बड़े नेताओं और नौकरशाहों को करोड़ों रुपये दिए हैं। क्या यह एक गम्भीर मामला नहीं है जो इस सभा की चिन्ता का विषय है ?

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी सूचना को पढ़ नहीं रहे हैं। आप अपनी सूचना से हट रहे हैं। क्या मैं आपकी सूचना को पढ़कर सुनाऊं ?

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, आप इसे पढ़ कर सुना सकते हैं। मेरी सूचना हवाला कांड में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा किए गए रहस्योद्घाटन तथा उसके द्वारा दर्ज किए आरोपों के बारे में है।

3.00 म०प०

अध्यक्ष महोदय : अभी आप किसी अन्य विषय पर बोल रहे थे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप ने अपनी बात कह दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री चित्त बसु जी को भी अवसर मिलेगा।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, हमें इसका तकनीकी बारीकियों में नहीं जाना चाहिए। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। देश की सुरक्षा दांव पर लगी है। जिन लोगों को राष्ट्र की प्रभुसत्ता की सुरक्षा सौंपी गई है, वे पैसा खा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपकी सूचना क्या है, इसे पढ़कर सुनाइए।

श्री रूपचन्द पाल : हवाला मुहे के कई निहित अर्थ हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह एक निश्चित विषय होना चाहिए। मैं आपके नियम पढ़कर सुना रहा हूं। ये नियम आपने ही बनाए हैं।

श्री रूपचन्द पाल : हवाला मामले के कई निहितार्थ हैं और उनमें से सर्वाधिक गम्भीर यह है कि हमारे देश की सुरक्षा दाव पर है। वे अवैध आदेशों, जो ये विद्युत परियोजनाओं, रेलवे आदि के सम्बन्ध में दे रहे हैं, के लिए पैसा ले रहे हैं। आए दिन नए कांडों का पता लग रहा है और उनमें से कई हवाला मामले से सम्बन्धित हैं। ..... **(व्यवधान)***

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, सदस्य द्वारा की गई टिप्पणियां आपत्तिजनक हैं और उन्हें कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उन्हें कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। मैंने पहले ही यह कह दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य सत्र अन्तराल अवधि के पश्चात् तरोताजा होकर आए हैं। लेकिन मैं अकेला हूं, मैं आप सभी का एक साथ सामना नहीं कर सकता।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, हम सभी आपके साथ हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया सहयोग कीजिए। मैं एक के पश्चात् एक सहायक को अपने वक्तव्य देने की अनुमति दे रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, चर्चा होनी चाहिए। ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, आप ने जो कहा मैं उसको समझता हूं। हम ऐसा करने का प्रयास करेंगे।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : महोदय, यह कहकर कि हम सत्र अन्तराल के पश्चात् तरोताजा होकर आए हैं, आपने अच्छा किया।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह असम्मानजनक है, तो मैं इसे वापस लेता हूं।

श्री जसवन्त सिंह : नहीं महोदय, ऐसा नहीं है। तरोताजा होकर आने की बजाय, मैं व्यक्तिगत रूप से अत्यधिक निराश ही आया हूं। महोदय, आपका यह टिप्पणी करना बिल्कुल सही था कि अध्यक्षपीठ यह स्पष्ट करने के लिए बाध्य नहीं हैं कि उन्होंने निर्णय इस तरह से क्यों लिया है। यह भी बिल्कुल ठीक है कि सदस्य के रूप में आपसे कुछ अनुरोध करते हुए या कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए हमारा यह प्रयास रहता है कि हम आपकी अनुमति से जो कुछ भी कहना चाहते हैं वह वास्तव में चिन्ता का विषय है।

अब, महोदय, मैं सोमनाथ जी द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता से सहमत हूं। समग्र रूप से सदन के रूप में हम जिस बात से चिन्तित हैं – और मुझे विश्वास है कि सत्ता पक्ष भी इस बात से चिन्तित है – वह है कार्यपालिका का उत्तरदायित्व तथा सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का प्रश्न। कुछ सदस्यों ने कार्यपालिका के उत्तरदायित्व और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के व्यापक प्रश्न को स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से उठाना चाहा है। अन्य लोगों ने नियम 184 के अन्तर्गत प्रस्ताव के माध्यम से उठाने का चयन किया है। हममें से

कुछ का आपकी अनुमति के अध्यधीन, यह मानना है कि सभा का एक गम्भीर विशेषाधिकार हनन हुआ है। महोदय, इसका निर्णय आपको करना है। मैं स्वीकार करता हूं ..... **(व्यवधान)** ..... उदाहरण के लिए, निन्दा प्रस्ताव को ले। उसका निर्णय भी आपको करना है। सभा को कौन-कौन से मुद्दे परेशानी में डाल रहे हैं और मुझे विश्वास है कि वे सभा के सभी पक्षों को उद्वेलित कर रहे हैं ? सभा को जो विषय उद्वेलित कर रहा है वह यह कि उच्चतम न्यायालय 16 जनवरी से इसी मामले में उलझा हुआ है। उस अर्थ में यदि हम तकनीकी स्वरूप को लें तो यह मामला तुरन्त घटित नहीं हुआ बल्कि इसका आरम्भ 16 जनवरी को हुआ, जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था। 16 जनवरी से आज तक यह एक आम वाक्यांश बन गया है; जिसे हवाला मामला का नाम दिया गया है यद्यपि आपका कहना ठीक है कि यह पर्याप्त नहीं है। हवाला मामले के कारण कई माननीय मंत्रियों ने त्यागपत्र दिए हैं। उन्हें सरकार छोड़नी पड़ी थी; उन्होंने त्यागपत्र दिया है। यह एक साधारण मामला नही है। गम्भीर आरोप लगाए गए हैं। ..... **(व्यवधान)** ..... मेरे दल के अध्यक्ष पर भी आरोप लगाए गए हैं। अब यदि उन पर आरोप लगाए जाते हैं अथवा यदि किसी अन्य पर आरोप लगाया जाता है, तो निश्चित रूप से सबसे पहले यही टिप्पणी की जाती है कि यदि उस पर आरोप लगाए गए हैं तो उसका कर्त्तव्य है कि वह अपनी निर्दोषता सिद्ध करे। यह एक व्यापक प्रश्न है। उदाहरण के लिए भाजपा शासित दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। मेरे दल के अध्यक्ष ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है और उन्होंने संसद से भी अपना त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि जब तक वे अपनी निर्दोषता साबित नहीं कर देते, तब तक वे कोई चुनाव नही लडेंगे। ये छोटी बातें नहीं हैं। ..... **(व्यवधान)** ..... मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं ..... **(व्यवधान)** ..... क्योंकि यह उत्तरदायित्व तथा ईमानदारी के व्यापक पहलू का एक भाग है।

दूसरा भाग क्या है ? दूसरा भाग वर्तमान संसद के एक सदस्य द्वारा कल लिखित रूप से लगाया गया यह आरोप है कि सत्ताधारी दल द्वारा सदन में विश्वास मत के प्रश्न पर एक बड़ी धनराशि प्रदान की गई थी। ..... **(व्यवधान)**

श्री पवन कुमार बंसल : आप इस बारे में बताइए। **(व्यवधान)**

श्री जसवन्त सिंह : मेरा प्रश्न ..... **(व्यवधान)** ..... मैं जो प्रश्न उठा रहा हूं इस तरह व्यवधान डालने से उसका महत्व कम नहीं होगा। वास्तव में ये व्यवधान सत्ताधारी दल की अपराधी भावना का संकेत हैं। ..... **(व्यवधान)** ..... मैं जो कुछ कह रहा हूं, वह पर्याप्त रूप से जाना पहचाना तथ्य है, यह उस पहलू का दूसर भाग है।

तीसरा भाग जिसके कारण यह सभा सुबह के उद्वेलित है वह एक निम्न न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियां हैं। यह समग्रता है। इस समग्रता से यह सभा अपनी चिन्ता को व्यक्त करना चाहती है। यह अपने विचार इस ढंग से व्यक्त करना चाहती है जो हमारी चिन्ता से शेष देश को अवगत कराएगी। यदि हम इसे समाप्त करें, यदि हम इस चिन्ता को कम करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसको क्या रूप दिया जाता है, क्या विशेष नोटिस दिया जाता है, चाहे स्थगन प्रस्ताव हो अथवा नियम 184 के अन्तर्गत – मैंने भी नियम 184 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव किया है – क्या आप नियम के अधीन चाहते हैं कि मैं प्रस्ताव पढ़ कर सुनाऊं ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आपके पास उसकी प्रति है और मैने भी उसे पढ़ा है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मैने पहले ही अपना प्रश्न बता दिया है। ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : मैं कुछ विवाद के प्रश्न उठाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। ..... **(व्यवधान)** ..... मेरी मंशा बहस के लिए छोटे प्रश्न उठाने की नहीं है। मुद्दा बहुत बड़ा है। हमारे समक्ष जो मुद्दा है वह वास्तव में इस सभा की वैधता तथा विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। मेरे नाम से पहले जुडे दो अक्षर 'सम०' और 'पी०' बहुत ही साधारण से शब्द हैं लेकिन मैं इन्हें बहुत बड़ा सम्मान मानता हूं। यह सम्मान मुझे मेरे निर्वाचकों द्वारा प्रदान किया गया है। उस सम्मान पर आज प्रत्येक व्यक्ति प्रश्नचिन्ह लगा रहा है। न्यायालय के न्यायाधीश बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वे बहुत बुद्धिमान हैं। उन्होंने जो कुछ कहा है वह अपनी बुद्धिमता से कहा है। आज किस बात की आवश्यकता है ?

[हिन्दी]

जैसे मैंने सुबह अर्ज किया था कि आज हमारे रिपब्लिक को संयम की आवश्यकता है। इसमें मैं आपसे अर्ज करते हुए अपने शासक दल के मित्रों से निवेदन करूंगा कि आज जो सवाल खड़े हो गए हैं, ये इतने मौलिक और अहम् सवाल हैं। ..... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : आप तो फादर क्रिसमस की तरह बोल रहे हैं। आज के समाचार पत्र के उन आरोपों के बारे में आपका क्या विचार है कि अपने इन सदस्यों को तीन करोड़ रुपये में खरीदा है।

श्री जसवन्त सिंह : हां, महोदय मैं ऐसा मानता हूं।

श्री संतोष मोहन देव : यह बात भी समाचार पत्र में प्रकाशित हुई जो आपके नेता के बारे में है।

श्री जसवन्त सिंह : हां, बिल्कुल ठीक है।

श्री संतोष मोहन देव : तो फिर आप इसे स्पष्ट करें।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय मैं स्पष्ट करूंगा ..... **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : वही इसका पता लगा सकते हैं।

श्री जसवन्त सिंह : मैं जानता हूं ..... **(व्यवधान)** ..... मरे विचार से मेरे मित्र का इशारा सचमुच ....

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, देने वाला और लेने वाला, दोनों ही दोषी हैं।

श्री जसवन्त सिंह : वस्तुतः, वे दोषी है, मेरी पार्टी के नेता ने प्रेस में कहा था कि देने वाला और लेने वाला दोनों ही दोषी हैं ..... **(व्यवधान)** ..... अब सभा में एक वक्तव्य दिया गया है ..... **(व्यवधान)** मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। श्रीमती अल्वा, कृपया जो मैं कह रहा हूं उसे सुनिए ..... **(व्यवधान)** ..... उन्होंने जो कहा है मैं उसका उत्तर दूंगा। यदि इस सभा में होने वाली बहस किसी समाचार पत्र द्वारा लगाए गए आरोप से शुरू होती है और यदि हम इस प्रकार की गाली-गलौज वाली भाषा से इस सदन की महत्ता को कम करते हैं तो इस प्रकार की बहस से कुछ भी परिणाम निकलने वाला नहीं है। आप कहते हैं कि किसी तरह से भी दो करोड़ रुपये दिए गए थे। इसे दो करोड़ तक ही सीमित क्यों रखते हैं ..... **(व्यवधान)** ..... आपने दस करोड़ क्यों नहीं कहा ? ..... **(व्यवधान)** ..... अब आप उनका समर्थन कर रहे हैं। वे आपके साथ हैं ..... **(व्यवधान)** ..... इससे मुझे वास्तव में दुख हो रहा है कि मेरी अच्छी और प्रसन्नचित मित्र श्रीमती मारग्रेट अल्वा को क्या अब इसका उपयोग तर्क के रूप में मेरे विरुद्ध करना चाहिए। यह मेरे विरुद्ध तर्क का प्रश्न बिल्कुल भी नहीं है।

यदि यह बात सिद्ध हो जाए कि मेरी पार्टी को दो करोड़ या पांच करोड़ या दस करोड़ रुपये लेने की दोषी है तो आप हमें हर तरह से दंडित कर सकते हैं फांसी पर लटका सकते हैं लेकिन इसे हमारे सम्मुख सिद्ध करें। हम केवल यही कह रहे हैं, प्रत्येक समय जब हम बोलने के लिए अपना मुंह खोलते हैं और बोलते हैं ..... **(व्यवधान)** ..... यह कोई तरीका नहीं है, इस सभा की चिन्ता की अभिव्यक्ति देने का यह कोई तरीका नहीं है। श्रीमती मारग्रेट अल्वा, ईश्वर के लिए, सदन की गरिमा को इस तरह से कम न करें ..... **(व्यवधान)**

श्री मृत्युन्जय नायक (फूलबनी) : न्यायालय में क्या होने जा रहा है, उसके बारे में आप कैसे कह सकते हैं कि क्या न्यायालय आपका पक्ष लेने जा रहा है अथवा आपको फांसी पर लटकाया जाएगा ? उस समय तक आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

श्री जसवन्त सिंह : मैं आज ही फांसी पर लटकने के लिए तैयार हूं। मैं न्यायालय से कोई पक्षपात नहीं चाहता हूं मेरे प्रिय मित्र, माननीय सदस्य ने कहा कि मैं कह रहा था कि न्यायालय हमारा पक्ष लेगा। मैं कोई पक्षपात नहीं चाहता, मेरी पार्टी किसी न्यायालय से कोई पक्षपात नहीं चाहती है ..... **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : आप इसके पात्र नहीं हैं।

श्री जसवन्त सिंह : ठीक है। हम इसके पात्र नहीं हैं कि ..... **(व्यवधान)** ..... महोदय, सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा जिस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं, उन पर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है ..... **(व्यवधान)** ..... हम इसके योग्य नहीं हैं। यदि हम इस सभा में उपस्थित होने के योग्य नहीं हैं तो सत्ता पक्ष व्यक्तिगतरूप से संकल्प पारित करे और हम सबको इस सभा से बाहर निकाल दिया जाए। हम आपसे यह अनुरोध कर रहे हैं कि इस सभा को एक स्वर से अपनी चिन्ता प्रकट करने दीजिए। इस सभा को पहली बार जो यह अति असाधारण स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, उसको अभिव्यक्त करने की अनुमति इस सभा को दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैंने कहा है कि आपको सभा में इस विषय पर चर्चा करने का अवसर दिया जाएगा। मुझे यह बार-बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है, निर्णय केवल यह करना है कि इस पर चर्चा किस तरीके से कराई जानी है, यदि आप इस पर आज ही चर्चा करना चाहते हैं तो रेल बजट प्रस्तुत होने के तुरन्त बाद, मैं इस पर चर्चा करने की अनुमति दूंगा। लेकिन चर्चा किस तरह कराई जाए यह तय करना मेरा काम होगा। कृपया इस बात को समझिए। यह मेरी समस्या है आप लोग बजट की महत्ता और इस मामले पर चर्चा की महत्ता नहीं समझते हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : अध्यक्ष जी, मुझे भी एक मिनट बोलने का मौका दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम बजट को पारित नहीं कर रहे हैं, हम बजट पेश कर रहे हैं यदि आप इस पर आज ही चर्चा करना चाहते हैं तो इसे चर्चा के लिए उठा सकते हैं लेकिन तब इसे उठाने का तरीका तय करने के लिए छोड़ दिया जाए और हमें इसे उचित तरीके से उठाना चाहिए ताकि ऐसा करते ही आप भी किसी कठिन स्थिति में न पड़ जाएं।

(व्यवधान)

श्री उमराव सिंह (जालंधर) : आप रेल बजट को पारित करने का अपना कर्त्तव्य भूल गए हैं। ..... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष जी, सवेरे जो चर्चा हुई थी उसके बाद हम आपके चैम्बर में मिले थे और वहां एक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास हुआ था। अगर उसमें और विचार करने की आवश्यकता है तो वह किया जा सकता है। मेरा आपसे निवेदन है कि हमने जो मामले सवेरे उठाए थे और अभी भी जिनकी चर्चा चल रही है उन पर कोई निष्कर्ष नहीं हो पाया है। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आएं और उस सम्बन्ध में सदन में आकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। वह मुद्दा अपनी जगह कायम है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो फाइनेंशियल बिजनेस है उसमें इस समय रुकावट नहीं आनी चाहिए। रेल मंत्री अगर रेल बजट पेश करना

चाहते हैं तो जल्दी से कर दें। पूरा बजट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका बजट पढ़ा हुआ मान लिया जाएगा, आप केवल बजट रख दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, सवेरे जो सूत्र टूट गया था, सवेरे जो टूट गया था और जिसको अभी फिर से चालू करने का प्रयत्न हुआ है उसको हम आगे बढ़ाएंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बूटा सिंह जी मैं आपको अनुमति दूंगा। कृपया समझा करें कि वरिष्ठ सदस्य और सभी सदस्य इस बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि क्या पहले किया जाता है और क्या बाद में किया जाता है। मैं सभी सदस्यों का वास्तव में आभारी हूं कि उन्होंने इस मामले में निहित उलझन को समझा। मेरे विचार से विपक्ष के माननीय नेता, माननीय सदस्य सोमनाथ चटर्जी, उनकी पार्टी के नेता ने अब अच्छा सुझाव दिया है, हम इसे स्वीकार करते हैं। बजट प्रस्तुत किया जाए। तत्पश्चात् आगे बहस जारी रखेंगे। उस पर हमें इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी।

3.19 म०प०

अंतरिम बजट (रेल) - 1996-97

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मैं सभा के समक्ष 1995-96 के संशोधित अनुमान और 1996-97 की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय को रखने के लिए खड़ा हूं ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री कलमाडी

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है : रेल बजट केन्द्रीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है अर्थात् प्रधानमंत्री द्वारा और न कि राज्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। क्या प्रधानमंत्री ने आपको इस बारे में अन्तिम सूचना दी है कि वह बजट प्रस्तुत नहीं करेंगे। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यही है। उन्होंने आपको अग्रिम सूचना नहीं दी है।

श्री सुरेश कलमाडी : मैं पूरक बजट पहले ही पिछले सत्र में प्रस्तुत कर चुका हूं। उस समय कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। ..... **(व्यवधान)**

महोदय, मैं इसे दोबारा पढ़ता हूं। मैं सभा के समक्ष वर्ष 1995-96 के संशोधित अनुमान और 1996-97 की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हूं। ..... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, रेल मंत्री जिस रफ्तार से जा रहे हैं और शुरू में ही जिस रफ्तार से जा रहे हैं उसमें एक्सीडेंट होने का खतरा है। आप गाड़ी रवाना करिए, मगर धीरे-धीरे स्पीड बढ़ाइए, एकदम नहीं।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुलमाडी : अध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, मैं भारतीय रेलों के वर्ष 1995-96 के संशोधित अनुमान और 1996-97 की प्राप्तियों और खर्च का अनुमान प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं और यह मेरा सौभाग्य है कि माननीय प्रधान मंत्री, श्री पी०वी० नरसिंह राव ने मुझे यह अवसर प्रदान किया है। अगले वित्त वर्ष के अनुमान पूरे वर्ष के लिए हैं, परन्तु इस समय मैं सम्मान्य सदन से केवल उतने "लेखानुदान" की स्वीकृति का अनुरोध करूंगा जो वित्त वर्ष के पहले चार महीनों के अनुमानित खर्च के लिए पर्याप्त हों। वर्ष के शेष भाग के लिए अपेक्षित राशि की स्वीकृति बाद में अलग से ली जाएगी।

श्रीमन्, ऐसा करने से पहले, इस सम्मान्य सदन को यह सूचित करना मेरा परम कर्त्तव्य है कि रेल परिवहन की बढ़ती हुई मांग को भारतीय रेलें किस तरह पूरा करने में लगी हैं। यह वास्तव में 1991-92 से, जब हमारे देश ने नए क्षितिज की ओर यात्रा शुरू की थी, हमारी सरकार की सफलता की कहानी का वर्णन है। तब से शुरू हुई अवधि भारतीय रेलों के लिए उतनी ही अधिक महत्वपूर्ण है, जितनी कि हमारे राष्ट्र के लिए। माननीय प्रधान मंत्री, श्री पी०वी० नरसिंह राव के दूरदर्शितापूर्ण नेतृत्व में हमारा देश सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थायित्व के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है और इन क्षेत्रों में अतीत की उथल-पुथल को पीछे छोड़ दिया है।

हमारी अर्थव्यवस्था ने पहली बार 6 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि-दर दर्ज की है तथा हमारा देश एक शक्तिशाली आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। आर्थिक नीति के मामले में हमारी सरकार द्वारा की गई नई पहल ने लोगों की छिपी हुई उद्यम प्रतिभाओं को उजागर किया है, आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों में आई तेजी से यह बात स्पष्ट है। चूंकि परिवहन की मांग आर्थिक प्रगति के प्रत्यक्ष अनुपात में एक व्युत्पन्न मांग है, इसलिए परिवहन की मांग से आर्थिक गतिविधि में तेजी की समुचित झलक मिलती है। हमारे समक्ष जो चुनौतियां हैं, उनका सामना पूरे विश्वास से करने के लिए प्रधान मंत्री जी ने आवश्यक गतिशीलता और उद्देश्यपरकता का संचार किया है।

मैं इस सम्मान्य सदन को बड़े गर्व और संतोष के साथ यह बताना चाहूंगा कि प्रचुर बजटीय समर्थन के युग से निकलकर, विकासात्मक गतिविधियों में सहायता देने के लिए रेलें प्रायः वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर हो गई हैं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में बजटीय समर्थन कुल योजना परिव्यय का 75% था, जो घटकर इस वित्त वर्ष में लगभग

15 प्रतिशत रह गया है। भारतीय रेल इस समय विश्व की एकमात्र ऐसी बड़ी रेल प्रणाली है जो सामान्य राजकोष से बिना किसी प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता के चलती है। माल और यात्री यातायात को आर्थिक सहायता देते हुए और बहुत-सी अलाभप्रद लाइनों को परिचालित करते रहकर भी रेलें अपने अधिकांश विकास कार्यों के लिए धन जुटा रही हैं और इस प्रकार देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। देश की अर्थव्यवस्था के लिए इनका अच्छी हालत में बने रहना अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। अपनी विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के वित्त-पोषण के लिए रेलें 4,000 करोड़ रु० से अधिक के आंतरिक संसाधन जुटा रही हैं। संसाधनों की तंगी को पार पाने के लिए रेलों ने संसाधन जुटाने के अनेक अभिनव उपाय शुरू किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास सम्बन्धी गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसके अतिरिक्त, संचालन व्यय को कम करने के लिए रेलें कड़ा वित्तीय नियंत्रण अपना रही है।

देशभर में आमान परिवर्तन के व्यापक कार्यक्रम के लिए धन की व्यवस्था अधिकतर आंतरिक संसाधनों से की जा रही है। "बनाइए, अपनाइए, पट्टा कीजिए, हस्तांतरित कीजिए" और "माल डिब्बे के स्वामी बनिए" योजनाओं के अंतर्गत रेल परियोजनाओं में निजी निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में हमारे प्रयासों के प्रति उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया रही है। रेल परियोजनाओं में निजी निवेश को और अधिक बढ़ावा देने के लिए, हम अपनी विपणन नीति को बेहतर बना रहे हैं, ताकि परिवहन की बढ़ती हुई मांग की पूरी तरह पूर्ति की जा सके।

श्रीमन्, संसाधनों की तंगी और परिवहन क्षमता में वृद्धि की दोहरी चुनौती के बावजूद, किराए और मालभाड़े में वृद्धि के सम्बन्ध में रेलें संयम से काम लेती रही हैं। 1995-96 के बजट में भी, मालभाड़े और ऊंची श्रेणी के यात्री किरायों में मामूली वृद्धि ही की गई थी।

जब माननीय प्रधान मंत्री जी ने 1991-92 में नई आर्थिक नीतियां लागू कीं थी, तब हमारी सरकार को उनकी उस दूरदर्शिता से प्रेरणा मिली कि उदारीकरण का लाभ देश के सभी भागों को मिले और यह प्रमुख नगरों तक ही सीमित न रहे। यह तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब देश के सभी क्षेत्र कुशल परिवहन अवसंरचना द्वारा सेवित हों ताकि निवेशकों में देश के दूरस्थ तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए विश्वास जगाया जा सके। तदनुसार, 1992-93 में हमने एक-आमान परियोजना शुरू की जिसका उद्देश्य कुछ चुनी हुई मीटर लाइनों/छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलकर एक-आमान की ओर अग्रसर होना था।

देशव्यापी आमान परिवर्तन कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि इससे आर्थिक उदारीकरण को आगे बढ़ाया जा सके। निवेश के प्रवाह को पिछड़े क्षेत्रों की ओर मोड़कर क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन को दूर करने में सहायक होने के अलावा, इससे खनिज सम्पदा वाले क्षेत्रों का बड़ी लाइन पर स्थित औद्योगिक और वाणिज्यिक केन्द्रों से सीधा सम्पर्क भी हो जाएगा और इससे रेल प्रणाली की समग्र परिवहन कुशलता में भी सुधार होगा। इससे बड़ी लाइन पर स्थित भीतरी प्रदेश विभिन्न बन्दरगाहों से भी जुड़ जाएंगे तथा आयात और निर्यात में सुविधा हो जाने से अर्थव्यवस्था के विकास में सहायता मिलेगी।

हम एक-आमान परियोजना को पूरी गंभीरता तथा संकल्प के साथ कार्यान्वित कर रहे हैं। इस बात का अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हमने 1992-93 से 5,000 कि०मी० से ज्यादा रेलपथ के आमान परिवर्तन का कार्य पूरा कर लिया है जबकि स्वतन्त्रता के बाद पहले 45 वर्षों में केवल 3,100 कि०मी० रेलपथ का ही आमान परिवर्तन किया गया था।

श्रीमन्, जब भारत जैसे देश की जीवंत और आधुनिक अर्थव्यवस्था की जरूरतें पूरी करनी हों, तब भारतीय रेल जैसी कोई प्रणाली घिसी-पिटी प्रौद्योगिकी के आधार पर नहीं चल सकती। भारतीय रेलों ने स्वदेशी प्रयासों से रेल इंजनों की कर्षण क्षमताओं में अनुकूलतम मात्रा तक वृद्धि की है। प्रौद्योगिकीय बाधा को दूर करने के लिए, आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का अपेक्षित संघटन करके भारी सफलता प्राप्त करना नितान्त आवश्यक था। तदनुसार, भारतीय रेलों ने 6,000 अश्व-शक्ति 3 फेज़ ए०सी० चालित ऊर्जा कुशल अधुनातन तकनीक वाले बिजली के रेल इंजनों और 4,000 अश्व-शक्ति वाले डीजल रेल इंजनों के उत्पादन के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व्यवस्था की शुरुआत की है। हमने मौजूदा बिजली रेल इंजनों को देश में ही अपग्रेड करके 4,000 से 5,000 अश्व-शक्ति वाले और डीजल रेल इंजनों को 1,800 से 2,300 और 2,600 से 3,100 अश्व-शक्ति वाले बनाया है और साथ ही उन्हें अधिक ईंधन-कुशल भी बनाया है।

यात्रियों की अधिक तेज और आरामप्रद यात्रा की मांग को पूरा करने के लिए तथा इसे उन्नत रेल प्रणालियों वाले सवारी डिब्बों में उपलब्ध सहूलियतों और सुख-सुविधाओं के समकक्ष लाने के लिए यात्री डिब्बों के निर्माण की प्रौद्योगिकी को भी आधुनिक बनाया जा रहा है। माल की तीव्रतर गति से ढुलाई के लिए माल डिब्बा स्टॉक को भी अपग्रेड किया जा रहा है। हमारे 160 कि०मी० प्रति घंटा की रफ्तार वाले सवारी तथा 100 कि०मी० प्रति घंटा की रफ्तार वाले माल डिब्बा स्टॉक का पहले ही सफल परीक्षण कर लिया है। यातायात की बढ़ती हुई मात्रा को सम्हालने के लिए सिगनल प्रणाली का भी उन्नयन किया जा रहा है।

आधुनिक जीवन मे समय सफलता मूल तत्व बन गया है। बदलते समय के साथ चलने के लिए, हमने दिल्ली और इलाहाबाद के बीच 160 कि०मी० प्रति घंटा की रफ्तार क्षमता वाले गलियारे की व्यवस्था के सम्बन्ध में पहले ही काफी प्रगति कर ली है। हम 250 से 300 कि०मी० प्रति घंटा की रफ्तार के लिए उपयुक्त उच्च-गति वाले गलियारों के बारे में विदेशी विशेषज्ञों के परामर्श से, जिनमें जापानी विशेषज्ञ भी शामिल हैं, अध्ययन भी कर रहे हैं। आगरा-दिल्ली-जयपुर, अमृतसर-दिल्ली, अहमदाबाद-मुंबई-पुणे, मद्रास-बेंगलूरु, हावड़ा-राउरकेला तथा हैदराबाद-तिरुपति-मद्रास मार्गों पर इस प्रकार के गलियारों के बारे में विचार किया जा रहा है।

श्रीमन्, रेलों की सोच का आधार केवल व्यावहारिक ही नहीं है बल्कि दूरदर्शितापूर्ण भी है। जीवाश्म ईंधनों के तेजी से समाप्त हो रहे

भंडारों को ध्यान में रखते हुए, वाष्प और डीजल कर्षण पर निर्भरता कम करना आवश्यक हो गया है। तदनुसार, गाड़ियों के तेजी से आवागमन के लिए, अधिक यातायात वाले चुनिंदा गलियारों के विद्युतीकरण पर समुचित बल दिया जा रहा है। विद्युतीकरण के फलस्वरूप बढ़ती हुई पर्यावरण सम्बन्धी चिंताओं से निपटने में भी सहायता मिलती है। पिछले वित्त वर्ष के अन्त तक रेलों ने अपने नेटवर्क के 12,266 मार्ग किलोमीटर का विद्युतीकरण कर दिया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 2,700 मार्ग किलोमीटर के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित है जिसके मार्च 1997 तक पूरा हो जाने की आशा है। वाष्प कर्षण को समाप्त किया जा रहा है। बड़ी लाइन पर अब कोई भाप इंजन नहीं चल रहा है।

भारतीय भाप इंजनों से सम्बद्ध घरेलू संस्मरणों के मद्देनजर हम उनमें से कुछेक इंजनों को भावी पीढ़ी के लिए मौजूदा दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रेल परिवहन संग्रहालय के अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों में संग्रहालयों में संग्रहित कर रहे हैं।

श्रीमन्, इस संक्षिप्त "परिदृश्य मूल्यांकन" के बाद, मैं इस सम्मान्य सदन को विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय रेलों के अनुमानों और कार्य-निष्पादन से अवगत कराना चाहूंगा।

श्रीमन्, सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि 1994-95 के दौरान रेलों का वित्तीय निष्पादन उत्कृष्ट रहा है। "आधिक्य" 1,870 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में बढ़कर 2,446 करोड़ रुपये हो गया है। सामान्य राजस्व को लाभांश के रूप में रेलों ने 1,362 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया। विभिन्न रेल निधियों में शेष राशियों में वृद्धि करके हमने सामान्य राजकोष में 1,308 करोड़ रुपये का और अंशदान किया है। परिचालन अनुपात भी सुधरकर 82.6% हो गया है जबकि संशोधित अनुमान में इसे 84.9% दिखाया गया था।

1994-95 में रेलों का प्रारंभिक यातायात 365 मिलियन टन रहा। यह एक सराहनीय निष्पादन था।

इस सम्मान्य सदन को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि निजी उद्यमों पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने और हमारी ओर से प्रयास तेज किए जाने के परिणामस्वरूप, आर्थिक वृद्धि की उच्चतर दर के कारण हम इस वित्त वर्ष के लिए 385 मिलियन टन के संशोधित माल भाड़ा लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। यह 20 मिलियन टन से ज्यादा के वर्धमान लदान का द्योतक है।

सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि बजट में की गई प्रत्याशा की तुलना में आमदनी अधिक होने की संभावना है। यात्री यातायात में आमदनी में वृद्धि का रूख स्पष्ट है। इससे लम्बी दूरी और कम दूरी की गाड़ियों को अलग-अलग किए जाने और यातायात के विभिन्न वर्गों की आवश्यकता पूर्ति के लिए शताब्दी, डी.एम.यू., एम.ई.एम.यू. आदि अभिनव गाड़ियां चलाए जाने की नीति की सफलता की झलक मिलती है। यात्री यातायात से होने वाली आमदनी के 5,755 करोड़ रुपये के बजट अनुमान की तुलना में 245 करोड़ रुपये अधिक होने की संभावना है। अन्य कोचिंग यातायात और फुटकर यातायात से भी इसी प्रकार के सुधार का रूख देखने में आ रहा है। इस प्रकार, बजट अनुमान की तुलना में सकल आमदनी 405 करोड़ रुपये अधिक होने की संभावना है।

"यातायात उच्चंत" अप्राप्त आमदनी की मात्रा का द्योतक है। 1995-96 के बजट में यातायात उंचत से 185 करोड़ रुपये की वूसली का प्रावधान था। लेकिन, कुछ राज्य बिजली बोर्ड/बिजली घर अभी भी रेलों को देय राशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं। दिसम्बर 1995 के अंत में राज्य बिजली बोर्डों के पास रेलों की बकाया राशि बढ़कर 1,088 करोड़ रुपये हो गई है। इसके लिए मुख्यतः बदरपुर ताप बिजली घर, दिल्ली (लगभग 700 करोड़ रुपये) और दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (108 करोड़ रुपये) दोषी हैं। तथापि, हमें आशा है कि मार्च 1996 के अंत तक स्थिति में सुधार हो जाएगा और इस बकाया को हम कम से कम पिछले वर्ष के शेष के स्तर पर रख सकेंगे। इस प्रकार, यातायात से सकल प्राप्तियों में 1995-96 के बजट अनुमान की तुलना में 220 करोड़ रुपये की वृद्धि होने की संभावना है।

अतिरिक्त अंतरिम राहत की स्वीकृति, उत्पादकता सम्बद्ध बोनस में वृद्धि आदि बजटोत्तर प्रभावों के परिणामस्वरूप चालू वर्ष में साधारण संचालन व्यय पर अत्यधिक बोझ पड़ा है। श्रीमन्, सदन को पहले ही मालूम है कि मालूम है कि रेलें अपने खर्च, लागत और वस्तु-सूची पर कड़ा नियंत्रण रख कर एवं परिसम्पत्तियों के बेहतर उपयोग आदि द्वारा संचालन व्यय को नियंत्रित करने के लिए विशेष उपाय कर रही हैं। इस वर्ष रेलों ने संचालन व्यय में अधिक से अधिक किफायत बरतने के लिए शून्य-आधारित समीक्षा का कड़ाई से पालन किया है। इन उपायों के परिणामस्वरूप, रेलों ने न केवल लगभग 450 करोड़ रुपये के बजटोत्तर प्रभावों को आत्मसात् किया है, बल्कि उम्मीद है कि 200 करोड़ रुपये की बचत भी होगी। इसलिए, साधारण संचालन व्यय के लिए 14,590 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जबकि बजट अनुमान में इसके लिए 14,790 करोड़ रुपये रखे गए थे। मुझे विश्वास है कि इससे वित्त मंत्री को बहुत प्रसन्नता होगी।

परिसम्पत्तियों के बदलाव और नवीकरण पर बल को ध्यान में रखते हुए, मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग को 2,000 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से बढ़ाकर 2,060 करोड़ रुपये किया जा रहा है।

पेंशन-भोगियों को अतिरिक्त राहतों की स्वीकृति के फलस्वरूप पेंशन निधि से निकासी बढ़ जाने के कारण, पेंशन निधि में विनियोग की राशि को भी 1,970 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,090 करोड़ रुपये किया जा रहा है। इस प्रकार, कुल संचालन व्यय 18,740 करोड़ रुपये बनता है जबकि बजट अनुमान 18,760 करोड़ रुपये का था।

यातायात से शुद्ध प्राप्तियां 3,435 करोड़ रुपये बनती हैं और 243 करोड़ रुपये की शुद्ध विविध प्राप्तियों को जोड़ने के बाद, शुद्ध रेलवे राजस्व 3,678 करोड़ रुपये बनता है। इसमें से सामान्य राजस्व को

1,360 करोड़ रुपये बनता है। इसमें से सामान्य राजस्व को 1,360 करोड़ रुपये की लाभांश दायिता पूरी करने के बाद, रेलों के पास 2,318 करोड़ रुपये का अधिशेष रह जाएगा, जबकि बजट में इसके लिए 2,055 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया था। इस प्रकार से उपलब्ध 263 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का योजनागत संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए पूंजी निधि में विनियोग किया जा रहा है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रेलों का वित्तीय कार्य निष्पादन उत्कृष्ट रहा है। आस्थगित लाभांश के रूप में सामान्य राजस्व को देय समूची बकाया राशि और विकास निधि के वास्ते लिए गए ऋणों को 1992-93 के अंत तक पूरी तरह चुका दिया गया है। इसके अलावा, सामान्य राजस्व को देय लाभांश का भी पूरा भुगतान कर दिया गया है। अपनी वार्षिक योजना के 85% तक वित्त-पोषण के लिए रेलें अपने ही आंतरिक संसाधन और अतिरिक्त बजटीय संसाधन जुटा रही हैं। प्रसंगवश, मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहूंगा कि 1995-96 के लिए 1,360 करोड़ रुपये का जो लाभांश दिया जा रहा है, वह उस वर्ष के 1,150 करोड़ रुपये के बजटीय समर्थन से अधिक है।

आठवीं योजना अवधि के पहले तीन वर्षों में सृजित कुल अधिशेष 4,694 करोड़ रुपये है। इस अवधि के दौरान, भारतीय रेलों ने सामान्य राजकोष में भी 4,172 करोड़ रुपये के लाभांश का भुगतान किया। यह भारतीय रेलों की नई बढ़ती हुई आत्मनिर्भरता का परिचायक है, जिसे बनाए रखने की आवश्यकता है। 1995-96 के रेलों के योजना परिव्यय में भी यही स्वरूप अपनाया गया है। बजट अनुमानों के अनुसार 7,500 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय के लिए धन की व्यवस्था 4,100 करोड़ रुपये के आंतरिक संसाधन जुटाकर, 1,150 करोड़ रुपये के बजटीय समर्थन द्वारा और 2,250 करोड़ रुपये भारतीय रेल वित्त निगम के माध्यम से बाजार से ऋण लेकर की जानी है। हालांकि रेलों के आंतरिक संसाधनों में थोड़ी वृद्धि करके 4,423 करोड़ रुपये जुटाने होंगे, परन्तु मुद्रा बाजार की कठिन स्थिति के कारण भारतीय रेल वित्त निगम के माध्यम से जुटाई जाने वाली राशि में कुछ कमी करनी पड़ी है। बहरहाल, "बनाइए, अपनाइए, पट्टा कीजिए और हस्तांरित कीजिए" योजना तथा "माल डिब्बे के स्वामी बनिए" योजना के माध्यम से निजी निवेश में वृद्धि के हमारे प्रयासों से 577 करोड़ रुपये एकत्र होने की आशा है। शेष 1,350 करोड रुपये की राशि की व्यवस्था भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा कर-योग्य एवं कर-मुक्त बंध-पत्रों के जरिए किए जाने की संभावना है। बाह्य वाणिज्यिक ऋणों के जरिए 50 मिलियन अमरीकी डालर जुटाने के लिए भी भारतीय रेल वित्त निगम को वित्त मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त हो गया है। आशा है, यह राशि मार्च 1996 के अंत तक जुटा ली जाएगी।

श्रीमन्, गाड़ी परिचालन में संरक्षा की ओर हम निरंतर सर्वाधिक ध्यान दे रहे हैं। 1994-95 की समाप्ति से पूर्व एक दशक में, गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या 812 से घटकर 501 रह गई है। प्रति मिलियन गाड़ी किलोमीटर दुर्घटनाओं की संख्या भी 1.5 से घटकर 0.78 हो गई है। परन्तु, इस सम्बन्ध में आत्मसंतोष की कोई गुंजाइश नहीं है।

श्रीमन्, 20 अगस्त, 1995 को उत्तर रेलवे के फिरोजाबाद स्टेशन पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण गाड़ी दुर्घटना के परिप्रेक्ष्य में, रेलों ने एक ओर रेल कर्मचारियों के बीच संरक्षा के प्रति जागरूकता के स्तर में सुधार लाने के लिए प्रयास तेज़ कर दिए हैं तथा दूसरी ओर गाड़ी परिचालनों में अतिरिक्त संरक्षा के उपाय किए हैं। इस दिशा में किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :–

(क) सभी ट्रंक मार्गों और महत्वपूर्ण मुख्य लाइनों पर उल्लंघन चिह्न से उल्लंघन चिह्न तक रेलपथ परिपथन का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और इसे मार्च 1996 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा।

(ख) ट्रंक मार्गों पर उल्लंघन चिह्न से अग्रिम स्टार्टर तक भी रेलपथ परिपथन का कार्य दिसम्बर 1996 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा।

(ग) चलती गाड़ी के ड्राइवर और गार्ड तथा आप्टिक फाइवर और वी0एच0एफ0 पर आधारित यूनिवर्सल गाड़ी रेडियो प्रणाली का इस्तेमाल कर रहे निकटवर्ती स्टेशन के बीच आधुनिक संचार सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। दिल्ली-मुम्बई राजधानी एक्सप्रेस तथा "पैलेस-आन-व्हील्स" पर्यटक गाड़ियों में उपग्रह-आधारित संचार प्रौद्योगिकी का सफल परीक्षण किया गया है। इससे आपात संचार की असीम संभावनाओं के साथ-साथ, यात्रियों को संसार में कहीं भी बात करने में मदद मिलती है।

(घ) राहत तथा बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए 140 टन की भारी काम योग्य क्रेनें खरीदी जा रही हैं।

(ङ) रेलों पर संरक्षा में सुधार के लिए, चालू वर्ष के दौरान लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत पर अतिरिक्त निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

(च) इसकी प्रभावशाली ढंग से रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :–

(1) सभी स्तरों पर अचानक जांच का काम तेज़ कर दिया गया है।

(2) श्वास-विश्लेषण सम्बन्धी परीक्षण तेज़ कर दिए गए हैं।

(3) ड्राइवरों का "क", "ख" तथा "ग" श्रेणी में वर्गीकरण किया गया है तथा श्रेणी "ग" के अंतर्गत वर्गीकृत ड्राइवरों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

(4) ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटरों की व्यवस्था की गई है।

(छ) चौकीदार-रहित समपारों पर होने वाली दुर्घटनाएं, जो मुख्यतः सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही के कारण होती हैं, हम सब के लिए चिंता का कारण बनी हुई हैं। इस समस्या पर काबू पाने के उद्देश्य से सड़क उपयोगकर्ताओं को सतर्क करने के लिए परीक्षण के आधार पर सौर-ऊर्जा चालित दृश्य-श्रव्य अलार्म लगाए गए हैं तथा इनका निष्पादन संतोषजनक पाया गया है। प्रणाली में समुचित आशोधन कर देने के बाद, इस समस्या से निपटने के लिए इन्हें बड़े पैमाने पर स्थापित किया जाएगा।

सम्मान्य सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि फिरोजाबाद दुर्घटना के बाद दुर्घटनाओं और हताहतों की संख्या में महत्वपूर्ण कमी हुई है। तत्पश्चात्, पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में दुर्घटनाओं में लगभग 22% की कमी हुई है। मृतकों की संख्या में भी अत्यधिक कमी हुई है और यह 65 से घटकर 7 हो गई है। ऐसा मुख्यतः क्षेत्र निरीक्षणों पर बल दिए जाने के कारण कड़ी सतर्कता तथा प्रभावी निगरानी की वजह से संभव हुआ है। तथापि, इससे हम संतुष्ट नहीं हो गए हैं तथा "सदैव-चौकसी" की स्थिति बरकरार रखी जाएगी।

फिरोजाबाद दुर्घटना के बाद माननीय प्रधानमंत्री द्वारा गठित संरक्षा दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा उस पर विचार किया जा रहा है। इस दल ने कुछ विकसित देशों की रेल प्रणालियों में विद्यमान संरक्षा प्रक्रिया का अध्ययन किया है और इस सम्बन्ध में जापान तथा यूनाइटिड किंगडम का दौरा भी किया है।

भारतीय रेलों पर गाड़ियों की टक्कर के बारे में अध्ययन करने तथा इनमें कमी लाने के उपाय सुझाने के लिए फ्रेंच रेलवे (एस एन सी एफ) की सहायता ली गई थी। उनकी रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त होने की संभावना है। गाड़ियों का बारम्बारता बढ़ाने से पहले, विदेशी परामर्शदाताओं से कलकत्ता मेट्रो का संरक्षा अध्ययन कराने का भी प्रस्ताव है।

यह परियोजना देश भर में शुरू की गई है और इसने अब तक आमान परिवर्तन के प्रति कि0मी0 के लिए 10,000 जन-दिवसों के हिसाब से 50 मिलियन जन-दिवसों का रोजगार उत्पन्न किया है, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन में सहायता मिली है तथा शोषितों और निर्धनों का उत्थान हुआ है। देश के आर-पार उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक लम्बी दूरी के नए मार्ग विकसित किए जा रहे हैं तथा इस प्रकार उल्लेखनीय अतिरिक्त वहन क्षमता के सृजन के साथ-साथ आर्थिक एकीकरण के काम में सहायता मिली है।

एक-आमान परियोजना औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दे रही है। बड़ी लाइन बन जाने के बाद औरंगाबाद, अलवर, हुबली, जैसलमेर, तूतीकोरिन आदि में स्थापित हो रहे उद्योगों से यह बात स्पष्ट हो जाती है। चित्तौड़गढ़ के निकट सीमेंट संयंत्र तथा राजस्थान के चूना-पत्थर बहुल क्षेत्र अब बड़ी लाइनों द्वारा सेवित हैं, जिसके परिणामस्वरूप चूना-पत्थर अब जैसलमेर से भिलाई तक बिना किसी यानांतरण के जा रहा है।

आमान-परिवर्तन के फलस्वरूप पंढरपुर, नांदेड, अजमेर, द्वारका, सारनाथ, गोवा, मदुरै तथा तिरुपति जैसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों तक अब बड़ी संख्या में देश के तीर्थयात्री बड़ी लाइन नेटवर्क के जरिए सीधे पहुंच सकते हैं।

बड़ी लाइन रेल सम्पर्क तूतीकोरिन, मोरमुगांव, कांडला, नागपट्टिणम तथा मंगलूर बंदरगाहों के लिए भी उपलब्ध होंगे। मुजफ्फरपुर-रक्सौल खंड के आमान परिवर्तन से अब भारत में विभिन्न बंदरगाहों से नेपाल के लिए सीधा भूमि मार्ग उपलब्ध हो गया है।

आमान परिवर्तन के फलस्वरूप रेल परिवहन अवसंरचना का किस हद तक कायापलट हुआ है, यह इस तथ्य से भलीभांति समझा जा सकता है कि राजस्थान में, जहां एक-आमान परियोजना के प्रारम्भ में 77% रेल नेटवर्क में मीटर आमान की लाइन थी, चालू परियोजनाओं की समाप्ति पर 80% से अधिक बड़ी लाइन हो जाएगी। राजस्थान में लगभग 1800 कि0मी0 में आमान परिवर्तन की योजना बनाई गई है।

इसी प्रकार, कर्नाटक में भी रेल नेटवर्क के स्वरूप में आमूल परिवर्तन हो जाएगा जब वहां 78% मी० और छोटी लाइनों के स्थान पर 98% में बड़ी लाइन होगी। कर्नाटक में 2000 कि0मी0 से अधिक लाइनों के आमान परिवर्तन का कार्य शुरू किया गया है।

असम में, 785 कि0मी0 लम्बी लाइनों के आमान परिवर्तन का कार्य हाथ में लिया गया है। इसके पूरा हो जाने पर इस राज्य में मीटर लाइन नेटवर्क कुल के 89% से घटकर 29% रह जाएगा। आन्ध्र प्रदेश में भी यह 29% से घटकर 5% रह जाएगा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि देश के विभिन्न भागों में आवश्यकता के आधार पर आमान परिवर्तन का कितना काम चल रहा है। एक-आमान परियोजना के अंतर्गत बनाई गई कार्य-योजना के पहले चरण में लगभग 28,000 कि0मी0 लम्बी मीटर लाइनों/छोटी लाइनों में से लगभग 14,000 कि0मी0 के आमान परिवर्तन का विचार है। मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी आमान परिवर्तन पर यह बल जारी रहेगा।

श्रीमन्, मैंने इस सदन को आश्वासन दिया था कि समस्तीपुर-दरभंगा रेल लाइन के आमान परिवर्तन का काम 31 जनवरी, 1996 तक पूरा कर दिया जाएगा। सदन को यह सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि यह आश्वासन विधिवत् पूरा कर दिया गया है और बड़ी लाइन के इस नए खंड को चालू कर दिया गया है। ..... **(व्यवधान)** ..... दिल्ली का भी हो रहा है। ..... **(व्यवधान)** ..... वहां रखरखाव की सुविधा है। ..... **(व्यवधान)** ..... हम दिल्ली, मुम्बई और कलकत्ता में आपको यह सुविधा देंगे।

वहन क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से रेलों ने दोहरीकरण की परियोजनाओं को बड़े पैमाने पर शुरू किया है। यह कार्य खासतौर

से उन राज्यों में शुरू किया गया है, जहां एक-आमान परियोजना के शुरू में मुख्यतः बड़ी लाइन का नेटवर्क था। केरल में, कायनकुलम और तिरुवनंतपुरम के बीच दोहरी लाइन बिछाने के साथ-साथ, जहां कार्य पहले ही चल रहा है, 300 कि0मी0 लम्बे मंगलूर-कुट्टीपुरम–गुरुवायूर/शेरुवण्णूर खंड पर दोहरीकरण का कार्य हाथ में लिया गया है। महाराष्ट्र में शुरू किए गए नए कार्यों में दिवा-वसई, दिवा-पनवेल और दौंड-भिगवान का दोहरीकरण शामिल है। उत्तर प्रदेश में रामपुर-बरेली खंड पर दोहरी लाइन बिछा दी गई है और गाजियाबाद-मुरादाबाद, मुरादनगर-मेरठ, टुण्डला-आगरा और कानपुर-पनकी खंडों पर भी दोहरीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। भारी खनिज यातायात को संभालने के लिए, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में अनेक लाइनों के दोहरीकरण का कार्य भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।

श्रीमन्, प्रायः ऐसा कहा जाता है कि विकास रेल लाइनों के बाद ही शुरू होता है। हमारी सरकार ने ऐसे क्षेत्रों के लाभ के लिए, जहां प्राकृतिक संसाधनों की बहुतायत होने के कारण विकास की संभावना है लेकिन परिवहन अवसंरचना के अभाव में विकास की गति मंद है, कई नई लाइनों के निर्माण का काम हाथ में लिया है।

उड़ीसा में, हमारी सरकार ने तालचेर-संबलपुर, दौतारी-बांसपानी, खोरधा रोड-बोलनगीर, लांजीगढ़-जूनागढ़ के बीच 672 कि0मी0 की रिकार्ड लम्बाई में नई बड़ी लाइनें बिछाने का काम हाथ में लिया है। हमारी सरकार द्वारा उड़ीसा में 460 कि0मी0 लम्बी कोरापुट-रायगडा बड़े आमान की नई लाइन के निर्माण के लिए पर्याप्त नियतन करके तेजी लाई गई है, क्योंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र के विकास के लिए इसका बहुत महत्व है। माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरसिंह राव द्वारा, जो देश के पिछड़े क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना के विकास में व्यक्तिगत रूप से रुचि ले रहे हैं, हाल ही में इस नई लाइन को चालू किया गया था। रेलें कालाहांडी तथा कोरापुट जैसे पिछड़े और गरीबी से पीड़ित क्षेत्रों में बड़ी लाइनों का निर्माण कर रही हैं। मुझे बताया गया है कि इन दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों ने पहले कभी गाड़ी नहीं देखी थी। मुझे प्रसन्नता है कि अब रेलें उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बनती जा रही हैं। सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारी सरकार द्वारा 1995-96 में नई लाइनों पर कुल निवेश का लगभग एक-तिहाई उड़ीसा में लगाया जा रहा है, ताकि इस राज्य की भूमिगत खनिज संपदा का इस्तेमाल इस क्षेत्र से निर्धनता हटाने में किया जा सके।

इसी प्रकार, मध्य प्रदेश के दूरस्थ पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में हमने ढल्लीराजहरा और जगदलपुर के बीच (235 कि0मी0) नई लाइन का निर्माण कार्य शुरू किया है। बिहार के दूरस्थ झारखंड क्षेत्र में हमने दुमका के रास्ते रामपुरहाट से मंदारहिल तक नई लाइन का निर्माण कार्य शुरू किया है।

आन्ध्र प्रदेश में करीमनगर के रास्ते पेद्दापल्ली और निजामाबाद के बीच (177 कि0मी0) नई लाइन का निर्माण कार्य भी शुरू किया गया है, जिससे इस राज्य के आदिवासी क्षेत्र के विकास में सहायता मिलेगी।

कर्नाटक में कोट्टुर और हरिहर के बीच नई लाइन का निर्माण किया जा रहा है और महाराष्ट्र में हमने पनवेल-करजत और अमरावती-नरखेड नई लाइनों का निर्माण कार्य शुरू किया है। पिछड़े मराठवाड़ा क्षेत्र के लाभ के लिए बीड के रास्ते अहमदनगर से पर्लीबैजनाथ तक नई लाइन के निर्माण का कार्य भी हाथ में लिया जा रहा है।

पंजाब में गोइंदवाल के नए औद्योगिक टाउनशिप से सम्पर्क स्थापित करने के लिए हमने ब्यास-गोइंदवाल लाइन का निर्माण कार्य शुरू किया है और साथ ही लुधियाना/पटियाला और चंडीगढ़ के बीच सीधे सम्पर्क के लिए लम्बे अर्से से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए राजपुरा-चंडीगढ़ लाइन का निर्माण कार्य भी हाथ में लिया है। जैसा कि सम्मान्य सदन को विदित है, जम्मू-ऊधमपुर लाइन को श्रीनगर और बारामूला तक बढ़ाकर कश्मीर घाटी को रेल संजाल में लाया जा रहा है। इस परियोजना के पूरा हो जाने पर जम्मू और कश्मीर राज्य में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। ऊधमपुर-कटरा खंड पर शीघ्र ही कार्य शुरू हो जाएगा और इसके पूरा हो जाने पर वैष्णो देवी जाने वाले तीर्थ-यात्रियों को चिर-अपेक्षित राहत मिलेगी।

माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि कोंकण रेल परियोजना का कार्य पूरा होने ही वाला है। 760 कि0मी0 लम्बी लाइनमें से रोहा-खेड-चिपलून (128 कि0मी0) तथा मंगलूर–कुंडापुरा (100 कि0मी0) खंडों को पहले ही खोल दिया गया है। अब तक कार्य की वास्तविक प्रगति लगभग 94% है। लगभग 600 कि0मी0 में संयोजन का कार्य पूरा हो गया है और लगभग 20 स्थलों पर कार्य तेज़ी से चल रहा है। सभी 179 बड़े पुलों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। 82.6 कि0मी0 सुरंग मार्ग में से 81 कि0मी0 मार्ग पर कार्य पूरा हो गया है। शेष सुरंग मार्ग पर कार्य युद्धस्तर पर किया जा रहा है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम कोंकण रेल निगम को अपेक्षित सहायता उपलब्ध कराने में कोई कोर-कसर नहीं छोडेंगे और हमें विश्वास है कि यह लाइन शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। निर्माण के दौरान इस परियोजनाने चार राज्यों में काफी रोजगार सृजित किया है तथा इसके पूरा होने के बाद, इससे पर्यटन और उद्योग के क्षेत्रों में रोजगार के व्यापक अवसर उत्पन्न होने की संभावना है।

पूर्वोत्तर राज्यों में अवसंरचना के विकास को माननीय प्रधानमंत्री ने विशेष महत्व दिया है। ब्रह्मपुत्र के दक्षिण में गुवाहटी से डिब्रूगढ़ तक (830 कि0मी0) के मीटर आमान का समूचा मुख्य लाइन जालतंत्र दिसम्बर 1996 तक बड़ी लाइन में बदल जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर नर नारायण सेतु रेल एवं सड़क पुल का निर्माण कार्य भली प्रकार चल रहा है और गुवाहाटी तक नई बड़ी लाइन का कार्य पूरा हो जाने पर चालू वर्ष के दौरान इसे यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। उसके बाद डिब्रूगढ़ के निकट बोगीबील में चौथे ब्रह्मपुत्र पुल का निर्माण कार्य हाथ में लेने का हमारा विचार है।

गुवाहाटी-दीमापुर खंड का बड़ी लाइन में परिवर्तन हो जाने के बाद नागालैंड राज्य बड़ी लाइन के नेटवर्क के अन्तर्गत आ गया है।

उत्तरी तट (नार्थ बैंक) पर रंगिय–मुरकं गसेलक खंड के आमान परिवर्तन के साथ-साथ असम में तेजपुर और अरुणाचल प्रदेश में भालुकपोंग तक शाखा लाइन के निर्माण का काम कार्य-योजना में शामिल किया गया है।

लमडिंग-सिलचर के आमान परिवर्तन का प्रस्ताव, जिससे न केवल असम की बराक घाटी के लोगों को लाभ होगा, अपितु त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर राज्य के लोग भी लाभान्वित होंगे, योजना आयोग को भेजा जा चुका है। 1997-98 में दुधनोई-देपा लाइन के पूरा हो जाने पर मेघालय भी रेल द्वारा जुड़ जाएगा। हमने बिरनहाट तक एक नई रेल लाइन के लिए भी सर्वेक्षण का कार्य हाथ में लिया है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला तक रेल सम्पर्क मुहैया कराने के प्रस्ताव पर भी योजना आयोग के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

श्रीमन्, नई लाइनों और आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षणों की बहुत सी मांगें की जा रही हैं, जिन नई रेल लाइनों के लिए सर्वेक्षण पूरे हो गए हैं वे हैं: आरा-सासाराम, कदूर-चिकमंगलूर, नांदयाल-येरागुंतला, कुमारघाट-अगरतला तथा वरोरा-उमरेर, लमडिंग-सिलचर, सिलीगुड़ी-जलपाईगुड़ी, गांधीधाम-भुज और मैसूर-हसन के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण पूरे कर लिए गए हैं, इन कार्यों को शुरू करने के प्रस्ताव योजना आयोग को भेज दिए गए हैं।

नोपाड़ा-गुनुपुर, उदगपुर के रास्ते अहमदाबाद-अजमेर तथा सीतापुर-बहराइच जालना-खमगांव, ढोसा-गंगापुर शहर के सम्बन्ध में सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच की जा रही है।

जिन सर्वेक्षणों पर कार्य चल रहा है, वे हैं: ललिपुर-खजुराहो-सतना, महोबा-खजुराहो, रीवा-सिंगरौली, धुले-नारदाना, बियारा-बीना, धौलपुर-गंगापुर सिटी, रांची-गया, राजगीर-हिसुआ, गिरडीह-कोडरमा, कोलायत-फलौदी, भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी, समाना के रास्ते पटियाला -जाखल, नागोर-फलौदी, पानीपत-मेरठ, पटना में गंगा पर पुल, डिगारू-बर्नीहाट, तेल्लिचेरी-मैसूर, सबरीमाला के रास्ते कोट्टायम-पुनालूर तथा इसका तिरुवनंतपुरम एक विस्तार एवं खंभात की खाड़ी पर रेल एवं सड़क पुल।

जिन नई लाइनों के लिए सर्वेक्षण प्रारम्भ किए गए हैं, वे हैं: मनमाड-धुले, वर्धा-पुसाड-नांदेड़, पुणे-रोहा-नासिक, शोलापुर- तुलजापुर-उस्मानाबाद, तलगुप्पा-हन्नोवार, एद्दापल्ली-तिरूर तथा हुबली-अंकोला के लिए सर्वेक्षण को अद्यतन करना। शिरडी के पवित्र नगर को रेल लाइन से जोड़ने के लिए भी एक सर्वेक्षण प्रारम्भ किया गया है।

इंदौर-खंडवा, पूर्णा-अंकोला, रेवाड़ी–रींगस-फुलेरा, रांची-लोहारदगा तथा आगे टोरी तक विस्तार, भावनगर-सुरेन्द्रनगर तथा आगे पिपवा और अलंग तक विस्तार, मानसी फारबिसगंज तथा मानसी सहरसा-बनमंखी-कटिहार खंडों के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण का काम शुरू किया गया है।

चालू पंचवर्षीय योजनावधि में पूरी की गई परियोजनाएं इस प्रकार हैं :–

काजीपेट – सिकंदराबाद
साबरमती – गांधीनगर
बीना–कटनी–बिलासपुर
मध्य रेल में 5 शाखा लाइनें
दक्षिण मध्य रेल में 3 शाखा लाइनें

दिल्ली-मुम्बई, दिल्ली-कलकत्ता, मद्रास-दिल्ली तथा कलकत्ता–मुंबई लाइनों पर विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो गया है। मद्रास-कलकत्ता लाइन पर विद्युतीकरण कार्य प्रगति पर है।

इसके अतिरिक्त, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा के खनिज बहुल और इनके आस-पास के क्षेत्रों में भारी घनत्व वाले मार्गों के विद्युतीकरण को कार्यक्रम बनाया गया है।

कुछ राज्यों में परियोजनाओं पर किया जाने वाला निवेश इस प्रकार होगा :–

बिहार	409 करोड़ रुपये
यह बिहार में अधिकतम है।	
आन्ध्र प्रदेश	309 करोड़ रुपये
उड़ीसा	305 करोड़ रुपये
पश्चिम बंगाल	161 करोड़ रुपये
उत्तर प्रदेश	153 करोड़ रुपये
केरल	91 करोड़ रुपये

महानगर परिवहन परियोजनाएं

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : अयोध्या के लिए क्या किया?

श्री सुरेश कलमाड़ी : अयोध्या के ब्रिज के लिए आना है।

डॉ० कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर) : महोदय, मैंने रुपसा-बांगड़ीपोसी छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का अनुरोध किया है। उसका क्या हुआ ?

श्री सुरेश कलमाड़ी : योजना आयोग ने इसे पारित कर दिया है। ..... **(व्यवधान)** ..... मैं यह जानता हूं। मैं यह जानता हूं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं ..... **(व्यवधान)** ..... वह आलरेडी पास हो गया है।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : आपने कहा था कि 1996 तक लाइन पूरी हो जाएगी। लेकिन कब पूरी होगी। आपने वायदा किया था। यह कब पूरा होगा ?

श्री सुरेश कलमाड़ी : इसके बाद बात कर लेना।

सदन को यह सूचित करते हुए मुझे वास्तव में प्रसन्नता हो रही है कि प्रतिष्ठित कलकत्ता मेट्रो परियोजना, जो कलकत्ता के लोगों का स्वप्न और गौरव है, पूरी कर ली गई है और इसे पूरी तरह चालू

कर दिया गया है। 1972-73 में शुरू हुई इस परियोजना को 1,562 करोड़ रुपये की लागत पर इस वित्त वर्ष में पूरा किया गया है। इस भारी निवेश में 1991-92 से लगभग 50 प्रतिशत का आबंटन हमारी सरकार द्वारा किया गया है। कलकत्ता मेट्रो परियोजना पर हमारी सरकार द्वारा पिछले चार वर्षों के दौरान किए गए 1562 करोड़ रुपये के भारी निवेश में से हम 750 करोड़ रुपये से अधिक राशि खर्च कर चुके हैं। मेट्रो रेलवे को टालीगंज से गरिया (8.4 कि0मी0) तक बढ़ाने से सम्बन्धित सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है तथा इसे दमदम से बैरकपुर (16 कि0मी0) तक बढ़ाने से सम्बन्धित सर्वेक्षण कार्य अंतिम चरणों में है।

जहां तक मद्रास के लिए व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली का सम्बन्ध है, मद्रास बीच से चेपॉक तक का खंड पहले ही चालू किया जा चुका है और लुज तक का शेष खंड दिसम्बर 1996 तक पूरा कर दिया जाएगा।

श्रीमन्, कलकत्ता मेट्रो और मद्रास व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना के बाद अब मुंबई उपनगरीय प्रणाली की बारी है, जहां भारतीय रेलों के कुल यात्री यातायात के 45 से 50 प्रतिशत की ढुलाई की जाती है, यहां यातायात का अत्यधिक दबाव है। भारतीय रेलों पर प्रतिदिन कुल लगभग 120 लाख यात्रियों में से 55 लाख उपनगरीय दैनिक यात्री मुंबई उपनगरीय परिवहन प्रणाली का उपयोग करते हैं। मुंबई उपनगरीय परिवहन समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है जिस पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

तदनुसार, हमने ऐसे विभिन्न कार्यों ओर परियोजनाओं की पहचान करने के प्रयास तेज़ कर दिए हैं जिन्हें अत्यधिक बोझ से दबी हुई इस प्रणाली को अपेक्षित राहत प्रदान करने के लिए अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक आधार पर शुरू करने की आवश्यकता है। रेल बजट तथा अनुदान की पूरक मांगें, 1995-96 में अनुमोदित की गई विभिन्न परियोजनाओं को निष्पादित किया जा रहा है। इन परियोजनाओं में बेलापुर और पनवेल के बीच दोहरी लाइन, थाणे-नेरूल नई लाइन, मुंबई सेंट्रल और बोरीवली के बीच पांचवीं लाइन, बोरीवली और विरार के बीच तीसरी और चौथी लाइन, दिवा-वसई और बेलापुर और पनवेल के बीच दोहरी लाइन थाणे-नेरूल नई लाइन, मुंबई सेंट्रल और बोरीवली के बीच पांचवीं लाइन, बोरीवली और विरार के बीच तीसरी और चौथी लाइन, दिवा-वसई और दिवा-पनवेल खंडों के दोहरीकरण, पनवेल-करजत नई लाइन तथा कुर्ला और थाणे के बीच पांचवीं और छठी लाइन के निर्माण से सम्बन्धित कार्य शामिल हैं।

हाल ही के महीनों मे राइट्स से दो अध्ययन कराए गए थे जिनसे जर्मनी के विशेषज्ञ भी जुड़े थे। इन अध्ययनों में विभिन्न विकल्पों, जैसे सड़क/रेलपथों के ऊपर उत्थापित रेलपथ, भूमिगत मेट्रो और पश्चिम और मध्य, दोनों रेल प्रणालियों पर अतिरिक्त पांचवीं और छठी लाइनें बिछाने की जांच की गई थी।

विभिन्न विकल्पों की वास्तविक और आर्थिक व्यावहारिकता के आधार पर निर्णय लिए गए हैं जिनमें पश्चिम और मध्य, दोनों रेल प्रणालियों पर पांचवीं और छठी लाइनें बिछाने के काम में तेजी लाने तथा वर्ली के रास्ते कोलाबा से कुर्ला तक एक नया मुंबई मेट्रो (भूमिगत) रेल सम्पर्क बनाने के साथ-साथ कारनाक बंदर से रावली जंक्शन तक एक नए गलियारे का निर्माण और बान्द्रा-कुर्ला सम्पर्क स्थापित करना शामिल हैं। भूमिगत मेट्रो के निर्माण के लिए विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन अपेक्षित है। अब राइट्स द्वारा प्रमुख विदेशी परामर्शदाताओं के सहयोग से ऐसे अध्ययन शुरू किए गए हैं ताकि मेट्रो के लिए आयोजना, शिनाख्त, मौजूदा सेवाओं की शिफ्टिंग तथा विस्तृत भौगोलिक जांच आदि के कार्य प्रारम्भ किए जा सकें। यह रिपोर्ट दिसम्बर 1996 तक प्राप्त हो जाएगी। मुम्बई मेट्रो भूमिगत रेल सम्पर्क को मूर्तरूप देने के लिए पहला कदम उठाया जा चुका है। मुझे विश्वास है कि इससे मुम्बई की जनता को हार्दिक प्रसन्नता होगी।

इन दीर्घकालीन परियोजनाओं के लिए भारी निवेश अपेक्षित है। इतनी बड़ी मात्रा में संसाधन जुटाने के लिए रेलवे भूमि के और रेलपथों के ऊपर आकाश क्षेत्र का वाणिज्यिक दोहन करना होगा, जिस पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार इस बात पर भी सहमत हैं कि मुम्बई नगरीय परिवहन परियोजना चरण-II योजना के अन्तर्गत किए जाने वाले खर्च को, जिसके लिए विश्व बैंक से ऋण लेकर भी धन जुटाया जाएगा, आपस में बराबर-बराबर वहन किया जाए। इस सम्बन्ध में, विभिन्न रेल परियोजनाओं से सम्बन्धित पांच विश्व बैंक अध्ययन इस समय चल रहे हैं। इनके भी न्यू मुंबई मेट्रो के अध्ययन के साथ ही दिसम्बर 1996 तक पूरा हो जाने की आशा है, इसके बाद निवेश सम्बन्धी विभिन्न निर्णय लिए जाएंगे।

इन विभिन्न दीर्घकालिक परियोजनाओं को शुरू करने और उन्हें वर्ष 2001 तक पूरा करने के लिए महाप्रबन्धक, उपनगरीय रेल निर्माण की मुंबई में तैनाती की जा रही है। इसके साथ-साथ विभिन्न अध्ययनों की योजना बनाने और मध्य और पश्चिम रेलों तथा राज्य सरकार के बीच समन्वय बनाने की दृष्टि से एक महानिदेशक, मुंबई उपनगरीय प्रणाली की भी तैनाती की जा रही है। मैं इस सम्मान्य सदन को तथा मुंबई के निवासियों को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि उपनगरीय परिवहन प्रणाली को सुधारने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

श्रीमन्, मुंबई में अधिकांश रेलवे स्टेशनों पर, विशेषकर व्यस्त अवधि के दौरान, अपार जनसमूह दिखाई पड़ता है ये स्टेशन, जिनके निर्माण की योजना कई दशक पहले तैयार की गई थी, अब तेजी से बढ़ते हुए उपनगरीय यातायात को सम्हालने में असमर्थ हैं। तदनुसार हमने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस सहित कई महत्वपूर्ण स्टेशनों के ढांचे में परिवर्तन करने तथा उनके आधुनिकीकरण का कार्य शुरू किया है।

श्रीमन्, रेल उपयोगकर्ता हमारे सम्मानित ग्राहक हैं और वे हमें अपनी सेवा का अवसर प्रदान करते हैं। बढ़ती हुई उपभोक्ता जागरूकता के इस युग में, यात्रियों की सुख-सुविधाओं में सुधार लाने

पर फिर से जोर दिया गया है। यात्री सुख-सुविधाओं के लिए निर्धारित राशि 1991-92 के 24 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1994-95 में 73 करोड़ रुपये और चालू वित्त वर्ष में 91 करोड़ रुपये की गई है।

सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हाल ही के महीनों में यात्रियों की कतिपय कोटियों को निम्नलिखित सुविधाएं दी गई हैं :–

(क) हमारी सरकार सदैव समाज के निर्धन तथा कमजोर वर्गों के कल्याण पर ध्यान देती रही है। रेलवे स्टेशनों पर कार्यरत लाइसेंसधारी भारिक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं और उनकी सीमित तथा अनिश्चित आय को देखते हुए उनकी सहायता की जानी चाहिए। तदनुसार, उन्हें वर्ष में एक बार उनकी पसंद के किसी स्थान की यात्रा के लिए दूसरी और शयनयान श्रेणी में 50 प्रतिशत की रियायत दी गई है। ये लाइसेंसधारी भारिकों के लिए है।

(ख) वरिष्ठ नागरिकों को अब तक 500 कि०मी० से अधिक की दूरी के लिए ही किराए में रियायत दी जाती थी। श्रीमन्, सम्मान्य सदन इस बात से सहमत होगा कि राष्ट्र-निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में चार से पांच दशकों के रचनात्मक योगदान के बाद, उन्हें बेहतर सुविधा दी जानी अपेक्षित है। तदनुसार, दूरी प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया है।

(ग) कैंसर, टी0बी0, थैलेसीमिया और कुष्ठ रोग से पीड़ित रोगियों को यात्रा की कतिपय श्रेणियों में 75% की रियायत दी जाती है। अब यह रियायत शल्य चिकित्सा के लिए यात्रा करने वाले हृदय रोगियों को भी दी गई है।

(घ) देश की रक्षा हमारी सरकार के लिए सबसे अधिक चिंता का विषय रहा है। हमारा देश अपने उन सभी बहादुर सैनिकों के प्रति आभारी है जो हमारी सीमाओं की रक्षा में चौबीसों घंटे प्रतिकूल जलवायु तथा कष्टदायक परिस्थितियों का बहादुरी से सामना कर रहे हैं। उनके पराक्रम और उनके द्वारा किए गए बलिदान का सम्मान करते हुए, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि जैसे वीरता पुरस्कार विजेताओं को स्वतन्त्रता सेनानियों की तरह प्रथम श्रेणी में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मरणोपरांत वीरता पुरस्कार विजेताओं की विधवाओं को भी यह लाभ दिया गया है।

(ङ) सभी खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को दूसरी श्रेणी और राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रथम श्रेणी के किराए में रियायत को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके साथ ही, खिलाड़ियों द्वारा की जाने वाली यात्रा पर से दूरी प्रतिबंध हटा दिया गया है।

(च) अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को प्रथम श्रेणी में निःशुल्क यात्रा करने की छूट दी गई है।

(छ) राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में कलाकार महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यह विनिश्चय किया गया है कि उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, प्रथम श्रेणी में 50 प्रतिशत की रियायत दी जाए तथा दूसरी श्रेणी और शयनयान श्रेणी में दी जा रही 50 प्रतिशत की वर्तमान रियायत को बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया जाए।

(ज) श्रीमन्, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राजधानी और शताब्दी गाड़ियों में यात्रा की अनुमति देने के सम्बन्ध में भूतपूर्व संसद सदस्यों की लम्बे अर्से से चली आ रही मांग मान ली गई है। उन्हें संसद भवन के आरक्षण काउंटर पर बुकिंग की सुविधा भी प्राप्त होगी। बहरहाल, मैं नहीं चाहूंगा कि सम्मान्य सदन के किसी माननीय सदस्य को निकट भविष्य में इस सुविधा की आवश्यकता हो।

रेलों पर लगभग पूरी यात्री आरक्षण प्रणाली का कंप्यूटरीकरण हो गया है। 31-3-95 तक कुल आरक्षण कार्यभार के 92 प्रतिशत का कंप्यूटरीकरण किया जा चुका था। कंप्यूटरीकृत आरक्षण की सुविधाएं 254 स्थानों पर उपलब्ध हैं और इनमें वे सभी स्थान शामिल हैं जहां प्रतिदिन 300 से अधिक आरक्षण किए जाते हैं। वर्ष 1995-96 के दौरान 43 और नए स्थानों के कंप्यूटरीकृत हो जाने की संभावना है।

हम पहले से ही वर्ष 1995-96 के दौरान लगभग 147 नई गाड़ियां आरम्भ कर चुके हैं। इसी प्रकार 116 गाड़ियों का चालन क्षेत्र बढ़ाया गया है। नई दिल्ली-गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस सहित 6 गाड़ियों के फेरे बढ़ाये गए हैं।

1995-96 के बजट में किए गए वादे के अनुसार, 9 खंडों पर अतिरिक्त मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट गाड़ियां चलाई गई हैं।

मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के यथासमय चालन पर निगरानी रखने के लिए रेलों का एक नियमित तंत्र है। इन गाड़ियों के समयपालन में सुधार हुआ है।

घटते हुए बजटीय समर्थन तथा रेल परिवहन क्षमता बढ़ाने की भारी मांग को देखते हुए रेलों द्वारा वित्त-पोषण के वैकल्पिक साधनों को अपनाया जा रहा है।

"बनाइए, अपनाइए, पट्टा कीजए, हस्तांतरित कीजिए" योजना के अन्तर्गत प्राइवेट एजेंसियों द्वारा निर्माण और वित्त-पोषण के लिए अनेक परियोजनाएं चुनी गई हैं। इस योजना के अंतर्गत रेलों को पट्टा अवधि के दौरान केवल पट्टा प्रभारों का भुगतान करना पड़ेगा।

आमान परिवर्तन, दोहरीकरण, विद्युतीकरण, दूर-संचार, चल स्टॉक को पट्टे पर देने आदि की परियोजनाओं में निवेश के लिए प्राइवेट एजेंसियों की प्रतिक्रिया अभी तक उत्साहवर्धक रही है। 555 करोड़ रुपये की लागत की परियोजना को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है ओर 1175 करोड़ रुपये के निवेश की परियोजनाएं विचार के विभिन्न चरणों में हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने माननीय वरिष्ठ सहयोगी, वित्त मंत्री जी का आभारी हूं जिन्होंने रेल परियोजनाओं के लिए भी कर में पांच वर्ष की छूट का लाभ प्रदान करने में सहायता की, जिससे बोल्ट योजना धीमी शुरूआत के बाद आगे बढ़ सकी है।

यह योजना चल स्टॉक के अधिग्रहण में धन लगाने के लिए अधिक से अधिक रेल उपयोगकर्ताओं को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से 1992 में शुरू की गई थी। प्राप्त अनुभवों के आधार पर इस योजना को और आकर्षक बनाने के लिए इसमें और संशोधन किए गए हैं। संशोधित योजना के प्रति बाजार में उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया रही है और 5,500 से अधिक चौपहिया माल डिब्बों के निर्माण के आदेश पहले ही दे दिए गए हैं।

श्रीमन्, हमारा देश उत्सुक विदेशियों के लिए लोकप्रिय पर्यटक गंतव्य के रूप में तेजी से उभर रहा है। घरेलू पर्यटन भी बढ़ रहा है। सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि भारतीय रेलों ने पर्यटन के क्षेत्र में व्यापक पहल की है ताकि विदेशी पर्यटकों से और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के देश के प्रयास में योगदान किया जा सके। लोकप्रिय पर्यटन मार्गों पर 7 नई पर्यटन गाड़ी सेवाएं शुरू करने के लिए कार्यवाही आरम्भ की गई है। "पैलेस-आन-व्हील्स" और "रायल ओरिएंट" नामक इनमें से दो ऐसी पर्यटन गाड़ियां क्रमश: राजस्थान तथा गुजरात सरकारों के सहयोग से पहले से चालू हैं।

रेलों ने ऐसी ही पांच और पर्यटक गाड़ियां शुरू करने के लिए निजी क्षेत्र को 100 करोड़ रुपये के निवेश की पेशकश की है। अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यावसायिक पर्यटक परिचालक के सहयोग से दो पर्यटक गाड़ियां चलाने के लिए हाल ही में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उत्तरी क्षेत्र में "रॉयल इंडियन" पर्यटक गाड़ी नई दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, जयपुर, वाराणसी, लखनऊ तथा दक्षिणी क्षेत्र में "रॉयल इंडियन" बेंगलूर, मैसूर (हसन/हालेबिड/बेलूर), मदुरै, कोचीन तथा मद्रास आदि जैसे महत्वपूर्ण स्थानों से गुजरती है।

भारतीय रेलें घरेलू पर्यटन को भी बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रही हैं। इसके लिए राज्य पर्यटन विकास निगमों के सहयोग से, सप्ताहांत रेल यात्राओं की एक श्रृंखला की व्यवस्था की जाएगी जिसमें दोनों दिशाओं से गारंटीशुदा रेल यात्रा, आवास तथा दर्शनीय स्थल देखने की सुविधा उपलब्ध होगी। पहले चरण में, ऐसी 12 सप्ताहांत यात्राएं शुरू की गई हैं।

तीर्थ यात्रा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलों ने पुन पांच वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण तीर्थ यात्री केन्द्रों को प्रमुख शहरों/कस्बों से जोड़ते हुए 20 नई गाड़ियां चलाई हैं। इस तरह जोड़े गए कुछ तीर्थ यात्री केन्द्र हैं – अजमेर, अमृतसर, इलाहाबाद, बस्ती, बैद्यनाथधाम, गुरुवायूर, हरिद्वार, जम्मूतवी, नांदेड, पुरी, तिरुपति, वाराणसी आदि। हाल ही में हमने बरेली और अजमेर के बीच 'आला-हजरत एक्सप्रेस' शुरू की है।

इसके साथ-साथ, रेलवे मुख्यत: शिरडी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सिकन्दराबाद से बैलापुर तक तथा वापसी वाली एक सप्ताहांत विशेष गाड़ी भी चला रही है।

पर्यटन महत्व वाले 100 रेल स्थलों पर और अधिक 'रेल यात्री निवास' किस्म के कम खर्च वाले होटलों की स्थापना करने के प्रयास पहले से जारी हैं ताकि इन स्थलों पर साफ-सुथरे और सस्ते आवास की व्यवस्था की जा सके। इन होटलों से मौजूदा कमरों के अलावा लगभग 10,000 कमरे और बढ़ जाएगें।

(व्यवधान)

आप बैठे। आपका सारा किया। अभी समस्तीपुर दिया। एक मिनट दे दो।

श्रीमन्, भारतीय रेलों पर परिचालन का आकार बहुत ही बड़ा है। पूरे देश में 63,000 कि0मी0 के नेटवर्क पर, जहां 7000 से अधिक स्टेशन हैं, लगभग 7000 यात्री-गाड़ियों में तकरीबन 1.2 करोड़ यात्री यात्रा करते हैं। जैसा कि हम हर रोज देखते हैं, लाखों यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन और गाड़ियां एक प्रकार से "घर से दूर घर" हैं। हालांकि हमारी सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार यह माना जाता है कि "स्वच्छता में देवत्व का वास होता है", परन्तु ऐसा, विशेषकर स्टेशनों तथा चलती गाड़ियों में, पर्याप्त रूप से दिखाई नहीं देता है। सफाई के बारे में यात्रियों तथा अन्य रेल उपयोगकर्त्ताओं की चिंता को देखते हुए हमने सफाई के स्तर में दृष्टव्य सुधार लाने हेतु एक सफाई अभियान चलाया है, जो एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस अभियान के जरिए, जिसमें साढ़े सोलह लाख रेलकर्मी तथा करोड़ों यात्री शामिल हैं, हम वास्तव में सफाई के प्रति मूल रवैये में परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हमें गंदगी के विरुद्ध छेड़ी गई जंग में सफलता मिल सके। हम सफाई को यात्री सुविधाओं का एक अनिवार्य अंग मानते हैं क्योंकि इससे रेल उपयोगकर्त्ताओं के आराम में वृद्धि होती है। हम इस दिशा में सुधार करने के प्रति कृतसंकल्प हैं।

सफाई के काम के आधुनिकीकरण पर बल दिया जा रहा है। आधुनिक उपस्कर, यथा गीले फर्श को साफ करने के लिए यंत्रों, वैक्यूम ड्रागरों, उच्च शक्ति वाले वैक्यूम क्लीनरों, जेट-सफाई मशीनों और हाथ से सफाई करने के लिए पिलप्परों आदि का इस्तेमाल शुरू किया जा रहा है। पर्यावरण में सुधार की दृष्टि से, कुछ गाड़ियों में परीक्षण के आधार पर "जैविक रूप से मल नष्ट करने वाली प्रौद्योगिकी" को अपनाया गया है।

कमियों का पता लगाने और निवारक उपाय करने के लिए गहन निरीक्षण/फील्ड दौरे किए जा रहे हैं। मैंने इस सफाई अभियान के प्रति गंभीरता दर्शाने के लिए अब तक लगभग 50 स्टेशनों का निरीक्षण किया हैं। रेलवे बोर्ड के सदस्य, क्षेत्रीय तथा मंडल रेल प्रबन्धक और अन्य अधिकारी भी स्टेशनों का गहन निरीक्षण कर रहे हैं। अधिकारियों

द्वारा अब तक स्टेशनों के लगभग 7000 तथा गाड़ियों के 5700 निरीक्षण किए गए हैं। 3000 से अधिक शौचालयों की मरम्मत और उनके नवीकरण का कार्य शुरू किया गया है। लगभग 500 स्टेशनों पर शौचालयों के लिए "भुगतान करके इस्तेमाल करें" प्रणाली शुरू की गई है। विभिन्न स्टेशनों पर कूड़ेदानों की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। अब तक लगभग 1500 पूर्णकालिक/अंशकालिक अतिरिक्त सफाई वालों को सेवा में लगाया गया है। लगभग 300 गाड़ियों में चल सफाईवालों को तैनात किया गया है। लगभग 250 स्टेशनों पर "क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं" बूथ स्थापित किए गए हैं। प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत करने के लिए स्टेशन, मंडल तथा क्षेत्रीय स्तर पर सर्वोत्तम सफाई प्रयास के लिए एक पुरस्कार योजना शुरू की गई है।

श्रीमन्, सम्मान्य सदन इस बात से सहमत होगा कि रेलों के सफाई प्रयासों की सफलता के लिए रेल उपयोगकर्ताओं और जनता का सहयोग अनिवार्य है। तदनुसार, हमने जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए एक बहु-प्रचार अभियान चलाया है।

रेलें परंपरागत रूप से देश में खेलकूद संवर्धन के मामले में अग्रणी रही हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद आयोजनों में अपने उदीयमान खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक नई खेलकूद नीति तैयार की गई है। नई नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :–

(क) रेल संवर्गों के खेलकूद से जुड़े उत्कृष्ट व्यक्तियों का भर्ती कोटा दुगुना करना।

(ख) खिलाड़ियों को जीविकोपार्जन के अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। एम0डी0 वालसम्मा, बहादुर प्रसाद, मोहम्मद शाहिद, वी0जे0 फिलिप्स, विल्सन चेरियन, मधुमिता बिष्ट आदि सहित विख्यात खिलाड़ियों को, जिन्होंने राष्ट्र का मान बढ़ाया है, उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अधिकारियों के रूप में पदोन्नत किया जा रहा है/पदोन्नत किया गया है।

(ग) हाल ही में शुरू की गई "रेल खेल रत्न" और "रेल खेल श्री" योजना के अन्तर्गत क्षमतावान 50 उदीयमान खिलाड़ियों को 1,000 रु0 से 2,000 रु प्रतिमाह तक की बढ़ी हुई वृत्तिका दी जाएगी।

(घ) खिलाड़ियों को राष्ट्रीय कीर्तिमान और रेल कीर्तिमान स्थापित करने के लिए क्रमशः 25,000 रु0 और 10,000 रु0 के नकद पुरस्कार शुरू किए गए हैं। जो खेल-प्रशिक्षक रेलवे टीमों के निष्पादन के स्तर में सुधार लाएंगें, उन्हें 10,000 रु0 का पुरस्कार दिया जाएगा।

इस नीति में रेलवे खेलकूद निकायों को अधिक अनुदान देना शामिल है। कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई और सिंकदराबाद तथा गुवाहाटी में खेलकूद सुविधाओं की मौजूदा अवसंरचना का उन्नयन किया जाएगा और उसे बेहतर बनाया जाएगा। ऐसी ही सुविधाएं अन्य बड़े केन्द्रों पर भी उपलब्ध कराने की योजना बनाई जा रही है। इन नए उपायों के फलस्वरूप, यह आशा की जाती है कि रेलों पर खेलकूद के मानकों में और अधिक सुधार आएगा।

चालू वर्ष के दौरान रेलें पहले ही 13 राष्ट्रीय चैम्पियनशिपें जीत चुकी हैं, जिनमें वालीबाल (पुरुष एवं महिला) और एथलेक्टिस (पुरुष एवं महिला) की प्रतिष्ठित चैम्पियनशिपें शामिल हैं।

यह वास्तव में गौरव की बात है कि भारतीय रेलें लगातार पिछले 27 वर्षों से राष्ट्रीय महिला एथलेटिक प्रतियोगिता जीतती आ रही हैं।

श्रीमन्, हम अपने देश के एक महान् सुपुत्र नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की शताब्दी मना रहे हैं, जिन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान देश की जनता में स्वन्तंत्रता की भावना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। नेताजी को उनके जन्म शताब्दी वर्ष में श्रद्धांजलि देने के लिए हमने पूर्व और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए हावड़ा में लगभग 9 करोड़ रु० की लागत से नेताजी सेंटेनरी स्पोर्ट्स अकादमी का निर्माण शुरू किया है।

वर्ष 1995-96 के दौरान रेल मंत्रालय की विभिन्न उत्पादन इकाइयों के परिणाम संतोषजनक रहे हैं। सरकारी क्षेत्र की इकाइयों का कार्य-निष्पादन भी वर्ष 1994-95 के दौरान काफी संतोषजनक रहा है।

श्रीमन्, सदन को सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता है कि रेलों ने रेल कर्मचारियों के लिए 1-4-93 से उत्पादकता-संबद्ध बोनस के परिकलन के लिए अधिकतम सीमा 1600 रु0 प्रतिमाह से बढ़ाकर 2500 रु0 प्रतिमाह कर दी है। वर्ष 1994-95 के लिए 50 दिन की मजदूरी के बराबर उत्पादकता-संबद्ध बोनस का भुगतान किया गया। रेलों ने वर्ष 1993-94 से उन कर्मचारियों को सम्बन्धित बकाया राशि का भी भुगतान कर दिया है तो उत्पादकता-संबद्ध बोनस के लिए अधिकतम सीमा बढ़ाए जाने के परिणामस्वरूप इस सीमा में आ गए थे।

वर्ष के दौरान औद्योगिक सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण रहे। सर्वोच्च स्तर पर शिकायत निवारण मंच, अर्थात् संयुक्त परामर्श तंत्र योजना के अंतर्गत स्थाई वार्ता तंत्र तथा विभागीय परिषद्, दोनों संतोषजनक ढंग से काम कर रहे हैं।

श्रीमन्, प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता पर और अधिक जोर दिया गया है। हमारी सरकार को इस बात का श्रेय जाता है कि उसने नीतियों पर विचार करने सम्बन्धी महाप्रबन्धकों और रेलवे बोर्ड के सर्वोच्च सम्मेलन में दोनों मान्यता-प्राप्त यूनियनों के प्रतिनिधियों को सहभागी बनाया है। भारतीय रेलों के 142 वर्षीय इतिहास में पहली बार मई दिवस को आयोजित एक ऐसे सम्मेलन में कर्मकारों के प्रतिनिधियों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। तब से हमने इसे एक नियमित रूप प्रदान कर दिया है। फेडरेशन नेताओं की सहभागिता सहित, महाप्रबन्धकों का पिछला सम्मेलन इस महीने की 5 तारीख को आयोजित किया गया था। हमारी सरकार अपने कर्मकारों को नए क्षितिज की ओर अग्रसर होने के अपने प्रयासों में

सहभागी बनाने के लिए कटिबद्ध है। क्षेत्रीय रेलों को भी ये अनुदेश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्रीय और मंडल स्तरों पर आयोजित उच्च स्तर की बैठकों में दोनों श्रमिक परिसंघों के प्रतिनिधियों को शामिल करें।

भारतीय रेलों ने सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए अपना दृढ़ प्रयास जारी रखा है। सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की गई हैं।

श्रीमन्, रेलें परिवहन का प्रमुख साधन होने के अलावा, देश के दूरस्थ तथा पिछड़े क्षेत्रों में जरूरतमंद एवं निर्धन जनता को राहत और सहायता प्रदान करके अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह कर रही हैं। सामाजिक मिशन के भाग के रूप में, रेलों ने पोलियो, आंखों की ज्योति तथा बहरेपन के उपचार आदि के लिए रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी सहित चिकित्सीय तथा शल्य-चिकित्सीय सहायता प्रदान करने हेतु एक प्रमुख स्वैच्छिक संगठन के सहयोग से तीन वर्ष पहले "लाइफ-लाइन एक्सप्रेस" चलाई है। यह चल अस्पताल काफी लोकप्रिय हुआ है। इसकी सफलता से प्रेरित होकर और निर्धनों को सहायता प्रदान करने के हमारे उत्साह के फलस्वरूप, स्वास्थ्य की देखभाल के लिए ऐसी और गाड़ियां चलाने का हमारा प्रस्ताव है।

1996-97 के लिए 8130 करोड़ रुपये का योजना परिव्यय निर्धारित किया गया है। यह चालू वर्ष की योजना से 630 करोड़ रुपये ज्यादा है। इसके लिए वित्तीय व्यवस्था सामान्य राजकोष से बजटीय समर्थन द्वारा (1269 करोड़ रु0), रेलों द्वारा संसाधनों को आन्तरिक रूप से जुटा कर (4111 करोड़ रु0), भारतीय रेल वित्त निगम के माध्यम से निवेश द्वारा (1850 करोड़ रु0) और "बनाइए, अपनाइए, पट्टा कीजिए और हस्तान्तरित कीजिए" तथा "माल डिब्बे के स्वामी बनिए" योजना के अन्तर्गत निजी निवेश (900 करोड़ रु0) के माध्यम से की जाएगी।

श्रीमन्, अब मैं वित्त वर्ष 1996-97 के बजट अनुमानों की चर्चा करूंगा। मौजूदा किराया तथा माल भाड़ा दरों पर सकल यातायात से प्राप्तियां 23385 करोड़ रु0 होने का अनुमान है। इसमें चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 1210 करोड़ रु0 की वृद्धि हुई है। यातायात से प्राप्तियों में वृद्धि चालू वर्ष के 385 मिलियन टन के संशोधित लक्ष्य की तुलना में 25 मिलियन टन अतिरिक्त राजस्व उपार्जक प्रारंभिक माल के लदान और यात्री यातायात से आमदनी में 4% की अनुमानित वृद्धि पर आधारित है।

1996-97 में साधारण संचालन व्यय 16457 करोड़ रु0 होने का अनुमान है। यह चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 1867 करोड़ रु0 अधिक है। प्रस्तावित वृद्धि मुख्यत: बढ़ते यातायात के लिए ईंधन तथा अन्य साधन सामग्रियों की लागत, सामग्रियों की कीमतों में प्रत्याशित वृद्धि, रेल कर्मचारियों को दी जाने वाली वार्षिक वेतनवृद्धि के प्रभाव, महंगाई भत्ते के अतिरिक्त भुगतान तथा भारतीय रेल वित्त निगम को देय उच्चतर पट्टा प्रभारों से सम्बन्धित खर्चों को पूरा करने के लिए की गई है। पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें, जो 1996-97 में आने की संभावना है, कार्यान्वयन के बाद इन संचालन व्ययों में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है। इस कारण होने वाली वास्तविक देयता का निर्धारण, जिसका प्रभाव 16.5 लाख कर्मचारियों पर पड़ेगा, इस समय नहीं किया जा सकता।

महोदय, चूंकि मैं अपना भाषण समाप्त करने ही वाला हूं मुझे यात्री किराए और माल भाड़े में सरकार के विचार के बारे में माननीय सदस्यों में उत्पन्न हो रही शंका की जानकारी है। हमारा यात्री भाड़े और माल भाड़े में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्रीमन्, हमारे प्रधानमंत्री, श्री पी0वी0 नरसिंह राव के नेतृत्व में 1991-92 से शुरू की गई राष्ट्रीय आर्थिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप हमारा देश विकास की नई ऊंचाइगों की ओर बढ़ रहा है। जैसे-जैसे सुप्त शक्ति जागृत होती है और नवीन आशाओं और आकांक्षाओं की दिशा में बढ़ती है, यह भारतीय जन समूह और भारतीय रेलों के लिए भी नवीन अवसरों के लिए जमीन तैयार करेगी। श्रीमन्, जैसाकि इस सम्मान्य सदन को ज्ञात है, भारतीय रेलों का इतिहास हमारे देश के आधुनिक इतिहास से अंतरंग रूप से जुड़ा हुआ है। स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतन्त्रता की लड़ाई के लिए हमारी जनता को एकत्र करने हेतु भारतीय रेलों को एक प्रभावकारी वाहन बनाया था। जैसे-जैसे रेलें आर्थिक विकास की लहर को हमारे देश के प्रत्येक कोने में ले जाने के लिए अपना रेलपथ फैला रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। साढ़े सोलह लाख रेल कर्मियों की ओर से मैं इस सम्मान्य सदन को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि रेलें राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के उत्प्रेरण में और हमारे देश को 21वीं शताब्दी में ले जाने में पीछे नहीं रहेंगी।

श्रीमन्, मुझे इस विशाल रेल परिवार में प्रधानमंत्री की सहायता करने में वास्तव में गर्व है, जिसकी गौरवशाली परम्पराओं का एक लम्बा इतिहास है। रेल कर्मियों की लगन, समर्पण और अनुशासित सेवा समय की कसौटी पर खरी उतरी है। उन्होंने इस देश की एकता बनाए रखने तथा राष्ट्रीय अखंडता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कठिन और दुस्साध्य परिस्थितियों के बावजूद अनवरत प्रगति को गतिमान बनाए रखने के लिए रेलकर्मी बधाई के पात्र हैं। मुझे विश्वास है कि सम्मान्य सदन मेरी इस बात से सहमत होगा कि वे परम्पराओं के अनुसार विश्वसनीय सेवा कर्त्तव्य-परायणता से प्रदान करते रहेंगे और बेहतर, सुरक्षित और साफ-सुथरी सेवा देने के लिए जी जान से यत्नशील रहेंगे।

श्रीमन्, भारतीय रेलों को समय-समय पर अपना समर्थन देने के लिए मैं इस सम्मान्य सदन के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं।

[हिन्दी]

सफर लम्बा है दुश्वार है कोशिश यही रहेगी,
हमारा पूरा हो यह सफर खुशी से, हिफाजत से,
सब की सहमती से ।
जयहिन्द !

4.10 म०प०

[अनुवाद]

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) 1995-96

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : महोदय, मैं वर्ष 1995-96 के बजट (रेल) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

लोक सभा द्वारा वर्ष 1995-96 के लिए स्वीकृत अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि
1	2	3
1.	रेलवे बोर्ड	1,52,35,000
2.	विविध व्यय (सामान्य)	1,000
3.	रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	22,10,63,000
4.	रेलपथ और निर्माण कार्यों से सम्बन्धित मरम्मत और अनुरक्षण	42,70,60,000
7.	संयंत्र और उपस्करों की मरम्मत और अनुरक्षण	25,36,18,000
8.	परिचालन व्यय-चल स्टॉक और उपस्कर	71,56,34,000
9.	परिचालन व्यय-यातायात	77,78,63,000
11.	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	6,55,39,000
12.	विविध संचालन व्यय	10,74,43,000
13.	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	110,38,37,000
14.	निधियों में विनियोग	443,00,00,000
16.	परिसम्पत्तियां खरीद, निर्माण और बदलाव	
	अन्य व्यय	
	पूंजी	15,16,28,000
	जोड़	826,89,21,000

4.12 म०प०

अनुदानों की अतिरिक्त मांगें (रेल) 1993-94

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : महोदय, मैं वर्ष 1993-94 के बजट (रेल) के सम्बन्ध में अनुदानों की अतिरिक्त मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

लोक सभा द्वारा वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकृत अनुदानों की अतिरिक्त मांगें (रेल)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि
1	2	3
6.	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	25,40,45,424
8.	परिचालन व्यय-चल स्टॉक और उपस्कर	35,56,26,915
9.	परिचालन व्यय-यातायात	2,27,40,307
11.	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	2,62,08,150
12.	विविध संचालन व्यय	1,68,97,633
16.	परिसंपत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव	
	अन्य व्यय	
	पूंजी	1149,18,30,375
	जोड़	1216,73,48,804

4.15 म०प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

आर्थिक सर्वेक्षण - 1995-96

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

आर्थिक सर्वेक्षण – 1995-96 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 8990/96]

औद्योगिक विवाद (संशोधन) अध्यादेश, 1996 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण आदि

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 71 (2) के अनुसार, निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) औद्योगिक विवाद (संशोधन) अध्यादेश, 1996 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल.टी. 8991/96]

(दो) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अध्यादेश, 1996 द्वारा तुरन्त

विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल.टी. 8992/96]

(तीन) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अध्यादेश, 1996 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल.टी. 8993/96]

(2) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अध्यादेश, 1996 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल.टी. 8994/96]

कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अध्यादेश, 1996 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : महोदय, मैं श्री जगदीश टाइटलर की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 71 (2) के अन्तर्गत कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अध्यादेश, 1996 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल.टी. 8995/96]

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, मद्रास के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन, कार्यकरण की समीक्षा तथा लेखापरीक्षित लेखे आदि

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, मद्रास के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, मद्रास के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल.टी. 8996/96]

(2) (एक) इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल.टी. 8997/96]

माध्यस्थम् और सुलह अध्यादेश, 1996 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

माध्यस्थम् और सुलह अध्यादेश, 1996 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल.टी. 8998/96]

बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत अधिसूचना

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (नागरिक आपूर्ति विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :–

बाट और मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(1) बाट और माप मानक (पैक की हुई वस्तुएं) छठा संशोधन नियम, 1995, जो 7 दिसम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 784 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) बाट और माप मानक (पैक की हुई वस्तुएं) सातवां संशोधन नियम, 1995, जो 8 दिसम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 788 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल.टी. 8999/96]

औद्योगिक विवाद (संशोधन) अध्यादेश, 1996 आदि

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : महोदय, मैं श्री मुकुल वासनिक की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(1) राष्ट्रपति द्वारा 5 जनवरी, 1996 को प्रख्यापित औद्योगिक विवाद (संशोधन), अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 1)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल.टी. 9000/96]

(2) राष्ट्रपति द्वारा 5 जनवरी, 1996 को प्रख्यापित कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन), अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 2)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल.टी. 9001/96]

(3) राष्ट्रपति द्वारा 5 जनवरी, 1996 को प्रख्यापित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 3)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल.टी. 9002/96]

(4) राष्ट्रपति द्वारा 5 जनवरी, 1996 को प्रख्यापित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 4)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल.टी. 9003/96]

(5) राष्ट्रपति द्वारा 5 जनवरी, 1996 को प्रख्यापित कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 5)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल.टी. 9004/96]

(6) राष्ट्रपति द्वारा 7 जनवरी, 1996 को प्रख्यापित निक्षेपागार अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 6)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल.टी. 9005/96]

(7) राष्ट्रपति द्वारा 11 जनवरी, 1996 को प्रख्यापित उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा-शर्तें) संशोधन अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 7)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल.टी. 9006/96]

(8) राष्ट्रपति द्वारा 16 जनवरी, 1996 को प्रख्यापित माध्यस्थम् और सुलह अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 8)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल.टी. 9007/96]

(9) राष्ट्रपति द्वारा 27 जनवरी, 1996 को प्रख्यापित संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 9)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल.टी. 9008/96]

(10) राष्ट्रपति द्वारा 27 जनवरी, 1996 को प्रख्यापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 10)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल.टी. 9009/96]

केरल भूमि विकास निगम लिमिटेड, एलेप्पी के वर्ष 1980-81 से 1990-91 तक की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा आदि

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(क) की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(क) केरल भूमि विकास निगम लिमिटेड, एलेप्पी का वर्ष 1980-81 से 1990-91 तक की अवधि के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल.टी. 9010/96]

(ख) (i) केरल भूमि विकास निगम लिमिटेड, एलेप्पी का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल.टी. 9011/96]

(ii) केरल भूमि विकास निगम लिमिटेड, एलेप्पी का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल.टी. 9012/96]

(iii) केरल भूमि विकास निगम लिमिटेड, एलेप्पी का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल.टी. 9013/96]

(iv) केरल भूमि विकास निगम लिमिटेड, एलेप्पी का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल.टी. 9014/96]

(v) केरल भूमि विकास निगम लिमिटेड, एलेप्पी का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल.टी. 9015/96]

(vi) केरल भूमि विकास निगम लिमिटेड, एलेप्पी का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल.टी. 9016/96]

(vii) केरल भूमि विकास निगम लिमिटेड, एलेप्पी का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल.टी. 9017/96]

(viii) केरल भूमि विकास निगम लिमिटेड, एलेप्पी का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल.टी. 9018/96]

(ix) केरल भूमि विकास निगम लिमिटेड, एलेप्पी का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल.टी. 9019/96]

(x) केरल भूमि विकास निगम लिमिटेड, एलेप्पी का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल.टी. 9020/96]

(xi) केरल भूमि विकास निगम लिमिटेड, एलेप्पी का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल.टी. 9021/96]

(ग) उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1976-77 से 1993-94 तक की अवधि के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल.टी. 9022/96]

(घ) (i) उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल.टी. 9023/96]

(ii) उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल.टी. 9024/96]

(iii) उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल.टी. 9025/96]

(iv) उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल.टी. 9026/96]

(v) उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल.टी. 9027/96]

(vi) उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल.टी. 9028/96]

(vii) उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल.टी. 9029/96]

(viii) उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल.टी. 9030/96]

(ix) उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल.टी. 9031/96]

(x) उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल.टी. 9032/96]

(xi) उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल.टी. 9033/96]

(xii) उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल.टी. 9034/96]

(xiii) उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल.टी. 9035/96]

(xiv) उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल.टी. 9036/96]

(xv) उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल.टी. 9037/96]

(xvi) उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल.टी. 9038/96]

(xvii) उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल.टी. 9039/96]

(xviii) उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल.टी. 9040/96]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल.टी. 9041/96]

इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, कार्यकरण की समीक्षा तथा लेखापरीक्षित लेखे आदि

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय चिकित्सा प्रणाली तथा होम्योपैथी विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (i) इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ii) इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल.टी. 9042/96]

(3) (i) केन्द्रीय योग अनुसंधान, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ii) केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल.टी. 9043/96]

निक्षेपागार अध्यादेश, 1996 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : महोदय, मैं डॉ० देवी प्रसाद पाल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

निक्षेपागार अध्यादेश, 1996 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल.टी. 9044/96]

4.16 म०प०

[अनुवाद]

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

महासचिव : महोदय, मैं 28 नवम्बर, 1995 को सभा को सूचित करने के पश्चात् पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दो विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :-

1. विनियोग (संख्याक 5) विधेयक, 1995
2. विनियोग (रेल) संख्यांक 4, 1995

[अनुवाद]

4-16½ म०प०

महासचिव : मैं दसवीं लोक सभा के पन्द्रहवें सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित चार विधेयकों को राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित प्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूं :–

1. प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड विधेयक, 1995
2. अनुसंधान और विकास उपकर (संशोधन) विधेयक, 1995
3. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी विधेयक, 1995
4. उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1995

4.17 म०प०

[हिन्दी]

सरकारी उपक्रमों सम्बंधी समिति
अड़तालीसवां प्रतिवेदन

श्री बलराज पासी (नैनीताल) : महोदय, मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति द्वारा भारतीय रेल निगम लिमिटेड के सम्बन्ध में अपने 42वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में समिति का 48वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

4.17¼ म०प०

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति
अड़तीसवां प्रतिवेदन

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का अड़तीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[हिन्दी]

4.17½ म०प०

खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण सम्बन्धी स्थायी समिति
तेरहवां, चौदहवां और पन्द्रहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : महोदय, मैं खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :–

(1) उपभोक्ता संरक्षण के सम्बन्ध में समिति के चौथे प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में तेरहवां प्रतिवेदन तथा समिति की तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही सारांश।

(2) नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1995-96) के सम्बन्ध में समिति के दसवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में चौदहवां प्रतिवेदन तथा समिति की तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही सारांश।

(3) चीनी के सम्बन्ध में पन्द्रहवां प्रतिवेदन तथा समिति की तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही सारांश।

4.18 म०प०

[हिन्दी]

परिवहन और पर्यटन सम्बन्धी स्थायी समिति
बीसवां प्रतिवेदन

डॉ० छत्रपाल सिंह (बुलन्दशहर) : महोदय, मैं महापत्तनों के सम्बन्ध में निजीकरण की नीति के बारे में परिवहन और पर्यटन समिति का बीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

4.18½ म०प०

[अनुवाद]

समिति के लिए निर्वाचन
भारतीय पुनर्वास परिषद्

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०वी० तंग्कावालू) : महोदय, मैं श्री सीता राम केसरी की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 के खण्ड 3(3) (ज) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दे, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन भारतीय पुनर्वास परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 के खण्ड 3(3) (ज) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दे, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन भारतीय पुनर्वास परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करे।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

4.19½ म०प०

भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण विधेयक **

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दूर-संचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना का और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दूर-संचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना का ओर उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री सुख राम : मैं विधेयक पुरःस्थापित* करता हूं।

4.19¾ म०प०

भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अध्यादेश के सम्बन्ध में विवरण

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : महोदय, मैं भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अध्यादेश, 1996 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9045/96]

हवाला मामले के सम्बन्ध में

.....(**व्यवधान**).....

4.20 म०प०

अध्यक्ष महोदय : सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

.....(**व्यवधान**).....

अध्यक्ष महोदय : सदस्यगण कृपया अब एक-एक करके अपनी बात बोलिए।

.....(**व्यवधान**).....

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, अब तो आप हम लोगों को देख रहे हैं कि हम कितना को-आपरेट कर रहे हैं, बहुत बच्छा काम हो रहा है। अध्यक्ष जी, हम लोगों का आपसे आग्रह है कि अब सदन की कार्यवाही आगे भी चले। इसके लिए हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि हम लोगों ने जिस मुद्दे को उठाया है वह बहुत ही गम्भीर मुद्दा है और इसमें चार इश्यूज हैं। एक इश्यू है जो हवाला कांड के सम्बन्ध में है और उसमें प्रधानमंत्री सीधे घिरे हुए हैं, आरोपित हैं। आरोप सिद्ध होगा कि नहीं होगा, अलग बात है, लेकिन आरोपित हैं। दूसरा मुद्दा है सेंट किट्स का। तीसरा मुद्दा है कि एक मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट ने 40 लाख रुपये का आरोप लगाया है। तो ये जो मुद्दे हैं ये मुद्दे इतने अहम हैं और जो लीडर ऑफ द हाउस हैं प्रधानमंत्री हैं, इस मुद्दे में घिरे हुए हैं। हम लोग आपके माध्यम से आज यह भी मांग करना चाहेंगे। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं। हम लोगों ने शुरू से कहा है कि पार्लियामेंट के चुनाव अप्रैल के पहले हो जाने चाहिए। हम लोगों की यह राय थी कि नई सरकार को आकर के बजट पेश करना चाहिए था। चाहे वोट ऑन अकाउंट हो या बजट हो, नई सरकार ही पेश करे। चूंकि यह सरकार अपना मैनडेट खो चुकी है और उसका सबसे ताजा उदाहरण है इसके आधे मंत्री करीब-करीब जा चुके हैं, शेष जाने वाले हैं। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जिस देश का प्रधानमंत्री घोटाले में घिरा हुआ हो, जिस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कोर्ट ने सी०बी०आई० को आदेश दिया हो कि तुम जांच जारी रखो।

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : इनके पास एक ही बात रह गई है कि बस ऐसे ही बोलते रहो।

श्री राम विलास पासवान : उनके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि प्रधानमंत्री के पद पर रहे। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और इस मामले में आपने देखा, आपने कहा कि मेरे पास में इतने सारे नोटिस आए हैं कि मैं एक तरह से देख भी नहीं पाया हूं। तो अध्यक्ष महोदय, आप इसी से इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि मैं आप ही के साथ बैठा हुआ था।

श्री राम विलास पासवान : हां हम लोग थे और वहां भी हमने आपसे बार-बार यही आग्रह करने का काम किया था। अब मेरा आग्रह यह है कि रेल बजट को इन्होंने पेश कर दिया है। इंटेरिम बजट या वोट ऑन एकाउंट जो भी हो, इन्होंने पेश कर दिया है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने विधिवत तरीके से आपके पास प्रस्ताव दिया है। वह प्रस्ताव चाहे एडजर्नमेंट, कार्य स्थगन का हो, चाहे वह प्रस्ताव 184 के तहत हो, चाहे सेंश्योर मोशन के रूप में हो, चाहे प्रिविलेज मोशन के रूप में हो। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि अर्जेंट डिसकशन की आवश्यकता है और पब्लिक लाइफ में सारे के सारे जो पोलीटीशियंस है, उन पोलीटीशियंस के ऊपर जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा है मेरा आपसे आग्रह है कि आप सदन उठने से पहले जिन माननीय सदस्यों की जो भावनाएं हैं जो कोर्ट के प्रति नहीं, सुप्रीम कोर्ट के प्रति नहीं, किसी जुडिशियरी के प्रति नहीं, बल्कि किसी एक सिंगल जज के प्रति हैं। अध्यक्ष जी इसी सदन में आपको याद होगा श्री वी० रामास्वामी जी वाला मामला आया था, जिसमें तीन जजों ने करप्शन के मामले में उसके खिलाफ रिकमेंडेशन

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II खण्ड-2, दिनांक 27-2-96 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

किया था। लेकिन चाहे किसी भी पक्ष के लोग हों हम लोगों ने जुडीशियरी की मर्यादा को कायम रखा और एक बार भी जुडीशियरी के ऊपर किसी ने एसपर्शन नहीं किया। यह अलग बात है कि अगर उस समय के कांग्रेस पार्टी के लोग, ट्रेजरी बैंच के लोग पार्शिएलिटी नहीं करते और कलप्रिट को बचाने का काम नहीं करते तो आज अपोजीशन के ऊपर इतनी बड़ी तोहमत नहीं लगती और पूरे पार्लियामेंट को और पूरे के पूरे सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को आज जिस तरीके से एक जज के द्वारा जलील किया गया है, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही निंदनीय कार्य है और इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि ये इश्यूज हमारे सामने हैं। पहला इश्यू करप्शन का है जिसकी तरफ देश का ध्यान लगा हुआ है। यह ठीक है कि हमने गवर्नमेंट का जो काम है वह कर दिया है। लेकिन यह भी गवर्नमेंट का ही काम है कि गवर्नमेंट को अपनी तरफ से आना चाहिए था। प्रधानमंत्री को मॉर्निंग में आना चाहिए था और सवेरे से माननीय सदस्यों व नेताओं ने यह मामला रखा था कि प्रधानमंत्री को आकर के सफाई देनी चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि प्रधानमंत्री सफाई देने में असफल हैं और वह दे भी नहीं सकते हैं वह मौनी बाबा बन गए हैं। इसीनिलए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि एडजर्नमेंट मोशन के साथ में इस पर बहस करवाई जाए और अभी से बहस आप शुरू करवा दें जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और जनता के सामने सही चेहरा कौन है और नकली चेहरा कौन है, वह जा सके। इस तरह हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि अब जो हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है उस कार्य स्थगन प्रस्ताव पर निर्णय लेकर के, स्वीकृति देकर के बहस करवाने का काम करें ..... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, हमने स्थगन प्रस्ताव का एक नोटिस दिया हुआ है और हम आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री का नाम शामिल है। प्रधानमंत्री पर व्यापक भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। हमारी यह मांग है कि प्रधानमंत्री जी को आकर व्यक्तिगत रूप से स्पष्टीकरण देना चाहिए। पूरा मंत्रिमंडल भ्रष्टाचार में सम्मिलित है। इस सरकार को एक क्षण भी सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। हम इस सरकार की निन्दा करना चाहते हैं। महोदय, हमने स्थगन प्रस्ताव का एक नोटिस दिया हुआ है और हम अपने नोटिस पर आपके जवाब की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसके बारे में क्या हो रहा है ? हम सरकार की निन्दा करना चाहते हैं। ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री फातमी, मैं आपको भी अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : महोदय, आज दोपहर आपने सभा 2.30 म०प० तक के लिए स्थगित की थी ताकि यह सभा इस बात पर विचार कर सके कि टाडा न्यायालय के न्यायाधीश के आघात पहुंचाने वाले और अभूतपूर्व आदेश से निपटने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है। आपने सभा ढाई घण्टे के लिए स्थगित की थी और आपको सभा में अनेक दलों के नेताओं से मुलाकात करनी थी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस सभा को विश्वास में लीजिए और यह बताएं कि इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है क्योंकि हम सभी जनसाधारण जानना चाहते हैं कि नेताओं ने क्या निर्णय लिया है ..... **(व्यवधान)**

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जाधवपुर) : महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि सबसे पहले हमें स्थगन प्रस्ताव के नोटिसों को निपटाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं कौल और शकधर की पुस्तक के पृष्ठ संख्या 447 के पढ़ सकता हूं ?

"बजट पर चर्चा या राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान आमतौर पर स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जाती है क्योंकि सदस्यों के पास उस चर्चा के दौरान अन्य मामले पर ध्यान आकर्षित करने के पर्याप्त अवसर होते हैं।"

.....(व्यवधान).....

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : यह सामान्य स्थिति में है। महोदय, लेकिन यह असामान्य स्थिति है। ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान ग्रहण कीजिए। श्री फातमी, मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

अब कृपया यह बात समझ लीजिए कि इसमें दो बातें शामिल हैं। पहली बात यह है कि आप इस मामले पर चर्चा करना चाहते हैं, मैं इस मामले पर चर्चा की अनुमति दूंगा।

.....(व्यवधान).....

श्री रूपचन्द पाल : हम सरकार की निन्दा करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जब मैं बोल रहा हूं तो आप इस प्रकार हस्तक्षेप मत कीजिए।

दूसरी बात यह है कि बजट सत्र चल रहा है और यदि आप सरकार की निन्दा करना चाहते हैं तो आपके पास काफी अवसर हैं। धन्यवाद प्रस्ताव पारित करते समय, बजट पारित करते समय, वित्त विधेयक पारित करते समय आप सरकार की निन्दा कर सकते हैं। अतः आपके पास अवसर हैं। आपको किसी बात की मनाही नहीं है। यदि आप इस पर जोर दे रहे हैं तो ऐसा लगता है कि आप ऊपरी बात पर झगड़ा करना चाहते हैं मूल बात पर नहीं। जहां तक मूल बात का सम्बन्ध है, आप सब कुछ लीजिए पर ऐसा मत कीजिए। आपको इस मामले पर चर्चा करने की अनुमति दी जाएगी और यदि आप इस सरकार की निन्दा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास अवसर हैं।

.....(व्यवधान).....

श्री राम कापसे (ठाणे) : मैं पहले ही नोटिस दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : किस विषय पर ?

श्री राम कापसे : मैंने प्रधानमंत्री और श्री सतीश शर्मा के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव का नोटिस दे रखा है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे उस पर गौर करना होगा।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : इस बारे में आपने यहां पर कहा था.....

अध्यक्ष महोदय : आपने कल ही तो यह कहा था कि आप मेरे निदेशों का पालन करेंगी। अब मैं, अपना विनिर्णय दे चुका हूं और शायद आप मेरे विनिर्णय पर ही टिप्पणी कर रही हैं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : लेकिन इसकी स्वीकृति नहीं दी जा सकती।

अध्यक्ष महोदय : वास्तव में, मैंने भी यही कहा है। मैंने कौल एवं शकधर की पुस्तक से पढ़कर सुनाया है तथा यह कहा है कि इस पर स्थगन प्रस्ताव लाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : ऐसा सामान्य स्थिति में हो सकता है, लेकिन यह तो एक असामान्य स्थिति है। इस पर हम बजट के भाग के रूप में चर्चा नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव किस रूप में लिया जाता है, कृपया आप इस विवाद में न उलझें, जबकि आपको इसका सार प्राप्त हो ही गया है। इससे कोई लाभ नहीं होगा। आपको बोलने का मौका दिया गया है; आप को निन्दा करने का अवसर मिला है। जब आपको ऐसे अवसर मिले हैं, तो इस प्रकार का दबाव डालना उचित नहीं है कि इस विषय पर चर्चा केवल उसी ढंग से की जाए, जिस तरीके से आप चाहते हैं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, यह न तो बजट का हिस्सा है और नह ही राष्ट्रपति के अभिभाषण का हिस्सा। ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जहां तक इन्द्रजीत का सम्बन्ध है, मेरे विचार से श्री वाजपेयी जी भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं .....

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, अनेक मंत्रियों के पास ..... **(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

.....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : मैं नियमानुसार चल रहा हूं। मैं आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं चल सकता ।

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

.....(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, प्रधानमंत्री महोदय कहां हैं ? वह इस सभा में आकर हमें यह जानकारी क्यों नहीं दे रहे कि क्या हो रहा है ? ..... **(व्यवधान)**.....

अध्यक्ष महोदय : जहां तक भी इन्द्रजीत जी द्वारा उठाए गए मुद्दे का सम्बन्ध है, नेताओं ने इस मुद्दे पर बैठक की थी, चर्चा की थी एवं कुछ चीजें तैयार की थी। लेकिन फिर इस मुद्दे पर और अधिक जांच-पड़ताल करने की जरूरत थी। हम भी चाहेंगे कि हमें एक सत्यापित प्रति उपलब्ध कराई जाए। हम दी गई प्रति पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक सत्यापित प्रति प्राप्त करना ही बेहतर होगा क्योंकि माननीय सदस्य को भी इसकी प्रति किसी न किसी व्यक्ति से प्राप्त करनी होगी। हम इसकी जांच करने की बजाय, सबसे पहले इसकी सत्यापित प्रति प्राप्त करना चाहते हैं और इसके बाद कल हम इस विषय पर चर्चा करेंगे।

.....(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, हमने रेलवे के लेखानुदान को पारित करने के सम्बन्ध में सहयोग दिया है ..... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम कापसे : अध्यक्ष महोदय, रेल बजट आने से पहले श्री अटल बिहारी वाजपेयी, नेता प्रतिपक्ष ने सुझाव दिया था कि इस बारे में पूरी चर्चा यहां पर आए। जब तक पूरी चर्चा नहीं आएगी, तब तक बात नहीं बनेगी। ..... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं। मैं पहले ही ऐसा कह चुका हूं तथा मैं उस पर अडिग हूं। यदि आप इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, तो मैं चर्चा करने की अनुमति दे दूंगा। जहां तक यह प्रश्न है कि इस विषय पर किस रूप में चर्चा की जानी है तथा किस नियम के अधीन इसकी अनुमति दी जानी चाहिए, इस बारे में मैं सहायता प्राप्त करने की भी कोशिश करूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि आपने अभी कहा कि आप सर्टीफाइड कापी मिलने पर ही आगे बात करेंगे, तो मैं उसको सर्टीफाइड करने के लिए तैयार हूं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आज सदन उठने से पहले, जो कुछ भी निर्णय हो, वह आज यहां इस सदन से बताया जाए। उस निर्णय के पहले सदन न उठे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। आप वहां उपस्थित नहीं थे।

(हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : लेकिन हम आथेंटीकेट कर देते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप वहां उपस्थित नहीं थे। किसी ने आपको उसकी प्रति दी है। मैं आप पर यह बोझ नहीं डालना चाहता कि हम सभा में इस प्रकार की बात करें।

हम चाहते हैं कि आप एक दिन और इंतजार कर लें। मैं आपसे एक दिन के लिए और प्रतीक्षा करने के लिए कहूंगा। हमें इस प्रकार जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह मुद्दा दो संस्थाओं के मध्य है।

श्री रूपचन्द पाल : हम एक बात की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। हमने स्थगन प्रस्ताव की पूर्व सूचना दी हुई है। कैबिनेट में जो कुछ हुआ है तथा .... के बारे में जो हुआ है, उसके सम्बन्ध में सभा के समक्ष स्थिति स्पष्ट करने में सरकार की विफलता के लिए उसकी निन्दा करना चाहते हैं ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने दे दिया है .....

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, मुझे अपनी बात समाप्त कर लेने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मेरे यह कहने के बाद "आप नहीं सकते" आप ऐसा नहीं कर सकते।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, इस विषय पर चर्चा के लिए आश्वासन दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय को भी लूंगा।

श्री अर्जुन सिंह (सतना) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से आपके समक्ष तथा माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए भी यह बात कहना चाहता हूं कि मैंने नियम 222 और 223 के अधीन प्रधानमंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार के हनन के सम्बन्ध में सूचना दी हुई है। मेरे विचार से प्रधानमंत्री तथा उस पूर्व सूचना में उल्लिखित अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध विशेषाधिकार के हनन से सम्बन्धित नोटिस को किसी अन्य रूप में चर्चा हेतु परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : निश्चित रूप से नहीं।

श्री अर्जुन सिंह : यह चर्चा स्पष्टतया उक्त नियम के अंतर्गत होगी। इस विषय पर यहां चर्चा किस ढंग से होगी, इसका निर्णय आपको ही करना है। अतः मैं इस सम्बन्ध में कोई शर्त रखना नहीं चाहता। लेकिन मैं विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि आप जैसा उचित समझें उसी तरीके से यह मुद्दा यथाशीघ्र इस सभा के समक्ष रखा जाना चाहिए, ताकि इस सभा के समक्ष इस विषय पर हम जो कहना चाहते हैं, कह सकें।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपकी पूर्व-सूचना मिल गई है। इस पर मैं प्रधानमंत्री महोदय के विचारों की जानकारी प्राप्त करूंगा।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, हम हवाला मामले पर चर्चा करवाए जाने के लिए आश्वासन प्राप्त करना चाहते हैं ..... **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : प्रधानमंत्री महोदय को इस सभा में आने एवं इन सभी आरोपों को अस्वीकार करने अथवा इनका खण्डन करने में कौन-सी मजबूरी है। ..... **(व्यवधान)** ..... वह सभा में आकर इनका खण्डन कर सकते हैं। ..... **(व्यवधान)** ..... वह वक्तव्य दे सकते हैं। ..... **(व्यवधान)** ..... वह किसी भी बात को अस्वीकार नहीं कर रहे हैं तथा समूचा मीडिया एवं प्रेस है ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभी सदस्यगण बोल रहे हो, तो मैं सदन की कार्यवाही नहीं चला सकता। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। इस विषय पर चर्चा होने दीजिए। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री महोदय आएंगे और उत्तर देंगे।

.....(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : वह सभा में आ सकते हैं तथा यह स्पष्ट कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। ..... **(व्यवधान)** ..... इस सम्बन्ध में सभा यह जानकारी प्राप्त करना चाहती है ..... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : सदन के नेता को तो मालूम था और होगा भी कि आज हाउस पहले दिन बैठ रहा है, इसमें ये सारे मुद्दे आएंगे और ये सारे गंभीर मुद्दे है। ..... **(व्यवधान)** ..... इस तरीके से हाउस नहीं चलेगा। ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सुबह से अभी तक हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं। आप डिस्कशन शुरू कीजिए, वे आ जाएंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जेना जी, अपने साथियों को भी बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : नेताओं की बैठक में, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि हवाला मामले पर एक वक्तव्य दिया जाएगा। सेंट किट्स एवं सदस्य द्वारा रिश्वत लिए जाने जैसे अन्य विषयों पर वक्तव्य दिए जाने चाहिए। ..... **(व्यवधान)** ..... जब तक प्रधानमंत्री सभा में नहीं आते तथा सभा को यह नहीं बताते की इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति क्या है, तब तक यह भ्रान्ति बनी रहेगी ..... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : प्रधानमंत्री कभी भी सदन में नहीं आते। ..... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप यह चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया जाना चाहिए, तो हम उन्हें वक्तव्य देने के लिए कह सकते हैं। हम उस वक्तव्य पर चर्चा भी कर सकते हैं अथवा आप....सकते हैं।

.....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया पहले मेरी बात सुन लीजिए।

.....**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति को सदन में आना चाहिए। प्रधानमंत्री पर प्रश्नचिन्ह है, कैबिनेट के सात मंत्रियों पर प्रश्नचिन्ह है। ..... **(व्यवधान)** ..... हम तो चार साल से देख रहे हैं कि गहरी समस्याओं की चर्चा होती है, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, अदालतों के बारे में डिस्कशन होती है लेकिन प्रधानमंत्री सदन में आते ही नहीं हैं। ..... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सारा देश यह जानना चाहता है ..... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सी.बी.आई. ने कहा है, एस.के. जैन ने कहा है, वर्तमान सांसद ने कहा है कि मुझे 40 लाख रुपये दिए गए हैं। ..... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : हम चर्चा चाहते हैं ..... **(व्यवधान)** ..... वह किस रूप में हो, आप कृपया इसका निर्णय करें और हमें बताएं। ..... **(व्यवधान)**

श्री रूपचन्द पाल : यह सारी संसद का अपमान है। ..... **(व्यवधान)** ..... वे सारी संसद का अपमान कर रहे हैं। वह सारे देश का अपमान कर रहे हैं। ..... **(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना : प्रधानमंत्री इस सभा से छुप रहे हैं। ..... **(व्यवधान)** .....'वे क्यों छुप रहे हैं ? ..... **(व्यवधान)** ..... प्रधानमंत्री सभा में उपलब्ध नहीं हैं। ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : फातमी जी, मैं आपको अनुमति दूंगा। मैं आपको अनुमति दिए बिना सभा को स्थगित नहीं करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले मुझे नियम बताइए।

(व्यवधान)

डॉ० कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर) : आपने नियम को उद्धृत किया है कि जब बजट पर चर्चा चल रही हो तो सभा में स्थगन प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता है। बजट से पूर्व यह प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता है।

इसीलिए स्थगन प्रस्ताव पर बहस नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन यह बात कोई नहीं कह रहा है।

डॉ० कार्तिकेश्वर पात्र : मेरी दूसरी बात यह है कि आपने सभा की इन भावनाओं का जायजा ले लिया है कि हवाला काण्ड पर सभा में चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन उन्हें चर्चा करनी है। चर्चा शुरू किए बगैर वे स्थगन प्रस्ताव लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं। मेरा सभा के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस सभा के पिछले सत्र में जो कुछ हुआ है उसे याद करें। उस समय भी उन्होंने सभा के स्थगित किए जाने पर जोर दिया था और उन्होंने सभा को कार्य नहीं करने दिया था।

महोदय, इसलिए प्रक्रिया के अनुसार यदि वे गंम्भीरतापूर्वक यह चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो तो चर्चा करने दी जाए। लेकिन वे सभा में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। प्रत्येक को मालूम है कि वे इस मसले पर चर्चा करने के मूड में नहीं हैं। इसलिए उनसे मेरा अनुरोध है कि वे माननीय प्रधानमंत्री के सिर पर कीचड़ न उछालें। यह बात पहले भी सिद्ध हो चुकी है कि प्रधानमंत्री स्फटिक की तरह निर्मल हैं। उनके हाथों में देश सुरक्षित है। ..... **(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, मैं इस बात को समझता हूं कि किसी भी माननीय सदस्य को उसकी इच्छा के विरुद्ध इस सभा में आने के लिए नहीं कहा जा सकता हैं। यह बात सुस्थापित है। लेकिन मैं समझता हूं कि न केवल यह सम्मानीय सभा अपितु सारा देश एक बड़ा कारुणिक नजारा देख रहा है, मैं पुनः कारुणिक शब्द प्रयोग करता हूं कि दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री स्वयं को इस सभा से दूर रख रहे हैं जिसके वे नेता हैं। यदि ये दोषारोपण झूठे हैं, यदि कुछ नहीं हुआ है फिर भी मैं समझता हूं कि जब एक गम्भीर मुद्दे पर विचार किया जा रहा है तो उनके लिए जरूरी हो जाता है कि वे सभा में आएं। ..... **(व्यवधान)** ..... सूचना का कोई प्रश्न नहीं है। सभा में आना चाहिए और जैसा उस विषय में वे महसूस करते हैं हमें बताना चाहिए ..... **(व्यवधान)** ..... यह कोई तरीका नहीं है।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

यह बात यह प्रदर्शित करती है कि वे बार-बार इस सभा की पूर्ण अवमानना कर रहे हैं ..... **(व्यवधान)**

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, हम चाहते हैं कि हमें दो बातों के सम्बन्ध में आश्वस्त किया जाए। पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री इस सभा में आएं और जो कुछ हुआ है उस के बारे में हमें स्पष्टीकरण दें। दूसरी बात यह है कि हवाला काण्ड पर अभी चर्चा की जाए। इस पर अभी चर्चा की जाए ..... **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अब हमें चर्चा शुरू करनी चाहिए।

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, हमने किसी भी समय यह नहीं कहा है कि इन मुद्दों पर चर्चा करने में हमारी दिलचस्पी नहीं हैं। जहां तक मानमीय सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दों का सवाल है आप बखूबी वाकिफ हैं कि जब सुबह आप कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे तो इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हम सहमत हो गए थे। लेकिन तब हम इसे अन्तिम रूप नहीं दे सके थे। बैठक में सभी दलों के नेता उपस्थित थे और यह निर्णय नहीं लिया जा सकता कि किस मंच पर इस पर चर्चा की जाए हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं लेकिन उसके लिए हमें इकट्ठे बैठने तथा इस पर निर्णय करना है। इस पर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी निर्णय लिया जा सकता है।

श्री राम विलास पासवान : प्रश्न यह नहीं है। प्रधानमंत्री कहां हैं ? ..... **(व्यवधान)**

श्री गुलाम नबी आजाद : यदि एक सौ संसद सदस्य एक दिन में एक सौ मुद्दे उठाते हैं तो आप प्रधानमंत्री से यह आशा नहीं कर सकते हैं कि वे हर बार यहां आएं। जब आप निर्णय लेगें, जब आप समुचित ढंग से चर्चा करेंगे, जब आप किसी नियम के अंतर्गत समुचित व्यवस्थापूर्वक चर्चा करेंगे तो प्रधानमंत्री कहां अवश्य आएंगे। लेकिन यह किसी के लिए ठीक बात नहीं है कि वे खड़े हों और प्रधानमंत्री को यहां आने के लिए कहें। हां, जब उचित ढंग से चर्चा होगी तो प्रधानमंत्री यहीं रहेंगे। ..... **(व्यवधान)**

प्रो० रीता वर्मा (धनवाद) : प्रधानमंत्री को सभा में अवश्य आना चाहिए। ..... **(व्यवधान)**

श्री गुलाम नबी आजाद : किसी चर्चा के बगैर आप प्रधानमंत्री से यह कैसे आशा कर सकते हैं कि वे यहां आएं। चर्चा शुरू नहीं हुई है। यह अभी तक शुरू नहीं हुई है। ..... **(व्यवधान)**

श्री राम कापसे : वे सभा से क्यों बच रहे हैं ? वे मुख्य दोषी है चूंकि प्रारंभ से ही हम इस की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इसमें संलिप्त है। वे अपने चैम्बर में हैं लेकिन लोक सभा में नहीं। ..... **(व्यवधान)**

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग—अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : अध्यक्ष महोदय, मेरी छोटी सी विनती है। इस सम्माननीय सभा के वरिष्ठ सदस्यों ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री ने इस सभा की अवमानता की है। 'अवमानना' शब्द कार्यवाही वृत्तान्त से निकाला जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इस सम्माननीय सभा की कोई अवमानना नहीं की है। 'अवमानना' शब्द को अवश्य कार्यवाही वृत्तान्त से निकाला जाना चाहिए। ..... **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : जैसा आपने इशारा किया है हम किसी दूसरी रूप में तुरन्त चर्चा शुरू कर सकते हैं। महोदय, एक बात और है कि आज सुबह जो कुछ हुआ उससे कुछ अन्य प्राधिकारी द्वारा लगाए गए कतिपय दोषारोपणों से हम सभी उत्तेजित हो उठे हैं। जिस बात के लिए मैं निवदन कर रहा हूं वह बात बड़ी साधारण है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसके बारे में कहा था। शायद आप वहां नहीं थे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम एक बार पुनः उस स्थिति पर वापिस आते हैं जिसमें संसद सदस्यों की प्रतिष्ठा अंतर्ग्रस्त है और हवाला काण्ड से सम्बन्धित यह सारी चर्चा पूरे देश में हो रही है। मैंने पढ़ा है मैं आपको निःसंकोच बता सकता हूं। सरकारी पक्ष के कुछेक सदस्यों ने मुझे बताया है कि जो कुछ हुआ है को देखकर हम क्या मुंह लेकर संसद भवन में घुसेंगे और चर्चा में कैसे भाग लेंगे। इन लोगों ने यह भी अनुमान लगा लिया है कि इस देश की जनता जो दूसरा उच्चतम न्यायालय है, लोगों के समक्ष संसद सदस्य के रूप में हमारी क्या विश्वसनीयता रह गई है। यह दूसरा उच्चतम न्यायालय यह चाहता है कि हम चर्चा करें और उनको यह बताएं कि कम-से-कम आज भी ऐसा वर्ग है जो ..... **(व्यवधान)** ..... लोगों से सम्मान पाने का हकदार है ..... **(व्यवधान)** ..... लेकिन अभी-अभी जो हो रहा है वह यह है कि इन सब बातों के दौरान आप एक तरह से संसद का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरे शब्दों में सभा का नेता संसद का प्रतिनिधित्व करता है। इन सब बातों के चलते आप यहां उपस्थित थे और सम्पूर्ण स्थिति की विवेचना करने तथा इस समस्या का समाधान खोजने का प्रयास कर रहे थे, सभा के नेता जो विशिष्ट ढंग से सभा का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, सारा दिन अनुपस्थित रहे। मंत्री जी जो कुछ कह रहे हैं उस सब के बावजूद इस पर न केवल हम विचार करेंगे अपितु जो दूसरा उच्चतम न्यायालय है इस देश की जनता भी इस पर विचार करेगी यह उस देश का, संसदीय संस्था का अपमान है। अतः मेरा विनम्र निवेदन है कि हम केवल एक शर्त पर इस पर तुरन्त चर्चा करें कि प्रधानमंत्री सभा में तुरन्त आएं और चर्चा शुरू की जाए।

इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। यदि हम लोगों के सामने प्रायश्चित करना चाहते हैं तो इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। प्रधानमंत्री या तो यहां उपस्थित होकर चर्चा आरम्भ

करें – लोगों की भावना को देखते हुए वह शुरू में ही वक्तव्य दे सकते हैं – या यदि वह ऐसा नहीं करना चाहते तो बाद में इसका उत्तर दे सकते हैं।

उन्हें सुनिए, उन्हें जवाब देने दीजिए। हम जाने को तैयार हैं। हम गंभीर हैं। 1991 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। यदि उच्चतम न्यायालय सक्रिय नहीं होती तो इस हवाला मामले पर से पर्दा नहीं उठता। मुझे स्मरण है कि प्रतिभूति घोटाले पर भी हम चाहते थे कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो जांच करे, परन्तु इस मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सभा में इस मामले पर शीघ्र चर्चा आरम्भ कराए तथा प्रधानमंत्री को उपस्थित रहने को कहें ..... **(व्यवधान)** ..... या तो वह इस पर चर्चा के लिए यहां आए अथवा सभा को स्थगित कर दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको एडजार्नमेंट मोशन से सम्बन्धित नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने डिसीजन दे दिया है। मैंने पढ़ कर बताया है। आप दूसरे प्वाइंट पर आइए।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने बोलने के लिए समय दिया। एडजार्नमेंट मोशन में जो इशू दिया है, वह हवाला का इशू था। ..... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने हमें सहयोग दिया। उन्हें अपनी बात कहने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : महोदय, हवाला इशू कोई इशू नहीं है। आज आप हिन्दुस्तान में कहीं भी चले जाइए, गलियारे से लेकर मौहल्ले, टोले और शहर के अन्दर एक ही चर्चा है, खेत-खलिहानों में भी यही चर्चा है कि आखिर यह हवाला क्या है। अब तो हवाला के बाद लोग हवालात में जाने शुरू हो गए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह अर्जेंट-मैटर इसलिए हैं, क्योंकि इसके अन्दर फैरा का मामला आता है, इसके अन्दर टैरेरिस्ट-एक्टिविटी का मामला आता है। ..... **(व्यवधान)** ..... टैरेरिस्ट लोग इसके अन्दर इन्वाल्व है। इसके अन्दर पैसों के जरिए सासंदों को खरीदने का मामला आता हैं। जब हमारी पार्टी इस संसद में जीत कर आई थी, तो उस समय 62 सदस्य थे और आज आप देखिए कि कितने हम बचे हैं। हम लोगों को पैसों से खरीदने का काम हुआ है, यहां पर खरीदफरोख्त हुई है। कुछ लोग मंत्री बन गए ..... **(व्यवधान)** ..... कुछ लोग यहां पर मंत्री भी बन गए। मैं कहना चाहता हूं कि यह वही पैसा है, जिसके जरिए ..... **(व्यवधान)**

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : आप का दल तो बिल्कुल फिजूल का दल है। ..... **(व्यवधान)**

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : यह पैसा हवाला के जरिए बाहर से आया है। इसलिए इस सदन के अन्दर जितने हम लोग सदस्य हैं, इनको सन्देह है और पूरे हिन्दुस्तान के लोगों को सन्देह है कि इसके अन्दर फारन-हैंड भी हो सकता है। यह हवाला का मामला कोई मामूली मामला नहीं है। आज प्रधानमंत्री जी थोड़ी देर के लिए आए और अभी तक हम लोगों को यहां पर सुनने के लिए नहीं आए हैं। हिन्दुस्तान के लोगों को, आवाम को जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि आखिर ये सब चीजें हैं, ये हिन्दुस्तान के अन्दर डिसकशन की चीजें हैं या नहीं ? प्रधानमंत्री को पहले मोनी-बाबा की पदवी मिली थी। मैं समझता हूं कि पांच साल में जिनते स्कैंडल हुए हैं, उनमें वे मोनी-बाबा की जगह पर...* हो गए हैं। वे ...* होकर हाउस में नहीं आना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि एक-एक स्कैंडल ...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : आज सात मंत्री रिजाइन दे कर घर बैठे हुए हैं और भी मंत्रियों के नाम हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि उस प्रधानमंत्री को कुर्सी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, जिसके मंत्रालय में 7 आदमी चार्जशीटेड हुए हो। आज भी उस मंत्रालय के अंदर कई लोगों का नाम है। आज जितने भी पब्लिक लाइफ में रहने वाले लोग हैं उनके पायजामे-कुर्ते पर आफत आ गई है कि कब कौन पकड़ कर खींच ले। मैं कहना चाहता हूं कि यह पूरा उजागर होना चाहिए। इसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, ज्यूडिशयरी के लोग भी हो सकते हैं और दूसरे पुलिस पदाधिकारी भी हो सकते हैं। इसको पूरे डिसकशन के लिए लाया जाए। हमने जो एडजर्नमेंट मोशन दिया है उसको स्वीकार किया जाए। इस पर यहां पर फुल डिसकशन होना चाहिए, यह मेरा सबमिशन है। ..... **(व्यवधान)**

श्री उमराव सिंह (जालंधर) : आपकी रूलिंग के बाद मैं यह समझा रहा हूं कि जितना भी डिसकशन हुआ है वह गैर-वाजिब है। ..... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

कुमारी ममता बनर्जी : नियम 60 (1) के तीसरे पैराग्राफ में कहा गया है कि :

"परन्तु यह भी कि यदि अध्यक्ष उसमें उल्लिखित मामले के बारे में पूर्ण तथ्यों से अवगत न हो तो वह अपनी सम्मति देने या इन्कार करने से पूर्व उस प्रस्ताव की सूचना को पढ़ कर सुना सकेगा और सम्बन्धित मंत्री और/ या सदस्यों से तथ्यों पर संक्षिप्त विवरण सुन सकेगा और उसके बाद प्रस्ताव को स्वीकार करने के बारे में अपना निर्णय देगा।"

महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न यही है कि हमें इस मुद्दे पर पूरे तथ्य चाहिए। हम इस मुद्दे को इस सभा में इसलिए उठाना चाहते हैं कि ऐसा करके हम भ्रष्टाचार से सम्बन्धित अन्य मुद्दे भी उठा सकें और इसलिए सम्पूर्ण तथ्यों के लिए कृपया इस मुद्दे पर पूरी चर्चा की अनुमति दें। पूरी चर्चा किए बिना हम स्थगन प्रस्ताव के रूप में चर्चा नहीं कर सकते। हम इस पर किसी और रूप में चर्चा कर सकते हैं। चर्चा के अंत में प्रधानमंत्री आकर इसका उत्तर दे सकते हैं। अन्यथा पूरे तथ्यों के अभाव में हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते।

महोदय प्रत्येक सदस्य यही कह रहा है कि डायरी उपलब्ध नहीं है। लेकिन दूसरी ओर बैठे हमारे भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्स) के सदस्य जानते हैं कि उनके यहां एक चिट फंड डायरी है। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार आज एक अहम मुद्दा बन गया है और यही कारण है कि सभी तथ्यों की प्राप्ति के पश्चात् हम इस पर पूरी चर्चा चाहते हैं। भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर हम ऐसे चर्चा नहीं कर सकते। हवाले मुद्दे में 65 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है जबकि वक्फ घोटाला और 'पिल्काम' में हजारों करोड़ रुपये का घोटाला शामिल है। हमें उन मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं करनी चाहिए ? यही कारण है कि हम इस पर पूर्ण तथ्य चाहते है तथा इन मुद्दों पर पूरी चर्चा करना चाहते हैं ..... **(व्यवधान)**

5.00 म०प०

[हिन्दी]

श्री रूपचन्द पाल : ममता बनर्जी को डॉक्ट्रेट कैसे मिली, उसकी भी जांच होनी चाहिए। उसके बारे में भी सदन में चर्चा हो जानी चाहिए।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : आप इस तरह की बातें न कीजिए ..... **(व्यवधान)**

(हिन्दी)

श्री रूपचन्द पाल : आपके बारे में कहने के लिए भी हमारे पास बहुत कुछ है। ..... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, जनता दल के एक माननीय सदस्य ने कहा था कि ..... **(व्यवधान)** ..... आप मेरी बातें क्यों नहीं सुनते ? अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के एक माननीय सदस्य ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि चुनाव के पश्चात् उनके दल की सदस्यों की संख्या घटी है ..... **(व्यवधान)**

श्री तरित वरण तोपदार (बैरकपुर) : महोदय, मैं बोलना चाहता हूं। कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा।

श्री तरित वरण तोपदार : आपको सभी को अनुमति देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा। कृपया आप मुझे निदेश न दें। कृपया बैठ जाएं।

श्री तरित वरण तोपदार : मैं नहीं बैठूंगा। आप मुझे बोलने की अनुमति दें।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : अध्यक्ष के निदेश का विपक्षी सदस्य द्वारा यह खुलमखुल्ला विरोध करना है। वे सुबह से ही सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं ..... **(व्यवधान)**

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : महोदय, यह हमारा विशेषाधिकार है तथा प्रत्येक सदस्य का विचार सुना जाना उनका अधिकार है ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सदन की कार्यवाही नहीं चलने देना चाहते तो मैं सभा स्थगित करता हूं।

श्री तरित वरण तोपदार : नहीं, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे निदेश नहीं देंगे। आप अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हर बात की एक सीमा होती है, अब आप बैठ जाइए, आपको निर्णय नहीं करना है, जब आप अध्यक्ष बनें तब आप निर्णय करना।

(व्यवधान)

श्री ई० अहमद : महोदय, वे सदस्य पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात की अनुमति नहीं दी जा सकती हैं।

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया है, शर्मा जी क्या आप बोलना चाहते हैं ?

श्री चिरंजी लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के एक सदस्य ने कहा है कि उनके दल की सदस्य संख्या कम हो गई है। उस सम्बन्ध में ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या आप बोलना नहीं चाहते हैं ? मैं सभा स्थगित कर दूंगा। आपका वक्तव्य कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जाएगा।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के एक सदस्य ने कहा है कि उनकी सदस्य संख्या कम हो गई है।

[हिन्दी]

इस पर मुझे एक शेर याद आ रहा है, "उन मोमिनों से मेरा कुफ्रे-इमान अच्छा, जिन मोमिनों ने अपना ईमान बेच डाले।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय , मैं पीठासीन अधिकारी द्वारा सभा की कार्यवाही को धैर्य पूर्ण और दृढ़ता से चलाने के लिए उनकी सराहना करता हूं सुबह से ही विपक्ष ने सभा की कार्यवाही रोक रखी है और हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है और जब कभी हम बोलते हैं तो वे बाधा डालते हैं। विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। आपने विनिर्णय दिया है कि स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आप स्थगन प्रस्ताव के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, हमारे समक्ष कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं है।

(व्यवधान)

श्री चिरंजी लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, वे आपके विनिर्णय की अवज्ञा कर रहे हैं, मैं यही निवेदन कर रहा हूं, दो घंटे पहले आपने यह विनिर्णय दिया और उसके बावजूद वे सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहे हैं। मेरा निवेदन है कि प्रधानमंत्री के सभा में उपस्थित होने के लिए जोरदार मांग की जा रही है। किस लिए ? चर्चा हो, आरोप लगाएं जाए, प्रधानमंत्री को उनकी बात सुनने और अपनी बात कहने का अवसर मिले, पहले आरोप लगाए जाएं और फिर वह उनका उत्तर दें। वे यहां न केवल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर देंगे अपितु विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों का उत्तर भी देंगे। प्रधानमंत्री को यहां क्यों होना चाहिए ? किसलिए ? मात्र इसलिए कि उन्होंने झूठे आरोप लगाए हैं। क्या इसलिए प्रधानमंत्री को यहां होना चाहिए ? बार-बार हम उसी बात को कह रहे हैं, प्रधानमंत्री यहां तब उपस्थित होंगे जब उन्हें आरोपों का उत्तर देने का अवसर मिलेगा ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कह रहे हैं। मुझे समझने दो।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : मेरा कहना है कि पूरा दिन बीत गया है, संसद के शीतकालीन सत्र में समूचे विपक्ष द्वारा इस सभा के तेरह दिन आपराधिक रूप से बरबाद किए गए थे। आज भी बजट को पढ़ने के अलावा कोई कार्य नहीं हुआ, इसलिए मेरा निवेदन है कि प्रधानमंत्री की यहां सभा में निन्दा करने का कोई कारण नहीं है।

श्री श्रीकान्त जेना : मेरा निवेदन है कि इस पर चर्चा की जाए, मेरा निवेदन है कि कृपया सभा स्थगित कीजिए। हमें अपने कक्ष में बुलाइए और बताइए कि आप इस पर किस रूप में चर्चा कराना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह सही सुझाव है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझापुर) : शासक दल के माननीय सदस्य ने जनता दल के एक सदस्य को ईमान बेचने वाला कहा। मैं जनता दल की तरफ से यही कहना चाहता हूं कि :

"यह शीशे के शासक दल में पत्थर का गवाह है,
कातिल ही मुहाफिज है और कातिल की सिपाही है।"

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुद्दों पर चर्चा की जाए। हमें आज ही सभा में चर्चा आरम्भ करनी चाहिए, अन्यथा एक गलत धारणा बन जाएगी कि हम इस सभा में चर्चा के रूप पर बात करते है और सार के बारे में नहीं सोचते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हमें नियम 193 के अधीन चर्चा आरम्भ करनी चाहिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हां।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप किसी अन्य नियम के अन्तर्गत चर्चा करना चाहते है तो आप मेरे चैम्बर में चलिए, हम बातचीत करे और फिर सभा मे आए, अन्यथा, हमें नियम 193 के अधीन चर्चा आरम्भ करनी चाहिए। यदि आप किसी अन्य रूप में चर्चा करना चाहते हैं तो मुझे विश्वास दिलाइए। नियम 184 या 193 के अधीन कोई सूचना नहीं है। आप इसे किसी अन्य रूप में दे सकते हैं और आपकी सलाह से मार्ग निर्देश लेंगे। किन्तु यदि हमें इस पर तुरन्त चर्चा करनी है तो हम तुरन्त आरम्भ कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आदर से निवेदन करना चाहूंगा कि इस मसले को लेकर आज पूरा सदन चिंतित है। इसमें मैं सरकारी पक्ष के लोगों को भी शरीक करता हूं। इसकी गम्भीरता को सरकारी पक्ष भी उतनी ही गम्भीरता से ले रहा है। मसला बहुत गम्भीर है। उसके पहलू दोहराने की जरूरत नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है कि जिस तरीके से हम इस उलझन में पड़ गए हैं कि हम इसको ऐडजर्नमेंट मोशन के रूप में ले ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वह हमने निकाल दिया है। सवाल पैदा होता है कि नियम 184, 193 में लेना है।

[अनुवाद]

आप चर्चा आरम्भ कीजिए और हम निर्णय कर लेंगे।

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह : मेरी नबी साहब से अर्ज यह है कि गदि आप 193 में करेंगे तो एक मसला खड़ा हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या ?

श्री जसवन्त सिंह : आप पूछ सकते हैं। उस मामले पर चर्चा होगी कि 193 या 184 हो, असलिए मैं दरख्वास्त करूंगा कि अभी हाऊस को एडजर्न न करें और नेतागणों के साथ एक मीटिंग करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसलिए मैंने यह कहा है। श्री वाजपेयी जी मैं मात्र एक मिनट ही लूंगा। हम इस मुद्दे पर सही रूप से चर्चा करेंगे, या तो आप मुझे विश्वास दिलाइए या मैं आपको विश्वास में लूंगा, किन्तु इस प्रकार की चर्चा अब सभा में नहीं की जा सकती है। हम सही निर्णय लेंगे, मुझे विश्वास है कि आप मुझे उचित मार्गनिर्देश देंगे। जब मैंने कोई बात कही तो आपने हमें हमेशा सहयोग दिया है। इसलिए कोई कठिनाई नहीं होगी, किनतु हमें चर्चा के स्वरूप का अनुसरण भी करना होगा। मैंने कहा था कि चर्चा जारी रहेगी। पहली बात तो यह है जब बजट आपके समक्ष हो और आप सरकार की निन्दा करना चाहते है तो बजट सत्र में कई अवसर मिलेंगे। एक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित करते समय, दूसरा बजट को पारित करते समय, तीसरा वित्त विधेयक को पारित करते समय तथा कई अन्य अवसर भी मिलते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि यदि आप सरकार की निन्दा करना चाहते है तो यह हमेशा आवश्यक नहीं कि एक निश्चित प्रक्रिया, जिसका अनुसरण संसद के बजट सत्र के अलावा अन्य सत्रों में किया जाता है, का ही अनुसरण करें। किन्तु मैं किसी बात पर अड़ा भी नहीं हूं। मैं आप लोगों की बात सुनूंगा और आपके द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करूंगा। मैं अचानक ही बीच में यह नहीं कहूंगा कि सभा स्थगित करता हूं क्योंकि मैंने कहा है कि मैं बातचीत करूंगा। आपने रेल बजट को रखने की अनुमति देकर बड़ी कृपा की है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : दो या तीन घंटे पहले मैंने यही बात कही थी, किन्तु किसी तरह इस बात को समर्थन न मिला, इस पर हमें कितना समय मिलेगा ? राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए हमें कितना समय मिलेगा ?

अध्यक्ष महोदय : इस बात पर सभा में चर्चा नहीं की जा सकती क्योंकि यहां 542 सदस्य बैठे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं जानता हूं, किन्तु कुछ मामलों का निर्णय किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन का आरम्भ राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा से होगा। बजट पर चर्चा होगी और आपका यह कहना है कि उसमें सरकार की निन्दा करने का अवसर मिलेगा। ..... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए, मैंने उन्हें अनुमति दी है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आप सामान्य स्थिति की चर्चा कर रहे हैं। आज न देश में और न सदन में सामान्य स्थिति है और अगर आप इस स्थिति को साधारण स्थिति के रूप में लेंगे तो यह स्थिति के साथ न्याय न होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कैसी चर्चा होती है, यह हमें मालूम है। उसमें किसी एक मुद्दे पर ध्यान केन्द्रित नहीं किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, यही बात बजट पर लागू होती है। बजट में आर्थिक स्थिति पर चर्चा करेंगे, सरकार की विफलताओं पर चर्चा करेंगे सफलताओं पर नहीं करेंगे। मगर हवाला के रूप में और उसके साथ जुड़े प्रश्नों के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि उसमें इस मुद्दे पर अलग से पूरी एकाग्रता से चर्चा करने की जरूरत है। जिसकी चर्चा का उद्देश्य राष्ट्रपति के अभिभाषण से पूरा नहीं हो सकता है और न ही बजट से पूरा होगा। अब आप कहते हैं कि नियम 193 से पूरी कर लो। इस नियम 193 में तो सरकार की निन्दा नहीं हो सकती है। नियम 193 में तो मोशन आएगा, उस पर चर्चा कर लीजिए और घर जाइए। यह मामला इतना सरल नहीं किया जा सकता है। आप नियम 184 के अन्तर्गत क्यों लेने से इन्कार कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नियम यही कहते हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम ने इस बात पर जोर दिया था कि चर्चा आरम्भ होने के बाद प्रधानमंत्री जी आए, अपनी स्थिति स्पष्ट करें, बयान दें, कुछ प्रकाश डालें तब हमारी समझ में आए कि सरकार क्यों अंधेरे में रास्ता टटोल रही है, क्यों अंधेरे में गुम हो रही है ? अध्यक्ष महोदय, क्या प्रधानमंत्री जी को इस सदन में लाने के लिए नो कांफिडेंस के अलावा कोई रास्ता नहीं है ? हम वह रास्ता अपनाने के लिए तैयार हैं। उससे प्रधानमंत्री बच नहीं सकते हैं। उन्हें जवाब देना पड़ेगा।

आपने भी उस दिन स्वीकार किया था कि अविश्वास प्रस्ताव अगर आता है तो फिर आपको भी ऐडमिट करना पड़ेगा, आप किसी नियम का हवाला देकर उसे रोक नहीं सकते हैं। मगर हम अभी भी अपने को रोके हुए हह क्योंकि हम समझते हैं कि चर्चा का और कोई रास्ता निकले और ब्रह्मास्त्र का उपयोग अगर होना हो तो आखिर में किया जाए, प्रारम्भ में नही। आज का दिन भर चला गया। उस सदन में क्या हो रहा है, मैं इसका उल्लेख नहीं करना चाहता। वहां भी हमारे साथी बैठे हुए हैं। वह अपनी भावनाओं को बड़ी तीव्रता के साथ प्रकट कर रहे हैं। हमने बजट भी पेश हो जाने दिया, बजट पर इतना लंबा भाषण देने की कोई जरूरत नहीं थी, मगर कलमाडी जी हमारे साथी हैं, मित्र हैं, नए-नए रेल पर चढ़े हैं, तेज रफ्तार से जाना चाहते थे इसलिए हमने बजट पेश हो जाने दिया। हमने सहयोग की भावना

दिखाई मगर सत्ता पक्ष की ओर से इसके बदले में कोई संकेत नही है। सत्ता पक्ष से कोई भी खड़े होकर यह कहने के लिए तैयार नहीं है कि हम प्रधानमंत्री को अभी बुलाते हैं, जाकर उनको सूचना देते हैं कि सदन में उनकी आवश्यकता है वह क्यों नहीं सदन में आ रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : तात्कालिकता की कोई भावना नहीं है। इस स्थिति को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। हम कैसे सदन को जारी रख सकते हैं ? अभी आपको लेखानुदान भी पेश करना है। आप यह बात न भूलें।

श्री गुलाम नबी आजाद : हमारे लिए यह कहना उचित नहीं होगा कि प्रधानमंत्री आने के इच्छुक नहीं है अथवा आने के इच्छुक नहीं थे। मैं जिम्मेवारी लेता हूं।

[हिन्दी]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इतना बोलने की जरूरत क्या है ? उनकी अपनी समझ नहीं है क्या ? ..... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री गुलाम नबी आजाद : किन्तु हम एक उचित चर्चा करते हैं। आप चर्चा के तरीके के बारे में निर्णय कीजिए। हां, प्रधानमंत्री जी यहीं उपस्थित रहेंगे।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम नहीं चाहते कि वह बोलें। हम चाहते हैं की प्रधानमंत्री जी बोलें ..... **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : एक सदस्य ने खुले आम कहा है कि उसने 40 लाख रुपये लिए हैं जिनका प्रबन्ध प्रधानमंत्री ने किया था। परन्तु प्रधानमंत्री को यहां आने और इस विषय में कुछ कहने की परवाह ही नहीं है। हो क्या रहा है ? श्री बूटा सिंह कहां हैं ? वह वहां बैठे हैं। आपकी सरकार किस तरह की है ? जब ऐसे गम्भीर आरोप लगाए जा रहे हैं तब आप को किसी तरह की बेचैनी नहीं हो रही।

श्री गुलाम नबी आजाद : हमें स्पष्टीकरण देने पर आपत्ति नहीं है। परन्तु चर्चा तो हो। हम निश्चय ही इस पर स्पष्टीकरण देंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : किसी को चिन्ता नहीं है। कोई सरकार ही नहीं है ..... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे पूरा करने दें।

अध्यक्ष महोदय : आप पूरा कीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम मुद्दे पर आते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : प्रधानमंत्री सहित हर आदमी इस सदन की अवमानना का षड़यंत्र कर रहा है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। अभी चटर्जी मोशाय ने भी उस बात की ओर इशारा किया है। कल एक सदन के सदस्य ने यह खुला आरोप लगाया कि 193 में ..... **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : वह आपके साथ हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हां, वह हमारे साथ हैं, इसलिए उनमें इतना साहस पैदा हुआ कि वह कह सकें कि उन्होंने पैसा लिया था। आपके साथ जो बैठे हैं उनमें यह साहस नहीं है। ..... **(व्यवधान)** ..... अध्यक्ष जी, अब ये बोलने नहीं दे रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री नायक, कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, अगर आरोप लगा है और आरोप सार्वजनिक रूप से लगा है और उस आरोप के पक्ष में प्रमाण है तो क्या सरकार का यह काम नहीं है और प्रधानमंत्री जी का यह दायित्व नहीं है कि उस आरोप के बारे में स्पष्टीकरण दें, सदन को विश्वास में लें, देश को विश्वास में लें ? **(व्यवधान)** ..... अध्यक्ष महोदय, इस पर चर्चा का तरीका क्या है, आप बताइए।

अध्यक्ष महोदय : मैं बताऊंगा वाजपेयी जी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : फिर वही बात है। यह आरोप कल लगा था। आज दिन भर चला गया।

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी, ऐसा नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इन्हें तो पहले मौका लेना चाहिए था इस बारे में सदन में आकर कुछ कहने का, मगर यह चुप बैठे हैं, मौन धारण करके बैठे हैं और हम मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी यहां सदन में आएं, सदन में बोलें, अपना पक्ष रखे। इसकी तैयारी नहीं है। अध्यक्ष जी, आप तय कर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी मैं उसको न नहीं कह रहा हूं

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि नियम 184 में लें या नियम 193 में लें मगर 184 में अब जब लेते हैं तो, यह नियम 184 के अंतर्गत प्रस्ताव बन जाता है। यह प्रस्ताव उचित तरीके से आना चाहिए। अब इतनी सारी चीजें है जिसको आप प्रोपर मोशन की फोर्म में नहीं लाएंगे तब तक आप वह 184 मे नहीं लेंगे।

193 का है वह डिस्कशन का है। अब इतने सारे जो एडजर्नमेंट मोशन्स हैं, जिसमें किसी ने हवाला कह दिया है, किसी ने उनका कह दिया है, किसी ने इनका कह दिया है। इनको प्रोपर फोर्म में लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि आप कोई ऐसी गलत बात नहीं कहते हैं। हमको मालूम है और हम भी कुछ कहें कि आप नियम नहीं तोड़ते हैं यह हमको मालूम है। इसलिए उसका टाइम तो होना चाहिए। अगर यहां बैठकर हम डिसीजन करने लगे तोऐसा नहीं हो सकता है। मगर डिस्कशन के लिए कोई डिनाई कर रहा है ऐसी बात नहीं है और डिस्कशन होगा तो मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर आकर उसका जवाब भी देंगे, वह भी है और उसके बारे में कुछ दूसरी चीजें आ गई हैं। दूसरी चीजें भी मेरे सामने है। मगर एलीगेशंस हैं, डिफेमेटरी हैं। लेकिन अदर साइड का क्या कहना है वह सुनकर जो कुछ भी निर्णय करना है वह मैं करूंगा। मगर ऐसा नहीं कि इनके खिलाफ एलीगेशन आ गया तो ये कर दें या उनके खिलाफ आ गया तो वह कर दें। प्रोपरली करने की कोशिश करेंगे। आप आश्वस्त रहें।

श्री राम विलास पासवान : सर, आज 6 घंटे तक हम लोग इस विषय पर चर्चा करते रहे। कल अखबार में आया था देश के सामने। इतने समय में तो डिस्कशन समाप्त हो गया होता। ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : देखिए हुआ यह है कि आपने चर्चा की है उस पर जवाब नहीं आया है।

श्री राम विलास पासवान : 6 घंटे में तो डिस्कशन हो गया होता।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : हम प्रधानमंत्री को यहां क्यों बुलाना चाहते हैं ..... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री गुलाम नबी आजाद : आपने राइटली सुबह फरमाया था मीटिंग में कि जिसके खिलाफ आप एलीगेशन लगाते हैं। चाहे वह मंत्री हो, चाहे वह मैम्बर हो या प्रधानमंत्री हो, या कोई भी हो तो जिसके खिलाफ भी आप एलीगेशन लगाते हैं तो सुबह आप और हम पेपरों में हजारों चीजें पढ़ते हैं ..... **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : ये जानते नहीं है कि क्या एलीगेशन हैं।

श्री गुलाब नबी आजाद : जानने की बात आप जानिए पर जो नियम पार्लियामेंट के हैं वे अलग हैं। हमको तो पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के नियम से चलाना है। उसके आधार पर जैसे सुबह हुआ था कि आपने नोटिस कंसर्न्ड आदमी जिसके खिलाफ आप चार्जेज लेबल कर रहे हैं, उसको नोटिस मिला और उसके बाद उसको टाइम दे रहे हैं। आज मुझे नहीं मालूम है कि आपमें से कितने लोगों ने चाहे वे झारखंड के हो या कांग्रेस के हो, जिनके खिलाफ एलीगेशंस हैं, उनको आपने नोटिस की कापी भी भेजी है। हम यह कह रहे हैं कि हममें से न तो प्रधानमंत्री जी को जवाब देने में कोई आपत्ति है और न डिस्कशन पर कोई आपत्ति है। ..... **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : हम लोग जब एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस देते हैं तो चार कापीज भेजते हैं।

श्री राम कापसे : मैंने कल सेंश्योर मोशन भेजी है और एक मुद्गल के बारे में मामला जब यहां आया तब जवाहर लाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तब हाउस की कमेटी बैठी थी और उसका फेवर हुआ था। ..... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमें निन्दा प्रस्ताव तथा अविश्वास प्रस्ताव में अंतर समझना चाहिए। यह संयुक्त जिम्मेदारी है। हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम कापसे : वह इतना छोटा सा मामला था और यह इतना बड़ा मामला कि एक यहां का सदस्य कहता है कि यह प्राइम मिनिस्टर ने पैसा दिलवाया है और इसके पूरे सबूत दे रहे हैं और इस विषय में प्राइम मिनिस्टर यहां आते नहीं, कुछ हमें उनसे सुनने को मिलता नहीं और यह लोग कहते हैं कि आएंगे, कब आएंगे। कुछ सेंसटिविटी है या नहीं। ..... **(व्यवधान)** अब इस बारे में आप कुछ कहते है या नहीं, इतना समय बती गया ..... **(व्यवधान)**

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : प्रधानमंत्री जी के लिए सदन से बड़ा कोई काम नहीं है, सदन में आकर बैठना ही चाहिए। यह पहले प्रधानमंत्री हैं जो सदन की अवहेलना करते हैं।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, जब कोई नया मंत्री बनता है तो प्रधानमंत्री आकर उसका परिचय कराते हैं। श्री विद्या चरण शुक्ल ने मंत्री पद से त्यागपत्र दे चुके हैं परन्तु फिर भी वे मंत्री की सीट पर बैठे हैं। प्रधानमंत्री आएं और स्पष्ट करें कि क्या वह अभी भी मंत्री हैं ..... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, जो इस सदन में आना नहीं चाहते। ऐसी कौन से समस्या है देश की, जो वो वहां आना नहीं चाहते। ..... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, श्री शैलेन्द्र महतो ने जो कुछ कहा है उस पर हम सरकार का उत्तर जानना चाहते हैं ..... **(व्यवधान)** ..... आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं है। इसलिए उसने जो कुछ कहा है वह ठीक है। हम यहां बैठे इन सब बातों को सुन रहे हैं परन्तु कोई जवाब नहीं मिल रहा है। क्या बात है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : क्या मैं आपसे दिशा-निर्देश ले सकता हूं ? मैं आपसे कुछ दिशा-निर्देश चाहता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री रवि राय को बोलने की अनुमति दी है। मैं आपको बाद में अनुमति दूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : तो आप मुझे अब अनुमति नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल गफूर (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, बोलने से पहले मैं सब लोगों के सामने बहुत अदब के साथ यह कहना चाहता हूं कि आज की सिचुएशन ऐसी हो गई है, अभी अध्यक्ष जी ने रूल्स एण्ड रेगुलेशंस व शकघर की किताब पढ़ी, मैं सोच रहा था कि वे सही हैं या ये लोग सही हैं तो मेरा दिमाग कुछ परेशान हो गया । लेकिन एक चीज मैं बल्कुन सही तरीके से कहता हूं कि अगर मैं रहता तो मैं कहता कि मैं अलाउ नहीं करूंगा ..... **(व्यवधान)**..... सुन लीजिए। यह मत समझिए कि मैंने आप लोगों की तारीफ कर दी। लेकिन मैं उस जगह पर रहता तो मैं इस एडजर्नमेंट मोशन को अलाउ नहीं करता। लेकिन क्यों ? हमारे बहुत से मेम्बर्स ने मुद्दगल का जिक्र किया। हमारे सभी मेम्बर्स और हिन्दुस्तान के कौने-कौने में हवाला का जिक्र हो रहा है, सबका दिमाग पेरशान है। यह हवाला आया कहां से ? किसी एक भी मेम्बर ने वैसा नहीं किया जैसा जर्नलिस्ट करते हैं, वे जाकर हर चीज का पता करते हैं, लेकिन मेम्बर्स ने ऐसा नहीं किया।

मैं एक दफे हाउस में बैठा हुआ था तो अचानक यह मामला आया। मैंने चार-पांच दिन पहले उर्दू की एक मैग्जीन में देखा कि 60-70 लोगों के नाम हैं। मेरे दिमाग में आया कि कांग्रेस की तरफ से लोग उठेंगे, लेकिन कोई नहीं उठा। ..... **(व्यवधान)** ..... ज्यादा बालेंगे तो दूसरी सिचुएशन हो जाएगी। ज्यादा प्रोवोक करोगे तो ऐसा कुछ लाएंगे कि आपके होश ठीक हो जाएंगे।

श्री तरित वरण तोपदार : लाइए। इस चुनौती पर मैं कहता हूं कि आप लाइए ..... **(व्यवधान)**

श्री अब्दुल गफूर : यह किस्सा कैसा आया ? जब हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए। आप सब लोग जानते हैं ? .....**(व्यवधान)***

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल गफूर : मैं कह रहा हूं कि इसकी क्या जरूरत है। इससे क्या फायदा होगा ? मैं उस बात पर आता हूं कि बगैर बहस किए हुए भी इस मामले का सफाया हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका कोग्नीजेंस लिया। अखबारों मे जब किलने लगा कि प्रधानमंत्री सी.बी.आई. के थू कुछ लोगों को इसमें फंसाना चाहते हैं तो मेरे भी दिमाग में आया कि हो सकता है। प्रधानमंत्री ज्यादातर हाउस में आते नहीं हैं इसलिए वे सब चीजों पर बोलते नहीं है। उसके बाददेखा कि सी0बी0आई0 की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में कुछ मिनिस्टर्स के नाम आए। बिना मंत्रियों में अर्जुन सिंह जी का नाम आया, अन्य व्यक्तियों के भी नाम आए तो कहा गया कि वे लोग प्राइम मिनिस्टर होना चाहते थे। फिर कुछ लोगों नाम आया तो पता लगा कि इन्होंने अपने आदमियों के नाम भी इसमें ला दिए हैं। जैसे – शुक्ला जी। वी0सी0 शुक्ला जी व कुछ अन्य लोगों के बारे में यह हुआ कि इनको क्यों लाया गया, वे तो प्राइम मिनिस्टर के आदमी हैं ?

यह दिमागी उलझन जो है चल रही थी। अब देखिए क्या होता है। कुछ दिन हुए हमने देखा, एक बयान निकला एक लाइन का कानून अपना काम करेगा अब इस पर भी बहस इफ्तार की पार्टी मे चील कि हाउस के अंदर बहस होगी, ता हम लोगा क्या करेंगे। जो इसके पक्ष में हैं, 'हां' कहें, जो इसके पक्ष में नहीं हैं वे क्या करेंगे। जो इसके पक्ष में हैं 'हां' कहें, जो इसके पक्ष में नहीं हैं वे 'न' कहें, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको कागनीजेंस के तरीके से ले लिया है, तो आप क्या करेंगे।

आज देखिए आप लोग एक दूसरे पर हंस रहे थे, लेकिन जसवंत जी ने एक चीज कही। वह पहले से भी हमको मालूम है, लेकिन जब दिल पर चोट लगती है, तोदर्द होता है। दिमाग पर लगी चोट को तो आदमी संभाल लेता है। यहां पर अटल जी भी है, आडवाणी जी भी हैं, शुक्ला जी भी हैं। ..... **(व्यवधान)**

हां, मुझे मालूम है आडवाणी जी ने इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ-साथ वे इतनी दूर तक गए कि उन्होंने कहा कि जब तक यह मामला साफ नहीं हो जाता वे इलैक्शन नहीं लडेंगे। कहीं मेरी इस बात को सुनकर किसी को यह नहीं लगे हम चुनाव नहीं लडेंगे। हम तो जरूर चुनाव लडेंगे। वे एक ऐसे इंसान हैं जो इतनी दूर तक गए हैं। ..... **(व्यवधान)** ..... हाउस के अंदर उस दिन मैं भी था। सबसे पहले अगोध्या कांड के बाद इस बैंच जिस पर कि लोग इल्जाम लगाते हैं, उसके लीडर उठे। लोग सब चीज भूल जाते हैं। मैं डाइवर्शन नहीं कर रहा हूं। अटल विहारी जी उठकर कहते हैं कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। देखिए बडे आदमी के मुंह से जो आवाज निकलती है, तो जैसा जिसके दिमाग में सुरूर होता है, वह उस हिसाब से उसको लेता है। दोषियों को सजा होनी चाहिए। जब यह बात यहां पर अटल जी के मुंह से निकली तो मुझे लगा कि बी0जे0पी0 वाले यह कहेंगे कि अटल जी को पार्टी से निकाल दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ..... **(व्यवधान)**

अच्छा इसको मुक्तसर में कहता हूं। सुन लीजिए। जो लोग हवाला पर बोलेंगे, मैं जानता हूं कि क्या बालेंगे। जब प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि 'कानून अपना काम करेगा' फलाने ने रिजाइन किया, फलाने रे रिजाइन किया, यह बालेंगे। आप मेरे मुंह से मत कहलवाइए।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : जो अखबार में निकला है वही हम कह रहे हैं।

श्री अब्दुल गफूर : मेरे दिल में जो बात है, वह मैं कह रहा हूं। अब कहा कि हम लोग हवाला पर अगर डिस्कशन करेंगे, तो क्या इश्यू उठाएंगे।

ईशू तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। हमने दस दिन तक हाउस नहीं चलने दिया और सुप्रीम कोर्ट ने जजमैंट दे दिया तो सब चुप हो गए। जो हल्ला-गुल्ला करते थे, अब कीजिए। ..... **(व्यवधान)** आपको धीरज क्यों नहीं होता। चार दिन, एक सप्ताह देखिए, हे सकता है कि उन पर भी चार्ज हो जाए। आप पर चार्ज लगेगा तो हाउस में जो डिवीजन होगा वह पार्टी लाइन पर होगा, यह तो सबको मालूम है। चीज ऐसी जगह पर चली गई है जहां सबको इत्मीनान है ..... **(व्यवधान)** इस ईशू पर सुप्रीम कोर्ट की वजह से हमारे इतने मंत्रियों ने रिजाइन कर दिया। क्या बूटा सिंह की शक्ल देखकर आपको अफसोस मालूम नहीं होता ? ..... **(व्यवधान)** ..... शुक्ला जी को देखकर नहीं मालूम होता। शुक्ला जी हंस रहे हैं। सिंधिया जो को देखते हैं तो आपको कुछ मालूम नहीं होता। और बहुत से लोग हैं। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें हमारे सोमनाथ चैटर्जी और न वाजपेयी जी हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से हो सकता है, वह हमसे औरहजूर आपसे भी नहीं हो सकता। आप हमसे बहस करवा लीजिगा – यैस, नो हो जाएगा कि इसके पक्ष में इतना आया, उसके विपक्ष में इतना आया। लेकिन वहां तो पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, वहां तो सब चीजें जाएंगी। हम यहां पर क्या चीज मागाएंगे औरजब सोमनाथ जी बोलेंगे तो क्या चीज लाएंगे। हम ही बातें तो हमारे पास क्या मामला है। ..... **(व्यवधान)** ..... इसमें ती चीजें आ रही हैं। ..... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह देश में व्याप्त माहौल के अनुरूप ही है।

श्री अब्दुल गफूर : हां, यह देश में व्याप्त माहौल के अनुरूप ही है।

[हिन्दी]

हवाला होता ही नहीं, हवाला किरी को पता नहीं चला। बात यह हुई कि 2-3 लड़के कश्मीर की एक यूनीवर्सिटी के होस्टल में रहते थे। कहीं से हवाला का रुपया आया और उन लड़कों को दिया गया कि यह टैरोरिस्ट्स को दें। वह वहीं पर पकड़ाया गया। जब पकड़ाया गया तो सरकार की तरफ से सी.बी.आई. गई कि पकड़ा है या नहीं। उसे पकड़ने में वह डायरी गिल गई। ..... **(व्यवधान)** ..... हम ईमानदारी से कहते हैं, कहें तो इससे भी ज्यादा कसम खा सकते हैं। मैंने जब देखा कि सारे औपोजीशन के लोग कांग्रेस की तरफ इशारा करते हैं कि यह करप्शन, वह करप्शन ..... **(व्यवधान)** ..... हमको उसमें भी मालूम था कि बहुत सी चीजें सही थी। हमने देखा कि हमारी पार्टी में उससे ज्यादा करप्शन हो रहा है और सारा रुपया ..... **(व्यवधान)** ..... यह तो हवाला का किसी मल्टीमिलियनेयर ने भी दिया होगा कि जाकर बांट दो। बिहार में तो जो हुआ जिसके सब सपोर्टर बैठे हुए हैं, यहां तो पब्लिक मनी का घोटाला है। ..... **(व्यवधान)**

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : इस हवाला के पैसे से जनता दल को आपने 3-3 बार तोड़ा ..... **(व्यवधान)** ..... बिहार में कुछ नहीं हुआ। ..... **(व्यवधान)** इसी हवाला के पैसे से आप लोग चुनकर आए हैं। हवाला के ही पैसे से सब कुछ हुआ है। जनता दल को आप लोगों ने तीन-तीन बार तोड़ा है।

श्री अब्दुल गफूर : जब हम लोग गए ..... **(व्यवधान)**

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : इसी हवाला के पैसे से तो आप लोगों ने दलबदल किया था। हवाला के ही पैसे से सब कुछ हुआ है, जनता दल को प्रधानमंत्री ने तीन-तीन दफा तोड़ने का काम किया। ..... **(व्यवधान)**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : चाचा की कांस्टीट्वेंसी में चार-चार हैलीकॉप्टर उड़ रहे थे, चार हैलीकॉप्टर कहां से आए ? हवाला के पैसे चार हैलीकॉप्टर से चुनाव लड़ रहे थे और समता पार्टी की जमानत जब्त हो गई। **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : अभी लोग नए रिप्रेजैण्टेव्ज़ि को चुनें। यह लोक सभा भंग की जाए।

अब यह निरर्थक हो गई है।

अब नए लोगों को चुना जाए, इस लोक सभा को भंग किया जाए। ..... **(व्यवधान)**

श्री उमराव सिंह : यह तो जानवरों का सारा फॉडर खा गए।

श्री अब्दुल गफूर : मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं कि कांग्रेस बैंच के लोग और हमारे भाजपा के लोग बहुत खामोशी से बातें सुनते रहे, लेकिन जब सांड हरियाणा से बिहार स्कूटर पर चला जा सकता है तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार की क्या स्थिति है ..... **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, बहुत हो गया। या तो आप पूरा डिस्कशन कराइए, या हाउस को एडजर्न कीजिए या हम लोगों को जाने की इजादत दीजिए, इस तरह से मॉकरी नहीं हो सकती है। ..... **(व्यवधान)**

5.43 म०प०

तत्पश्चात् श्री राम विलास पासवान तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए ..... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : अध्यक्ष महोदय, यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। या तो आप निर्णय करें अथवा हम बहिष्कार करेंगे। प्रधानमंत्री

सदन में नहीं आ रहे हैं। जब हमारी चर्चा कराए जाने में रुचि है, सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। ..... **(व्यवधान)**

5.43¼ म०प०

तत्पश्चात् श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए। ..... (व्यवधान)

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : प्रधानमंत्री के सदन में आने और वक्तव्य देने में असफल रहने तथा पूरे देश के समक्ष आ रही इस समस्या के प्रति सरकार की उदासीनता के खिलाफ विरोध प्रकट करते हुए मैं भी वाक आऊट करता हूं।

5.43½ म०प०

तत्पश्चात् श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए। ..... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी : हाउस को क्या हो रहा है ?

[अनुवाद]

इस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह सरकार भ्रष्ट है। उन्हें इसकी परवाह नहीं है। सारी जनता खिल्ली उड़ा रही है। विश्वसनीयता नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। मंत्री त्यागपत्र दे रहे हैं। रिश्वतखोरी के आरोप खुलेआम लगाए जा रहे हैं। परन्तु कोई प्रतिक्रिया नहीं है। यह एक अनोखी पार्टी तथा एक अनोखी सरकार है। यहां बैठे रहने का कोई लाभ नहीं है। हमें चले जाना चाहिए। आप सदन जारी रख सकते हैं। ..... **(व्यवधान)**

5.44 म०प०

तत्पश्चात् श्री सोमनाथ चटर्जी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए। ..... (व्यवधान)

श्री ई० अहमद : महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं अपने मित्र श्री सैफुद्दीन चौधरी के तर्क का समर्थन करता हूं। नियम 183 के अन्तर्गत चर्चा कराई जाए जैसा कि श्री सैफुद्दीन चौधरी का सुझाव है। इसे नियम 184 के अंतर्गत नहीं लिया जा सकता जैसा कि माननीय वाजपेयी द्वारा सुझाव दिया गया था। नियम 184 के अंतर्गत प्रस्ताव लाने के लिए नियम 186 के अंतर्गत भी एक शर्त का उपबंध है। नियम 186 के साफ-साफ लिखा है कि नियम 184 के अंतर्गत प्रस्ताव की ग्रहयता के हेतु प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिए; अर्थात् .....

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं वह प्रस्ताव कहां है ? उस पर कौन विचार कर रहा है ? आप उद्धरण क्यों दे रहे हैं ?

श्री ई० अहमद : मैं बता रहा हूं कि अटल जी का कहना है कि नियम 193 के अधीन चर्चा संभव नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय : यह उस पर चर्चा का अवसर नहीं है।

श्री ई० अहमद : तब हम इसे नियम 193 के अधीन क्यों नहीं लेते।

अध्यक्ष महोदय : यह निर्णय करना मेरा काम है। अब हरेक सदस्य अपने तरीके से तर्क दे रहा है तथा मुझे चुप रहना पड़ रहा है। मैं सुनने के बाद अपना निर्णय करूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इन्द्रजीत जी आप कुछ बोलना चाहते हैं ?

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : नहीं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा प्रतीत होता है कि अब कोई बोलने का इच्छुक नहीं है। अब हम कार्य-सूची की अगली मद लेते हैं। अब नियम 377 के अधीन मामले लिए जाएंगे।

5.45 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

5.45 म०प०

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन से केरल को अधिक बिजली दिए जाने की आवश्यकता

श्री पी.सी. चाको (त्रिचूर) : महोदय, केरल में बिजली की स्थिति गंभीर हो रही है। केरल को जोकि मुख्यतः पन बिजली पर निर्भर करता है मैं मानसून न आने तथा जलाशयों में जल-स्तर में कमी के कारण की गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि केरल में कोई थर्मल पावर केन्द्र नहीं है इसलिए मानसून की असफलता के परिणामस्वरूप राज्य में बिजली का संकट अत्यंत गंभीर हो गया है। इसको देखते हुए केरल सरकार विभिन्न परियोजनाओं को शीघ्रता से लागू करने के उपाय कर रही है लेकिन भविष्य में बिजली के संकट को दूर करने के लिए ही यह सहायक हो सकेगा। लेकिन वर्तमान संकट से निपटने के लिए केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से दक्षिण ग्रिड, विशेषकर रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन से और अधिक बिजली आवंटित किए जाने का अनुरोध किया है। विगत में केरल को विभिन्न कारणों से रामागुंडम करपक्कम और नपवेली से उसी का देय हिस्सा नहीं मिला लेकिन राज्य को उसका देय हिस्सा मिलना अब नितान्त आवश्यक हो गया है और रामागुंडम पावर स्टेशन से पैदा की जा रही ऊर्जा का कम-से-कम 25 प्रतिशत इस राज्य को दिया जाए।

मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि रामागुंडम पावर स्टेशन से केरल को तत्काल अतिरिक्त ऊर्जा आवंटित की जाए।

(दो) उड़ीसा के बालासौर जिले के सभी बाढ़ प्रभावित खंडों को रोजगार आश्वासन योजना में शामिल किए जाने के आवश्यकता

डॉ० कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर) : महोदय, उड़ीसा के बालासौर जिले के बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित ब्लाकों को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत रोजगार आश्वासन योजना में शामिल नहीं किया गया है, यद्यपि उड़ीसा राज्य सरकार ने इस संदर्भ में प्रस्ताव दिए हैं। अतः मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि बालासौर जिले के बाढ़ से प्रभावित ब्लाकों को रोजगार आश्वासन योजना में शामिल कर लोगों की समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए।

(तीन) बिहार के नवादा जिले के विकास के लिए इसके खनिज अयस्क भंडारों का अधिकतम उपयोग किए जाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री प्रेमचन्द राम (नवादा) : बिहार राज्य का नवादा जिला पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहां पर प्राकृतिक खनिजों का भंडार होने के बावजूद उनका समुचित दोहन नहीं किया जा सका है जिससे यहां का पिछड़ापन दूर हो सके। नवादा में कच्चे माल को देखते हुए यहां पर दियासलाई या कागज के कारखाने लगाने से वन-सम्पदा का नष्ट हो रहा कच्चा माल उपयोग में लाया जा सकता है। साथ ही अयस्क खानों से निकलने वाले पदार्थों का दोहन करके भी नवादा जिले का विकास किया जा सकता है।

अतः मेरा भारत सरकार से यह अनुरोध है कि वह बिहार राज्य के नवादा जिले में विकास के कार्य के लिए यहां पर एक दियासलाई का कारखाना व अयस्कों की खान से निकलने वाले पदार्थों का दोहन कराने के लिए कारखाने लगाए। इन कारखानों के लग जाने से इस क्षेत्र का विकास कार्य होगा और नवादा जिले के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार भी प्राप्त हो सकेगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम अनुपूरक सूची के अनुरूप चलेंगे।

(चार) गन्ना किसानों द्वारा उठाई जा रही कठिनाईयों को दूर करने के लिए चीनी मिलों विशेषकर मेरठ, उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों की पिराई क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में गन्ना किसानों की आर्थिक दशा खराब है। गन्ने का भाव मिलों पर 74 रुपये प्रति कुंतल का है किन्तु गन्ने की अधिकता के कारण 30 रुपये प्रति कुंतल के दाम किसानों को केशर और कोल्हू पर मिल रहे हैं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र की चीनी मिल ने अपनी पिराई क्षमता 60 हजार कुंतल प्रतिदिन से बढ़कर 90 हजार कुंतल प्रतिदिन कर ली है। लेकिन उद्योग मंत्रालय ने बढ़ी हुई क्षमता पर पेराई करने की अनुमति अभी तक नहीं दी है। यदि बढ़ी हुई क्षमता पर मिल चलती तो अभी तक 40 लाख कुंतल गन्ने अधिक पेराई हो सकती थी। इससे किसानों को आर्थिक दुर्दशा से बचाया जा सकता था। मैंने पूर्व में भी इस प्रश्न को सदन में उठाया था परन्तु उस पर भी अभी समुचित कार्यवाही नहीं की गई है। इस समस्या से पीड़ित दस हजार कृषकों ने 26 फरवरी, 1996 को मेरठ कलैक्टरेट पर शान्तिपूर्वक क्रमिक अनशन किए तथा जिलाधिकारी द्वारा राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन भेजा।

अतः मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले में तुरन्त हस्तक्षेप करके मवाना क्षेत्र के किसानों को आर्थिक दुर्दशा से बचाने हेतु मिलों को अविलम्ब बढ़ी हुई क्षमता पर पेराई करने की अनुमति प्रदान की जाए।

5.53 म०प०

औद्योगिक विवाद (संशोधन) अध्यादेश, 1996 का निरनुमोदन संबंधी सांविधिक संकल्प और औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम मद सं० 26 और 27 पर चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

डॉ० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी द्वारा 5 जनवरी को एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया। इस अध्यादेश के निरनुमोदन प्रस्ताव को लेकर मैं खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष जी, प्रायः सरकार इस प्रकार के अध्यादेश लाने का क्रम ही बना चुकी है। इस सदन में कई बार खेद भी प्रकट किया गया और माननीय सदस्यों की तरफ से बार-बार चेतावनी भी दी गई कि सरकार जहां अन्य कार्यों में अक्षम्य भी है, वह निर्लज्ज भी है और इस प्रकार निर्लज्जता पूर्वक जब चाहे तब अध्यादेश लाकर अपनी बात मनवाने का प्रयत्न करती है। यह अध्यादेश भी इसी प्रयास का एक उदाहरण हमारे सामने है। यद्यपि अध्यादेश में जो बातें कही गई हैं, मैं उनके ऊपर विस्तार में नहीं जाना चाहता। क्योंकि राज्यसभा द्वारा भी कुछ संशोधन पारित किए गए थे। राज्यसभा में कुछ प्रस्तुतियों और कुछ संशोधनों को लाकर फिर से यहां पर विधेयक लाने की और उसके पहले अध्यादेश निकालने की प्रक्रिया हुई है। मैं उन कारणों में भी नहीं जाना चाहता कि किस कारण से यहां पर लोकसभा में जल्दबाजी में इस प्रकार के विधेयक को पारित करवाने का प्रयत्न किया गया।

यह अध्यादेश पहली बार नहीं, इसके पहले भी 11 अक्तूबर को भी अध्यादेश के द्वारा ही इस प्रकार का प्रस्ताव यहां पर पहले आया था और यहां पर विधेयक पारित करवाया गया था। यदि तब भी विचारपूर्वक, सुविचारित ढंग से इस प्रकार का विधेयक लाया जाता, तो शायद राज्य सभा को अपनी बात कहने के लिए या संशोधन प्रस्तुत करके दोबारा लोक सभा में विचार करें, यह स्थिति पैदा नहीं होती, लेकिन तब भी सरकार ने गम्भीरता से विचार नहीं किया।

हमने औद्योगिक विवाद विधेयक पर बहुत सारी बातें कही थी। उस समय भी मजदूरों के अन्दर काफी विवाद था, एक मजदूर संगठन उसके पक्ष में था और दूसरा मजदूर संगठन उसके पक्ष में नहीं था। ये बाते हैं, जिन पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए। किन कम्पनियों के बारे में, किन उपक्रमों के बारे में या किन अन्यान्य संस्थाओं के बारे में सरकार के जो विचार हैं, वे सामने आने चाहिए। बाद में कहा गया, इन संस्थाओं के नाम बदल गए हैं। एयर इंडिया का नाम, आयल इंडिया कम्पनी का नाम बदल गए है और वे कार्पोरेशन हो गए हैं। दूसरे इन्डस्ट्रियल फाइनेंसियर कार्पोरेशन के नाम बदल गए हैं। पहले वे एक्ट के अन्दर आते थे, अब वे कार्पोरेशन्स हो गए हैं और इनका उत्तरदायित्व सरकार पर भी आता है। यह सरकार को तब भी मालूम था, ऐसा नहीं था कि सरकार को नवम्बर महीने के अन्दर मालूम नहीं था। मुझे खेद है कि इस बात को तब भी मालूम होते हुए, इस बात की चेष्टा क्यों नहीं की गई, क्यों नहीं इसके बारे में ठीक ढंग से विचार किया गया और इसीलिए मुझे यह निरनुमोदन प्रस्ताव लाना पड़ा है। यह बात ठीक है कि सरकार की कई प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं और उन आवश्यकताओं की दृष्टि से तत्काल किसी न किसी प्रकार से कदम उठाने की जरूरत थी और उन कामों को अध्यादेश के द्वारा किया गया। लेकिन मुझे कहना है कि एक बार नहीं, दो-दो बार सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा, यह सरकार की अक्षमता का द्योतक है और अक्षमता को प्रस्तुत करता है। सरकार कितनी सक्षम है, यह इससे ही प्रतीत होता है। यह ठीक है कि इन्डस्ट्रीयल फाइनेंशियल कार्पोरेशन बाद में इन्डस्ट्रियल फाइनेंशियल कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड बन गया। इसी तरह से इंडियन एयरलाइन्स और एयर-इंडिया भी कार्पोरेशन बन गए हैं। इन्टरनेशनल एयरपोर्ट्स अथोरिटी भी एयरपोर्ट्स अथारिटी आफ इंडिया बन गए हैं। यह स्थिति तब भी थी और आज भी है, मैं चाहूंगा कि सरकार की तरफ से इसके बारे में व्याख्यात्मक टिप्पणी आनी चाहिए, एक स्टेटमेंट आना चाहिए कि क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ी और किन सन्दर्भों में इसको लाना पड़ा। मैं समझता हूं कि यह बहुत ज्यादा अच्छा होता। माननीय मंत्री जी इस बारे में स्थिति स्पष्ट करेंगे और तब अन्यान्य साथी जो इस पर बोलने वाले हैं, वे आगे चल कर चर्चा करेंगे और इस विधेयक पर प्रकाश डालेंगे।

मैं, महोदय, संक्षेप में इतना ही कहूंगा कि राष्ट्रपति जी को धारा-123 के अन्तर्गत संविधान के द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं, उसका वे दुरुपयोग न करें। इस शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री

जी से कहूंगा कि वे अपनी स्थिति के बारे में स्पष्ट करें। मैं फिर से इस सदन से आग्रह करूंगा कि मेरा जो निरनुमोदन प्रस्ताव है, उसका समर्थन करें और इसको निरुनमोदित करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 5 जनवरी, 1996 को प्रख्यापित औद्योगिक विवाद (संशोधन) अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 1) का निरनुमोदन करती है।"

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में और संशोधन करने के लिए राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक के बारे में आप कुछ स्पष्ट कर सकते हैं।

6.00 म०प०

श्री जी० वेंकट स्वामी : इसलिए मैं इन तीन विधेयकों को पेश करना चाहता हूं और बाद में आप इन पर चर्चा के लिए समय निश्चित करेंगे। यदि आप चाहेंगे तो मैं वाद-विवाद का जवाब दे दूंगा। वरना वैसे भी मैं इसके लिए तैयार हूं ..... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डॉ० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : मैंने यह पूछा कि 11 अक्तूबर और 5 फरवरी को समान स्थिति थी तब आप यह बिल क्यों नहीं लाए, जो आज आप इसको लाए हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मद संख्या 26 तथा 27 दोनों पर एक साथ विचार करना पड़ेगा। नियत आवंटित समय दो घंटे हैं। तब इसको पूरा किया जाने के पश्चात् हम अगले मद को ले सकते हैं। आप तो विधेयक के महत्व को बता सकते हैं।

श्री जी० वेंकट स्वामी : महोदय, सभा के माननीय सदस्यों को मालूम हैं कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में अन्य बातों के साथ-साथ मशीनरी और प्रक्रियाओं हेतु औद्योगिक विवादों के निपटान और जांच के लिए प्रावधान हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत इण्डियन एयरलाइन्स तथा एयर इण्डिया कॉरपोरेशन से सम्बन्धित किन्हीं औद्योगिक विवादों के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार उपयुक्त सरकार थी।

उपाध्यक्ष महोदय : वेंकट स्वामी जी आप अपना वक्तव्य अगले दिन जारी रख सकते हैं। अब हम दो अथवा तीन मिनटों के लिए और बैठेंगे।

श्री जी० वेंकट स्वामी : मेरे पास दो अन्य विधेयक भी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सत्य है। अन्य विधेयक अगले दिन लिए जाएंगे। नियत आवंटित समय दो घंटे है। अन्य सदस्य भी हैं जो वाद-विवाद में भाग लेना चाहते हैं। अतः अब हम मद संख्या 19 को लेंगे।

6.02 म०प०

[अनुवाद]

समिति के लिए निर्वाचन

मसाला बोर्ड

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : मैं अपने साथी श्री पी० चिदम्बरम की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :—

"कि मसाला बोर्ड नियम, 1987 के नियम 4(1) (ख) और 5(1) के साथ पठित मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) (ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन मसाला बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करे।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मसाला बोर्ड नियम, 1987 के नियम 4(1) (ख) और 5(1) के साथ पठित मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) (ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन मसाला बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : वेंकट स्वामी जी, अगले दिन आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री जी० वेंकट स्वामी : मैं ये दो विधेयक पेश करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं। पहले मद संख्या 26 तथा 27 विचार हेतु लिए जाएंगे और ये निपटाए जाएंगे क्योंकि नियत आवंटित समय दो घंटे हैं। तत्पश्चात् अगली मद संख्या ली जाएगी। मद संख्या 28 बाद में ली जाएगी। वेंकट स्वामी जी मैं समझता हूं कि अब बात आपके लिए स्पष्ट हो गई है।

श्री जी० वेंकट स्वामी : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल 28 फरवरी, 1996 को प्रातः 11 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.03 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 28 फरवरी, 1996/9 फाल्गुन 1917 (शक) के ग्यारह बजे म.पू. तक के लिए स्थगित हुई।